"चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के सन्दर्भ में स्त्री-शिक्षा के विकास का अध्ययन"

"STUDY OF PROGRESS OF WOMEN EDUCATION IN CHITRAKOOTDHAM MANDAL WITH REFERENCE TO ITS GEOGRAPHICAL, HISTORICAL, SOCIAL, ECONOMICAL AND CULTURAL CONDITIONS"
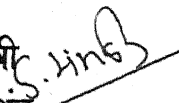
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शिक्षा संकाय
में पी- एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध- 2007

निर्देशक
डॉ0 डी0 आर0 सिंह पाल
निदेशक एवं अध्यक्ष,
शिक्षा संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (उ0प्र0)

शोधकर्त्री
सविता सिंह
एम0 ए0 (अर्थशास्त्र), एम0 एड0

शोध केन्द्र- पं0 जे0 एन0 पी0जी0 कॉलेज, बाँदा

Dr. D. R. Singh Pal
M.A., M.Ed., Ph.D.
Director & Head
Institute of Education
B.U. Residencial Campus
Kanpur Road, Jhansi
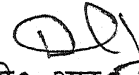
Professors Residence :
SARSWATI KUNJ
B.U. Campus,
Jhansi,
Ph. 0510-2320782 (o)
0510-3202764 (R)

Date ....

प्रमाणित किया जाता है कि **सविता सिंह** ने अपना शोध प्रबन्ध **"चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के सन्दर्भ में स्त्री-शिक्षा के विकास का अध्ययन"** विषय पर मेरे निर्देशन में बड़ी लगन, मेहनत तथा अध्यवसाय से दो सौ दिन से अधिक उपस्थित रहकर प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पूर्ण किया है। इसकी विषय सामग्री मौलिक है तथा यह सम्पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयुक्त नहीं की गई है।

यह शोध-प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी-एच०डी० परीक्षा की नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है। मैं संस्तुति करता हूँ कि इसे मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

डॉ० डी० आर० सिंह पाल
निदेशक एवं अध्यक्ष
शिक्षा संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

आभार प्रदर्शन

तृतीय विश्व में राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका के महत्व की स्वीकृति अब नई बात नहीं रह गयी है। औपनिवेशिक काल में भले ही आधुनिक शिक्षा के अवसरों को महिलाओं को प्रदान करने के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में संकीर्णता रही हो किन्तु स्वाधीनता की लड़ाई के साथ-साथ सामाजिक लड़ाई में भी महिलाओं के बढ़ते योगदान में समाज में उनके महत्वपूर्ण स्थान को स्थापित करने के लिये शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यही कारण है कि आजादी के बाद भारत के समस्त नागरिकों को समानता के अधिकार के तहत समतामूलक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जा सके किन्तु महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा उतनी तीव्र गति से नहीं पकड़ सका। 1986 की नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् ही इस दिशा में हमें आकर्षक परिणाम प्राप्त होते है। बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ अर्थव्यवस्था का परम्परागत ढाँचा अभी विद्यमान है ऐसे समुदायों में आजादी के 60 साल पश्चात् महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है। इसे जानने की जिज्ञासा अपने छात्र जीवन से लेकर अध्ययापन काल तक मन को सालती रही। लगभग छः वर्ष पूर्व विभाग के प्रबुद्ध विषय मर्मज्ञ तथा पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ० डी०आर० सिंह पाल (वर्तमान निदेशक एवं अध्यक्ष शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी) से चले विचार-विमर्श के पश्चात् इन जिज्ञासाओं में एक शोध प्रारूप का स्वरूप ग्रहण किया।

यह शोधकार्य आप ही के मार्गदर्शन तथा निरन्तर परिमार्जन के चलते पूरा कर पाना सम्भव हो सका। समय-समय पर अपनी निजी सुविधा-असुविधा का ध्यान न रखते हुये भी आपने मेरा उत्साहवर्द्धन तथा मार्गदर्शन किया उसके लिये में सर्वदा आपकी आभारी रहूँगी।

यह शोधकार्य जिस रूप में आपके समक्ष आ सका है उसके लिये मैं श्रद्धेय डॉ० ओमकार चौरसिया (विभागाध्यक्ष, शिक्षक-शिक्षा विभाग, पं० जे०एन०पी०जी० कॉलेज, बाँदा) की हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने अपने अनुभवों एवं गहन अध्ययन से इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में समुचित मार्गदर्शन किया।

मैं शिक्षक-शिक्षा विभाग, पं० जे०एन०पी०जी० कॉलेज, बाँदा के सभी शिक्षकों की भी हृदय से आभारी हूँ जिनका समय-समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा है। साथ ही शोध

प्रबन्ध को पूर्ण करने में सहयोग व उत्साहवर्द्धन के लिये मैं प्रो0 अतुल कुमार शुक्ल एवं श्रीमती ममता चौबे, प्रवक्ता, शिक्षक-शिक्षा विभाग, बाँदा की भी आभारी हूँ।

मैं श्री गजेन्द्र सिंह चौहान अध्यापक, इलाहाबाद की विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद से शोध सम्बन्धी समस्त सूचनायें प्राप्त कराने में सक्रिय सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त मैं योजना भवन पुस्तकालय, लखनऊ, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, विकास भवन बाँदा के समस्त कर्मचारियों की भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध सम्बन्धी आकड़े प्राप्त करवायें।

श्री गंगाचरण राजपूत, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाँदा तथा श्रीमती सुशीला अग्रवाल डी0आई0ओ0एस0 द्वारा किये गये सहयोग के लिये मैं हृदय से आभारी हूँ।

इस शोध से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने के लिये मुझे सभी जनपदों में जाना पड़ा। आंकड़ो के एकत्रीकरण में मैं बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा जनपद के उन समस्त शैक्षिक संस्थाओं के प्राचार्यो एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करती हूँ।
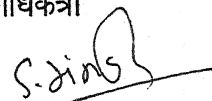
शोधकार्य से सम्बन्धित पुस्तकों को उपलब्ध कराने में मैं डॉ0 रामगोपाल सिंह, बाँदा व श्री राजेश सिंह भदौरिया, एडवोकेट, बाँदा की भी आभारी हूँ।

इं0 सिद्धार्थ सौरभ सिंह ने अपने अथक परिश्रम द्वारा सांख्यिकीय ऑकड़ो का आगणन कर मुझे शोधकार्य में विशेष सहयोग प्रदान किया, जो मेरे लिये अविस्मणीय है।

मैं आकाश कुमार द्विवेदी एवं प्रदीप अवस्थी को अपने शोध प्रबन्ध को कुशल कम्प्यूटर टंकण एवं निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के लिये धन्यवाद देती हूँ।

अन्त में अपने माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आर्थिक एवं मानसिक सहयोग प्रदान कर मेरे कार्य को सुगम बनाया।

शोधकत्री

सविता सिंह

एम0ए0 (अर्थशास्त्र) एम0एड0

अनुक्रमणिका

अध्याय-प्रथम

अध्याय-द्वितीय

अध्याय-तृतीय

अध्याय-चतुर्थ

अध्याय-पंचम

अध्याय-षष्ठ

अध्याय-सप्तम्

अध्याय-अष्टम्

अध्याय-नवम्

5. तृतीय पंचवर्षीय योजना

   (अ) अवधि

   (ब) आवंटन

   (स) प्राथमिकता

   (द) लक्ष्य

   (य) उपलब्धि

   (र) परियोजनायें

   (ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

6. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

   (अ) अवधि

   (ब) आवंटन

   (स) प्राथमिकता

   (द) लक्ष्य

   (य) उपलब्धि

   (र) परियोजनायें

   (ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

7. पाँचवी पंचवर्षीय योजना

   (अ) अवधि

   (ब) आवंटन

   (स) प्राथमिकता

   (द) लक्ष्य

   (य) उपलब्धि

   (र) परियोजनायें

(ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

8. छठीं पंचवर्षीय योजना

(अ) अवधि

(ब) आवंटन

(स) प्राथमिकता

(द) लक्ष्य

(य) उपलब्धि

(र) परियोजनायें

(ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

9. सातवीं पंचवर्षीय योजना

(अ) अवधि

(ब) आवंटन

(स) प्राथमिकता

(द) लक्ष्य

(य) उपलब्धि

(र) परियोजनायें

(ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

10. आठवीं पंचवर्षीय योजना

(अ) अवधि

(ब) आवंटन

(स) प्राथमिकता

(द) लक्ष्य

(य) उपलब्धि

अध्याय-दशम्

सारिणी सूची

रेखाचित्र-सूची

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

समस्या की पृष्ठभूमि एवं महत्व

- शोध की आवश्यकता
- समस्या का कथन
- शोध के उद्देश्य
- समस्या चयन का औचित्य
- शोध का परिसीमन
- शोध विधि-ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक शोध विधि
- शोध प्रबन्ध की योजना

प्रस्तावना

समस्या और उसकी पृष्ठभूमि :

शिक्षा जीवन का आधार है। इसके अभाव में मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। विशेषकर समाजोत्थान के लिए परिवारों की अहम् भूमिका होती है। परिवार हमारे समाज की लघु इकाई है। अतः शिक्षा का बहुत कुछ उत्तरदायित्व परिवार पर आता है परन्तु वर्तमान समय में यह दायित्व विद्यालयों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पर भी आ गया है किन्तु इससे परिवार का महत्व कम नहीं होता। चूँकि परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि है। अतः माता की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। महात्मा गाँधी ने कहा है- बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नहीं किया जा सकता, जब तक स्त्री-शिक्षा के सवाल को गंभीरता से हल न किया जाये। इस सम्बन्ध में कहा है- एक माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। एक लड़के को शिक्षित करने का अर्थ है केवल लड़के को शिक्षित करना किन्तु एक लड़की को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना। मनु ने कहा है- ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्वामी विवेकानन्द जी पुरुष प्रधान समाज को सम्बोधित करते हुये कहा, तुम स्त्रियों के बारे सोचने वाले कौन होते हो, तुम उन्हें शिक्षित करो वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगी। स्त्री देश की संस्कृति, धर्म, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान का स्तम्भ होती है। नारी विभिन्न रूपों में राष्ट्र तथा समाज की सेवा करती है। सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा माता की गोद से ही आरम्भ होती है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं है, तो परिवार में रहकर अपने बच्चों को नागरिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती है और अपने कर्तव्यों का पालन भली-भाँति भी नहीं कर सकती। शिक्षित स्त्रियां कुछ देशों में पुरुषों से अधिक निपुण सिद्ध हुयी हैं। हमारे मानव साधनों से पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों से चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है।

वास्तव में एक स्त्री की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की ही नहीं होती बल्कि सारे परिवार की होती है। चूँकि परिवार का स्तम्भ नारी ही है जिस प्रकार वर्तमान प्रजातंत्र में वर्ग भेद अथवा जाति भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से लिंग-भेद के आधार पर स्त्री-शिक्षा की उपेक्षा

नहीं की जा सकती। समाज में किसी भी स्त्री को पुरुष के समान ही शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिए पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग अति आवश्यक है। स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिए तथा घर एवं समाज में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है। प्रत्येक स्त्री का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माता के कर्तव्य को भली प्रकार निभाना होता है। एक सुशिक्षित माता ही बालक का अच्छी प्रकार लालन-पालन करने, उसमें सुप्रवृत्तियों का विकास एवं उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में अच्छी प्रकार सहायक हो सकती है। जैसा कि कहा गया है कि ''माता-पिता बच्चे की प्रथम पाठशाला हैं।'' एक सुशिक्षित नारी ही पारिवारिक जीवन को अधिक सुखी एवं आकर्षक बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार पूरा कर सकती है। वर्तमान अर्थ संकट के समय जबकि अधिकांश परिवारों की आय अत्यन्त न्यून है। इन परिवारों की स्त्रियां शिक्षा का उपयोग परिवार की आय को बढ़ाने में भी कर सकती है।

आज समाज की बदलती हुयी परिस्थितियाँ स्त्री-शिक्षा के महत्व की ओर इंगित करती है। चिकित्सा, परिचर्या तथा शिक्षण क्षेत्र में स्त्री की तुलना पुरुष से नहीं की जा सकती। यदि पुरुषों के समान स्त्रियों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो जाये, तो स्त्री भी कुशल समाज-सुधारक, व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, अधिवक्ता तथा राजनीतिक नेता बनकर देश को समृद्धशाली बना सकती है। जिस प्रकार समाज में प्रत्येक पुरुष की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार समाज में प्रत्येक स्त्री की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। इस प्रकार समाज की उन्नति व प्रगति के लिए पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग अति आवश्यक है। स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिए तथा घर में अपने उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है।

शिक्षा का उचित अवसर मिलने पर स्त्री हर प्रकार से सफल, सरल एवं कठिन कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकती है। मनु का कहना है कि ''स्त्रियों की बुद्धि और भी प्रखर होनी चाहिये। अतः यदि स्त्रियां अपने घरों को संभालने का कार्य अपने हाथों में ले ले तो हम समाज में अनेक परिवर्तन देख सकते हैं। जहाँ इस समय दुःख और आँसू भरी आँखें हैं, वहाँ पर सुख और खिले हुये चेहरे दिखाई देगें'' और देश का रूप ही बदल

जायेगा। इस प्रकार यदि राष्ट्रीय योजनाओं में गृहणियों तथा गृहस्थों का सहयोग मिले तो यह योजनायें जल्दी ही सफल हो जायेगी किन्तु ऐसा तभी संभव है जबकि स्त्रियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाये।

प्राचीन भारत में स्त्रियों को समाज में गौरवमय स्थान प्राप्त था। पुरुषों के समान ही स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। लड़कों की भांति लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। प्राचीन भारत में महिलायें वेद पाठी होती थी और गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा के निकट रहने, जानने और सीखने का उन्हें अवसर भी मिलता था और सामाजिक अनुमति भी थी। इसी कारण भारतीय इतिहास में विश्ववारा, घोषा, लोपमुद्रा ससम्मान ऋषिपद को प्राप्त किया। कश्मीर में रानी दिद्दा, बारंगल में रुद्रामना, सातवाहन वंश में प्रतिभावान रानी जयनिका, चालुक्य वंश में विजय भट्टारिका, सल्तनत काल में रजिया सुलतान और मुगलकाल में रानी जोधाबाई, नूरजहाँ आदि राजकाज में प्रभावी भूमिका निभाती थी। इस युग में (मुगल साम्राज्य) की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा। 11वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने की वजह से हमारी संस्कृति की रक्षा करना जरूरी हो गया था इसलिए ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिए स्त्रियों के संबंध में नियमों को और कठोर बना दिया लेकिन वे इस बात को भूल गये कि स्त्री जिसका कि समाज एवं संस्कृति में अपना एक विशेष महत्व है उसके चेतना शून्य हो जाने पर समाज एवं संस्कृति आदि स्वतः समाप्त हो जायेगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर एवं सुविधायें थी, जिसमें महिलाओं की बौद्धिक प्रतिभा का विकास हो पाता था वहीं मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों के शासन के लम्बे दौर में बढ़ती पर्दा-प्रथा के कारण महिलाओं की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होकर अति सीमित हो गयी। ब्रिटिश काल में यद्यपि शासकीय उदारता के कारण स्त्री-शिक्षा की दशाओं में कुछ सुधार हुआ लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े हुये समाज ने इस दिशा में अधिक रुचि और उत्साह नहीं दिखाया।

हमारे देश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों के कारण भी स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है। देश में अनेक सामाजिक कुरीतियां

जैसे- पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह तथा स्त्री-पुरुष में भेदभाव आदि स्त्री-शिक्षा में बाधा डाल रही हैं। स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित अनेकानेक समस्यायें कदम-कदम पर दिखायी देती हैं। संवैधानिक सुविधाओं के होते हुये भी स्त्रियों की दयनीय दशा एक विचारणीय प्रश्न बनकर रह गया है। जिस ओर देखे उस ओर ही असमानता, भ्रष्टाचार, स्वतन्त्रता एवं क्रियाशीलता के बाधक तत्व के रूप में दिखायी देता है। यद्यपि हमारी सरकार ने संविधान के द्वारा स्त्री-पुरुष के मध्य भेदभाव को समाप्त कर दिया है लेकिन स्त्री शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी और अस्पष्ट है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में यद्यपि स्त्री-पुरुषों के भेदों को दूर करते हुये शिक्षा के गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रचार-प्रसार के लिए गंभीर प्रत्यनों पर बल दिया गया और इसके अनेक उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुये हैं। स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है किन्तु फिर भी भारत में अशिक्षा का मुद्दा लगभग स्त्री-शिक्षा के विकास का मुद्दा है। इस आशय की पुष्टि Probe Report[1] से भी होती है और यह स्थिति भारत में लगभग सभी राज्यों में स्त्री-शिक्षा की स्थिति की द्योतक है।

आज भी तमाम आधुनिकता और वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास के बावजूद भारत में विकास को लेकर अनेक विरोधी स्थितियां हैं जहाँ असन्तुलित विकास की स्थिति अनेक समस्याओं की जननी है। यद्यपि कोठारी कमीशन से लेकर नई शिक्षा नीति तक 1986, संशोधित 1992 तक इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि व विकास के लिए किये गये अन्य आयोजनों की सफलता बढ़ सकती है क्योंकि एक स्त्री की शिक्षा एक परिवार की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है जबकि आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुये समाजों का यह प्रमुख लक्षण है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति काफी पिछड़ी हुयी होती है। निश्चय ही विस्तृत भारतीय समाज के लिए स्त्री-शिक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसकी अनदेखी भारत ही नहीं, किसी भी विकासशील समाज के विकास प्रयत्न के लिए बड़ी बाधा है। विकास के लिए जरूरी आधार तैयार करने के लिए समाज में विद्यमान सामाजिक लिंगीय भेद (Gender Defferences) को

---

1. प्रोब रिपोर्ट, पिपुल्स रिपोर्ट ऑन बेसिक एजूकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, देलही, 2000

दूर करने का प्रयत्न किया जाये, तभी विकास में स्त्री और पुरुष दोनों की जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक स्त्री शक्ति का सहयोग लेने का प्रश्न है, उसके लिए स्त्री-शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि "सा विद्या या विमुक्तये" विद्या और ज्ञान स्वयं में मुक्त करता है जड़ता से, पिछड़ेपन से और असमानता से और जीवन की ओर गतिशील करता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के अनेक पिछड़े क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा के उन्नयन से सम्बन्धित अध्ययनों की आवश्यकता है। ताकि स्त्री-शक्ति की रचनात्मक उपयोग की रूपरेखा तैयार की जा सके। बुन्देलखण्ड भारत का एक ऐसा ही आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें भी चित्रकूटधाम मण्डल अपनी समस्त अध्यात्मिक, सुरम्यता महत्ता के बावजूद पर्यटन समेत सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से विकास की की बाटजोह रहा है।

चित्रकूटधाम मण्डल भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यांचल रेंज की पहाड़ियों से आवृत्त, समुचित साधनों से विहीन है। यातायात की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत प्रदेश के अन्य मण्डलों से पीछे है। यहाँ की दो तिहाई जनता ग्रामीण है जो कि रुढ़िवादी विचार धाराओं से ग्रसित है। यहाँ स्त्री-शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधा यह है कि माता-पिता बालिकाओं को इस कारण विद्यालय भेजने के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि वह चाहते है कि बालिकायें घर के कार्य में माता-पिता का हाथ बटाँये। इस मण्डल में माता-पिता की आर्थिक कठिनाइयां भी स्त्री शिक्षा के मार्ग में बाधक है। गरीब माता-पिता बड़ी कठिनाई से बालकों की शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा के पश्चात्) का व्यय उठा पाते है। इस कारण उन्हें बालिकाओं की शिक्षा को स्थगित करना पड़ता है। अनेक बालिकायें इस कारण से विद्यालय नहीं जाती क्योंकि विद्यालय उनके घर से काफी दूर स्थित है और माता-पिता दूर के विद्यालयों में बालिकाओं को भेजने को राजी नहीं होते। पृथक स्कूलों के अभाव में बहुत सी बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। माता-पिता की निरक्षरता भी स्त्री-शिक्षा के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है।

मण्डल में निर्धनता भी शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। निःशुल्क शिक्षा भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ का अभिभावक परिवारगत भेदभाव (लड़का-लड़की में अन्तर) के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते साथ ही उनकी दयनीय आर्थिक दशा ने भी उनको

शिक्षा से दूर कर दिया है क्योंकि वह अपने बच्चों को भोजन नहीं जुटा पाते वे भला स्कूल भेजकर किन आशाओं की पूर्ति कर सकेंगें। अनेक वैवाहिक कुरीतियां जैसे- अर्न्तजातीय विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर नियन्त्रण आदि ने भी स्त्रियों की शिक्षा को प्रभावित किया है। बाल विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन स्त्रियों की स्थिति के पतन में महत्वपूर्ण कारक रहा है। छोटी उम्र में विवाह हो जाने के कारण स्त्रियों की शिक्षा का स्तर गिरा। फलस्वरूप अज्ञानता बढ़ी जिससे वह समाज की मौलिक स्थिति को समझकर समाज से अपने अधिकारों की मांग न कर सकी लेकिन शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों को बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा आदि कुरीतियों से छुटकारा मिल गया है। असुरक्षा के कारण भी वह लड़कियों को विद्यालय जाने से रोकते हैं। कुछ विद्यालय गाँवों से इतनी दूर पर स्थित होते, उस पर साधन न होने के कारण बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा पाती।

शोध की आवश्यकता :

भारत के अनेक पिछड़े क्षेत्रों में से चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा के उन्नयन से सम्बन्धित अध्ययनों की आवश्यकता है। ताकि स्त्री-शिक्षा की रचनात्मक उपयोग की रूपरेखा तैयार की जा सके। स्त्री-शिक्षा के प्रसार हेतु यद्यपि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से हालातों में तेजी से बदलाव आया है लेकिन रोजगार की दृष्टि से तकनीकि और वैज्ञानिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की दृष्टि से 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते भारत का यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। निश्चय ही क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण की महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में 'निरन्तर'[1] जैसे गैर सरकारी संगठन इस दिशा में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो भी विकास के लिए महिला शक्ति का विकास अभी भी बाकी है। इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा को लेकर अब तक हुये कार्यक्रमों का एक अध्ययन एवं मूल्यांकन हो ताकि क्षेत्र के भावी विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शैक्षिक आधार तैयार किया जा सके। एक महिला होने के नाते शिक्षा और समाज में व्याप्त महिलाओं की समस्याओं से परिचित हूँ और इसी क्षेत्र विशेष में बचपन से अब तक शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं की भरभार का अनुभव किया है। अतः इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर स्त्री-शिक्षा

---

1. विन्डोज टू द वर्ल्ड, डेवलपिंग ए करीकुलम फॉर रूरल वोमेन, एजूकेशन सीरीज, 'निरंतर' (एन0जी0ओ0) देहली, 1997।

के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से परिचित होने और यथा संभव उन्हें दूर करने के लिये शिक्षा विषय में शोध-कार्य करने का निर्णय लिया है, जिसका शीर्षक निम्नवत् है :-

समस्या का कथन- ''चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के संदर्भ में स्त्री-शिक्षा के विकास का अध्ययन।''

परिभाषीकरण

1. चित्रकूटधाम मण्डल :

चित्रकूटधाम मण्डल जिसका मुख्यालय बाँदा नगर में स्थित है कि स्थापना 20 अक्टूबर, 1998 को हुआ है। चित्रकूटधाम मण्डल जैसा कि इसके नाम से विदित है कि त्रेतायुग में चित्रकूट में भगवान श्री राम के वनवास काल की कर्म स्थली रही है। इससे इसकी ख्याति पूरे भारत देश में धार्मिक स्थल के रूप में विद्यमान है। चित्रकूटधाम मण्डल में 4 जनपद बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा स्थित हैं।

2. भौगोलिक :

चित्रकूटधाम मण्डल उत्तर प्रदेश के दक्षिण भू-भाग में स्थित है। जनपद बाँदा मण्डल का मुख्यालय है। मण्डल का क्षेत्रफल 14756 वर्ग कि0मी0 है। मण्डल में धरातलीय संरचना किस प्रकार की है? जलवायु का यहाँ की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनस्पति, वन सम्पदा, खनिज, वन्य जीव का यहाँ के वातावरण पर क्या प्रभाव डालती है? इसका वर्णन किया गया है।

3. ऐतिहासिक :

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के ऐतिहासिक विकास और परिवर्तन जो चित्रकूटधाम मण्डल से सम्बन्धित हैं, को प्राथमिकता देते हुये मुख्य-बिन्दुओं का रेखाकंन करना है। चित्रकूटधाम मण्डल आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थितियों से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है जबकि यहाँ का ऐतिहासिक वातावरण गौरवपूर्ण रहा है।

4. सामाजिक :

चित्रकूटधाम मण्डल के सामाजिक से तात्पर्य किसी स्थान में रहने वाले विभिन्न वर्ण, विचार, धर्म एवं परम्पराओं को मानने वाले लोगों का लेखा-जोखा। मण्डल की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों में सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रमुख हाथ है। यहाँ के लोग

अन्ध-विश्वासों, रुढ़ियों तथा प्राचीन रुढ़ियों के प्रति संलग्नता के कारण भी अपनी संतानों को शिक्षा के प्रति सचेष्ट नहीं कर पाते। यहाँ की कुप्रथाओं यथा बाल-विवाह, अस्पृश्यता, धार्मिक कट्टरता, पर्दा-प्रथा आदि ने अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं। जब तक इन सामाजिक कुरीतियों को समूलतः नष्ट नहीं किया जाता तब तक शिक्षा रूपी बीज का अंकुरण कदापि संभव नहीं है।

5. आर्थिक :

आर्थिक स्थिति में शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि किसी भी दशा में सामाजिक व आर्थिक स्तर तभी उठ सकेगा जबकि वहाँ शिक्षित लोगों की संख्या अधिक होगी।

6. सांस्कृतिक :

चित्रकूटधाम मण्डल में आदिवासी जातियाँ तथा खानाबदोसीय जातियाँ कम पायी जाती हैं। इन जातियों की अपनी संस्कृति, आचार-विचार तथा जीवनयापन के निर्धारित मूल्य हैं। चित्रकूटधाम मण्डल की सांस्कृतिक स्थिति विभिन्न संस्कृतियों से मिश्रित है। प्राचीनकाल, मध्यकाल एवं आधुनिककाल की सभी आधारभूत विशेषतायें कमोवेश पूरे मण्डल में परिलक्षित होती हैं। यह मण्डल सांस्कृतिक रूप से मिली-जुली संस्कृति का परिचायक है। इसी मिली-जुली संस्कृति का दिग्दर्शन इस तथ्य के साथ किया गया है। यहाँ का धार्मिक वातावरण तमाम सारे देवी-देवताओं से भरा पड़ा है। यहाँ की जनता अपेक्षाकृत अधिक धार्मिक है। व्यक्तियों के जीवन में अन्ध-विश्वास की भावनायें बहुत अधिक हैं और यह तभी खत्म हो सकती है जब स्त्री व पुरुष दोनों शिक्षित हो। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसका चयन किया है।

7. स्त्री-शिक्षा :

स्त्री-शिक्षा से हमारा तात्पर्य उन बालिकाओं से है, जो भावी जीवन में स्त्री के दायित्वों का निर्वाह करते हुये सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। ऐसी स्त्रियाँ जो परिवार, समाज और देश में अपना योगदान देते हुये देश को गौरवान्वित करेगी। यह तभी संभव होगा जब वे शिक्षित होगी। अतः शिक्षित स्त्रियों से तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा महाविद्यालय शिक्षा के कला व विज्ञान वर्ग के शिक्षा के विकास से है।

शोध के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. उत्तर प्रदेश के चित्रकूटधाम मण्डल में महिला शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा (सामान्य) का अध्ययन करना।
2. चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों में सम्भावित प्रभाव का अध्ययन करना।
3. चित्रकूटधाम मण्डल की स्त्री-शिक्षा की तुलना उत्तर प्रदेश की प्रगति से करना।
4. चित्रकूटधाम मण्डल के शैक्षिक विकास के लिये निर्धारित आय एवं व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करना।
5. पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये शैक्षिक विकास का अध्ययन करना।
6. निष्कर्षों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत करना।

समस्या का औचित्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का औचित्य यही है कि विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में शोध परक अध्ययन प्रस्तुत किया जाये। उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुये भाग चित्रकूटधाम मण्डल में बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा क्षेत्रों में भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन करना सर्वथा उपयुक्त अध्ययन है। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से यह निर्धारित हो जायेगा कि किन स्थितियों का कितना प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार शोध ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी शोधकत्री ने अभी तक उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र चित्रकूटधाम मण्डल के शिक्षा विकास पर अध्ययन नहीं किया है। अतः ऐसे अछूते क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन करना ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी महत्ता पर विचार करते हुये शोधकत्री ने अपना विषय निर्धारित किया है।

शोध का परिसीमन :

1. प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े हुए संभाग/मण्डल बुन्देलखण्ड तक ही सीमित है, जिसके अन्तर्गत झाँसी, ललितपुर, बाँदा, जालौन व हमीरपुर जनपद आते

हैं। शासनादेश के अनुसार सन् 20 अक्टूबर, 1998 में चित्रकूटधाम मण्डल का सृजन किया गया। जिसके अन्तर्गत दो नये जनपदों चित्रकूट और महोबा जनपद का निर्माण किया गया। ये दोनों जनपद पहले बाँदा व हमीरपुर जनपद में शामिल थे। इस प्रकार चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत चार जनपद क्रमशः बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा आते हैं।

विकास के क्रम को देखने के लिए कहीं-कहीं पर बुन्देलखण्ड मण्डल जो अब झाँसी मण्डल के नाम से अभिभीत किया गया है, के सांख्यिकीय आंकड़े भी शामिल हैं जबकि शोधकत्री का मुख्य उद्देश्य चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री शिक्षा के विकास है। यदि कहीं-कहीं पर बुन्देलखण्ड शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे विकास क्रम में निश्चित समय के अन्तर्गत ही माना जाए।

2. इस शोध में प्राथमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास से सम्बन्धित है।
3. इस शोध प्रबन्ध में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक, तकनीकि, विशिष्ट एवं अध्यापक प्रशिक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है।
4. शिक्षा के विकास का आंकलन दस वर्ष में किया गया है। यह शोध केवल आठवीं पंचवर्षीय योजना तक ही सीमित है। जबकि नवम् पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हो चुका था।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधान की ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में ऐतिहासिक महत्वों के तथ्यों को ढूढ़कर एकत्र किया जाता है और उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके उनकी समुचित व्याख्या एवं आलोचना करके कुछ मान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान की समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की उपयोगिता सिद्ध करता है।[1]

---

1. आत्मानन्द मिश्र, शिक्षा कोष, कानपुर ग्रन्थम्, 1977, पृष्ठ सं0-277

ऐतिहासिक विधि अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें अनुसंधान का सम्बन्ध अतीत से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्यों का देश काल के अनुकूल निर्धारण शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षा विधियों का क्रमागत विवेचन एवं शिक्षा की अवधारणा का विवरण होता है। इतिहास किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन है। ऐतिहासिक साधनों के आधार पर उसकी प्रमुख घटनाओं और उन्नत क्रम का अध्ययन किया जाता है। अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान की समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की उपयोगिता सिद्ध करता है।

शोध के स्रोत

ऐतिहासिक शोध विधि की सामग्री प्रायः दो स्रोतों से संकलित की जाती हैं:-

1. प्राथमिक स्रोत (**Primary Sources**) :

प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल की घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं। इन स्रोतों से अत्यन्त विश्वसनीय ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात किये जाते हैं तथा इनसे प्राप्त सूचनायें अत्यन्त वस्तुनिष्ठ होती हैं, क्योंकि इन स्रोतों पर किसी कारणों का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं रहती। प्राथमिक स्रोत मूल दस्तावेज या अवशेष के रूप में उसी समय के होते हैं जिस समय से सम्बन्धित कोई खोज की जा रही हो। यह किसी घटना या तथ्य के प्रत्यक्ष साक्षी होने के कारण आधारभूत प्रदत्तों के स्रोत माने जाते हैं। यह दो प्रकार के हो सकते हैं- एक ज्ञात रूप से संकलित सूचनायें जिसमें संविधान चार्टर, शासकीय अभिलेख, आत्म चरित्र, दैनन्दिनी, घोषणा-पत्र, विधेयक, पुस्तकालय, आलेख तथा प्रतिवेदन आदि आते हैं। दूसरे में जमीन से खोदकर निकाले गये अवशेष, औजार, हथियार तथा घरेलू वस्तुयें आदि आते है जो अज्ञात प्रमाण होते हैं।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक कोटि के स्रोतों के रूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित शिक्षा की प्रगति (Progress of education), उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनायें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सर्वेक्षण, जनगणना सारपत्र (Census Report) सांख्यिकी पत्रिका; उत्तर प्रदेश की वार्षिक आख्या आदि तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय संविधान एजूकेशन इन इण्डिया (Education in India), पंचवर्षीय योजनायें।

2. गौण स्रोत (Secondary Sources) :

जॉन वेस्ट के अनुसार, "गौण स्रोत एक व्यक्ति द्वारा दिये गये ऐसे प्रतिवेदन (रिपोर्ट) होते है जो कि एक प्रत्यक्ष साक्षी अथवा किसी एक घटना में शामिल व्यक्ति के प्रमाण का विवरण प्रस्तुत करते हैं। गौण स्रोत का लेखक घटना स्थल का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता वह केवल उस व्यक्ति का कथन अथवा लेख प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कि घटना स्थल पर उस समय उपस्थित था। इस प्रकार गौण स्रोत से प्राप्त सूचना जितने व्यक्तियों से होकर आती है, उतनी ही उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। विश्वकोष, ऐतिहासिक पुस्तकें एवं अन्य ग्रन्थ आदि गौण स्रोत के उदाहरण है।[1]

इस शोध में प्रायः प्राथमिक स्रोत का ही उपयोग किया गया है। गौण स्रोतों के रूप में सर्वश्री के0जी0 सैय्यदन, जे0पी0 नायक, सैय्यदन नुरुल्ला एण्ड नायक की सन् 1976 में प्रकाशित पुस्तक भारतीय शिक्षा का इतिहास तथा डॉ0 आत्मानन्द जी मिश्र द्वारा लिखित शिक्षा का वित्त प्रबन्धन व डॉ0 ए0एस0 अल्टेकर द्वारा प्राचीन भारत में शिक्षा से मदद ली गयी है।

वाह्य एवं आन्तरिक आलोचना :

विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त प्रदत्त कितने वैध, विश्वसनीय और सार्थक है, यह जानने के लिए उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया जिससे विश्वसनीय प्रदत्तों को प्रमाणित करते हैं, आलोचना कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है :-

1. **वाह्य आलोचना :**

वाह्य आलोचना के अन्तर्गत प्रयुक्त स्रोतों तथा साधनों की वास्तविकता एवं प्रमाणिकता पता लगाने का प्रयास किया जाता है- मिथ्यापूर्ण जाली प्रलेखों और प्रतिवेदनों से बचा जा सके। इसमें प्रलेखों के लेखक और काल की सत्यता स्थापित करने हेतु भाषा, हस्तलेख, अक्षर विन्यास आदि का गहन परीक्षण, प्रकाशक की विश्वसनीयता आदि प्रमाणित की जाती है। जिन शैक्षिक प्रतिवेदनों का इस शोध में

---

1. जॉन डब्ल्यू0 वेस्ट, रिसर्च इन एजूकेशन, नई दिल्ली, प्रिन्टेस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1963, पृष्ठ सं0-39

प्रयोग किया गया है। वे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है और उनकी सांख्यिकीय राज्य शासन, विश्वविद्यालयों तथा शिक्षालयों से सीधे प्राप्त की जाती है। शिक्षा मंत्रालय जाँच पड़ताल करके इस सांख्यिकी का सामंजस्य बिठाती है, समाधान करती है तब कहीं उसे प्रकाशित करता है अतएव यह सामग्री वैध और विश्वसनीय होती है।

2. आन्तरिक आलोचना :

आन्तरिक आलोचना स्त्रोत की विषय-वस्तु के विश्लेषण द्वारा उसकी यथार्थता ज्ञात करने के प्रक्रम को कहते है। यह तथ्यों तथा आंकड़ों की वैधता का मूल्यांकन करती है। हो सकता है कि लेखक ने पूर्वाग्रह या प्रभाववश कोई बात लिख दी हो अथवा उसकी क्षमता या ईमानदारी में कमी हो, प्रालेख में विरोधी या असंगत कथन हो, शाब्दिक अर्थ वही न हो जो कि इसका होना चाहिये । इन सब प्रकार की त्रुटियों पर विचार कर पुष्ट सामग्री को ग्रहण करना होता है। जिन सरकारी रिपोर्ट्स का इस शोध में प्रयोग किया है, उनमें ऐसी असंगतियाँ कम है यदि कहीं आंकड़ो का योग गलत है। या कुछ अंक ठीक से मुद्रित नहीं हुये है तो उनका समाधान दूसरे भाग के अंकों या दूसरे वर्ष की रिपोर्ट से हो जाता है, क्योंकि उसमें पिछले वर्ष के आंकड़े की तुलना के लिये दिये रहते है।

प्रदत्तों का विश्लेषण, सारणीयन एवं व्याख्या :

प्रस्तुत अध्ययन में जिन स्रोतों का उपयोग किया गया है। वे सभी राज्य या केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन और उनके द्वारा मुद्रित किये गये है। भारत में शिक्षा, राज्यों में शिक्षा, विश्वविद्यालय में शिक्षा जैसी वार्षिक रिपोर्ट्स भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय और शासकीय मुद्रणालयों से प्रकाशित होती है। इन आंकड़ों में टाइम लॉग (Time log) हो जाता है क्योंकि सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों के संकलन में प्रायः देरी हो जाती है। ऐसे ही शिक्षा की प्रगति, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित की जाती है। शोधार्थी ने अपने आंकड़ों का संग्रह इन्हीं स्थानीय प्रकाशनों से किया है। मुद्रण की त्रुटियों या कभी-कभी टंकण की असावधानी से बहुत सी चीजे छूट जाती है, ऐसी परिस्थिति में शोधार्थिनी ने इलाहाबाद स्थित शिक्षा सांख्यिकीय कार्यालय से सम्पर्क किया और आंकड़े प्राप्त किये ताकि इस प्रकार की कोई त्रुटि इन ग्रन्थों की मौलिकता एवं विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त सभी आंकड़े सतर्कता पूर्वक प्राप्त किये गये है फिर भी कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। प्रारम्भिक वर्षों के आंकड़े बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुये। कुछ आंकड़े तो मिश्रित थे जिन्हे बड़ी मुश्किल से अलग किया जा सका। बहुत कुछ छानबीन करनी पड़ी।

दूसरे कई प्रकाशन या तो बन्द हो गये या फिर उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है जैसे सन् 1965-66 से Education in status का प्रकाशन बन्द हो गया है। Education in University भी 1969 से बन्द कर दिया गया है। 1961-62 से अंग्रेजी में छपने वाली उत्तर प्रदेश शासन की शिक्षा पत्रिका Progress in Education हिन्दी में 'शिक्षा की प्रगति' के नाम से प्रकाशित हो रही है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी सही प्रदत्तों एवं आंकड़ों को ही स्वीकार किया गया है।

वर्णनात्मक विधि में सर्वेक्षण का प्रयोग किया जायेगा जिसका उपयोग वर्तमान में विद्यमान तथ्यों का अध्ययन, वर्णन तथा व्याख्या करना होता है। इसका सम्बन्ध वर्तमान में उपस्थित स्थितियों, प्रचलित व्यवहारों, दृष्टिकोणों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाशील प्रक्रिया और अनुभूति प्रभावों तथा विकसित प्रवृत्तियों से होता है इसमें वर्तमान से सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित करके सामान्य अथवा प्रतिनिधि या आदर्श मूलक स्थिति या व्यवहार को जानने का प्रयत्न किया जाता है।

इस प्रकार प्रदत्तों के संगठित और व्यवस्थित हो जाने पर उनकी व्याख्या की गयी है। व्याख्या में अनावश्यक गहराई तक घुसने का प्रयास नहीं किया गया है। व्याख्या का उद्देश्य प्रदत्तों का समेकीकरण एवं समन्वय किया गया है। उनमें वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता बनाये रखी गयी है। प्रदत्तों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करने के पश्चात् उन्हें अधिक अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिये सारणियों में प्रदर्शित किया गया है। सारणियों की भी सीमा होती है। अतएव उसमें आवश्यक सामग्री संक्षेप में देना पड़ती है। अध्ययनीय अवधि में शिक्षा में नामांकन और व्यय बढ़ा है। जिसके आंकड़े करोड़ों में भी है। 54 वर्षों के आंकड़ों की 10-10 वर्ष के अन्तराल में बांटा गया है। बड़ी संख्याओं को उनके कुल में अनुपात या प्रतिशत दिये गये है। इनकी वार्षिक वृद्धि दर चक्रवृद्धि व्याज की रीति से निकाली गयी है।

इन सब प्रदत्तों उनके वर्गीकरण और सारणीयन तथा व्याख्या को सम्मिलित कर शोध प्रतिवेदन लिखा गया है।

शोध प्रबन्ध की योजना :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में दस अध्याय है प्रथम अध्याय प्रस्तावना का है जिसमें शोध समस्या के महत्व को स्पष्ट करके उसकी परिभाषा व परिसीमन किया गया है। शोध के उद्देश्य, शोध विधि एवं प्रबन्ध की योजना स्पष्ट की गयी है।

द्वितीय अध्याय सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का है जिसमें शोध से सम्बन्धित अन्य अनुसंधानों का अध्ययन, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थिति का शिक्षा से क्या सम्बन्ध है तथा वर्तमान शोध को स्पष्ट किया गया है।

तृतीय अध्याय उत्तर प्रदेश में स्त्री-शिक्षा के विकास एवं प्रसार का है। जिसमें वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन, मध्यकाल व औपनिवेशिक काल को स्पष्ट किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा जनसंख्यात्मक विवरण को स्पष्ट किया गया है। तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व स्त्री-शिक्षा को भी स्पष्ट किया गया है।

पंचम अध्याय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा (बालिका) का विकास, चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा के प्रयास, प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति, नामांकन, शिक्षिकाओं की संख्या, प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत, शिक्षिका-बालिका अनुपात, शिक्षा पर व्यय, प्रति विद्यालय व्यय, प्रति बालिका व्यय तथा प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना स्पष्ट की गयी है।

षष्ठ अध्याय में उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा (बालिका) का विकास, चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा के प्रयास, प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति, नामांकन, शिक्षिकाओं की संख्या, प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत, शिक्षिका-बालिका अनुपात, शिक्षा पर व्यय, प्रति विद्यालय व्यय, प्रति बालिका व्यय तथा प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना स्पष्ट की गयी है।

सप्तम् अध्याय में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा (बालिका) का विकास, चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा के प्रयास, प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति, नामांकन, शिक्षिकाओं की संख्या, प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत; शिक्षिका-बालिका

अनुपात, शिक्षा पर व्यय, प्रति विद्यालय व्यय, प्रति बालिका व्यय तथा प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना स्पष्ट की गयी है।

अष्टम् अध्याय उच्च शिक्षा (सामान्य) महिला के अन्तर्गत भारत में उच्च शिक्षा का विकास, स्वतन्त्रता पश्चात् शिक्षा की प्रगति, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रकाशन व विकास, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का विकास, चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालय का विकास व प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण राज्य से तुलना।

नवम् अध्याय पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक की अवधि, आबंटन, प्राथमिकता, लक्ष्य उपलब्धि, परियोजनायें व चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास का उल्लेख किया गया है।

दशम् अध्याय निष्कर्ष व सुझाव का है। इसमें शोध का संक्षिप्त विवरण, निष्कर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा तथा सुझाव के अन्तर्गत निष्कर्षो के आधार पर सुझाव, तथा भावी शोध सम्बन्धी सुझाव स्पष्ट किया गया है। तथा सन्दर्भ ग्रन्थ सूची का भी उल्लेख किया गया है।

अध्याय-द्वितीय

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

- सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता
- सम्बद्ध साहित्य का अर्थ
- शोध कार्य से सम्बन्धित अन्य अनुसंधानों का अध्ययन
- महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति और शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन
- निष्कर्ष
- वर्तमान शोध

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपने अनुभवों को संचित करता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उनका स्मरण करके उनसे लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों के अतिरिक्त समाज के अन्य सदस्यों के भी अनुभव होते है, जिन्हे वे युग-युग से प्राप्त करते आये हैं। यह हमारी सामाजिक विरासत (सोशल हेरीडिटी) कहलाती है। यह पुस्तकों, ग्रन्थों, प्रतिवेदनों और दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं।

सम्बद्ध साहित्य से हमारा तात्पर्य उस साहित्य से है। जिसके प्रस्तावित समस्या अथवा उससे संबंधित किसी पक्ष की विवेचना की गयी है। शोधकर्ता को सम्बद्ध साहित्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार का ज्ञान समस्या के निदान एवं सुझाव प्रस्तुत करने में भी सहायक होता है साथ ही साथ यह भी ज्ञात होता है कि अभी तक इस क्षेत्र में कितना कार्य किया गया है और अभी कितना करने की सम्भावना है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एवं सर्वेक्षण शोधार्थी को नवीनतम ज्ञान के शिखरों में ले जाता है, जहाँ से उसे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित निष्कर्षों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञात होता है, कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ रिक्तियां हैं, कहाँ निष्कर्ष विरोध है, कहाँ अनुसंधान की पुनः आवश्यकता है। जब वह दूसरे शोधकर्ताओं के अनुसंधान कार्य की जांच एवं मूल्यांकन करता है। तो उसे बहुत सी अनुसंधान विधियों, बहुत से तथ्यों, सिद्धान्तों संकल्पनाओं एवं संदर्भ ग्रंथों का ज्ञान होता है, जो उसके अपने अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होते है। सर्वेक्षण द्वारा बहुत से अनुसंधान, प्रतिवेदनों की अच्छाइयों एवं कमियों का ज्ञान होने के बाद इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि यह स्वयं एक अस्तरीय अनुसंधान करेगा अथवा अनुसंधान प्रक्रिया सम्बन्धी उन गलतियों की पुनरावृत्ति करेगा जो उसके पूर्व वाले शोधकर्ता कर चुके हैं।

सम्बन्धित साहित्य के अन्तर्गत समस्या से सम्बन्धित उन सभी पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के पूर्व अध्ययन एवं प्रतिवेदनों को अध्ययन से हैं जिन पर अभी हाल में या कभी पूर्व में कुछ कार्य विचार या शोध अध्ययन हो चुका है। सम्बन्धित साहित्य के अभाव में अनुसंधान अंधे तीर के समान होता है। जब तक यह ज्ञात न हो कि पूर्व में क्या कार्य सम्बन्धित समस्या पर हो चुका है।

गुड तथा स्केट्स ने लिखा है- "एक कुशल चिकित्सक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित रहें। उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता के लिये भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है।"[1]

डब्ल्यू.आर. बोर्ड ने सम्बन्धित साहित्य की महत्ता को स्वीकार करते हुऐ बताया है- "किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि हम सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को सुदृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य में प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की सम्भावना है अथवा यह पुनरावृत्ति भी हो सकता है।"[2]

चार्टर पी. गुड के अनुसार, "मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी, अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण अध्ययन की विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण मे सहायता करती है। वास्तव में रचनात्मकता, मौलिकता एवं चिन्तनता के विकास हेतु विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन आवश्यक है।"[3]

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर लेने से नयी विधियों एवं उपकरणों का ज्ञान होता है। संदर्भित साहित्य के अध्ययन से हमें अनेक लाभ हुऐ हैं, पहले शोध हेतु लिये गये विषयों की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ और अनावश्यक पुनरावृत्तियों से बचने का अवसर मिला। साहित्याध्ययन से शोधकत्री को जो अन्तःदृष्टि प्राप्त हुयी उससे समस्या के परिसीमन, परिभाषीकरण एवं अनुसंधान विधि के चयन करने में सहायता मिली।

इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया है जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थाओं, शिक्षाविदों एवं अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अनुसंधान करके प्राप्त किये गये हैं। अनुसंधानकर्ता ने इस अनुसंधान में शिक्षा से सम्बन्धित कुछ शोधों का उल्लेख किया है। उनके उल्लेख करने में शोध का उद्देश्य उसमें अपनायी गयी शोध विधि तथा उपकरण या स्त्रोत तथा उसके

---

1. राय पारसनाथ, "अनुसंधान परिचय", पृष्ठ सं0-94, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1989।
2. राय पारसनाथ, "अनुसंधान परिचय", पृष्ठ सं0-95, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1989
3. शर्मा आर0ए0, "शिक्षा अनुसंधान", प्रथम संस्करण, पृष्ठ सं0-71

निष्कर्षो का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। शोधकर्त्री ने स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर अध्ययन किया जो इस प्रकार है।

स्वतन्त्रता से पहले के समय को देखें तो पता चलता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ के साथ ही लेखकों ने सामाजिक अवधारणाओं एवं स्वतन्त्रता संघर्ष की आड़ में दार्शनिक पहलू को लेते हुए न केवल स्त्री-शिक्षा पर जोर दिया बल्कि उसकी स्थिति पर भी गौर किया। इसके अलावा सरकारी आँकड़ों, पत्रों एवं अन्य लिखित सामग्री और इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के शासको को दिये भारतीय नर-नारियों के वक्तव्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उस समय की स्त्री-शिक्षा कैसी रही होगी लेकिन स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात का समय एक विविधत चलने वाली शिक्षा एवं सामाजिक शोध दर्शाता है। भले ही शुरूआत में आंकड़े पूरे मूल्यहीन रहे हो जो कि स्पष्ट तौर पर किसी विज्ञान से सम्बन्ध नहीं रखती लेकिन यही मूल्यहीन शोध मूल्यवान हुआ, आंकड़ों एवं वैज्ञानिक कारणों से सामाजिक शास्त्र के विभिन्न अंगों के रूप में पहले स्त्री-शिक्षा और बाद में लिंग शिक्षा का आगमन हुआ। जिसके द्वारा स्त्री-शिक्षा के विभिन्न प्रश्नों का निवारण हुआ एवं स्त्री-शिक्षा ही उसका अन्तिम लक्ष्य बना। जैसा की देखा जाता है स्त्री शिक्षा दो कारणों से प्रभावित होती है :-

1. **Meta Knowledge :** जिसका अर्थ होता है कि वैज्ञानिक आंकड़ों पर एवं धरातल से जुड़े ज्ञान पर निश्चित किया हुआ ज्ञान।
2. **Substantive Knowledge :** जो कि स्त्री, उसकी स्थिति, उसकी इच्छायें एवं उसके संघर्षों पर निर्भर करती है।

स्त्री शिक्षा न केवल इस बात पर जोर देती है कि स्त्री लिंग को लेकर सामाजिक विविधताओं का सही से ज्ञान हो सके बल्कि पुरुष एवं महिला को एक समानता के सांचे में डालने की कोशिश करती है। इसके साथ ही स्त्री-शिक्षा एक नया समाज स्थापित करने पर जोर देती है जो कि स्त्री ज्ञान एवं क्षमताओं को हटाकर मानव ज्ञान पर ही जोर दिया जाता है।

वर्तमान में जो भी सामाजिक आंकड़े हैं, उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है -

1. स्त्री-शिक्षा एवं नारी की सामाजिक स्थिति के से सम्बन्धित शोध अध्ययन।

2. शोधकर्ताओं के बारे में ज्ञान देता है जोकि पाँच शैक्षिक शोधों से सम्बन्धित है। ये शैक्षिक शोध 1988 से लेकर 1992 के शोध आंकड़ों को मिलाकर भी कहा जाता है।

3. लिंग भेद की संक्षिप्त शोध के बारे में बताता है एवं आने वाले समय में स्त्री-शिक्षा के विभिन्न मुद्दों के बारे में बताता है।[1]

1984 में भारतीय विश्वविद्यालय ने स्त्री-शिक्षा नियमानुसार चालू कर दी थी लेकिन N.C.E.R.T. ने "Department of Women Studies" की स्थापना 1997 में थी इससे पहले यूनिट (Unit) का नाम था "Women's Education Unit"।

1991 में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित शोध जो कि गांव की लड़कियों का प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण नायर द्वारा चलाया गया जिसकी संस्तुति निम्नलिखित है:-

1. एक राष्ट्रीय लक्ष्य स्थापित किया गया जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करवाने की बात की गयी।
2. पहले से ज्यादा जमीनी नियमों का विकास।
3. ऐसे लक्ष्य बनाना जो कि देखने में वास्तविक हो और उनका समर्थन एक अच्छे बजट द्वारा किया जा रहा हो।
4. हर गांव को एक ही क्षेत्रफल का एवं एक ही स्थिति का मान के चलने के बजाय सही स्थिति का ज्ञान होना।
5. स्त्री एवं लड़कियों को अलग तौर पर अलग-अलग समूहों में मापा जाये जैसे कि जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं धर्म में बांटा जाये।
6. प्रतिभाशाली गांव की लड़कियों का आंकलन एवं उनको इसके लिए तैयार करना कि वह गांव में शिक्षिकाओं की कमी को पूरा कर सके।
7. ऐसी लड़कियां जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। उनको उचित प्रकार से वापस उसी स्थान पर लाना।
8. हर एक विभाग में एक महिला प्रकोष्ठ का निर्माण करना ताकि लड़कियों की पढ़ाई में नजर रखी जा सके। उन्हें शोध प्रशिक्षण एवं आगे बढ़ने की इच्छा के द्वारा मदद की जा सके।

---

1. नायर ऊषा, फिफ्थ सर्वे ऑफ एजूकेशन रिसर्च ऑफ गर्ल्स एण्ड वूमेन, पृ0सं0 : 595

9. महिलाओं का समाज में हर क्षेत्र में घूमना ताकि वो लड़कियों की शिक्षा में एक अग्रणी पात्र निभा सके।

इस शोध के अलावा नायर ने एक राष्ट्रीय शोध का 1992 में अनावरण किया जिसमें 3000 घरों में व्यक्तियों का मत लिया गया जो कि दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा एवं राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। उसने लड़कियों के लगातार स्कूल आने के घटते एवं बढ़ते स्तर की जांच की जो कि पिछले कई शोधों से अलग था। इस शोध में निम्नलिखित प्रयोगात्मक रूपों में मदद की :-

1. घर के कार्यों से शुरूआत।
2. लड़कियों का स्कूल न जाना एवं उनके स्कूल को अचानक छोड़ना। इन दोनों स्थितियों को अलग-अलग रूप से शोधित करना।
3. शोध के दौरान लड़कियों के माता-पिता उसका धर्म एवं जाति और उस लड़की विशेष को सम्मिलित करके उसकी परेशानियों को समझना एवं उनका हल निकालना। इन सबमें सहायक थे घर की आर्थिक स्थिति, माता-पिता का शैक्षिक स्तर और घर की समर्थन करने वाली नीति। लड़कियों में शिक्षा पदों को अचानक छोड़ने के कारण थे -
   - (i) घरेलू कार्यो की अधिकता एवं अपने भाइयों-बहनों की सेवा।
   - (ii) पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना।
   - (iii) पानी खींचना एवं खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना।
   - (iv) परिवार द्वारा मजदूरी में लगाया जाना।

छोटी उम्र में ही शादी एवं उसके सामाजिक परिवेश में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा तक भी पहुंचने नहीं दिया। इसका एक और कारण था स्त्री शिक्षकों की कमी। प्राथमिक स्तर के बाद माध्यमिक स्तर की पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि माध्यमिक विद्यालय गांव के बाहर स्थित होते थे। घर के परिवेश में भी खाना, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, खेल एवं आराम के विषयों में भी लैगिंक मतभेद किया जाता था। लड़कियों ने बताया कि उनके भाइयों से कम उनकी देखभाल की जाती थी। माता-पिता लड़कियों को कम शिक्षा एवं कम आय-स्रोत मानते थे और इसलिए वे लड़कियों के ऊपर किताब, स्कूली कपड़े, पढ़ाई-लिखाई की वस्तुये, जूते आदि में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। क्योंकि

उनका मानना था कि लड़कियां घर की एक अल्पगामी सदस्य है और उसमें खर्च करना बेकार है। ये सब स्कूलों में दाखिला न होने के कारण के थे लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कारण था- स्कूल का पास में न होना। ये शोध इस ओर इशारा करता है कि इस विषय में ज्यादा बड़े क्षेत्र में शोध करके हर एक लड़की को देखते हुए विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र एवं उनकी धार्मिक विविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके उद्धार के बारे में कार्य किया जाये।[1]

दुग्गल जे (1992) ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों का शोध किया जिसमें उन्हें पता चला कि बाहर न उनके पढ़ने के लिए शिक्षक थे, न वे साधन। वो अनुसूचित जाति की लड़कियां जिनके माता-पिता सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं खुद के व्यवसाय में संलग्न थे उनका स्कूल जाने का प्रतिशत उन लड़कियों से ज्यादा था जिसके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे। प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया धन सही समय में पहुंच सके और न ही उनसे लड़कियों की शिक्षा संभव थी। पुरुष-शिक्षक पढ़ाने से कतराते थे जिससे उनकी पढ़ाई में अवरोध आया। सह-शिक्षा एवं महिला शिक्षकों की कमी की वजह से लड़कियों की शिक्षा में कमी आयी। जो शिक्षिका अनुसूचित जाति की थी वे न केवल प्राथमिक स्तर पर बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी कम थी। बाकी जाति विशेष की शिक्षिकाओं की तुलना में अनुसूचित जाति के माता-पिता अपने लड़कियों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि उनकी शादी अच्छी हो सके, वे आय का साधन बन सके, वे बोलचाल में परिपक्व हो सके जिससे उनको ससुराल में सम्मान मिल सके। अनुसूचित जाति की लड़कियों की इन बातों का ब्यौरा जब मीडिया तक पहुंचा जिसकी वजह से पढ़ाई के स्तर पर उछाल आया।[2]

सिंह 1988 ने चण्डीगढ़ में गरीब विद्यालयों में लड़कियों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के कारण पर शोध किया। शोध के दौरान पता चला कि पहली कक्षा में पहुंचने तक ही गांव की लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ देती थी। लड़कियाँ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में कमजोर थी। पारिवारिक कारणों की वजह से परिवार वाले स्कूल भेजने से इंकार करते थे। जाट एवं सैनी जातियों की लड़कियां अपने खेतों में पशुओं को देखने के लिए जाती थी। मुसलमान अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते थे एवं अनुसूचित जाति के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण एवं कभी जबरदस्ती अपनी

---

1. नायर ऊषा, फिफ्थ सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च- एजूकेशन ऑफ गर्ल्स एण्ड वूमेन, पृ0सं0 : 604
2. दुग्गल जनक, 1992 एसेस ऑफ शिड्यूल कास्ट गर्ल्स टू एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन रुरल हरियाना। ए माइक्रो स्टडी पी0-एच0डी0 एजूकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया

बेटियों को बर्तन धुलने के लिए भेजती थी। कुछ कारण इनके अलावा पढ़ाई में मन न लगना, बीमारी, अक्षमता, पारिवारिक बीमारियों, कम उम्र में शादी एवं दकियानूसी ख्यालात।[1]

फातिमा एन0जी0 ने 1989 ने अपने शोध के दौरान यह पाया कि जो स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है वो लड़कियों की पढ़ाई की समर्थक होती है। वे परिवार नियोजन के तरीको को मानती है एवं सामाजिक बुराईयों के खिलाफ होती है। माध्यमिक शिक्षा उच्च तकनीकी शिक्षा स्त्रियों को पैसा कमाने की होड़ में आगे ले जाती है। ककती के0के0 ने 1989 में शोध किया और यह पाया कि जब पति एवं ससुराल वाले भी स्त्री रोजगार के समर्थक थे और उसके बाद भी घरेलू जिम्मेदारियों स्त्रियों के ऊपर ही आती है। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि स्त्री घर के कई फैसलों को बनाने में मदद करती थी एवं उसको बाहर घूमने की स्वतन्त्रता मिलती थी। इन सब कारणों की वजह से स्त्रियां अपने को ज्यादा मजबूत एवं समानता की इच्छुक पाती है।[2]

आर0पी0 जायसवाल 1989 : ने बताया कि पुरुष और महिला इंजीनियरों व वैज्ञानिकों के बीच आंकलन करके पाया कि अभी भी महिला इंजीनियरों को पुरुषों के बराबर आने के लिये काफी संघर्ष करना होगा। यद्यपि सारी महिलायें पढ़ी-लिखी व उच्च शिक्षा ग्रहण किये हुये थी लेकिन शोध के दौरान पता चला कि हमारा समाज पुरुषों से प्रभावित है और महिलाओं को पुरुषों से कम आता है।[3]

लुईस एम0जे0 1989 : इन्होंने 200 महिला कर्मचारियों का अध्ययन किया जो कि उच्च पदों में आसीन थीं। उन्होंने यह पाया कि ये सब महिलायें मध्यम वर्गीय परिवारों से थी और सभी को अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिला, अच्छे शिक्षक मिले और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले माता-पिता थे। सारी महिलायें दूरदर्शी थी, आगे बढ़ने की इच्छा, आत्म बल, अपने कार्य के प्रति सजग और कड़ी मेहनत करने वाली थी।[4]

---

1. सिंह वीरेन्द्र, 1988, ऐन इनवेस्टीगेशन इन टू दि इक्सेटेंट एण्ड कॉजेज ऑफ ड्राप आउट एमन्ग गर्ल स्टूडेन्ट इन द रुरल स्कूल ऑफ चण्डीगढ़। इनडिपेन्डेन्ट स्टडी न्यू देलही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
2. फातिमा नुसरत जहाँ, 1989, एजूकेशन सोशल मोबिलिटी एण्ड सोशल चेन्ज एमंग वूमेन इन बंग्लौर सिटी पी0-एच0डी0 एजूकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर
3. जायसवाल राजेन्द्र प्रसाद, 1989, प्रोफसनल स्टेटस ऑफ वूमेन ए कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ वूमेन एण्ड मैन सांइटिस्ट एण्ड इंजीनियर्स पी0-एच0डी0 एजूकेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
4. एम0जे0 लुईस, 1989, एन इन्क्वारी इनटू दि बैकग्राउण्ड एण्ड स्टेट्स ऑफ वूमेन एक्जिक्यूटिव इन्डिपेन्टेंट स्टडी। मदरटेरेसा वूमेन्स यूनीवर्सिटी

लीला कुमारी 1984 : ने अपने अध्ययन के द्वारा निम्नलिखित बातों का निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया :-[1]

1. भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में स्त्री-शिक्षा का स्वतन्त्रता के पहले और बाद का स्वरूप।
2. उत्तर प्रदेश में स्त्री-शिक्षा को बाकी प्रदेशों से तुलना करने।
3. उत्तर प्रदेश के अन्दर सारे जिलों को इस बात का अध्ययन करना कि कितनी स्त्रियां शिक्षित हैं।
4. बनारस में स्त्री-शिक्षा की समीक्षा।
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों का दृष्टिकोण स्त्री-शिक्षा की ओर।
6. बनारस में स्त्री-शिक्षा को अच्छा करने के लिए मार्ग-दर्शन।

उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि :-

1. जहाँ तक देश को देखा जाये तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कक्षा-1 से कक्षा-5 तक कुछ स्तर तक दाखिले बढ़े थे और अच्छी बात यह थी कि 6-8 और 9-11 कक्षा तक यह दर बहुत ज्यादा थी।
2. 1927 तक लड़कियों की शिक्षा का स्तर बहुत गिरा था। 3.9 प्रतिशत लड़कियों का दाखिल हुआ लेकिन 1937 से 1947 तक यह दर बहुत ज्यादा बढ़ गयी।
3. 1947 के बाद लड़कियों की शिक्षा में सुधार हुआ लेकिन सुधार की दर संतुलित नहीं थी और अलग-अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग थी।
4. उत्तर प्रदेश का बाकी प्रदेशों के साथ तुलना की गयी तो यह पाया कि केवल इस प्रकार के साल भर में स्कूलों की संख्या और साल में कितने लड़के/लड़कियां दाखिला ले पाते हैं उनकी संख्या पता चल जाती है।
5. उत्तर प्रदेश के अन्दर वाराणसी स्कूल में दाखिला देने की बात की जाये तो वे नौंवे नम्बर में था। लड़कों के प्रदेश में 8वें, लड़कियों के प्रवेश में 5वें में था और यदि प्राइमरी स्कूलों की संख्या की बात की जाये तो वह 9वें नम्बर में था। माध्यमिक स्कूल के दौरान वाराणसी विद्यालयों में प्रवेश में लड़कों का पहला व लड़कियों का दूसरा स्थान था।

---

1. कुमारी लीला, 1984, डेवलपमेंट ऑफ वूमेन्स एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश सिन्स इन्डिपेन्डेन्स विद स्पेशल रिफरेन्स टू वाराणसी पी0-एच0डी0 एजूकेशन बी0एच0यू0

6. जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों का दृष्टिकोण लिया गया तो स्त्री-शिक्षा के विषय में काफी इस पक्ष में थे कि स्त्री-शिक्षा अनिवार्य हो जिससे लड़कियों की तुलना लड़कों से की जा सके।

गाँधी (1961) ने बम्बई में स्त्रियों के (1961-74) शिक्षा विकास का अध्ययन किया है प्रगति अध्ययन के अतिरिक्त इन्होंने यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों में उच्च शिक्षा का विकास किन कारणों से होता है। प्रदत्तों के संकलन के लिए संस्थाओं के दस्तावेजों का अवलोकन तथा 250 व्यक्तियों को प्रश्नावलियां भेजी गयी। विभिन्न व्यवसायों में रत 50 विशेषज्ञों से भी साक्षात्कार किये गये। इस शोध के निष्कर्ष अंग्राकित थे।

1973-74 में वृहत्तर बम्बई में 55.7 प्रतिशत स्त्रियों तथा 66.7 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, चौथी योजना के अन्त में प्राथमिक शिक्षा में 99.6 प्रतिशत बालक और 70 प्रतिशत बालिकायें नामांकित हो चुकी थी। किन्तु लड़कियों में अपव्यय 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत हो गया था। उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50.2 प्रतिशत बालक और 47. 4 लड़कियां स्कूल जाती थी। इस स्तर पर बालकों में अपव्यय 27 प्रतिशत और बालिकाओं में 34 प्रतिशत हो गया था। उच्च शिक्षा में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में कुल नामांकन की क्रमशः 62, 31, और 14 प्रतिशत बालिकायें थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने का प्रमुख कारण आत्म प्रेरणा थी। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में अभी तक समानता नहीं आ पायी है।[1]

अनुसंधानकर्ता ने स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित कुछ और समस्याओं का अध्ययन किया है जो इस प्रकार है :-

1. गोंथालॉकर ए0वाई (1975) ने स्त्री-शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों और माता-पिता के सम्बन्धों से सम्बन्धित शोध कार्य किया।
2. लाखर बी0 (1976) ने असम राज्य में 1874 से 1970 के मध्य स्त्री-शिक्षा के विकास पर शोध कार्य किया।
3. दास आर0 (1979) ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से असम राज्य में स्त्री-शिक्षा का विकास एवं उसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव।

---

1. वाई0आर0 गाँधी, डेवलपमेंट ऑफ वूमेन्स एजुकेशन इन ग्रेटर बाम्बे, 1961-1974, पी0-एच0डी0 एजूकेशन एस0एन0डी0टी0 विश्वविद्यालय, 1977

4. राजलक्ष्मी आर0 (1984) के मद्रास प्रेसीडेन्सी में स्त्रियों की उच्च शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से विकास पर अपने शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किये।

कानपुर विश्वविद्यालय में शोध छात्रों द्वारा स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित कुछ कार्य किये हैं:-

1. उमा पाण्डे ने सन् 1974 में शिक्षित सेवारत महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन पर कार्य किया।
2. उमा कटियार ने सन् 1977 में शिक्षित छात्राओं का गृह कार्य के प्रति अभिरुचि का अध्ययन पर कार्य किया।
3. मृदुला दीक्षित ने सन् 1972 में असेवारत महिलाओं के बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया।

विवेचना तथा तुलना :

उपर्युक्त सभी शोध प्रबन्ध शिक्षा के इतिहास एवं उसके विकास से सम्बन्धित है, लेकिन ये सभी शोध किसी पूरे प्रदेश को लेकर नहीं की गयी है वरन् एक मण्डल को लेकर की गयी है। प्रस्तुत शोध तथा इन शोधों के उद्देश्यों में अन्तर है। यह शोध प्रबन्ध चित्रकूटधाम मण्डल के चार जनपद बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा से सम्बन्धित है, जो कि पिछड़े क्षेत्र में माने जाते हैं। कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने केवल एक ही जनपद को लेकर शोधकार्य किए हैं जो सभी पी0-एच0डी0 के लिए मान्य है।

शोध विधि की दृष्टि से प्रायः इन शोध प्रबन्धों में ऐतिहासिक शोध विधि का अनुसरण किया गया है और सरकारी दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, प्रपत्रों आदि से तथ्यों का संकलन किया गया है। इस शोध प्रबन्ध में ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

चित्रकूटधाम मण्डल उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा की प्रगति में प्रत्येक स्तर पर गति दिखाई नहीं देती है तथा समस्याएं अधिक जटिल हैं। शोधकत्री ने चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा के विकास का अध्ययन किया है। स्त्री-शिक्षा को लेकर जो भी शोध कार्य हुए हैं उनमें विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। ज्यादातर शोध दिल्ली,

बम्बई, उड़ीसा, राजस्थान, चण्डीगढ़, बनारस, असम, मद्रास जैसे नगरों व क्षेत्रों में हुये हैं। केवल दुग्गल (1992) ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति की लड़कियों में अध्ययन किया वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लीला कुमारी (1984) ने अपना शोध बनारस जैसे बड़े शहर तक सीमित रखा। इस दृष्टि से देखा जाये तो बुन्देलखण्ड पर होने वाला यह शायद अपने आप में महत्वपूर्ण शोध कार्य होने जा रहा है। इन मायनों में यह शोध कार्य भारत के पिछड़े क्षेत्रों को लेकर होने वाला स्त्री-शिक्षा विषयक शोध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ज्यादातर शोध कार्यों का केन्द्र बिन्दु लड़कियों की शैक्षिक, सामाजिक समस्याओं के कारणों के अध्ययन तक सीमित था हालांकि फातिमा (1989), जायसवाल (1989), लुईस (1989) ने लड़कियों पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया केवल लीला कुमारी ने अपने शोध कार्य में उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में स्त्री-शिक्षा का स्वतंत्र पूर्व तथा स्वतन्त्रता पश्चात् विकासात्मक अध्ययन किया तथापि उनका कार्य बनारस पर केन्द्रित था। उनका यह कार्य 1984 में हुआ था। चित्रकूटधाम मण्डल का गठन 20 अक्टूबर 1998 में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड में से एक है। बुन्देलखण्ड पर विशेष रुप से स्त्री-शिक्षा को लेकर ऐसे किसी विस्तृत शोध का अभाव दसअसल इस क्षेत्र में शोध की सम्भावनाओं का शुभ संकेत भी है।

अध्याय-तृतीय

स्त्री-शिक्षा का विकास एवं प्रसार

- वैदिक काल
- बौद्ध एवं जैन
- मध्यकाल
- औपनिवेशिक काल

स्त्री-शिक्षा का विकास एवं प्रसार

वैदिक काल :

वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उस समय का आदर्श नारी-पुरुष की प्रकृति था। जिसके बिना उसका जीवन संभव न था। पत्नी के रूप में उनकी स्थिति बहुत ऊँची थी। ऋग्वेद के मतानुसार- नारी ही घर है। अर्थववेद में कहा गया है कि "नव वधू, तू जिस घर में जा रही है, वहाँ तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य सम्बन्धी तुझे साम्राज्ञी समझते हुये तेरे शासन में आनन्दित हैं।"[1] यजुर्वेद से स्पष्ट होता है कि नारी को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे।[2] इस काल में उसे शिक्षा और साहित्य के अध्ययन करने की पुरुषों के समान स्वतन्त्रता थी। धर्म एवं अनुष्ठान के कार्य बिना नारी के पूरे नहीं किये जा सकते थे। स्त्री अपने पति को दूसरा जन्म देती है, ऐसा उल्लेख एतरेय ब्राह्मण में मिलता है। पी0एन0 प्रभु के अनुसार "जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री-पुरुष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।"[3] इस काल में पर्दा प्रथा, बाल-विवाह आदि कुरीतियाँ नहीं थी, स्त्रियों के सामाजिक सम्बन्ध बनाने एवं स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने पर कोई रोक नहीं थी। स्त्रियों के शील व सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म एवं उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था।

श्री अल्तेकर ने लिखा है कि "प्रारम्भिक उपनिषदों में से एक में ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जिससे एक विदुषी कन्या की प्राप्ति की जा सके।"[4]

कन्या के उत्पन्न हो जाने पर उसे पुत्र के ही समान समझा जाता है। कन्या को अच्छी शिक्षा देकर सुशील व योग्य वर के साथ उसका विवाह किया जाता था किन्तु अविवाहित कन्या अपने पिता के घर में रहती थी। जैसा कि डॉ0 जयपाल ने लिखा है,

---

1. अथर्ववेद, 14/14 द्वारा उद्धत पृष्ठ 7, 18 नवम्बर, 1993।
2. यजुर्वेद, 8/1 संदर्भ डॉ0 राधाकृष्णन्, धर्म और समाज, पृष्ठ सं0-141।
3. नेहरू पं0 जवाहरलाल, "हिन्दू सोसल ऑर्गनाइजेशन", 1958, पृष्ठ सं0-258।
4. अल्टेकर डॉ0 ए0एल0, "द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दू सिविललाइज़ेशन", दिल्ली, 1956, पृष्ठ सं0-3।

"ऋग्वेद में अविवाहित कन्या के बड़े हो जाने पर उसके पितृ गृह में रहने का विवरण मिलता है। अविवाहित कन्याओं की अपेक्षा विवाहित महिलाओं की स्थिति उच्च थी। पितृ सत्तात्मक परिवार होने के कारण विवाहोपरान्त वे अपने पतिगृह में जाती थी। वैदिक युग में नारी का गृहस्थी में बड़ा महत्व था।"[1] डॉ0 राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि " पति गृह का स्वामी और पत्नी गृहस्वामिनी होती थी।"[2] श्री राम जी उपाध्याय ने भी कहा है कि "वैदिक मंत्रों में कौटुम्बिक सुख के लिए पत्नी की आवश्यकता बतायी गयी है- पत्नी ही वर है, पत्नी ही गृहस्थी है, घर में आनन्द है क्योंकि वहाँ पत्नी है।"[3] इसीलिये गौरी शंकर भट्ट ने कहा है कि "पत्नी के प्रति गृहस्थ का व्यवहार धर्म, अर्थ और काम की मर्यादाओं के अनुसार होना चाहिये।"[4] पत्नी गृहस्थी का मूल है, अतः वैदिक युग में उसे घर की आत्मा और प्राण समझा जाता रहा है।

बाल विवाह वैदिक काल में नहीं होते थे क्योंकि शिक्षा का अवसर दिया जाता था। श्री राम जी उपाध्याय ने लिखा है कि "वैदिक काल में विधवा विवाह की प्रथा थी। विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार था।"[5] सौतनों के उल्लेख से बहुपत्नी विवाह का प्रचलन जान पड़ता है। विधवाओं के अपने देवर या अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने पर कोई पाबन्दी न थी। नियोग के द्वारा सन्तानोपत्ति के लिये किसी भी व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की छूट थी। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के समान था।

इस युग में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। वास्तव में कन्या का यह ब्रह्मचर्य काल उसके आगामी गृहस्थ काल के लिए तैयारी मात्र था। इसमें वह अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों को विकसित करती हुई संस्कृति एवं धर्म के उन समस्त उपकरणों से भिज्ञ हो जाती थी जिनकी उसे गृहस्थ जीवन में आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि अर्थववेद में पति-प्राप्ति हेतु कन्या के लिए ब्रह्मचर्य

---

1. शास्त्री डॉ0 हरीदत्त, "भारतीय साहित्य और संस्कृति", 1959, पृ0सं0 : 181
2. मुखर्जी डॉ0 राधा कुमुद, "हिन्दू सभ्यता" राजकमल प्रकाशन दिल्ली, 1966, पृ0सं0 : 91
3. उपाध्याय डॉ0 राम जी, "भारतीय संस्कृति का उत्थान", इलाहाबाद, 1966, पृ0सं0 - 112
4. भट्ट गौरिशंकर, "भारतीय संस्कृति", साहित्य सदन, देहरादून, 1965, पृ0सं0 : 153
5. उपाध्याय डॉ0 राम जी, "भारतीय संस्कृति का उत्थान", इलाहाबाद, 1966, पृ0सं0 - 47

को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।[1] उसे यज्ञ सम्पादन और वेदाध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था। दर्शन और तर्कशास्त्र में भी स्त्रियां निपुण थी। सभा गोष्ठियों में वे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ किया करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि कतिपय विदुषी स्त्रियों में ऋग्वेद में बौद्धिक योगदान करने वाली बीस कवियित्रियां थी। होमशा, अपाला, उर्वशी, विश्वारा, सिकता, निबावरी, घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती आदि पंडिता स्त्रियां इनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। पति के साथ समान रूप से यह यज्ञ में सहयोग करती थी। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे। एक सद्योवधू और दूसरी ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू में वे छात्रायें थी जो विवाह के पूर्व तक कुछ वेद मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी तथा ब्रह्मवादिनी वे थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थी।

इस प्रकार कुछ स्त्रियां जीवन पर्यन्त अध्ययन में लीन रहती थी और विवाह नहीं करती थी। ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न होती थी जो ज्ञान और बुद्धि पारंगत ही नहीं बल्कि अनेक मंत्रों की उद्गात्री होती थी। अध्ययन मनन के क्षेत्र में स्त्रियों की रुचि बराबर बढ़ती गयी। दर्शन जैसे गूढ़ और गंभीर विषय में भी वे पारंगत होने लगी। याज्ञवलक्य की पत्नी मैत्रेयी विख्यात दार्शनिका थीं, जिनकी रुचि सांसारिक वस्तुओं और अलंकारों में न होकर दर्शनशास्त्र में थी।[2] यहीं नहीं उसने अपने पति की सम्पत्ति में अपने अधिकार को, अपने पति याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी के हित में त्याग कर केवल ज्ञान प्राप्त करने की याचना की थी। जनक की राजसभा में होने वाली विद्धद्गोष्ठी में गार्गी ने अपनी अद्भुत तर्कशक्ति से याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि को चौंका दिया तथा अपनी पृच्छाओं से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे विद्वत समाज को स्तब्ध कर दिया।[3]

अनेक महिलाये शिक्षिका बनकर अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह और लगन के साथ निष्ठापूर्वक सम्पन्न करती थी। ऐसी स्त्रियां उपाध्याया कहीं जाती थी। ये उपाध्याया छात्राओं को पढ़ाया करती थी जहाँ महिलायें जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। ऐसी महिला शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्ध उपाध्यायें करती रही। पूर्व वैदिक युग में सहशिक्षा का भी प्रचलन था। छात्र-छात्रायें एक साथ शिक्षा ग्रहण करती थी। पूर्व वैदिक युगीन आपाला नामक कन्या अपने पिता के कृषि कार्य में सहयोग

---

1. अथर्ववेद, 11.5.8 ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्
2. वृहदारयकोपनिषद् 24.4.5, सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्याम् कि तेनाहं कुर्यामिती
3. वृहदारयकोपनिषद्, 3.6.1

प्रदान करती थी।[1] उस युग की अधिकांश कन्यायें गाय दुहना भी जानती थी इसलिये कन्याओं को दुहिता भी कहा जाता था। वे सूत कातना, बुनना और वस्त्र सिलना भी जानती थी।[2] ललित कलाओं में भी वे निपुण होती थी वे कौशलपूर्वक नृत्य करती थी तथ ऋग्वेद की ऋचाओं का गान भी करती थी।[3]

उत्तर वैदिक काल :

उत्तर वैदिक युग में भी स्त्री ब्रह्मचर्य रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक गान के अतिरिक्त वह ललित कलाओं में भी पारंगत होती थी। उस युग की स्त्रियां मंत्रवित और पंडिता होती थी तथा ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन करती हुई उपनयन संस्कार भी कराती थी।[4] शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि स्त्रियां संगीतविद् तथा नृत्यविद् व्यक्ति में सुगमता पूवर्क अनुरक्त हो सकती है।[5] उसी ग्रन्थ में अन्य स्थान पर कहा गया है कि साम–गान स्त्रियों का विशेष कार्य है।[6] इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता और मैत्रापणी संहिता में भी स्त्रियों को संगती नृत्याभिरुचि का उल्लेख है। उत्तर वैदिक कालीन व्यावहारिक शिक्षा में वे नृत्य, संगीत गान, चित्रकला, आदि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी।[7] वस्तुतः तथ्य और गति में स्त्रियों की सदा से रुचि रही है। त्रिपुर की स्त्रियां अपनी भाव भंगिमाओं से लोगों को प्रफुल्ल रखती थी तथा आकर्षण का वातावरण निर्मित करती थी। प्रमदाओं की कमनीय भाव–भंगिमा और अप्सराओं का आकर्षण नृत्यकला शोभा और सुन्दरता का केन्द्र बिन्दु थी। चित्रकला का समुचित विकास तब तक हो चुका था। रेखांकन, रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तिकरण चित्रकला के प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में पौराणिक सन्दर्भ मिलते है। बाणासुर के मंत्री कुष्माण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों गंधर्वो और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन किया था, जिसमें अनिरूद्ध का भी चित्ताकर्षक चित्र था।

वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। डॉ0 पाण्डेय ने लिखा है कि स्त्रियों की स्थिति मे भी अन्तर आ गया। उनकी

---

1. ऋग्वेद, 8.91.5.6
2. ऋग्वेद, 1.2.3.6, 2.32.4
3. ऋग्वेद, 1.92.4, 10.21.11
4. अथर्ववेद, 11.5.18
5. शतपथ ब्राह्मण, 3.2.3.6, तस्माथ एवं नृत्यतियो गायति तस्मिन्नवैता, निमिलष्टटमा इव
6. शतपथ ब्राह्मण, 14.3.3.35 पत्नीकमैव वे तेऽत्र कुर्वन्ति यदुद्गातारः
7. तैतरीय संहिता, 6.1.6.5

वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। डॉ0 पाण्डेय ने लिखा है कि स्त्रियों की स्थिति मे भी अन्तर आ गया। उनकी स्थिति इस युग के अन्त तक बहुत गिर चुकी थी।[1] श्री बेनी प्रसाद ने लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्त्रियों को जुआँ और शराब की तरह खराब मानती है।[2] वैदिक काल की अपेक्षा उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकार भी कम हो गये। डॉ0 कैलाश चन्द्र जैन ने लिखा है कि "उत्तर वैदिक युग में यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ गया है और इसमें विशेषाधिकरण का प्रारम्भ हुआ। स्त्रियां यज्ञ के लिये इतनी योग्य न होने के कारण भी इस अधिकार से वंचित कर दी गयी आर्य के अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह सम्बन्ध भी पत्नी को यज्ञाधिकार से वंचित करने का एक प्रमुख कारण था।"[3]

श्री बेनी प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा है कि "ऋग्वेद की अपेक्षा अब जीवन का आनन्द कम हो गया था और तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जब संसार त्याग एक आदर्श होने लगा तो स्त्री जो इस त्याग में सबसे बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने लगी।"[4]

श्री बी0एन0 लूनिया ने उनके सम्पत्ति, सामाजिक तथा विवाह का विवरण करते हुये लिखा है कि "वह सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती थी और उसका उपार्जित धन उसके पति अथवा पिता का समझा जाता था। स्त्रियां जातीय परिषदों या सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकी थी। बहुपत्नी विवाह प्रचलित था।"[5] उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित करने के दो निम्नलिखित प्रमुख कारण और थे। कर्मकाण्ड की जटिलता और पवित्रता की धारणा में वृद्धि, जिसकी वजह से यह विश्वास किया जाने लगा कि मंत्रों के उच्चारण में तनिक सी भूल अनिष्टकारक होती है। इसलियें स्त्री वर्ग को उनके अध्ययन से अलग कर दिया गया। इसका कारण अन्तर्जतीय विवाह आर्यो ने अपने समुदाय में स्त्रियों की कमी को पूरा करने के लिये अनार्यो से विवाह किया जो विधि-विधान आदि से अपरिचित थी। और इस कारण इनकों धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र से दूर रखना उचित समझा गया। विवाह स्त्रियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया। विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ा। इन सब प्रमाणों से

---

1. डॉ0 पाण्डेय, "भारतीय संस्कृति के मूलतत्व" कानपुर, 1966, पृष्ठ-22
2. बेनी प्रसाद, "हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता", 1931, पृष्ठ-101
3. जैन डॉ0 कैलाशचन्द्र, "प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थायें", मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ एकेडमी, 1971, पृष्ठ-126
4. बेनी प्रसाद, "हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता", 1931, पृष्ठ-101
5. लूनिया बी0एन0, "भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास", 1955, पृष्ठ सं0-67

पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के अन्त में सैद्धान्तिक रूप वे अधिकारों का उपयोग करती रहीं थी।

उत्तर वैदिक युग में स्त्री ब्रह्मचर्य रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। इस युग में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा दी जाती थी। शुद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अल्तेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अन्तिम चरण (ब्राह्मण काल) में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गयी थी और साथ ही उनके लिये वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिये अलग से कोई गुरूकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी, केवल गुरुओं की पुत्रियां राजघरानों और राज्यों में ऊँचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थी। इस युग में स्त्रियां वैदिक ज्ञान के अतिरिक्त ललित कलाओं में भी पारंगत होती थी। स्त्रियां मंत्रविद् और पंडिता होती थी तथा ब्राह्मचर्य व्रत का अनुपालन करती हुयी उपनयन संस्कार भी कराती थी।[1] शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि स्त्रियां संगीतविद् तथा नृत्यविद् व्यक्ति में सुगमतापूर्वक अनुरक्त हो सकती हैं।[2] इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता में भी स्त्रियों को संगीत नृत्याभिरुचि का उल्लेख है। उत्तर वैदिक कालीन व्यावहारिक शिक्षा में वे नृत्य, संगीत, गान, चित्रकला आदि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी।[3] त्रिपुर की स्त्रियां अपनी भाव-भंगिमाओं से लोगों को प्रफुल्ल रखती थी तथा आकर्षण का वातावरण निर्मित करती थी। रेखांकन, रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तिकरण चित्रकला के प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। वाणासुर के मंत्री कुषमाण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों गन्धर्वों और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन किया था; जिसमें अनुरुद्ध का चिन्ताकर्षक चित्र था। परन्तु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री-शिक्षा बहुत सीमित थी और यदि यह कहे कि उस काल में स्त्री-शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

बौद्ध कालीन संस्कृति या महाजनपद युग :

बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय

1. अथर्ववेद, 11.5.18
2. शतपथ ब्राह्मण, 3.2.3.6 तस्माथ एवं नृत्यतियो गायति तस्मिन्नवैता निभिलष्टटमा इव
3. तैतरीय संहिता, 6.1.6.5

शिष्य आनन्द के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति संघ के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यू सह-शिक्षा मठों एवं विहारों में स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी और साथ ही कुछ मठ एवं विहारों में केवल स्त्री-शिक्षा की ही व्यवस्था की गयी थी। परन्तु फिर भी बहुत कम बालिकायें इनमें प्रवेश लेती थी। सचमुच संघ के नियमों का पालन करना बालिकाओं के लिए कठिन कार्य था। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदुषी महिलाओं शील भट्टारिका, विजयांका और प्रभु देवी (कवियित्री) रानी नयनिका और रानी प्रभावती गुप्ता (राजनीति की विद्वान) सम्राट अशोक की पत्नी संघमित्रा (धर्म विशेषज्ञ) और सम्राट हर्षवर्धन की बहिन (शास्त्रार्थ में निपुण) के नामों का उल्लेख कर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि इस युग में स्त्री-शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी पर वास्तव में ऐसा नहीं था, इस काल में स्त्री-शिक्षा और अधिक पिछड़ गयी थी।

इस युग में स्त्रियों की दशा में वैदिक युग की अपेक्षा अधिक पतन हो गया था। समाज में उनकी दशा संतोषप्रद नहीं थी। स्वयं गौतम बुद्ध प्रारम्भ में अपने बौद्ध धर्म के संघ में नारियों के प्रवेश के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा था कि "जहाँ स्त्रियां गृहस्थ जीवन का परित्याग कर गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं, वहाँ धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा।" यद्यपि बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी, परन्तु उन्होंने भिक्षुणियों पर आठ कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियों को तत्कालीन समाज में पुरुष के साथ समान अधिकार नहीं थे। उनकी स्वतन्त्रता सीमित थी। वह पुरुष की आश्रित मानी जाती थी। परन्तु स्त्रियों के साथ आदर का व्यवहार किया जाता था। कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। उन्हें साधारण शिक्षा के अतिरिक्त गृह-कार्यों और नृत्य संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। गृह कार्य की निपुणता उनका विशेष गुण और योग्यता मानी जाती थी।

बौद्ध काल में कन्याओं के विवाह की आयु प्रायः 16 वर्ष की थी। अतः उन्हें धर्म, दर्शन, ललित कलाओं, गृह-कार्य आदि की शिक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। एक जातक में रानी उदुम्बरा को 'शिक्षिता' कहा गया है।[1] दूसरे में अमरा को एक विदुषी एवं गृहस्थ कार्यकुशल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कुछ नारियां और भिक्षुणियों

---

1. जातक, 6, पृष्ठ सं0-33

को अपने ज्ञान, विद्वता और तर्क विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें खेमा, सुभद्रा, जातक, अमरा, उदुम्बरा, भद्राकुण्ड केशा, जयन्ती, सुखा सुमेधा, अनोपमा आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी कुशाग्र बुद्धि, तर्कशीलता, जिज्ञासा एवं ज्ञानशीलता उपनिषद काल की प्रसिद्ध विदुषी मैत्रेयी एवं गार्गी की कोटि की थी। भिक्षुणी खेमा की विद्वता की प्रशंसा सुनकर कौशल सम्राट प्रसन्नजीत (प्रसेनजित) स्वयं उनकी सेवा में गया था। उनकी ख्याति दूर-दूर तक प्रसारित हो गयी थी।[1] सुभद्रा अपने व्याख्यानों और उपदेशों में अमृत की वर्षा करती थी। विदुषी जयन्ती ने तो स्वयं वर्धमान महावीर से वाद-विवाद किया था। बौद्ध धर्म के ग्रन्थ विदुषी भिक्षुणियों और राजकन्याओं द्वारा रचित कुछ गीतों का उल्लेख करते हैं और ये "थेरी गाथा" में आज भी सुरक्षित है। इन गीतों में उनकी विद्वता, अध्यात्मवाद, पवित्रता और आत्मतुष्टि प्रकट होती है। भद्द कुण्डलकेशा का ज्ञान अति उच्च कोटि का था।[2] धम्मनीना बौद्ध धर्म की लब्ध प्रतिष्ठ प्रचारिका थी। वजिरा सन्त ज्ञान में प्रगाढ़ थी। इस प्रकार के अनेकानेक दृष्टान्त उद्धत किये जा सकते हैं। इस सुविख्यात भिक्षुणियों की साधना एवं विद्वता ने बौद्ध व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्री का स्थान ब्राह्मण धर्म व्यवस्था की अपेक्षा उच्चतर बना दिया था। उन्हें मोक्षाधिकार प्राप्त हो चुका था।

शिक्षा के साथ-साथ स्त्रियों को भ्रमण की और उत्सवों और समारोहों में भाग लेने की स्वतन्त्रता भी थी। यदि राज प्रसादों की रानियां स्वतन्त्रता से घूमती और मंत्रियों से विचार विनिमय करती थी, तो साधारण महिलायें मेलों, उत्सवों और समारोहों में सम्मिलित होती थी। ऐसा उद्देश्य है कि कतिपय स्त्रियां संसार से वैराग्य तो लेती थी और भिक्षुणियां हो जाती थी। ये भिक्षुणियां विदुषी तथा बुद्धिमान होती थी और संसार से निर्लिप्त होकर धर्मोपदेशकों के सत्संग का लाभ उठाती थी।

समाज में पर्दा-प्रथा प्रचलित नहीं थी। केवल राजकुल की स्त्रियां पर्दायुक्त पालकी या सवारियों पर इधर-उधर जाती थी। परन्तु कभी-कभी वे इस नियम की अवहेलना भी करती थी। यद्यपि पर्दा-प्रथा नहीं थी, परन्तु स्त्रियों को अपने शील और लज्जा का ध्यान रखना पड़ता था। यद्यपि सारे देश में सती-प्रथा नहीं थी परन्तु उत्तर-पश्चिम में सती-प्रथा से लोग अवगत थे और कुछ यूनानी लेखकों ने इसका उल्लेख भी किया है। समाज में गणिकायें या वेश्यायें भी होती थी। वैशाली में आम्रपाली इस युग की प्रसिद्ध गणिका थी।

---

1. संयुक्त निकाय, 12.2
2. जातक, पृष्ठ सं0-42

परिवार में स्त्रियों को सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता था और चरित्रवान, सुशील, विदुषी स्त्रियों का समाज में बड़ा सम्मान होता था।

बौद्ध काल में धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त ललित कलायें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग थी। एक जातक में कान्हा नामक स्त्री को पटु के रूप में प्रदर्शित किया गया है।[1] अनेक स्थानों पर कार्य संलग्ना कन्यायें एवं महिलायें गीत गाती हुई प्रदर्शित की गयी हैं।[2] जातकों में उनके बहुला 'कुसलानच्चगीतेषु' शब्दों का प्रयोग किया गया है। कभी-कभी उनकी यह संगति नृत्य-विद्या उनके लिये जीविका का साधन बन जाती थी। इनकी लोकप्रियता बौद्ध साहित्य मे उल्लिखित वीणा, तबला, ढोल आदि अनेक प्रकार के वाद्यों के उल्लेखों से पता चलता है। इन ललित कलाओं में अतिरिक्त कन्याओं को अन्य लाभदायक उद्योग-धन्धो, कताई-बुनाई, सिलाई आदि में भी शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत सांसारिक स्त्रियों मठों एवं विहारों में रहकर प्रख्यात बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के निर्देश में धर्म एवं दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों का अध्ययन एवं मनन करती थी। इस प्रकार भिक्षु तथा भिक्षुणियों के ये निवास-स्थान शिक्षा के केन्द्र बन गये थे। नालन्दा तथा तक्षशिला के विश्वविद्यालय ऐसे ही बौद्ध विहारों के विकसित एवं सर्वाधिक रुप थे।

जैन धर्म :

महावीर ने जैन धर्म में नारियों को भी स्वतन्त्रता दी। उनका मत था कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी है। उन्होंने महिलाओं के लिये जैन धर्म और संघ के द्वार खोल दिये, फलतः जैन धर्म में कई स्त्रियां दीक्षित हुयी और उनमें कई विदुषी भी थी। महावीर नारी स्वातन्त्रय के समर्थक थे। वे नारियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारो के पक्षधर थे। उन्होने स्त्रियों के लिये धर्म के द्वार खोल दिये। उन्होने पुरुषों के समान स्त्रियों को भी निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी बतलाया और जैन धर्म में स्त्रियों के दो वर्ग बताये, श्रमणी और श्राविका।

जैन संघ में स्त्री और पुरुष दोनो को समान अधिकार थे। महावीर ने दोनों में ही निर्वाण के अधिकार को मान लिया था। इसी से जैन संघ में अनेक स्त्रियाँ साध्वी और श्राविकायें थी। महिलायें भी जैन संघ की सदस्य होती थी। महासती चन्दना स्त्रियों के जैन संघ की अध्यक्षा थी, और मगध साम्राज्ञी चेलना श्राविका संघ की नेत्री थी।

---

1. जातक, 4, पृष्ठ सं0-393
2. जातक, 1, पृष्ठ सं-470, जातक, 4 पृ0 : 231

जैन अनुभूति के अनुसार वर्धमान महावीर स्वामी के चौदह हजार श्रवण छत्तीस हजार श्रमणियां एक लाख उनसठ हजार (1,59,000) श्राविकायें थी। ऐसा माना जाता है कि जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक थी। महावीर महिलाओं की स्वतन्त्रता और समान अधिकारों के बड़े समर्थक थे। यदि एक ओर वे स्वयं जैन संघ के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष थे, तो दूसरी ओर जैन भिक्षुणियों की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष चम्पा नरेश दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चन्दना थी। जिसने जैन धर्म की दीक्षा लेकर भिक्षुणी जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया था।[1]

मध्यकाल :

16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का समय मध्यकाल नाम से जाना है। इस युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुयी वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा। 11वीं शताब्दी में प्रारम्भ में ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने की वजह से हमारी संस्कृति की रक्षा करना जरूरी हो गया था। इसलिये ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने की वजह से स्त्रियों के सम्बन्ध में नियमों को अधिक कठोर बना दिया। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि स्त्री जिसका कि समाज एवं संस्कृति में एक अपना विशेष महत्व है। उसके चेतना शून्य हो जाने पर समाज एवं संस्कृति आदि स्वतः ही समाप्त हो जायेगें। इस युग में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता का इतना विकास हुआ कि पाँच-छः वर्ष की आयु में ही विवाह होने लगे, जिसके फलस्वरुप स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके सामाजिक स्तर में तेजी से गिरावट आयी। पर्दा प्रथा का विकास तो इस सीमा तक हुआ कि परिवार के अन्य सदस्य तो दूर रहे पति स्वयं भी किसी अन्य के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देखता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का पति के साथ सती हो जाना पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च परीक्षा मानी गयी। इस प्रथा को धार्मिक आवरण प्रदान कर बढ़ावा दिया गया। सतियों की पूजा की जाने लगी। पहली पत्नी होते हुये भी विवाह कर लेना एक से अधिक पत्नियां रखना पुरुषों के लिये सामाजिक प्रतिष्ठा बन गया। इस प्रकार स्त्रियां अपने अस्तित्व के लिये पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर हो गयी। अज्ञान के

---

1. लूणिया बी0एन0, "प्राचीन भारतीय संस्कृति"

वशीभूत भारतीय समाज ने इन्हीं कुरीतियों और मिथ्यावाद को भारतीय संस्कृति का अंग समझा।

इस युग में स्त्रियों के सम्पति के अधिकारों के सम्बन्ध में थोड़ा सा सुधार हुआ। जिन लड़कियों के भाई नही थे उन्हें अपने पिता की सम्पति का उत्तराधिकार मिलने लगा। शुरु में तो इस संदर्भ में यहाँ तक कह दिया कि जिस लड़की के भाई है, उसे भाई से भी आधा हिस्सा मिलना चाहिये। 11वीं शताब्दी में 'मिताक्षरा' के लेखक विज्ञानेश्वर ने उन सब सम्पतियों का स्त्री धन में समावेश किया जो उन्हें उत्तराधिकार एवं विभाजन आदि में मिली।

श्री राम सिंह ने कहा है कि "स्त्रियां भोग-विलास की सामग्री समझी जाती थी।"[1] मध्यकाल में स्त्रियों को साधारणतया शिक्षा का अधिकार नहीं था। श्री राम सिंह ने कहा है कि "मुगलकाल में केवल उच्च्य घरानों की लड़कियां ही शिक्षा प्राप्त करती थी। लड़कियों के लिये स्कूल नही थे।"[2] श्री आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि "मध्ययुगीन भारत में लडकियों के लिये स्कूल नहीं थे शायद महिला वर्ग को शिक्षा देना आंवश्यक नहीं माना गया था। यद्यपि उच्च्य घरानों की लडकियां शिक्षा प्राप्त करती थी।"[3] डॉ0 मिस शाकम्भरी जयाल ने लिखा है कि "बाद के समाज में स्त्री अपने विद्वान पति की मूर्ख साथी थी।"[4]

श्री उमाशंकर मेहरा ने पर्दा-प्रथा का उल्लेख करते हुये कहा है कि अकबर ने अपने राज्य में घोषणा की थी कि "यदि कोई युवती गलियों एवं बाजार में बगैर घूँघट के दिखाई दें या जान बूझकर अपने पर्दे का उल्लंघन किया तो उसे वैश्यालय में ले जाया जाये और पेशे को अपनाने दिया जाये।"[5] मध्य युग के धार्मिक ग्रन्थ जैसे रामायण में भी तुलसी दास ने लिखा है कि "ढोल गंवार शूद्र पशु-नारी। ये सब ताड़न कें अधिकारी।।"

स्त्रियों पर पुरुषों की सर्वतोन्मुखी प्रभुता था। राम ने अग्नि परीक्षित सीता को लोकापवाद के भय से हिंसक पशुओं से भरे वन में छोड़ दिया। मध्य युग में वैराग्य का

---

1. सिंह राम, "भारतीय संस्कृति", वाराणसी-1963, पृष्ठ सं0-90
2. सिंह राम, "भारतीय संस्कृति", वाराणसी-1963, पृष्ठ सं0-40
3. श्रीवास्तव आर्शीवादीलाल, "मध्यकालीन भारतीय संस्कृति", आगरा, 1964, पृष्ठ सं0-108
4. जयाल शाकम्भरी, "द स्टेट्स ऑफ वोमेन इन द इविक्स", दिल्ली बुक डिपो, 1966, पृष्ठ सं0-40
5. मेहरा उमाशंकर, "मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति", आगरा, 1963, पृष्ठ सं0-20

प्रचार हुआ। कुछ शास्त्रकारों ने तो स्त्री को सभी सुखों का मूल माना और उससे दूर रहना संसार त्याग माना, जिससे सद्गित होती थी। इस प्रकार नारी की अपार निन्दा करके उसे त्याज्य माना जाने लगा।

इस युग में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करते हुये डॉ0 शर्मा ने लिखा है कि पूरी तरह से सारे हिन्दुओं के लिये यह मान लेना शायद उचित न होगा। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख आलोचनायें है। प्रथम यह है कि उस समय की स्थिति के विषय में केवल उन पुस्तकों को आधार मानकर कहा जाता है। जिनमें हिन्दुओं के समान नियम और संहितायें दिये गये है, उनमें उस समय के आदर्शो के बारे में अनुमान लगाया जाता है। वास्तविक स्थिति क्या थी, हो सकता है उस आदर्श वर्णन से पर्याप्त भिन्न हो। दूसरी यह कि ये सारी बातें विशेषतया उच्च जातियों की स्त्रियों की स्थिति को ही अभिव्यक्त करती है। क्योंकि निम्न जातियों की स्त्रियों की सदैव उच्च जातियों की स्त्रियों की स्थिति से स्थिति और भी दयनीय हो गयी थी।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र मकतबों में तो लड़के लड़कियों दोनो को प्रवेश दिया जाता था। परन्तु उच्च शिक्षा के मदरसों में केवल लड़को को ही प्रवेश दिया जाता था। हाँ, शहजादियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से महलों में और शासन में उच्च पदों में कार्यरत व्यक्तियों और धनी वर्ग के लोगों की बच्चियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से उनके अपने-अपने घरों में अवश्य होता था। मालवा के शासक ग्यासुद्दीन ने सारंगपुर में एक मदरसा केवल लड़कियों की शिक्षा के लिये अवश्य स्थापित किया था। परन्तु पहली बात तो यह कि उस समय पर्दा-प्रथा होने के कारण लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मदरसे में बच्चियों का पूरा व्यय अभिभावकों को उठाना होता था, इसलियें कुछ धनी लोग ही इसका लाभ उठा सके। फिर इतने बड़े देश में एक महिला मदरसे से होना भी क्या था। यूं इस काल में अनेक विदुषी महिलायें हुई जिनमें बाबर की बेटी गुलबदन लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुयी हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुल्तान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुयी, नूरजहाँ, मुमताज और जहाँआरा, रजिया बेगम और चाँदबीबी कुशल शासक के रूप प्रसिद्ध हुयी और औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी और फारसी की अच्छी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुयी, परन्तु ये सब राज-घरानो से सम्बन्धित शहजादियां थी। आम महिलाओं को

उच्च शिक्षा के अवसर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थे। परिणामतः इस काल में स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गयी हमारे देश की इस आधी मानव शक्ति का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ।

औपनिवेशिक काल (ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासक काल में) :

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर, उसकी ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया। सम्भवतः इसका कारण यह था कि उसे अपने प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नही थी इसके अतिरिक्त, स्त्री शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी थी। सन् 1838 में विलियम एडम ने स्त्री शिक्षा का वर्णन करते हुये लिखा- ''शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाये केवल पुरुषों के लाभार्थ है और समस्त महिला जगत् को विधिपूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है।''[1]

कम्पनी के शासन-काल में बालिका-विद्यालयों की स्थापना, मिशनरियों और सरकारी एवं गैर सरकारी मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुयी। सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका-विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या 11,193 थी।[2] व्यक्गित प्रयासों के फलस्वरूप स्थापित किये जाने वाले बालिका-विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध कलकत्ता का वैथ्यून स्कूल था। इसका शिलान्यास सन् 1849 में सरकार के कानून सदस्य जे0ई0डी0 वैथ्यून के द्वारा किया गया था।

सन् 1854 के ''वुड के घोषणा पत्र'' में सर्वप्रथम स्त्री-शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लियें सभी सम्भव प्रयास किये जाये। परिणामतः नव-निर्मित विभागों में अनेक स्थानों पर बालिकाओं के लिये प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की। इस प्रकार कम्पनी द्वारा अपेक्षित स्त्री-शिक्षा की प्रगति आरम्भ हुयी। सन् 1882 में 2,697 बालिका-विद्यालय थे और उनमे अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 1,27,066 थी।[3]

---

1. सर विलियम एडम, तृतीय रिपोर्ट 1838, भारतीय शिक्षा का विकास, पृ0सं0 : 104
2. एम0ए0 शीरिंग, ''द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्टैंट मिसन्स''
3. वुड का घोषणा पत्र, 1854, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्यायें, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, पृ0सं0-115

भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन), 1882 :

सन् 1882 में 'हण्टर कमीशन' ने तत्कालीन स्त्री-शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवित होकर भारत में स्त्री-शिक्षा में विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये-

1. स्थानीय निकायों को बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये शिक्षा व्यय का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित करना चाहिये और जहां आवश्यक हो वहां बालिकाओं के लिये अलग से बालिका स्कूल खोलने चाहिये।
2. सरकार को बालिका-विद्यालयों को अनुदान देने के नियम सरल बनाने चाहिये और उन्हे उदारता से अनुदान देना चाहिये।
3. बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये।
4. निर्धन छात्राओं को छात्रवृतियां दी जानी चाहिये।
5. बालिकाओं के लिये छात्रावासों का प्रबन्ध होना चाहिये।
6. बालिका-विद्यालयों में यथा सम्भव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिये। इसके लिये अलग से महिला शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायें।
7. बालिका विद्यालयों के निरीक्षण हेतु यथा सम्भव महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जायें।
8. शिक्षा की वार्षिक रिर्पोट में बालिका शिक्षा की प्रगति अलग से दर्शायी जायें जिससे तत्काल तद्नुकूल कदम उठाये जा सके।[1]

शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1904 :

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में होने वाले पुनरुत्थान के कारण स्त्री-शिक्षा की प्रभूत प्रगति हुयी। किन्तु इस प्रगति में महिलाओं की अपेक्षा सरकार और पुरुषों ने अधिक योग दिया। विद्या प्रेमी लार्ड कर्जन ने स्त्री-शिक्षा की पतित व्यवस्था से क्षुब्ध होकर, उसका उत्थान करने का संकल्प किया। अतः उसने 1904 का 'शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' पारित किया, स्त्री के लियें अधिक धन व्यय किया, आदर्श बालिका-विद्यालयों की स्थापना की और अध्यापिका-प्रशिक्षण का प्रावधान किया।[2]

---

1. हण्टर कमीशन, 1882, भारतीय शिक्षा का विकास, पृ0सं0-126
2. लार्ड कर्ज़न की शिक्षा नीति, 1904, पृ0सं0 : 138

शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1913 :

सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय स्त्री-शिक्षा न के बराबर थी। स्त्री-शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिये गये-[1]

1. बालिकाओं के लिये अलग से स्कूल खोले जायें।
2. बालिका स्कूलों के लिये सहायता अनुदान की शर्तें और अधिक उदार की जायें।
3. बालिकाओं के लिये उनकी आवश्यकतानुकूल पाठ्यक्रम बनाया जायें।
4. महिला शिक्षिकाओं और निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जायें।

द्वैध शासन (1921-1937) काल में शिक्षा की प्रगति[2] :

1. सन् 1921 में बालिकाओं की कुल शिक्षा-संस्थायें 26,144 थीं और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 14 लाख से अधिक थी।
2. 1921 में 'शारदा एक्ट' पास हुआ जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी करना कानूनी अपराध घोषित हुआ। इससे प्राथमिक स्कूलो में पढ़ने वाली बच्चियों का बीच में छोड़कर चले जाना कुछ कम हुआ।
3. महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होने वाली जागृति।
4. सन् 1925 में 'राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना' की गयी।
5. 1926 में महिलाओं ने 'अखिल भारतीय महिला समिति' का गठन किया। इस समिति ने स्त्री-शिक्षा की मांग के नारे को बुलन्द किया।
6. 1927 में आयोजित किये जाने वाले 'अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन' द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग।
7. द्वैध शासन की अवधि में भारतीय शिक्षा पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण।
8. प्रान्तीय स्वशासन की अवधि में स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन।
9. द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में विभिन्न प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालय के लिये शिक्षित पुरूषो एवं महिलाओं की मांग।
10. 'शारदा अधिनियम' द्वारा बाल-विवाह का निषेध।

---

1. शिक्षा नीति, 1913, पृ0सं0 : 155
2. द्वैध शासन, हर्टाग समिति, वुड ऐबट रिपोर्ट, 1921-1937, पृ0सं0 : 175

11. 1947 में स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या 28,196 थी और उनमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की 42,97,785 संख्या थी।

सार्जेन्ट रिर्पोट, 1944 :

सार्जेन्ट योजना में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा के सम्बन्ध मे सुझाव दिये। शिशु व जूनियर बेसिक विद्यालयों में जहाँ तक सम्भव हो महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये साथ ही अलग विद्यालय खोले जायें। माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के लियें गृह-विज्ञान की सुविधा उपलब्ध करानी चाहियें। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं को प्रवेश के लिये प्रोत्साहित किया जाये।[1]

डॉ0 राधाकृष्णन आयोग, 1948-49 :

आयोग की सम्मति में शिक्षित महिलाओं के अभाव में मनुष्यों को भी शिक्षित नहीं किया जा सकता। अतः उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। आयोग की दृष्टि में, स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहियें। स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबन्ध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान देना, व उच्च शिक्षा स्तर पर सह-शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।[2]

स्वतन्त्र भारत में स्त्री-शिक्षा :

'भारतीय संविधान' ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुयें घोषित किया है, "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।" यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री-शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। हम इस क्रान्ति से सम्बन्धित तथ्य एवं परिणामों का विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत यथा स्थान वर्णन कर रहे है।

आचार्य नरेन्द्र देव समिति, द्वितीय, 1952-53[3] :

1. समिति ने महिला शिक्षा के बारे में लिखा कि कुछ आवश्यकतायें तो स्त्री-पुरुषों की समान होती है। अतः उनकी शिक्षा दोनों को समान रूप से दी जायें और कुछ आवश्यकतायें भिन्न होती है। अतः उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग-अलग की जाये।

---

1. सार्जेण्ट योजना, 1944, भारतीय शिक्षा का विकास, पृ0सं0 : 193-197
2. राधाकृष्णन आयोग, 1948-49, पृ0सं0 : 213
3. आचार्य नरेन्द्र देव समिति द्वितीय, 1992-93, पृ0सं0 : 230

समिति की सम्मति में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के लिये उनकी आवश्यकतानुसार गृह विज्ञान आदि विषयों की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. वर्तमान महिला विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जाये।

3. नये महिला विद्यालय खोले जाये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन), 1952-53[1] :

1. बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो।
2. बालिकाओं के लियें गृह-विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाये।
3. माध्यमिक स्तर पर गृह-विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था की जाये।
4. आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोले जाये।
5. जहां बालिका विद्यालय खोलना सम्भव न हो वहां सह-शिक्षा की स्वीकृति दी जाये।

राष्ट्रीय महिला-शिक्षा समिति, 1958 :

भारत सरकार ने सन् 1968 में स्त्री-शिक्षा पर विचार करने के लियें श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला-शिक्षा समिति' की नियुक्ति की। इस समिति को 'देशमुख समिति' भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लियें अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। समिति ने फरवरी, 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत किया और निम्नांकित सुझाव दिये-[2]

1. केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों के लिये स्त्री-शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिये और इसके लिये पर्याप्त धन देना चाहिये।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करने के लिये विशेष प्रयास किये जाये।
3. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की स्त्री-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिये 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' नामक इकाई की स्थापना करनी चाहिये।
4. राज्यों में स्त्री-शिक्षा का प्रसार करने के लिये बालिका एवं स्त्री-शिक्षा भी राज्य परिषद का निर्माण किया जाना चाहिये।

---

1. मुदालियर कमीशन, 1952-53, पृ0सं0 : 247
2. रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमेटी ऑन वोमेन्स एजूकेशन

5. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथा शीघ्र समाप्त करके दोनो की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहियें।

6. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाये प्रदान की जानी चाहिये।

राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद्, 1959 :

'देशमुख समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने 1959 में 'राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद' का निर्माण किया। 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य है। इसके मुख्य कार्य अधोलिखित है-[1]

1. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

2. उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लियें लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रम एवं प्राथमिकताओं के विषयों में सुझाव देना।

3. उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिये उपायों का सुझाव देना।

4. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिये उचित उपायों का सुझाव देना।

5. उक्त शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

6. उक्त शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोंजन किये जाने की सिफारिश करना।

हंसा मेहता समिति, 1962 :

'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का मुख्य कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं में सर्वप्रथम यह है, क्या विद्यालय स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अन्तर होना चाहिये?

---

1. मुखर्जी एस0एन0, अप सिट, पृ0सं0 : 250-251

'परिषद' ने इस समस्या पर विचार करने के लिये श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसे 'हंसा मेहता समिति' कहा जाता है। इस समिति के सदस्य ने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात दो सुझाव प्रस्तुत किये-

1. विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर होना चाहिये लेकिन 'समिति' ने कहा हम भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने की चेष्टा कर रहे है। ऐसे समाज में शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों एवं रुचियों से होना चाहिये जिसका लिंग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।
2. भारत में अभी जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रतिक्रिया चल रही है। अतः इस अन्तःकालीन अवधि में हमें पुरुषों एवं स्त्रियों में मनोवैज्ञानिक एवं समाजिक कार्यो के भेदो के आधार बालकों और बालिकाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिये। किन्तु पाठ्यक्रमों की विभिन्नता को नये समाज के निर्माण में उपस्थित नहीं करनी चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठरी कमीशन), 1964-66 :

आयोग की सम्मति में बच्चो के चरित्र निर्माण परिवारों की उन्नति और राष्ट्रीय मानव संसाधनो में विकास के लिये स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने इस बात पर बल दिया कि स्त्री-शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। आयोग ने स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी सुझावो को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया है-[1]

1. बालिकाओं के लिये 20 वर्षो के अन्दर, इतने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोले जाये कि सभी बालिकाओं को सुलभ हो सके और माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं का अनुपात 2:1 हो जाये।
2. जहाँ महिलाओं की उच्च-शिक्षा की अधिक मांग हो वहाँ अलग से महिला विद्यालय स्थापित किये जाये।
3. स्त्रियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये।
4. प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमो में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये।

---

1. कोठारी कमीशन, 1964-66, पृ0सं0 : 276

5. शिक्षा के किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम बालक-बालिकाओं के लिये समान होना चाहिये परन्तु माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बालिकाओं के लिये गृह-विज्ञान की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिये।
6. स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिये उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी जाये।
7. बालिकाओं के लिये माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क की जायें।
8. उच्च शिक्षा में बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।
9. दूर से आने वाली छात्राओं को निःशुल्क वाहन व छात्रावासों की व्यवस्था की जायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 :

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता पश्चात् से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता 7.93 प्रतिशत से बढ़कर 24.82 प्रतिशत हो गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लियें निम्नाकिंत लक्ष्य निर्धारित किये गये :-[1]

1. लड़कियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम।
2. 1995 तक 15-35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिये प्रौढ़-शिक्षा का एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम।
3. व्यावसायिक, तकनीकि, वृतिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं में प्रवेश को बढ़ाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को महिलाओं के स्तर में आधारभूत परिर्वतन लाने के लिये एक पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-

1. महिलाओं को अधिकार दिलाने में सही मध्यस्थता वाली भूमिका निभायेगी।
2. नये सिरे से तैयार किये पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तको के माध्यम से नये मूल्यों में विकास के प्रति योगदान करेगी।
3. महिलाओं के शिक्षण को पाठ्यक्रमो के रूप में प्रोन्नत करेगी।
4. स्त्री-पुरूषो की शिक्षा में भेद नही किया जायेगा लिंग मूलक अन्तर को समाप्त किया जायेगा।
5. महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न कियें जायेगें।

---

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, भारतीय शिक्षा का विकास, पृ0सं0 : 311

6. महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीति शिक्षा प्राप्त करने के लियें प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीति शिक्षा प्राप्त करने के लियें विशेष सुविधाएं दी जायेगी।

आचार्य राममूर्ति समिति, 1990 :

आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सिफारिशें की है–[1]

1. शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किये जायें।
2. कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाये।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाये।
4. 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर हाईस्कूल स्थापित किया जाये।
5. शाला त्यागी (Drop outs) बच्चों के लिए गैर-औपचारिक विधियों को काम में लाया जाये।
6. योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाये।
7. महिला-शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाये।
8. योग्य छात्राओं को यूनीफार्म, पाठ्य-पुस्तकें आदि प्रदान की जाये।
9. जहाँ सह-शिक्षा है, वहाँ अधिक अध्यापिकायें नियुक्त की जाये।
10. छात्राओं को आवासीय सुविधायें प्रदान की जाये।
11. छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाये।
12. छात्राओं के लिए प्रथम विद्यालयों की स्थापना की जाये। इसके लिए विद्यालय भवन का प्रयोग दो पालियों में किया जा सकता है। एक पाली में लड़कियां पढ़े और दूसरी पाली में लड़के।
13. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक धारा को इनके लिए प्रोत्साहित किया जाये।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 :

भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन करने के साथ-साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किये और उसे कार्य योजना, 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना; 1986, 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना

---

1. आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, 1990, पृ0सं0 : 320

1992 को 23 भगाों में विभाजित किया गया है। कार्य योजना 1992 के 23 शीर्षक हैं जिसमें पहला नारी समानता के लिए शिक्षा (Education for women equality) पर विशेष बल दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व संख्या-8 में पहला संशोधन तो यह किया गया कि +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जायेगा। दूसरा संशोधन यह किया गया है कि +2 पर बालिकाओं और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक धारा में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेगें और तीसरा संशोधन यह किया गया है कि इस स्तर पर शैक्षिक तकनीकि का प्रयोग किया जायेगा। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अतः नारी सशक्तीकरण के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।[1]

---

[1]. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992, पृ0सं0 : 332-333

अध्याय-चतुर्थ

चित्रकूटधाम मण्डल की पृष्ठभूमि

- चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक पृष्ठभूमि
- चित्रकूटधाम मण्डल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- चित्रकूटधाम मण्डल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- चित्रकूटधाम मण्डल का जनसंख्यात्मक विवरण

चित्रकूटधाम मण्डल एक परिचय :

चित्रकूटधाम मण्डल जिसका मुख्यालय बाँदा नगर में स्थित है, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1998 को हुई। चित्रकूटधाम मण्डल जैसा कि इसके नाम से विदित है कि त्रेतायुग में चित्रकूट भगवान श्रीराम के वनवास काल की कर्मस्थली रही है। इसकी ख्याति पूरे भारत में धार्मिक स्थल के रूप में विद्यमान है, चित्रकूटधाम मण्डल में 4 जनपद बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा स्थित है। मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

चित्रकूट जनपद जहाँ भगवान राम की वनवास काल की कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं इस जनपद का राजापुर कस्बा रामचरितमानस के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसी जनपद के ग्राम बगरेही (लालापुर) आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि बाल्मीकि की तपोस्थली के रूप में ख्याति प्राप्त है।

जनपद-हमीरपुर यमुना व बेतवा के बीच स्थित है। हमीरपुर मुख्यालय जो राजा हम्मीर सिंह जूदेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। इसी जनपद की राठ नगरी भी पाण्डव काल के राजा विराट के अपभ्रंश राठ नाम से प्रसिद्ध है।

जनपद महोबा का सृजन जनपद हमीरपुर को तोड़कर किया गया है। यह नगरी 11वीं शताब्दी की वीरगाथा काल यशोवर्मन/मदनवर्मन के द्वारा बसाई तथा आल्हा-ऊदल जैसे वीर सेनापतियों की वीरगाथाओं की नगरी कही जाती है।

जनपद बाँदा मण्डल मुख्यालय के रूप में तथा बामदेव ऋषि के अपभ्रंश नाम बाँदा के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ आदि कवि पद्माकर की जन्मभूमि है। इसी जनपद के कालिंजर का दुर्ग समुद्र तल से 800 फीट ऊँचा है जिसे जीतने की लालसा में शेरशाह सूरी ने घायल होकर अपनी जान गवायीं। इसी कालिंजर किले में भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से हुयी जलन को दूर करने हेतु वास करके शीतलता पायी तथा नीलकंठ के रूप में 28वीं शिवलिंग के रूप में ख्याति प्राप्त की।[1]

---

1. सामाजिक आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2000-01, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा पृ0सं0 : 1

इस मण्डल में चन्देलों, बुन्देलों, छत्रपाल, मराठों व उनके वंशजों का शासन रहा। बाँदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1857 की लड़ाई में झाँसी की रानी का साथ देकर स्वतन्त्रता संग्राम की आग जगायी।

चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक संरचना :

चित्रकूटधाम मण्डल उत्तर प्रदेश के दक्षिण भू-भाग में स्थित है। जनपद बाँदा मण्डल का मुख्यालय है, जो 24 डिग्री 53^0 और 25 डिग्री 55^0 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 87^0 तथा 81 डिग्री 34^0 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। मण्डल के उत्तर में यमुना नदी बहती है जो मण्डल को कानपुर, फतेहपुर व इलाहाबाद से अलग करती है। दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना व रीवां जिला स्थित है। पूर्व में जनपद इलाहाबाद तथा पश्चिम में जनपद झाँसी की सीमायें हैं।

मण्डल का क्षेत्रफल 14756 वर्ग कि0मी0 है। जिसमें बाँदा जनपद का क्षेत्रफल 4113 वर्ग किलोमीटर एवं चित्रकूट 3511 वर्ग कि0मी0, महोबा जनपद 3038 वर्ग कि0मी0 एवं हमीरपुर 4094 वर्ग कि0मी0 है। जनपद बाँदा की पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 57 कि0मी0 और उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 60 कि0मी0 है। जनपद मुख्यालय सड़क मार्ग से कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, कानपुर, लखनऊ एवं सतना के लिए रेल सेवा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाँदा से 219 कि0मी0 दूरी पर है।

मण्डल की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जमीन ऊबड़-खाबड़ एवं पथरीली होने की वजह से प्रति एकड़ औसत उपज भी सामान्य है। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है जो कि अनिश्चित है। मण्डल जहाँ कृषि क्षेत्र में पिछड़ा है वहीं औद्योगिक प्रगति में भी अन्य मण्डलों से पीछे हैं। मण्डल में यातायात के भी प्रचुर साधन उपलब्ध न होने के कारण विकास की गति बहुत धीमी है।

मण्डल की भौगोलिक संरचना को चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है।

1. आर्कियन क्रम

2. संक्रमति क्रम

3. विन्ध्यन क्रम

4. नवीनतम जमाव

मण्डल का आर्कियन क्रम भूपपर्टी की प्राचीनतम् चट्टानों की अभिव्यक्ति करता है। भूगर्भ वैज्ञानिक झींगरन के अनुसार इस क्रम की चट्टानें 130 करोड़ वर्ष प्राचीन हैं। बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट और बुन्देलखण्ड नीस इस क्रम की प्रमुख चट्टानें हैं। झाँसी, ललितपुर, महोबा तथा छतरपुर जनपद की बिजावर तहसील इन चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

संक्रमित क्रम की चट्टानों की संरचना अरावली और विन्ध्यन क्रम के समाकालीन है। क्वार्ट्ज, सिलिकन, ब्रेसिया और चूना पत्थर इस क्रम की मुख्य चट्टानें हैं।

आज से 60 करोड़ से 70 करोड़ वर्ष पूर्व बुन्देलखण्ड का दक्षिणी भाग एक भूसन्मति थी जिसे विन्ध्यन सागर कहते हैं। कैमोर क्रम की चट्टानें बाँदा जनपद के कालिंजर क्षेत्र, चित्रकूट जनपद के चित्रकूट, मऊ क्षेत्रों में पायी जाती है। यह चट्टानें विन्ध्यन पठार में खड़े स्कार्प का निर्माण करती है। इस क्रम की चट्टानों का एक सामाजिक, सांस्कृतिक सीमा रेखा प्रदान की है। दक्षिण और उत्तरी भारत के लिए एक विभाजन रेखा बनायी है।

आधुनिक जमाव ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर कॉप मिट्टी के जमाव को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे-जैसे हम दक्षिण से उत्तर में यमुना नदी की ओर चलते हैं, वैसे-वैसे मिट्टी के कणों का आकार महीन से महीनतर होता जाता है। हमीरपुर, महोबा, बाँदा तथा चित्रकूट जनपद के उत्तरी क्षेत्रों में इस मिट्टी का व्यापक जमाव देखने को मिलता है। यह मिट्टी यहाँ की कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिए मूलाधार पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है।

भौतिक बनावट :

इस मण्डल की भौतिक बनावट के लिए 'ओ एच' को स्पेट महोदय ने वृद्ध धरातलीय आकृति के नाम से अभिहीत किया है।[1] सम्पूर्ण क्षेत्र घिसी-पिसी धरातलीय संरचना को प्रकट करता है। लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र 300 मीटर से कम ऊँचा है, लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र 450 मीटर से अधिक ऊँचा है तथा शेष 300 से 450 मीटर ऊँचा है।

उत्तर का 1/3 भाग समतलीय मैदान भाग है जो 300 मीटर से कम ऊँचा है। इसके दक्षिण में विन्ध्यन पठार विद्यमान है जो 300 से 450 मीटर ऊँचा क्षेत्र है। मुख्य

---

1. सिंह, आर0एल0, इंडियन ए रिजीनल जोगरफी वाराणसी, 1971, पृ0सं0 : 616

रूप से ग्रेनाइट चट्टानों की संरचना वाला यह क्षेत्र कहीं-कहीं 600 मीटर ऊँची चोटियों को प्रदर्शित करता है।

धरातलीय संरचना के अनुसार मण्डल को दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है (1) विन्ध्यन उच्च भूमि (2) कॉप का मैदान।

विन्ध्यन उच्च भूमि जिसकी ऊँचाई 600 मीटर से अधिक नहीं है ललितपुर से लेकर चित्रकूट जनपद तक फैला है। भौतिक रचना के आधार पर इस भाग को पुनः दो उप विभागों में (अ) विन्ध्यन पर्वत श्रृंखलायें (ब) चित्रकूट पठार में विभक्त किया गया है। विन्ध्यन पर्वत श्रृंखलायें ललितपुर से प्रारम्भ होती है, जो बिजावर, पन्ना होती हुई कालिंजर और चित्रकूट तक फैली हुयी हैं। यह श्रेणियां संकरी और सपाट चोटियों वाली है। चित्रकूट पठार बाँदा-चित्रकूट मैदान के दक्षिण में स्थित है तथा विन्ध्यन श्रेणियों का एक अंग है। स्थानीय भाषा में यह पठार 'पाठा' कहलाता है। इस पठार में खड़ी ऊँचाइयां जिन्हें स्कार्पमेन्ट कहते हैं, दर्शनीय हैं। अनुसुइया आश्रम का स्कार्पमेन्ट इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मौसमी नालों द्वारा यह पठार काफी काट-पीट दिया गया है।

कॉप का मैदान एक निचला क्षेत्र है। अपूर्ण प्रवाह व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में बाढ़युक्त हो जाता है। बाढ़ के द्वारा बहुत सा मलवा इस क्षेत्र में बिछा दिया जाता है जो इसकी उर्वरता बनाये रखने में उपयोगी होता है। यमुना, बेतवा, केन तथा उसकी सहायक नदियाँ तथा नाले प्रतिवर्ष कॉप का विस्तार करते हैं। 150 मी0 की समुच्च रेखा इस मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इस मैदान को चार उपविभागों में रखा जा सकता है :- (अ) कटी-पिटी पेटी (ब) जालौन का मैदान (स) हमीरपुर का मैदान (द) बाँदा का मैदान।

जलवायु :

मण्डल प्रदेश के दक्षिणांचल में विन्ध्यांचल पर्वत श्रेणियों की पश्चिम में बसा है। फलस्वरूप यहाँ गर्मी में भीषण गर्मी 48 से0ग्रेट तक तथा सर्दी में अत्यधिक ठंड 47 से0ग्रेट तक तापक्रम पहुँच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में रात सुहावनी होती है। बाँदा जनपद में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा लू अधिक दिनों तक चलती है। जून का महीना बहुत गर्म, सूखा और झुलसाने वाला होता है। जिससे तापमान बढ़ जाता है। मध्य जून के पश्चात् कुछ पूर्व मानसूनी बौछारें आती हैं, जिससे तापमान गिर जाता है और राहत महसूस होती है। जुलाई

और अगस्त सबसे अधिक वर्षा वाले महीने हैं। अक्टूबर से फरवरी तक मौसम ठंडा व सुहावना रहता है। शीत ऋतु 15 दिसम्बर से प्रारम्भ होती है। राते ठण्डी होती है। कभी-कभी पाला पड़ता है, शीतऋतु में आने वाली वृष्टि रबी खरीफ के लिए लाभदायक होती है। 15 मार्च के उपरान्त तापमान क्रमशः उच्च होने लगता है। इसके बाद का मौसम प्रायः शुष्क रहता है।

वर्षा ऋतु में प्रदेश के अन्य मण्डलों की तुलना में पानी बहुत कम बरसता है। फलस्वरूप यहाँ मई, जून में बहुत गर्मी एवं सर्दियों में अधिक ठण्ड पड़ती है। यहाँ प्रत्येक तीन वर्षों बाद सूखा पड़ता रहता है। मण्डल की वास्तविक वर्षा 843 मि0मी0 तथा सामान्य वर्षा 902 मि0मी0 पायी जाती है।

चूँकि मण्डल के दक्षिण में पर्वत अधिक है अतः उनसे निकलने वाली नदियां वर्षा ऋतु में बाढ़ का कहर भी ढाती है। वर्ष 2001 के अनुसार मण्डल का उच्चतम तापमान 47 से0ग्रे0 तथा न्यूनतम तापमान 2.6 से0ग्रे0 रहा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

जनपद का नाम	उच्चतम तापमान	न्यूनतम तापमान
1. बाँदा	44.4	5.2
2. चित्रकूट	47.0	2.6
3. हमीरपुर	47.0	2.6
4. महोबा	44.4	5.2

स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा

वनस्पति/वन सम्पदा :

पारिस्थितिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड एक अपक्रमित क्षेत्र है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के वन मध्य प्रदेश से सटे हुये तथा विन्ध्याचल पहाड़ के किनारे है। भूमि के नीचे की चट्टान विन्ध्याचल पर्वत के प्रकार सैण्ड स्टोन और स्वायल है। मिट्टी की परत पथरीली और कम गहरायी वाली है तथा थोड़े दिनों के लिए अत्यधिक जाड़ा पड़ता है। यहाँ अनेक किस्म के छोटे-छोटे पेड़ पाये जाते हैं जिनसे बल्ली तथा जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है।

इस क्षेत्र में यमुना, केन और उनकी सहायक नदियों के किनारे रेतीली भूमि में छोटे-छोटे पेड़ तथा कांटेदार झाड़ियों के अतिरिक्त कोई और वनस्पति नहीं पायी जाती है। वन क्षेत्रों का जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

जनपद का नाम	हेक्टेयर
बाँदा	4113
चित्रकूट	3511
हमीरपुर	24507
महोबा	14741
योग	14756

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा अर्थ एवं संख्या प्रभाग चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा

चित्रकूटधाम मण्डल के जंगलों में बबूल, महुआ, तेंदू आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तेन्दू की पत्ती का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। जंगल क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक भाग ईंधन के लकड़ी वाले वृक्षों के अन्तर्गत है। बाँदा जनपद में शीशम, महुआ, आम, बबूल आदि की लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा आदि जनपदों में जंगली लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।

चित्रकूटधाम मण्डल का कुल प्रतिविदित क्षेत्रफल 1558151 हेक्टेयर है और यहाँ के वनों का क्षेत्रफल 46929 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल प्रतिविदित क्षेत्रफल का 7.59 प्रतिशत वन है।

मिट्टी :

मण्डल के मिट्टियों में विविधता पायी जाती है। सुविधा के लिए यहाँ की मिट्टी को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। (क) उच्च भूमि की मिट्टियां (ख) निम्न क्षेत्रों की मिट्टियां, जिन्हें लाल व काली मिट्टियों में वर्गीकृत किया गया है। (ग) नदीकृत मिट्टियां।

उच्च भूमि की मिट्टियां विन्ध्य पठार में पायी जाती है। ये अपने पैतृक चट्टान के ऊपर विकसित है। बाँदा जनपद में इन्हें पाठा मिट्टियां कहते हैं। इनके अन्तर्गत निर्धन प्रकार की पडुवा, मार और काबर मिट्टियां है। इनके कणों की संरचना क्लेलोम से लेकर बलुवा लोम तक दृष्टिगत होती है।

निम्न प्रकार की मिट्टियों के अन्तर्गत मार, काबर, पडुवा और राकड़ मिट्टियां है। ये अपनी पैतृक चट्टान के ऊपर विकसित है तथा आंशिक रूप से अपनाइट मिट्टियां है। मार चूना युक्त मिट्टी है जो काले रंग की होती है। इसमें यत्र-तत्र काकर मिट्टी मिली होती है। जिस कारण उसमें वायु प्रवेशनीयता बढ़ जाती है। यह मिट्टी अधिक समय तक नमी धारण करने में सक्षम है। अतः गेहू, चना तथा गन्ना के लिए उपयुक्त है। काबर भी मार मिट्टी की तरह है तथा छोटे-छोटे चप्पों के रूप में मण्डल में पायी जाती है।

लाल मिट्टियां अपने पैतृक ग्रेनाइट और नीश चट्टानों के ऊपर विकसित हुई है विशेषकर झाँसी जनपद में। पूर्वीय बुन्देलखण्ड में यह बलुवा पत्थर के साथ मिली हुई है। इनका लाल रंग नीश चट्टानों पर गहरा तथा लौहांश मात्रा के अनुसार क्रमशः भूरा, चाकलेटी, पीला और पाण्डु है। पडुवा, लाल और पीली मिट्टी से बनी हुई बुन्देलखण्ड की महत्वपूर्ण मिट्टी है। नदीकृत मिट्टियां बड़े रवे से लेकर छोटे रवे वाले क्ले प्रकार की मिट्टियां है। सरकारी तौर पर इसे तरी, कछार और राकड़ वर्गों में विभक्त किया गया है। नदी तटों की मिट्टी को कछार तथा उच्च क्षेत्र की मिट्टी को राकड़ कहते हैं।

खनिज-सम्पदा :

चित्रकूटधाम मण्डल में कोई महत्वपूर्ण खनिज उत्पाद नहीं है। मण्डल में बाँदा, चित्रकूट, महोबा में ग्रेनाइट पत्थर व फ्लेग स्टोन एवं जनपद बाँदा एवं हमीरपुर में मोरम भारी मात्रा में पायी जाती है, जिससे वार्षिक लगभग दस करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। यहाँ की मोरम व ग्रिट सड़क व भवन निर्माण कार्यों के उपयोग में लायी जाती है।

इस मण्डल में मुख्य खनिज हमीरपुर जनपद में पापरोफ्लाइट सिलेनाइट एवं ग्रेनाइट पाये जाते हैं। बाँदा जनपद में बाक्साइड एवं सिलेकासेंड पायी जाती है। इसके साथ-साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले अन्य खनिज जैसे- पत्थर, बालू आदि प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। खनिजों का जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

जनपद बाँदा में इमारती पत्थर निकाला जाता है तथा मिट्टी तोड़ने का कार्य भारी मात्रा में किया जाता है। चित्रकूट में उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थर से मिट्टी बनाने की इकाईयां कार्यरत हैं तथा पयस्वनी नदी की रेत भी निर्माण कार्य के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जनपद के बरगढ़ क्षेत्र में काँच बनाने वाली सिल्का सैण्ड प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। हमीरपुर में गौरिहार में गौरा पत्थर (पाइरोफ्लाट) भारी मात्रा में उपलब्ध है।

महोबा जनपद में ग्रेनाइट पत्थर से मिट्टी बनाने के क्रेसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह मिट्टी सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु प्रयोग में लायी जाती है।

वन्य जीव :

वन्य जीवन के अन्तर्गत सभी प्रकार के गैर पालतू पशु-पक्षी आते हैं। यमुना नदी में मगर और घड़ियाल पाये जाते हैं। किसी समय केन नदी में मगर पाये जाते थे लेकिन जलराशि कम होने के कारण विलुप्त हो गये हैं। पक्षी वर्ग में मोर, हरे तोते, गौरैया, सारस, सामान्य पक्षी हैं। यमुना, बेतवा, धसान, केन, बागे नदियों में महासीर और गुलाबी सुन्दर मछलियां पायी जाती हैं। महासीर मछली प्रायः पाँच किलो की होती है। बचुवा नैनी, मृगलाला, बैकरी, रोहू, करोची, टंगरा, ग्वाली, वाची, पढ़िन, अनवरी और चीलिदा नामक मछलियां भी इन नदियों में पायी जाती है। इनका स्थानीय उपभोग किया जाता है तथा क्षेत्र के बाहर भी भेजी जाती है।

जल संसाधन

चम्बल, सिन्ध पहुज, बेतवा, केन, धसान, पयस्वनी आदि उद्गम स्रोते होते हुये भी विन्ध्य शैल समूह को जल विहीन माना जाता है। जल आपूर्ति मण्डल की अत्यन्त जटिल समस्या है। वर्षा ऋतु में विप्लवी, बाढ़ जान और माल की भीषण हानि करती है। वहीं जल ग्रीष्म में विपत्ति का कारण बन जाता है। सूखा पड़ जाने पर दुर्भिक्ष मनुष्य और घरेलू पशुओं की मृत्यु का कारण बन जाता है। यह स्थिति दैवीय प्रकोप नहीं, मानवीय उपेक्षा का एक ज्वलन्त उदाहरण है। पर्यावरणीय निम्नीकरण द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक असन्तुलन तथा उपलब्ध जल संसाधन के विकास में उदासीनता ही वर्तमान जलाभाव का मुख्य कारण है। मण्डल में औसतन 70000 लाख टन घन मीटर पानी प्रति वर्ष वृष्टि द्वारा उपलब्ध होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि इसका अधिकांश भाग तेज प्रवाह के साथ निकल जाता है और जो भाग भूमिगत हो जाता है उसके बारे में किसान को जानकारी नहीं होती।

केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के भौमजल सांख्यिकी सन् 1985 के अनुसार बुन्देलखण्ड में 131021 लाख घन मीटर भौम जल प्रतिवर्ष उपलब्ध रहता है। इस विशाल भण्डार में केवल 14355 लाख घन मीटर जल का ही उपयोग किया जाता है। शेष 116666 लाख घन मीटर प्रतिवर्ष अछूता ही रह जाता है। पूरी क्षमता का 10.95 प्रतिशत

ही उपयोग में लिया जाता है। विभिन्न जनपदों में 3.2 से 31.1 ही भौम जल का उपयोग प्रतिवर्ष होता

पठारी क्षेत्र भी बुन्देलखण्ड में प्राप्त है। चित्रकूट क्षेत्र के इसी शैल समूह में गुप्त गोदावरी, हनुमानधारा, कोटितीर्थ, देवागंना, बाँके सिद्ध आदि जल स्रोत हैं। अनुसुइया नामक स्रोत से ग्रीष्मकालीन जल प्रवाह 84950 ली0 प्रति मिनट है। चित्रकूट जनपद के पाठा क्षेत्र में गत सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 से लेकर 200 मी0 बालू की तह के नीचे चूने के शैल समूह में अटूट भौम जल का भण्डार है। यहाँ नलकूपों का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्ष उपरान्त भी यह क्षेत्र उपेक्षित है। ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर अपनी विकसित नहर प्रणाली है। यहाँ नहरों की कुल लम्बाई 1193 कि0मी0 है। नहरों के साथ-साथ यहाँ पर 460 राजकीय नलकूप हैं और 139443 व्यक्तिगत नलकूप व हैण्डपम्प हैं।

केन नहर प्रणाली यहाँ की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और जगह-जगह पर यहाँ लिफ्ट नहर प्रणाली भी विकसित की गयी है। राजकीय नहरों, राजकीय एवं व्यक्तिगत नलकूपों के द्वारा कुल 121000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।[1]

चित्रकूटधाम मण्डल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

चित्रकूटधाम मण्डल सदैव से महिमा मंण्डित रहा है इसलिए इसका नाम वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, ऐतिहासिक ग्रन्थों में और साहित्यिक ग्रन्थों में अंकित है। अनेक अभिलेख व स्तम्भलेख व शैल चित्र इस क्षेत्र में उपलब्ध हुये है। जिनसे इतिहास में तथा विश्व के इतिहास में एक रोशनी डालता है। यह क्षेत्र कौशल राज, चेदी देश, युद्ध देश, ब्रजदेश, डाहाल और बुन्देलखण्ड का अंग रहा है। ब्रिटिश पत्रावलियों में चित्रकूट मण्डल के चार जनपद चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, महोबा, पूर्वी बुन्देलखण्ड के नाम से विख्यात है। इस तपोभूमि में अनेक यौद्धाओं को जन्म दिया। आल्हा-ऊदल इसी तपोभूमि के रत्न थे। बाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास और पद्माकर, जगनिक, ईश्वरी एवं खेत सिंह राकेश जैसे महाकवि इसी धरती में उपजे और फले-फूले बीरबल और तानसेन भी इसी धरती के रत्न रहे। 1857 की प्रथम स्वतन्त्रता की क्रान्ति में यहाँ के लोगों को अवसर प्रदान किया कि वे

---

1. सामाजिक आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2000-01, राज्य नियोजन संस्थान अर्थ एवं संख्या प्रभाग चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा, उ0प्र0

इसमें भाग लें, लोगों ने वैसा किया भी। स्वतन्त्रता के द्वितीय समर में भी यहाँ के हजारों व्यक्तियों ने भाग लिया और वे जेल भी गये।

अत्यन्त प्राचीन काल लगभग 50,000 वर्ष पूर्व केन, बेतवा, पयस्वनी, बागे चम्बल तथा इनकी सहायक नदियों के तटों पर कोल, गोड़ पुलिंद, शबर, बहेलिया, कौन्दरा, गुरिन्दा सौर आदि जातियां स्वतन्त्रतापूर्वक घने वनों में निवास करती थी। इनका आहार बनोपज, शहद, कंदमूल, फल-फूल तथा वन्य पशु थे। इनका सामाजिक जीवन पशुवत था। इस प्रकार के पाषण कालीन अस्त्र सागर, ललितपुर, पन्ना, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर आदि जनपदों में नदियों के किनारे भारी मात्रा में प्राप्त है। हड़प्पा संस्कृति (5000 ईसापूर्व) के अवशेष तैयार (महोबा) में पाषाण खण्ड, मिट्टी के बर्तन के रूप में प्राप्त हैं। चरखारी के समीप भी इस सम्पदा के चिन्ह प्राप्त होने की संभावना है।

इस मध्यप्रदेश का आर्यीकरण लगभग तीन हजार ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक भगवान परशुराम के काल में वर्तमान राजापुर, हमीरपुर तथा काल्पी के यमुना तट प्रवेश से प्रारम्भ माना जा सकता है। इसी काल में आदिकवि बाल्मीकि, अत्रि-अनुसुइया, अगस्त्य, सुतीक्षण, मार्कण्डेय, भरद्वाज, शरभंग, पाराशर, वेदव्यास आदि के आश्रम जलाशय (नदी), पर्वत, उपत्यकाओं में स्थापित थे। समस्त आश्रम विद्या एवं आर्य संस्कृति के केन्द्र बिन्दु थे। ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित वसु या कसु चैद्य का विवरण प्राप्त है। जो चेदि वंशी राजा था तथा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त था। रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ यमुना पार कर चित्रकूट प्रदेश में प्रविष्टि हुये। उन्होंने अपने वनवास के 11-12 वर्ष आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुये व्यतीत किये। श्री राम चन्द्र जी के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती को यह प्रदेश प्राप्त हुआ था। उनकी राजधानी कुशावती (शुक्तिमती) केन नदी के तट पर था।

द्वापर युग में चेदि प्रदेश राजा शिशुपाल तथा दंतवक के अधीन था। दोनों ही श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। शिशुपाल की राजधानी चंदेरी तथा दक्षिणी प्रदेश में केन नदी के तट पर स्थिति शुक्तिमती थी। युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित 12 वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास इसी प्रदेश में व्यतीत किया। स्वर्गवाह (कालिंजर), चित्रकूट का भ्रमण किया। बाँदा जनपद में यत्र-तत्र विराट नगर के स्थानों से सम्बन्धित गाँवों के नाम

आज भी दृष्टिगत हैं। गउवों की चारागाह तथा पालन के लिए यह क्षेत्र प्रख्यात था। शिशुपाल के वधोपरान्त श्रीकृष्ण को अपमानित करने के लिए स्थानीय खाईपार (बाँदा) उपानहों (जूतों में) मुकुट प्रतीक सम जड़ित करने की परम्परा आज भी विद्यमान है। चेदि सं0 (249 ईसा पूर्व) प्रारम्भ में कालिंजर पर चेदिवंश का अधिकार था। 290 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक लगभग समूचा बुन्देलखण्ड गुप्त राजाओं के अधिनस्थ था। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्रत्यक्षतः उनके आधीन था जिसका मुख्यालय बीना नदी पर स्थित ऐरकेण (ऐरन) था। शेष बुन्देलखण्ड नागो और वाकाटकों के अधीन था। इस काल में वैष्णवातारों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। नाग, वाकाटक और गुप्तवंशी शासकों ने शिव, सूर्य और विष्णु की अनेकानेक मूर्तियां स्थापित की। राजापुर (चित्रकूट) में चतुर्मुखी शिव की तीन मूर्तियां एक मुखलिंग, कालिंजर (बाँदा) में साहस्त्रलिंग, एकमुखी शिवलिंग इसी काल की देन है। बुद्धगुप्त (सन् 477-99 ई0) का शासन बाँदा जनपद में था। तोरमाण ने बुन्देलखण्ड पर सन् 485 ई0 में आक्रमण किया। गुप्त सम्राटों ने हूणों को पराजित किया किन्तु इनकी शक्ति क्षीण हो गयी।

गुप्त वंश के पतन के साथ देश अनेकानेक स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया। मातृविष्णु ने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। खजुराहो में अपनी राजधानी बनायी और उसे अनेक विष्णु मंदिरों से सजाया। कालिंजर अभिलेख के अनुसार 5वीं सदी के अन्त तक कालिंजरवंशी कल्चुरियों का शासन था। उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कल्चुरी नरेश कृष्ण राज प्रथम ने कालिंजर पर अधिकार कर कालिंजरपुराधीश्वर तथा दहाला-विडंगा की उपाधि ग्रहण की।

कन्नौज के प्रतिहार नरेशों ने कल्चुरियों से सत्ता छीन ली। सागर जनपद सं0 919 वि0 में कन्नौज के अधीन था। नागभट्ट ने कौशाम्बी के वत्स नरेशों को पराजित कर बाँदा जनपद का पूर्वी भाग प्राप्त कर लिया। नागभट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वाक्पति ने पिता के पद को 870 ई0 तक स्वीकार किया। वाक्पति का ज्येष्ठ पुत्र जयक्ति सन् 870 ई0 में पिता के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। छोटा भाई विजयशक्ति सहयोगी था। विजयशक्ति के पुत्र राहिल (890-910 ई0) ने प्रतिहारों को युद्धों में सहायता की। उसने अपनी पुत्री नन्दा देवी का विवाह कल्चुरी नरेश कोकल्ल प्रथम से तथा पुत्र हर्ष का विवाह शाकम्भरी की चौहान राजकुमारी कंचुका के साथ किया। राहिल के पुत्र हर्ष के प्रतिहारों के

अन्तर्कलह में भाग लेकर अपने समर्थक महिपाल (क्षितिपाल) को राजा बनाकर स्वतन्त्र रूप से राजा बन गया। उसने महोबा के निकट राहिल नगर बसाया। रसिन (बाँदा) का परकोटा निर्माण कर उसे नगर का रूप प्रदान किया। वह प्राचीन संस्कृति (रसिकेन) विद्या का केन्द्र था। चंदेलों के अधिकार क्षेत्र में धसान नदी के पूर्व का प्रदेश तथा विन्ध्यांचल पर्वत के उत्तर और पश्चिम का भू-भाग था। राहिल ने महोबा में विशाल महोत्सव आयोजित कर नगर का नाम महोत्सव नगर (महोबा) रखा।

यशोवर्मन (सन् 430-950 ई0) एक महान योद्धा था। वे अपनी दिग्विजय की योजना कार्यान्वित करके कन्नौज की सारी श्री (सम्पदा) और गरिमा लाकर महोबा में स्थिर कर दी। यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव सन् 950 ई0 में गद्दी पर बैठा अपने प्रतिहारों से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। धंगदेव के बाद उसका पुत्र गंडदेव (999-1025 ई0) में राजा बना।

गंडदेव (999-1025 ई0) धंग का पुत्र उसी के समान प्रतापी राजा था। वह दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने महमूद गजनवी के आक्रमणों को रोकने के लिए जयपाल से सहायता ली लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। विद्याधर (1025-1040) गंडदेव के बाद गद्दी पर बैठा उसने कन्नौज के प्रतिहारों से द्वाब प्रदेश छीन लिया। कालान्तर में सन् 1029 ई0 में महमूद की वापसी के बाद गांगेयदेव चेदि ने बाँदा जनपद का पूर्वी भाग तथा कालिंजर अपने आधीन कर लिया। महोबा में कीर्तिसागर, खुदवाया, खजुराहो में शान्तिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित करायी। देवगढ़ का नाम कीर्तिगिरी इसी ने रखा। सलक्षण वर्मा ने सन् 1100-10 ई0 तक शासक पद संभाला। उसने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा सलक्षणपुर बसाया। उसमें गजलक्ष्मी एवं महिषासुर की मूर्तियां दर्शनीय हैं।

सलक्षण वर्मा और परमर्दिदेव के बीच जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा तथा मदन वर्मा चंदेल शासक बने। मदन वर्मा ने मदनपुर गांव बसाया, जतारा, महोबा तथा आहार में मदन सागर खुदवाये। आहार में मदनेश्वर का विशाल मंदिर तथा महोबा में ककरामठ तथा नेमीनाथ मंदिर बनवाये। परमर्दि वर्मा (परमालदेव) सन् 1165 ई0 में गद्दी में बैठा। उसने महोबा से ही शासन चलाया। महोबा में जैन मूर्ति प्रतिष्ठित करायी। प्रसिद्ध वीर आल्हा भाई ऊदल तथा पुत्र इंदल अजेय योद्धा थे। कुंडार में खूब सिंह खंगार नायब किलेदार थे। माहिल (परमार्दि वर्मा का साला) ने चुगली कर आल्हा-ऊदल को महोबा से निष्कासित करा

दिया। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचन्द्र का आश्रय लिया। अजमेर दिल्ली नरेशः पृथ्वीराज चौहान को माहिल ने आक्रमण का निमंत्रण दिया। सन् 1182 ई0 में माहौनी (उरई) में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुयी वह महोबा मदनपुर आदि को लूटता हुआ दिल्ली लौट गया। इस आक्रमण से परमालदेव की शक्ति को कमजोर बना दिया। सन् 1202 ई0 को उसकी मृत्यु हो गयी। सन् 1203 ई0 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया और किला जीत लिया।

त्रिलोकवर्मन ने सन् (1203-45) शाही सेना के वापस होते ही कालिंजर पर अधिकार कर लिया। सन् 1233 ई0 में मलिक नसिरुद्दीन तौसी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। जीत कर शाही निशानात ले गया। त्रिलोकवर्मन ने बड़गांव (कटनी) में सोमनाथ (शिव) तथा विष्णु मंदिर बनवाये। त्रिलोकवर्मन के उपरान्त वीरवर्मा, भोजवर्मा, हम्मीरवर्मा का उल्लेख प्राप्त है। हम्मीरवर्मा ने हमीरपुर बसाया। इसके उपरान्त चन्देल शासकों की स्थिति क्रमशः गिरती गयी। चंदेल सत्ता का अन्त सन् 1310 ई0 में प्रायः हो गया।

16वीं सदी से बुन्देलखण्ड के इतिहास का एक नया अध्याय आरम्भ होता है। सन् 1531 ई0 में बुन्देलों की राजधानी ओरछा बन गयी। राजा रुद्रप्रताप के 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम कीरतशाह है। कृष्ण कवि के अनुसार वह कालिंजर के किलेदार थे। शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर सात माह तक डेरा डाला तो चंदेलों की जगह बुन्देली सेना ने उनका मुकाबला किया। मुकाबले में शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया और उसने कालिंजर किला अपने दामाद बिजली खां को सौंप दिया था। रीवां के शासक रामचन्द्र देव ने कालिंजर की किलेदारी सूबेदार से प्राप्त कर ली।

सम्राट अकबर ने सन् 1569 ई0 में कालिंजर का किला राजा रामचन्द्र बघेले से प्राप्त कर इलाहाबाद सूबे के अन्तर्गत कर दिया। सम्राट अकबर ने वीर सिंह के विरुद्ध सन् 1579-80 तथा 1519 में मुगल सेना भेजी। वीरसिंह ने सम्राट अकबर और राजकुमार सलीम के अन्तर्विरोध का लाभ उठाया। सन् 1602 ई0 में अब्दुलफजल की दक्षिण भारत से वापसी पर उनकी हत्या कर दी। अकबर ने एक विशाल सेना उसके खिलाफ भेजी जिससे वीरसिंह को भागना पड़ा। सम्राट अकबर की मृत्यु सन् 1605 ई0 में हो गयी। सलीम (सम्राट जहागीर) ने उन्हें सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड का राजा बना दिया। सम्राट

जहागीर की मृत्यु के बाद राजा जुझार सिंह ने सम्राट शाहजहाँ को कर देना बन्द कर दिया। शाहजहाँ बुन्देलों की अजेयता से कुण्ठित होकर राजा जुझार सिंह और दीवान हरदौल के बीच षड़यन्त्र रचा और हरदौल को खाने में विष मिलाकर खिलाया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। वीर चम्पतराय की जागीर शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह के हस्तक्षेप से ओरछा नरेश पहाड़ सिंह ने प्राप्त कर ली। इस पर खिन्न होकर चम्पतराय ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का समर्थन किया।

उत्तराधिकार युद्ध में चम्पतराय के सहयोग से औरंगजेब विजयी हुआ। सन् 1707 ई0 सम्राट औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो गयी। उनके उत्तराधिकारी मुअज्जम (बहादुरशाह) ने छत्रसाल को लोहगढ़ अभियान में सहयोग के लिये आमंत्रित किया। सम्राट बहादुर शाह की मृत्यु के बाद सैय्यद बन्धु शक्तिशाली हो गये। कई अल्पकालीन शासक आये और चले गये। मुहम्मदशाह के शासनकाल में मुहम्मद खां बंगश शक्तिशाली हो गया। छत्रसाल ने उसके अधिकृत क्षेत्र पर आक्रमण किया तो बंगश सन् 1726 ई0 में सेहुँडा, बाँदा होते हुए जैतपुर की ओर बढ़ा। अनेक बुन्देल राजाओं ने बंगश को सहयोग दिया लेकिन पराजित होकर उसे भागना पड़ा। छत्रसाल ने उसे सकुशल लौट जाने दिया। छत्रसाल का देहावसान 12 मार्च सन् 1731 ई0 को हो गया। उन्होंने राज्य के तीन भाग कर दिये। ज्येष्ठ पुत्र हृदयशाह को पन्ना, मऊ, शाहगढ़, गढ़ाकोटा, कालिंजर, सहित प्रदान किया। जगतराज को जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, बिजावर, बाँदा सहित प्रदान किया। छत्रसाल के राज्य की वार्षिक आय 1 करोड़ रु0 से अधिक थी।

बुन्देलखण्ड जिला बनाया गया इसका मुख्यालय बाँदा रहा। आगे चलकर उत्तरी और दक्षिणी बुन्देलखण्ड नामक दो जिले (बाँदा, हमीरपुर) बन गये। द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान पिण्डारियों के आक्रमण से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में धन और जन की भयंकर क्षति हुई। तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध सन् 1818 ई0 में समाप्त हो गया। सन् 1838 ई0 में गोविन्द राव को राज्य व्यवस्था देखने में असमर्थ मानकर जालौन का प्रबन्ध अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। झाँसी के राजा रामचन्द्र राव निःसंतान मर गये। अनेक उत्तराधिकारियों को अस्वीकार कर गंगाधर राव को राजा मान लिया गया। इनका विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ।

झाँसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु सन् 1853 ई0 में हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने 23 मार्च, 1858 ई0 को झाँसी किले पर आक्रमण किया। रानी के तोपची गुलाम गौस खां ने वीरता से मुकाबला किया। लेकिन अंत में रानी को झाँसी किले से भागना पड़ा। बाँदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय भी 20 अप्रैल को पराजित होकर काल्पी की ओर बढ़े लेकिन पुनः युद्ध में पराजित होकर वे इन्दौर बढ़ गये। रानी ने सिंधिया की सेना को हराकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर की सेना अंग्रेजी सेना के सहयोग से ग्वालियर पर आक्रमण किया और आक्रमण में रानी का सिर कट गया और रामचन्द्रराव ने रानी का शव एक झोपड़े में रखकर अग्नि प्रदीप्त कर दी तथा स्वयं दामोदर राव को लेकर फरार हो गया।

सन् 1862 ई0 में गोद निषेध प्रथा समाप्त हो गयी राजाओं को अधीनस्थ संधि के अन्तर्गत सहयोगी बना लिया गया। संधि वाली रियासतें दतिया, समथर थी तथा सनद वाली पन्ना, चरखारी, बिजावर, अजयगढ़, छतरपुर, बावनी आदि 27 राज्य थे। 1817 ई0 में राजाओं का वर्गीकरण सैल्यूटेड (तोपों की सलामी वाले राज्य) स्टेट्स संख्या 10 तथा शेष बिना सलामी वाले हो गये। सन् 1886 ई0 में सागर, दमोह, शाहगढ़, सेन्ट्रल प्राविन्सेज से मिला दिये गये। झाँसी, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, ललितपुर यूनाईटेड प्राविन्सेज में शामिल किये गये। करैरा, पिछोर, ग्वालियर (सिंधिया) में मिल गये। शेष राज्यों को यथावत् सन् 1947 ई0 तक कायम रखा। 1948 ई0 को 34 राज्यों की व्यवस्था हेतु बुन्देलखण्ड इकाई बनी। इसका मुख्यालय नौगांव रखा गया। प्रथम प्रधानमंत्री श्री कामता प्रसाद सक्सेना ने 4 अप्रैल, 1948 ई0 में शपथ ली।[1]

कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां दृष्टव्य है, जिनसे यहाँ का इतिहास उजागर होता है। ये निम्नलिखित हैं :-[2]

तिथियां	घटनायें
620 ईसा पूर्व	मड़फा और कालिंजर में महात्मा बुद्ध का बाँदा आगमन और यहाँ से साँची के लिए जाना।
620 ईसा पूर्व	जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के जैन धर्म का प्रचार मड़फा और कालिंजर में ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध।

1. वर्मा डॉ0 महेन्द्र, बुन्देलखण्ड का इतिहास, सुशील प्रकाशन मेरठ।
2. बाँदा दर्पण 2005, बाँदा जनपद एवं इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रष्ठ : 12-15

324 ईसा पूर्व	बाँदा एवं चित्रकूट मण्डल का मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत होना।
240 ईसा पूर्व	विभिन्न राज्य के अन्तर्गत चित्रकूट मण्डल व बाँदा जनपद का होना। कण्व वंश, शुंग वंश, शकों कुषाणों तथा हूणों के प्रभाव में बाँदा जनपद का होना।
320 ईसा पूर्व से लेकर 477 ईसा पूर्व तक	इस समय गुप्त साम्राज्य का प्रभाव चित्रकूट मण्डल में रहा और यहाँ अनेक मूर्तियां, अभिलेख और मुद्रायें उपलब्ध हैं।
606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक	इस समय चित्रकूट मण्डल और बाँदा जनपद सम्राट हर्षवर्धन के आधीन रहा। चीनी यात्री युवान च्वांग अथवा व्हेनसांग का भारत विवरण चीनी यात्री ईत्सिंग का भारत विवरण आदि ग्रन्थों में चित्रकूट मण्डल एवं बाँदा जनपद का उल्लेख।
647 ईसा पूर्व से लेकर सन् 200 तक	गुर्जर, प्रतिहारों एवं चंदेलों का प्रभाव एवं कल्चुरियों का प्रभाव।
सन् 640 ईसा पूर्व	इस सन् में कालिंजर पर चंदेलवंशीय नरेशों का अधिकार हो गया था। क्योंकि इसके पहले कालिंजर कल्चुरी नरेश कर्ण देव के अधिकार में था।
सन् 1011 ईसा पूर्व	इस सन् में चंदेल नरेश धंगदेव कालिंजर का स्वतन्त्र शासक बन गया।
सन् 1019 में	महमूद गजनवी का आक्रमण और कालिंजर में लूटपाट तथा कालिंजर नरेश से महमूद गजनवी की संधि।
सन् 1165	परमार्दिदेव का कालिंजर नरेश बनना।
सन् 1182	पृथ्वीराज और परमार्दिदेव के मध्य प्रथम युद्ध
सन् 1202	कुतुबुद्दीन का कालिंजर आक्रमण तथा कालिंजर पर तुर्कों का अधिकार होगा।
सन् 1544	शेरशाह सूरी का कालिंजर में आक्रमण तथा उसकी वहीं मृत्यु।
22 मई 1545	शेरशाह सूरी की मृत्यु- तोपखानों में आग लगने के कारण।

1569 अगस्त	सम्राट अकबर का कालिंजर दुर्ग में आक्रमण इस समय कालिंजर में रामचन्द्र बघेला का राज्य था।
सन् 1684	छत्रसाल की मटौंध विजय तथा सैय्यद लतीफ द्वारा धन देकर मुक्ति
सन् 1684	छत्रसाल की कालिंजर पर विजय तथा मानधाता चौबे का किलेदार बनाया जाना।
सन् 1758	गुमान सिंह पुत्र राजा कीरत सिंह बाँदा के राजा घोषित हुये। राजधानी बाँदा तथा फौजी छावनी कालिंजर बनायी गयी।
सन् 1762	अवध में नवाब सिराजुद्दौला के वजीर ने करामात खाँ तथा हिम्मत बहादुर की संयुक्त शक्ति से बुन्देलखण्ड पर संयुक्त सेना का आक्रमण।
सन् 1776	हिन्दूपत का स्वर्गवास होना।
सन् 1781	राजा गुमान सिंह की मृत्यु मधुकर सिंह को राजा बनाया जाना तथा बखतअली को बाँदा की गद्दी दी जाना और नोने अर्जुन सिंह को उनका संरक्षक बनाया जाना।
सन् 1789	अली बहादुर प्रथम बाँदा के नवाब बने।
सन् 1802	अली बहादुर प्रथम बाँदा की कालिंजर में मृत्यु।
सन् 1803	समशेर बहादुर की अंग्रेजों से संधि तथा हिम्मत बहादुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ कपसा में समशेर बहादुर का युद्ध और उसकी पराजय।
10 जनवरी, 1804	समशेर बहादुर को 4 लाख की पेंशन।
सन् 1804	लेफ्टीनेंट बुरेल ने दारसाराम को पराजित किया।
18 जनवरी 1812	अंग्रेजों का कालिंजर दुर्ग पर अधिकार तथा कायम के वंशजों को वहाँ से हटाया जाना।
सन् 1819	बाँदा जनपद पूर्वी बुन्देलखण्ड का मुख्यालय घोषित।
सन् 1823	नवाब शमशेर बहादुर की मृत्यु और जुल्फकार का नवाब बनाया जाना।
सन् 1849	जुल्फकार बहादुर की मृत्यु और अली बहादुर द्वितीय को नवाब बनाया

	जाना।
14 जून, 1857	बाँदा नवाब को स्वतन्त्र शासक घोषित किया जाना और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का शुभारम्भ
15 जून, 1857	ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट कुकरैल कर्वी का खजाना लेकर बाँदा आना क्रान्तिकारियों द्वारा इसका वध। इसी दिन जेल में बन्द स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जेल से मुक्त किया जाना।
17 जून, 1857	बाँदा नवाब अली बहादुर द्वारा गौ वध पर प्रतिबन्ध।
23 सितम्बर, 1857	कुँवर सिंह का 2000 सैनिकों के साथ बाँदा आगमन।
अप्रैल, 1858	जनरल हिटलक की सेना का बाँदा आगमन।
17 अप्रैल, 1858	कबरई पर हिटलक की विजय।
19 अप्रैल, 1858	गोयरामुगली में अंग्रेजों की सेना से बाँदा की सेना का युद्ध 800 योद्धाओं का मारा जाना।
6 जून, 1858	हिटलक की कर्वी पर विजय।
8 जून, 1858	गिरफ्तार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास दिया जाना। बाँदा नवाब को हल्का दण्ड तथा 25000 की पेंशन देकर इंदौर में बाया जाना। नारायण राव को आजीवन कारावास और बाद में क्षमादान तथा बरेली में 25000 पेंशन देकर बसाया जाना।
सन् 1908	लाला लाजपत राय का बाँदा आगमन तथा दयानन्द अनाथालय का शुभारम्भ।
सन् 1914	प्रथम विश्वयुद्ध के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती किया जाना। बेंदा, जसपुरा, साथी, कर्वी में स्वराज की प्रेरणा के लिए प्रस्तर लेख।
सन् 1920	कांग्रेस कमेटी की स्थापना। सत्याग्रही पत्र का प्रकाशन तथा विदेशी वस्तुओं की होली। रामलीला मैदान, महेश्वरी देवी चौक, कोतवाली के सामने जलायी जाना। गयागंज में कांग्रेस अधिवेशन पं0 जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास दण्डन का आगमन।
सन् 1929	इस वर्ष सविनय अवज्ञा आन्दोलन का शुभारम्भ। महात्मा गाँधी,

	सरोजनी नायडू, जे0वी0 कृपालानी का बाँदा आगमन, चिल्ला बाँदा, कर्वी और मटौंध में प्रार्थना सभा का आयोजन।
सन् 1930	नमक आन्दोलन का शुभारम्भ कर्वी के घूस मैदान में 65 लोगों को गिरफ्तार किया जाना तथा इसी समय चन्द्रशेखर आजाद का बाँदा आवास। छोटी बाजार और बन्योटा में मास्टर प्रसाद गोपी नेता और रामगोपाल गुप्त विशारद के संरक्षण में रहे।
सन् 1941	द्वितीय विश्व युद्ध का शुभारम्भ तथा भारत छोड़ों आन्दोलन में चित्रकूट मण्डल में 2954 गिरफ्तार।
15 अगस्त, 1947	भारत आजाद, बाँदा में सर्वत्र खुशी की लहर

चित्रकूटधाम मण्डल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि :

सामाजिक :

स्त्री शिक्षा के विकास के मूल्यांकन को प्रदर्शित करना इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है। इसके निमित्त कई घटक है जिसका मूल्यांकन किया जाना अत्यावश्यक है। जब तक शोध कार्य सामाजिक और आर्थिक कार्य से निरुपित नहीं होता तब तक समाज के लिए वह अपूर्ण है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य एक प्रयास है। चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा के स्तर में अध्ययन हेतु उन सभी पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिनका संबंध स्त्री के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर से संबंधित ही, विशेष कर चित्रकूटधाम मण्डल के क्षेत्र में।

चित्रकूटधाम मण्डल सामाजिक पृष्ठभूमि के अवलोकन करने पर ग्रामीण स्तर पर जातियों के संगठन का विशेष महत्व है। चित्रकूटधाम मण्डल की सामाजिक पृष्ठभूमि के अवलोकन करने पर ग्रामीण स्तर पर जातियों के संगठन का विशेष महत्व है। ग्रामों में एकल/संयुक्त परिवार का होना है। प्रत्येक परिवार समुदाय से सम्बन्धित होता है जिससे कि वे समझौता करता है चाहे गांव हो या एक छोटा भाग। यदि समाज में कोई

व्यक्ति दोषी है तो उस दोषी व्यक्ति को ही दण्डित किया जाता है कि न कि सम्पूर्ण जाति को। वहीं दूसरी ओर अत्यन्त गंभीर मामले जो कि एकाधिक ग्रामों से सम्बन्धित होते है उनका निवारण एक महापंचायत करती है। उस पंचायत में सम्बन्धित ग्रामों के प्रतिनिधि होते हैं।

मण्डल के सामाजिक मूल्यों, परम्पराओं, विश्वासों तथा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का यहाँ की शिक्षा पर प्रबल प्रभाव पड़ा। यहां की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को एक ओर जहाँ भौगोलिक स्थितियों ने प्रभावित किया है। वहीं साामजिक स्थिति के प्रभाव से भी अछूती न रह सकी। इस क्षेत्र में मूल रुप से हिन्दु धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। ये हिन्दू आबादी कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं :- उच्च्य जाति के मनुष्यों का निम्न जाति के औरतों से विवाह करना तथा परिवार के कुछ सदस्यों का कुछ विशिष्ट व्यवसायों या नौकरियों को अपनाना। हिन्दुओं में संयुक्त परिवार की परम्परा है जिसमें रहकर सदस्य अपने आपको सामाजिक दायरे में विशेष सुरक्षित अनुभव करता है। परिवार का मुखिया घर की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है। विभिन्न समस्याओं (यथा- बीमारी, विवाह, सामाजिक कार्य आदि) ये सभी सम्मिलित रूप से साथ रहकर उनके निराकरण हेतु प्रयास करते हैं।

यहां का समाज जाति आधारित समाज है जैसे प्राचीन समय से हिन्दुओं में जाति व्यवस्था के अनुसार ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के रुप में समाज को विभाजित किया गया है। वह लोग ब्राह्मण होते हैं जो कि समाज में ज्ञान की छटा बिखेरते हैं इनका मुख्य पेशा पुरोहिती रहा है जिसके लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए इस जाति के लोग अधिकांशतः शिक्षित होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जो समाज की सुरक्षा का दायित्व उठाते हैं पारम्परिक तौर पर यह लोग शासक एवं योद्धा होते हैं और वर्तमान परिवेश में राजनीतिज्ञ जिनका कर्तव्य सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। इसके बाद समाज का वह अंश आता है जो कि आर्थिक जगत से सम्बन्धित हैं। यह लोग व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक प्रतिष्ठानों से जुड़कर अर्थव्यवस्था बनाते हैं उन्हें वैश्य समाज कहते हैं। अन्ततः अन्य सभी

व्यक्तियों को शूद्र समुदाय कहा जाता है जो सेवादार होते हैं। इस प्रकार से प्रथम तीनों समूह बौद्धिक समूह, अध्यात्मिक, राजनैतिक एवं उत्पादकता समूह और चतुर्थ समूह इन तीनों समूहों की सेवा का कार्य करते हैं। मण्डल में धर्म के आधार पर विवाह की परम्परा सजातीय है। ब्राम्हण वर्ग के व्यक्ति अपनी ही जाति में विभिन्न घटकों में जैसे- कान्यकुब्ज, जुझौतिया, सनाढ्य, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन पंडित, भार्गव और सरयूपारीण में ही शादी करते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय- भदौरिया, कछवाह, हाड़ा, तोमर, दिखित, चौहान, सेंगर, गौर, परिहार आदि में विवाह करते हैं। वैश्य व शूद्रों में भी अपने वर्ग की जातियों में ही विवाह करते हैं। गहोई वैश्य का इस क्षेत्र में बाहुल्य हैं।

मध्य वर्ग में लोधी, अहिर, काछी, कुशवाहा, लुहार, सुनार, माली, भाट, नाई व कुर्मी आदि हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं। आर्थिक रुप में सम्पन्न हैं किन्तु इनका भोजन उच्च वर्ग ग्रहण नहीं करता। अस्पृश्य वर्ग में चमार, बसोर, मेहतर, कोलभील, कोरी, गिरिजन आदि जातियाँ हैं जिनका स्पर्श हो जाने पर स्नान करना पड़ता है। ये जातियाँ गाँव के एक किनारे निचले हिस्से में रहती हैं। उच्च जातियां भी कई उपजातियों में विभक्त हैं। उनमें भी ऊँच-नीच के भाव विद्यमान हैं। ब्राम्हण एवं वैश्य सात्विक भोजन करते हैं। मुसलमान एवं ईसाई भी अस्पृश्य है, उनका छुआ पानी भी नहीं पीते है। महाराष्ट्रियन भी पूर्णरुपेण घुल-मिल नहीं पाये। ब्राम्हणों में भी आठ कन्नौजिया, नौ चूल्हे की हास्यास्पद स्थिति थी। व्यापार और लेन-देने में वैश्यों का एकाधिकार है। निम्न जातियाँ अछूत, अधिकारहीन और दास वृत्ति का जीवन व्यतीत करने को बाध्य रही। मण्डल में मुस्लिम समुदाय आबादी की दृष्टि से अल्पमत में है किन्तु सामाजिक ताने-बाने में वह एक-दूसरे के बहुत निकट हैं। सभी मुस्लिम दो प्रमुख समुदाय में विभक्त हैं - शिया व सुन्नी।

मण्डल के लोग अंधविश्वासों, रुढ़ियों तथा प्राचीन रुढ़ियों के प्रति संलग्न हैं। यहाँ की कु-प्रथाओं ने यथा- बाल-विवाह, अस्पृश्यता, आर्थिक कट्टरता, पर्दा प्रथा आदि के कारण भी स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत न्यूनतम है। यहाँ के अधिकांश लोग भूत-प्रेत, चुड़ैल व जादू आदि में भी विश्वास करते हैं। इस प्रकार से धार्मिक प्रथाएं व कर्मकाण्ड

काफी उलझे हुये हैं। साधारणतयाः मुस्लिम पवित्र कुरान में दर्शाये गये धार्मिक जीवन का अनुसरण करते है। एक भक्त मुसलमान से आशा की जाती है कि वह दिन में पांच बार नमाज़ अदा करे और 'रमजान' माह के दिनों में व्रत का अनुष्ठान करें। हिन्दू सामाजिक संरचना मण्डल का एक विशाल समूह है और इसके लिए नित्य पूजा-अर्चना हेतु कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसे लोग जो नित्य मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं वह कम हैं। परन्तु विशिष्ट समारोहों और धार्मिक दिनों में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में वृद्ध लोग ही नित्य पूजा-अर्चना में स्वयं को समर्पित करते हैं इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के समारोहों का आयोजन होता है- जातीय समारोह, ग्रामीण समारोह और पारिवारिक समारोह। भोज व व्रत हिन्दू धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। साल भर त्यौहारों का क्रम चलता है। ग्रामीण समारोहों के अलावा कृषि हेतु विभिन्न अनुष्ठान किये जाते है जो कि जाति विशेष से संबंधित होते है। शेष त्यौहार और धार्मिक समारोह सभी हिन्दू परिवारों में मनाये जाते हैं।

आर्थिक :

चित्रकूटधाम मण्डल की अधिकांश जनता आर्थिक रुप से पिछड़ी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये उद्योगों का विकास आर्थिक विकास कर प्रमुख द्योतक है परन्तु मण्डल इस दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मण्डल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज उत्पादन व कृषि उत्पादन पर आधारित है जमीन ऊबड़-खाबड़ एवं पथरीली होने की वजह से प्रति एकड़ औसत उपज भी सामान्य है। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है जो कि अनिश्चित है। मण्डल जहां कृषि क्षेत्र में पिछड़ा है वहीं औद्योगिक प्रगति में भी अन्य मण्डलों से पीछे है। कृषि के विकास के लिये सिंचाई एक प्रारम्भिक आवश्यकता है, भूमि के दृष्टिकोण से मण्डल काफी समृद्ध है, किन्तु मण्डल का दुर्भाग्य है कि यहाँ कि कृषि अधिकांश वर्षा पर निर्भर रहती है फलतः असमायिक वर्षा के कारण विकसित एवं सघन कृषि विधियों तथा रासायनिक उर्वरा का सफल प्रयोग सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य, खेती समतली करण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है किन्तु मण्उल का दुर्भाग्य है कि

यहां जितना पानी बरसता है वह नालों एवं नदियों में सब बह जाता है। ग्राम का पानी ग्राम में रोककर उसका उपयोग कृषि में किया जाये तभी खाद्यान्न में वृद्धि सम्भव है।

मण्डल में वृहद उद्योग के रुप में जनपद बांदा में कताई मिल है जो पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ा है। बांदा जनपद में धान से चावल बनाने के छोटे उद्योग एवं स्टोन क्रेसर प्लान्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस जनपद में इमारती पत्थर निकाला जाता है तथा गिट्टी तोड़ने का कार्य भारी मात्रा में किया जाता है। ये गिट्टी मकानो में निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में क्रेसर लगाये जाते हैं तथा देश के विभिन्न स्थानों में ट्रक द्वारा भेजकर इसका व्यापार किया जाता है।

जनपद चित्रकूट में लकड़ी से खिलौने बनाने के कारखाने कार्यरत हैं। इस जनपद में उपलब्ध गेनाइट पत्थर से गिट्टी बनाने की इकाईयाँ कार्यरत हैं तथा पयस्वनी नदी की रेत भी निर्माण कार्य के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जनपद के बरगढ़ क्षेत्र में कांच बनाने वाली सिल्का सैण्ड प्रचुर मात्रा में पायी जाती है।

जनपद हमीरपुर में चांदी की मछली एवं पीतल की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जनपद के ग्राम गौरिहार में गौरा पत्थर (पाइरो फ्लांट) भारी मात्रा में उपलब्ध है। जनपद महोबा में उद्योगों के नाम पर ग्रेनाइट पत्थर से गिट्टी बनाने के कारखाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह गिट्टी सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु प्रयोग में लायी जाती है।

मण्डल में जनपद चित्रकूट जनपद हमीरपुर तथा महोबा में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम की इकाईयाँ कार्यरत हैं। मत्स्य पालन सुविधाओं की दृष्टि से चित्रकूटधाम मण्डल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, नदियाँ, नहरें एवं ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे तालाबों के रुप में उपलब्ध है। सभी उद्योगों की दृष्टि से यह मण्डल काफी पिछड़ा है। यहां पर लकड़ी, फल संरक्षण एवं फिनाइल, सीमेण्ट की जाली, एल्यूमिनियम के बर्तन, साफ्टवेयर उपकरण, चमड़े के पर्स इत्यादि उद्योगों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। बढ़ती आबादी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बावजूद पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने शिक्षित बेरोजगारों, पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार के अवसर सृजित करने

तथा ग्रामीण अंचल में फैली वन सम्पदा के सद् उपयोग हेतु मत्स्य पालन कार्यक्रम जैसे बहुआयामी कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण बाहुल्य कार्यक्रम प्रशस्त करने तथा आर्थिक स्थिति में सुधार में पर्याप्त सहायक हो सकता है।

सांस्कृतिक :

चित्रकूटधाम मण्डल बुन्देलखण्ड कला का केन्द्र रहा है। जहाँ मंदिरों की मूर्तिकला विश्व को आश्चर्यन्वित कर देती है। आज भी दुर्ग, प्रसाद, मंदिर के भग्नावशेष मौन साधक की तरह मीन वाणी में अपने चरमोत्कर्ष की यशोगाथा का वर्णन गुन गुनाते हैं। इसी पवित्र वसुन्धरा पर खजुराहो, देवगढ़, अजयगढ़, चन्देरी तथा ग्वालियर आदि पुरातत्व तथा स्थापत्य केन्द्रों और चित्रकूट, ओरछा, कालिंजर, अमरकण्टक, सोनागिरि, सूर्य मंदिर, उन्नाव (बालाजी) आदि तीर्थों का सम्मिलन हुआ है। जो समस्त विश्व के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण की वस्तु है। चित्रकूट मण्डल में धार्मिक मंदिर स्थित है। भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक चेतना के आधार पर धार्मिक मंदिर हैं जिनके द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुन्देलखण्ड/चित्रकूट ऋषियों की उज्जवल तपोभूमि है। नारद और सनकादि ऋषियों की भी यह तपोभूमि रही है। बुन्देलखण्ड का बाघाट नामक ग्राम महाभारत में वाकट नाम से विख्यात है। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य की जन्मभूमि यही ग्राम है। बुन्देलखण्ड के तीर्थ स्थल ओरछा एवं उन्नाव बालाजी (झाँसी) विश्व विख्यात हैं, जहाँ हजारों दर्शनार्थियों तथा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ के मुख्य दर्शनीय देवालयों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है- शिव मंदिर (झाँसी), गणेश मंदिर (झाँसी), रघुनाथ मंदिर (झाँसी), लक्ष्मी का मंदिर (झाँसी), शारदा मंदिर (मैहर), कुण्डेश्वर शिव मंदिर, सूर्य मंदिर (दतिया), नीलकण्ड महादेव (कालिंजर), रामराजा का मंदिर (ओरछा), कालपी का किलाघाट का मंदिर (कालपी), चतुर्भुज भगवान का मंदिर (ओरछा), श्री रामलला का मंदिर (कोंच) वीरसागर (पृथ्वीपुर), राम जानकी मंदिर (पन्ना) मार्कण्डेयेश्वर का मंदिर (राठ), संकटमोचन मंदिर (बाँदा) कालीदेवी

मंदिर (बाँदा), अराध्य देवी विन्ध्यवासिनी (बाँदा), कामदगिरि मंदिर (चित्रकूट), गुप्त गोदावरी (चित्रकूट) आदि है।

चित्रकूट मण्डल के लगभग समस्त स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराओं से ओत-प्रोत है और इन्हें प्राकृतिक घटनाओं का आलौकिक वरदान प्राप्त है। अतएव बुन्देलखण्ड के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का अस्तित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल इस प्रकार है :- झाँसी का ऐतिहासिक दुर्ग, बुन्देलखण्ड प्रवेश द्वार (कालपी), विराट राठ (हमीरपुर), महत्वशाली महोबा (महोबा), कुलपहाड़ (हमीरपुर), कालिंजर बाँदा, कामदगिरि (चित्रकूट), अराध्य देवी विन्ध्यवासिनी (बाँदा), चित्रकूट (चित्रकूट) आदि।

त्यौहार, पर्व और मेलों के द्वारा हमारे धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वरूप पर नियन्त्रण होता है। ये केवल एक मनुष्य पर निर्भर नहीं होते किन्तु इनका आयोजन सम्मिलित रूप से होता है। इसमें विभिन्न मनुष्य सम्मिलित होकर इसे मनाते हैं और आनन्द प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात होता है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की परम्परा तीज, त्यौहार, पर्व और मेले हैं और ये ही पूर्वजों की गाथाओं की स्मृति हैं। वैभवपूर्ण चित्रकूट मण्डल में भू-भाग में तीज, त्यौहार, पर्व और मेले का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित होता है। ये ऋतु परिवर्तन पर मनाये जाते हैं। यहाँ के तीज, त्यौहार, पर्व और मेले की विवेचना ऋतुओं के आधार पर की गयी है।[1]

चैत्रमास के तीज, त्यौहार, पर्व और मेले :- भाईदूज, गनगौर का पूजन, नव दुर्गा, रामनवमी।

बैशाख मास :- अक्षय तृतीया, यह त्यौहार बैशाख शुक्ल तृतीय को सोल्लास मनाया जाता है, इसे अक्ति अथवा अक्तीज भी कहते हैं।

ज्येष्ठ मास :- बरसात तथा सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी।

अषाढ़ मास :- गुरु पूर्णिमा

श्रावण मास :- सावन-तीज, नागपंचमी, कजलियां, रक्षाबन्धन।

भाद्रपक्ष मास :- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका व्रत, गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव, मोराई छठ, सन्तान सप्तमी, जल विहार, अनन्त चतुर्दशी।

---

1. बुन्देलखण्ड दर्शन, शारदा साहित्य कुटीर 86 पुरानी नझाई, झाँसी।

आश्विन मास :- पितृपक्ष, महालक्ष्मी, मामुलिया, नव दुर्गा, दशहरा, शरद पूर्णिमा।

कार्तिक मास :- करवा चौथ, धनतेरस, गोवरधन, देवोत्थानी एकादशी, बैकुंठी चतुर्दशी, कार्तिक स्नान।

आगहन मास :- संकटा चतुर्थी व्रत, श्रीकाल भैरव जयन्ती, राम विवाह पंचमी।

पौष मास :- मकर संक्रान्ति व्रत, लोहड़ी।

माघ मास :- बसन्त पंचमी

फाल्गुन मास :- शिवरात्रि, होलिकोत्सव, रंग पंचमी।

जनसंख्यात्मक विवरण

इस भू-भाग के असमान धरातलीय बनावट के कारण जनसंख्या के घनत्व में गहन विषमता है। जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है और जमीन उपजाऊ है, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अपेक्षाकृत अन्य स्थानों से अधिक है। बुन्देलखण्ड व चित्रकूटधाम मण्डल की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। लेकिन अब- धीरे-धीरे ग्रामवासी नगरों की चकाचौंध से प्रभावित हो रहे हैं :-

सन् 1951 में बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या

सन् 1951 की जनगणना के आधार पर तालिका 4.1 में संभाग के जनपदों की जनसंख्या दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 4.1

1951 में सम्भाग की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या
झाँसी	8,77,607	6,64,355	2,13,252
बाँदा	7,90,247	7,31,445	58,802
जालौन	5,55,239	4,66,797	88,442
हमीरपुर	6,65,429	5,90,731	74,698
संभाग का कुल योग	28,88,522	24,53,328	4,35,194

स्रोत- सम्बन्धित जिलों का जनगणना सार पत्र - 1951

सारिणी क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण संभाग की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत झाँसी, 27.2 प्रतिशत बाँदा, 19.5 प्रतिशत जालौन, 23.3 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में निवास करता था। संभाग के प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या झाँसी जनपद में 76 प्रतिशत, बाँदा जनपद में 93 प्रतिशत, जालौन में 84 प्रतिशत, हमीरपुर में 89 प्रतिशत जनसंख्या थी। इसकी शेष प्रतिशत जनसंख्या प्रत्येक जनपद में नगरीय क्षेत्र में निवास करती थी। सम्पूर्ण संभाग में कुल जनसंख्या 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 15 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करती थी।

सन् 1961 में बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या

सन् 1961 की जनगणना के आधार पर संभाग में विभिन्न जनपदों की जनसंख्या 4.2 पर दी गयी सारिणी में दर्शायी गयी है।

4.2 सारणी से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या के 31.5 प्रतिशत झाँसी जनपद में, 27.2 प्रतिशत बाँदा में, 18.7 प्रतिशत जालौन व 22.6 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में निवास कर रहे थे। लिंगानुसार विवरण से स्पष्ट होता है कि झाँसी जनपद में 52.75 प्रतिशत, बाँदा में 52.48 प्रतिशत, जालौन में 53,03 व हमीरपुर जनपद में 51.97 प्रतिशत पुरुष थे प्रत्येक जनपद में क्रमशः बकाया प्रतिशत की स्त्रियां थीं। सम्पूर्ण संभाग में 52.55 प्रतिशत पुरुष और 47.45 प्रतिशत स्त्रियां थीं। ग्रामीण क्षेत्र में झाँसी में 76.16 प्रतिशत, बाँदा में 93.34 प्रतिशत, जालौन में 87.23 प्रतिशत और हमीरपुर जनपद में 91.62 प्रतिशत लोग निवास कर रहे थे। पूरे संभाग में से अवशिष्ट प्रतिशत के लोग नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे थे। पूरे संभाग में 18.45 प्रतिशत लोग साक्षर थे। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 29.47 था स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 6.2 प्रतिशत था। झाँसी जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 20 था। इनमें पुरुषों में 30.5 प्रतिशत और स्त्रियों में 8.3 प्रतिशत साक्षरता थी। बाँदा जनपद में पूरी साक्षरता 14.8 प्रतिशत थी। जालौन जनपद में कुल 22.8 प्रतिशत लोग साक्षर थे। जबकि इसमें 35.6 प्रतिशत पुरुष और 8.3 प्रतिशत स्त्रियों में साक्षरता थी। हमीरपुर जनपद में कुल साक्षरता की प्रतिशतता 6.2 थी। इस जनपद में 26.6 प्रतिशत पुरुष और 5.0 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी।

सारिणी क्रमांक 4.2

सन् 1961 में संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	पु0 जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत
झाँसी	10,87,479	5,73,703	5,13,776	8,28,312	2,59,167	20.0	30.5	8.30
बाँदा	9,53,731	5,00,573	4,53,158	8,90,270	63,461	14.8	25.2	3.42
जालौन	6,63,168	3,15,704	3,11,464	5,28,499	84,674	22.8	35.6	8.30
हमीरपुर	7,94,449	4,12,917	3,81,532	7,21,896	66,553	16.2	26.6	5.00
योग	34,98,827	18,38,897	16,59,930	30,24,972	4,73,855	18.45	29.47	6.20

स्रोत- सम्बन्धित जिलों की 1961 की जनगणना सार पत्र

सन् 1971 में बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या

सन् 1971 की जनगणना के आधार पर संभाग के विभिन्न जनपदों का जनसंख्यात्मक विवरण अंग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 4.3

सन् 1971 में संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	पु0 जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत
झाँसी	13,07,058	6,98,563	6,08,495	9,85,761	3,21,297	25.00	35.60	12.70
बाँदा	11,82,215	6,31,912	5,50,303	10,84,259	97,956	18.39	29.31	5.08
जालौन	8,13,490	4,37,972	3,75,518	7,01,666	1,11,824	27.40	40.20	12.40
हमीरपुर	9,88,215	5,26,115	4,62,100	8,90,259	97,956	20.20	31.10	7.80
योग	42,90,978	22,94,562	19,96,416	36,61,945	6,29,033	22.74	34.50	9.50

स्रोत- सम्बन्धित जिलों की 1971 की सेन्सस रिपोर्ट

सारिणी 4.3 से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 30.46 प्रतिशत झाँसी जनपद में, 27.55 प्रतिशत बाँदा जनपद में, 18.06 प्रतिशत जालौन में तथा 23.03 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में निवास कर रहे थे। लिंगानुसार सम्पूर्ण

संभाग में 53.47 प्रतिशत पुरुष थे झाँसी, बाँदा, जालौन और हमीरपुर जनपदों में पुरुषों की प्रतिशतता क्रमशः 53.44, 53.45, 53.83 और 52.23 प्रतिशत थी शेष प्रतिशत की स्त्रियां थी। संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 85.34 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा था। झाँसी जनपद में 95.41 प्रतिशत, बाँदा जनपद में 91.71 प्रतिशत, जालौन में 86.25 प्रतिशत और हमीरपुर जनपद में 90.08 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे थे। शेष प्रतिशत के लोग नगरों में निवास कर रहे थे। पूरे संभाग में 22.75 प्रतिशत लोग साक्षर थे संभाग में ही पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 34.5 और स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 9.5 था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत कम था। झाँसी जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 25 था इसमें 35.6 प्रतिशत पुरुष और 12.7 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित थी। बाँदा जनपद में कुल 18.39 प्रतिशत लोग साक्षर थे उसमें 29.31 प्रतिशत पुरुष और 5.08 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी। जालौन जनपद में कुल 27.4 प्रतिशत साक्षर थे इस जिले में 40.2 प्रतिशत पुरुष और 12.4 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थीं। हमीरपुर जनपद की 20.2 प्रतिशत आबादी साक्षर थी। इस जिले के 31.1 प्रतिशत पुरुष और 7.8 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थीं। सभी जनपदों में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम था। सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत जालौन जनपद में और सबसे कम बाँदा जनपद का था।

सन् 1981 में बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या

सन् 1981 की जनगणना के आधार पर संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्यात्मक विवरण अग्राकिंत सारिणी में अंकित है :-

सारिणी क्रमांक 4.4

सन् 1981 में संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	पु0 जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत
झाँसी	11,37,031	6,08,428	5,28,603	7,05,677	4,31,354	37.05	50.67	21.38
ललितपुर	5,77,648	3,10,854	2,66,794	5,00,646	77,002	21.34	31.11	9.96
बाँदा	15,33,990	8,22,816	7,11,174	13,52,905	1,81,085	23.30	35.99	8.61
जालौन	9,86,238	5,37,017	4,49,221	7,89,786	1,96,452	35.90	50.20	19.00
हमीरपुर	11,94,168	6,43,292	5,50,876	9,95,772	1,98,396	26.31	38.04	11.57
योग	54,29,075	29,22,407	25,06,668	43,44,786	10,84,289	28.93	41.78	13.95

स्रोत- सम्बन्धित जिलों की 1981, सेन्सस रिपोर्ट

सारिणी से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या का 20.94 प्रतिशत झांसी जनपद में, 10.63 प्रतिशत ललितपुर जनपद में, 28.25 प्रतिशत बांदा जनपद में, 18.16 प्रतिशत जालौन में और 21.99 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में निवास कर रहे थे। लिंगानुसार पूरे सम्भाग में 53.80 प्रतिशत पुरुष थे। झांसी जनपद में 11.20 प्रतिशत, ललितपुर में 5.72 प्रतिशत, बांदा जनपद में 15.15 प्रतिशत, जालौन में 9.79 प्रतिशत और हमीरपुर में 11.84 प्रतिशत पुरुष थे। शेष प्रतिशत की स्त्रियां थी। संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 80.02 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही थी। झांसी में 12.99, ललितपुर में 9.22, बांदा जनपद में 24.91, जालौन में 14.51 और हमीरपुर में 18.34 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। शेष प्रतिशत के लोग नगरों में निवास कर रहे थे। संभाग की कुल जनसंख्या में 28.93 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिनमें से 41.78 प्रतिशत पुरुष और 13.95 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। झांसी जनपद में कुल साक्षरता प्रतिशत 37.05 था। जिसमें पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 50.67 था जबकी स्त्रियों का 21.38 प्रतिशत था। ललितपुर जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 21.34 था जिसमें से पुरुषों का प्रतिशत 31.11 और स्त्रियों का प्रतिशत 9.96 था। बांदा जनपद में कुल 23.30 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें

से 35.99 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे तथा 8.61 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी। जालौन जनपद में कुल 35.90 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 50.20 तथा स्त्रियों का 19.00 प्रतिशत था। हमीरपुर जनपद में 26.31 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें से 38.04 प्रतिशत पुरुष और 11.57 प्रतिशत स्त्रियां थी। लगभग सभी जनपदों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत कम था। साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत झांसी में और सबसे कम ललित पुर का था।

सन् 1991 में बुन्देलखण्ड संभाग की जनसंख्या

सन् 1991 की जनगणना के आधार पर संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्यात्मक विवरण अग्राकिंत सारिणी में अंकित है :-

सारिणी क्रमांक 4.5

सन् 1991 में संभाग के विभिन्न जनपदों की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	पु0 जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल साक्षरता प्रतिशंत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत
झाँसी	14,29,698	7,67,430	6,62,268	8,63,342	5,66,356	51.99	67.32	33.95
ललितपुर	7,52,043	4,03,685	3,48,358	6,46,495	1,05,548	32.12	45.23	16.62
बाँदा	18,62,139	10,11,230	8,50,909	16,22,718	2,39,421	37.33	53.06	17.90
जालौन	12,19,377	6,66,865	5,52,512	9,50,180	2,69,197	50.72	66.21	31.60
हमीरपुर	14,66,491	7,96,448	6,70,043	12,11,846	2,54,645	41.71	57.86	22.07
योग	67,29,748	36,45,658	30,84,090	52,94,581	14,35,167	42.77	57.94	24.42

स्रोत- भारतीय जनगणना, 1991

सारिणी क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड सम्भाग की जनसंख्या का 21.24 प्रतिशत झांसी जनपद में, 11.17 प्रतिशत ललितपुर जनपद में 27.67 प्रतिशत बाँदा जनपद में, 18.11 प्रतिशत जालौन जनपद में और 21.79 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में निवास कर रहे थे। लिंगानुसार पूरे संभाग में 54.17 प्रतिशत पुरुष थे। झाँसी जनपद में 21.05 प्रतिशत, 11.07 प्रतिशत ललितपुर जनपद में, बाँदा जनपद में 27.74 प्रतिशत, जालौन जनपद में 18.29 व हमीरपुर में 21.85 प्रतिशत पुरुष थे। शेष प्रतिशत की स्त्रियां

थी। संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 78.67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे थे। झाँसी में 16.30 प्रतिशत, ललितपुर में 12.21, बाँदा जनपद में 30.65, जालौन में 17.95 व हमीरपुर जनपद में 22.89 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। संभाग की कुल जनसंख्या में 42.77 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें से 57.94 प्रतिशत पुरुष व 24.42 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता कम थी। झाँसी जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 51.99 था जिसमें पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 67.32 था जबकि स्त्रियों का 33.95 प्रतिशत था। ललितपुर जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 32.12 था जिसमें पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 45.23 व 16.62 स्त्रियों का प्रतिशत था। बाँदा जनपद में कुल 37.33 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें 53.06 प्रतिशत पुरुष और 17.90 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी। जालौन में कुल 50.72 प्रतिशत साक्षर मे से 66.21 प्रतिशत पुरुष व 31.60 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी तथा हमीरपुर में 41.71 प्रतिशत आबादी साक्षर थी। इस जिले के 57.86 प्रतिशत पुरूष और 22.07 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थी। सभी जनपदों में पुरूषों और स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत पहले की अपेक्षा बेहतर था। सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत झाँसी जनपद में व सबसे कम ललितपुर जनपद का था।

सन् 2001 में चित्रकूटधाम मण्डल की जनसंख्या

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर मण्डल के विभिन्न जनपदों का जनसंख्यात्मक विवरण अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है :-

सारिणी क्रमांक 4.6

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर मण्डल के विभिन्न जनपदों की जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या	पु0 जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत
बाँदा	15,37,334	8,26,544	7,10,790	12,93,316	2,44,018	54.84	69.89	37.10
हमीरपुर	10,43,724	5,62,801	4,79,923	8,69,916	1,73,808	58.10	72.76	40.65
महोबा	7,08,831	3,79,795	3,29,036	5,53,552	1,54,895	54.23	66.83	39.57
चित्रकूट	7,66,225	4,09,178	3,57,047	6,89,665	76,560	66.06	78.75	59.28
योग	40,56,114	21,79,318	18,76,796	3,40,6449	6,49,281	58.30	72.05	63.28

स्रोत- भारतीय जनगणना, 2001

सारिणी 4.6 से ज्ञात होता है कि चित्रकूटधाम मण्डल में जनसंख्या का 37.90 प्रतिशत बाँदा जनपद में, 25.73 प्रतिशत हमीरपुर जनपद में, 17.47 प्रतिशत महोबा जनपद में व 18.89 प्रतिशत चित्रकूट जनपद में निवास कर रहे है। लिंगानुसार पूरे मण्डल में 53.72 प्रतिशत पुरुष है। बाँदा जनपद में 37.93 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 25.87 प्रतिशत, महोबा जनपद में 17.43 प्रतिशत तथा चित्रकूट जनपद में 18.78 प्रतिशत पुरुष हैं, शेष प्रतिशत की स्त्रियां हैं। संभाग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 83.98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र व 16.0 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। बाँदा जनपद में 37.97, हमीरपुर जनपद में 25.53, महोबा जनपद में 16.25 व चित्रकूट जनपद में 20.25 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। शेष प्रतिशत के लोग नगरों में निवास कर रहे हैं। संभाग की कुल जनसंख्या में 58.30 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जिसमें से 72.05 प्रतिशत पुरुष व 63.28 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत कम है लेकिन पहले की अपेक्षा स्थिति बेहतर दिखाई देती है। बाँदा जनपद में कुल साक्षरता प्रतिशत 54.84 है जिसमें 69.89 प्रतिशत पुरुषों का है जबकि स्त्रियों का 37.10 प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 58.10 है जिसमें से पुरुषों का प्रतिशत 72.76 व स्त्रियों का 40.65 प्रतिशत है। महोबा जनपद में कुल 54.23 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जिसमें 66.83 प्रतिशत पुरुष साक्षर तथा 39.57 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। चित्रकूट जनपद में कुल 66.06 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जिसमें पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 78.75 तथा स्त्रियों का 59.28 प्रतिशत है। लगभग सभी जनपदों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत कम है। साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत चित्रकूट जनपद में व सबसे कम महोबा जनपद में है।

चित्रकूटधाम मण्डल का क्षेत्रफल और जनसंख्या का घनत्व

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर संभाग के जनपदों का क्षेत्रफल और उनमें जनसंख्या के घनत्व को अग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है :-

सारिणी क्रमांक 4.8

जनपद	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)
बाँदा	4418.1	340
हमीरपुर	4316.5	241
महोबा	2849.6	249
चित्रकूट	3205.9	250
योग	14790.1	270

स्रोत- सांख्यिकीय सारांश अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सारिणी से ज्ञात होता है कि बाँदा जनपद का क्षेत्रफल 4418.1 वर्ग किलोमीटर है इसमें जनसंख्या का घनत्व 340 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। हमीरपुर जनपद का क्षेत्रफल 4316.5 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व 241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महोबा जनपद का क्षेत्रफल 2849.6 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व 249 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा चित्रकूट जनपद का क्षेत्रफल 3205.9 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मण्डल का कुल क्षेत्रफल 14790.1 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या का औसत घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है जो कि उत्तर प्रदेश की जनंसख्या के घनत्व 689 तथा भारत की जनसंख्या के घनत्व 324 प्रति वर्ग किलोमीटर की अपेक्षा कम है। इसका प्रमुख कारण कृषि कार्यों के प्रति अवहेलना, औद्योगिक क्षेत्रों का अभाव तथा नगरीकरण की प्रवृत्ति आदि है।

मण्डल की जनसंख्या में विभिन्न धर्म एवं भाषा के लोग निवास करते हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार संभाग में 93.13 प्रतिशत हिन्दू, 6.77 प्रतिशत

मुसलमान, 0.05 प्रतिशत ईसाई, 0.02 प्रतिशत सिक्ख 0.00 प्रतिशत बौद्ध, 0.03 प्रतिशत जैन तथा अन्य धर्मों के लोग 0.00 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मण्डल में हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है और सबसे कम बौद्ध और जैन हैं। इसी प्रकार मण्डल के जनपदों में हिन्दी भाषा बोलने वाले 95.91 प्रतिशत, उर्दू बोलने वाले 3.72 प्रतिशत, पंजाबी बोलने वाले 0.15 प्रतिशत, बंगाली बोलने वाले 0.02 प्रतिशत, सिन्धी भाषा बोलने वाले 0.10 प्रतिशत, मराठी बोलने वाले 0.06 प्रतिशत थे। इसके अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषी लोग 0.02 प्रतिशत थे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस भू-क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप ने यहाँ भी जनसंख्या वितरण में असमानता उत्पन्न कर दी है। जनसंख्या का अधिकतम भाग ग्रामीण अंचलों में निवास करता है जिसमें साक्षरता का अभाव है। इसी अभाव की पूर्ति हेतु स्वतन्त्रोत्तर काल में अनेक प्रयास किये गये हैं किन्तु संतोषजनक उपलब्धियां अभी भी नहीं हो सकी हैं।

शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण

चित्रकूटधाम मण्डल आज भी पर्वतीय अंचलों की भांति पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में यहाँ की भौगोलिक संरचना, सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा जनसंख्यात्मक विवरण तो है ही, किन्तु उन परिवेशों से उसके पिछड़ेपन का आंकलन नहीं किया जा सकता। इस मण्डल में शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धि में बहुत सी बाधायें हैं सर्वप्रथम तो समस्या बच्चों की है जिनको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- एक तो वे जिन्होंने कभी पाठशाला जाने का प्रयत्न ही नहीं किया, दूसरे वे जो किसी तरह विद्यालय में प्रवेश तो पा गये लेकिन अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके। शासन द्वारा संचालित स्कूल भी समस्याग्रस्त हैं न तो उनका भवन ही ठीक है और न ही शैक्षिक उपकरण और जो भी सुलभ है वे इतने जीर्ण-शीर्ण है कि अभिभावकों को आकर्षित नहीं करते। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी पूर्णतया समर्पित नहीं है वे विद्यालय समय में और शेष समय में भी अत्यन्त व्यस्त रहते हैं। इसी तरह की पाठशालायें अशासकीय हैं जिनमें शिक्षण शुल्क का मनमाने तरीके से निर्धारण प्रबन्ध तंत्र द्वारा शोषण तथा अध्यापक-अध्यापिकाओं को उचित वेतन न प्रदान करना आदि समस्याओं से ग्रसित है।

संभाग में निर्धनता भी शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। निःशुल्क शिक्षा भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ का अभिभावक अपने बच्चों को उचित वस्त्र, पेन-पेन्सिल, कागज तथा शिक्षण के अन्य उपकरण जुटाने में असमर्थ हैं। उनकी दयनीय आर्थिक दशा ने उनको शिक्षा से दूर हटा दिया है। जो लोग अपने बच्चों को भोजन नहीं जुटा पाते, भला स्कूल भेजकर किन आशाओं की पूर्ति कर सकेगें।

संभाग की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों में सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रमुख हाथ है। भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार यहाँ क्रियाशील होता नहीं दिखाई देता है। न्यून आय वाले, निम्न जाति के व्यक्ति, स्त्रियां, अनपढ़ कृषक तथा श्रमिक आदि जो अपनी संतानों को इन सामाजिक दुरव्यवस्थाओं के कारण विद्यालय नहीं भेज पाते। यहाँ के लोग अंध विश्वासों, रुढ़ियों तथा प्राचीन रुढ़ियों के प्रति संलग्नता के कारण भी अपनी संतानों को शिक्षा के प्रति सचेष्ट नहीं कर पाते। यहाँ की कुप्रथाओं ने यथा बाल-विवाह, अस्पृश्यता, धार्मिक कट्टरता, पर्दा प्रथा आदि ने अपनी जड़े मजबूत कर ली है। जब तक इन सामाजिक कुरीतियों को समूलतः नष्ट नहीं किया जाता तब तक शिक्षारूपी बीज का अंकुरण कदापि संभव नहीं है।

इस भू-क्षेत्र के पाढ़्यक्रम में और प्रदेश के पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं है। इस स्तर के पाठ्यक्रम को संभागीय परिस्थितियों से अलग नहीं रखना चाहिये। यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रचलित पाठ्यक्रम से नहीं हो पा रही है। इस प्रकार के अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम ने यहाँ के बच्चों की रचनात्मक शक्ति को कुंठित बना दिया है। यहाँ का वातावरण और जलवायु भी कार्यक्रमों में बाधक है। विद्यालयों का पर्यावरण भी स्वस्थ, स्वच्छन्द, और परिष्कृत नहीं है जो छात्रों को आकर्षित कर सके। बच्चे जिस प्रकार के परिवारों से आते हैं उनकी सामाजिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि का तादात्म्य भी विद्यालय के परिवेश से अलग ही रहता है।

अध्याय-पंचम

प्राथमिक शिक्षा (बालिका)

- उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का विकास
- चित्रकूटधाम मण्डल में किये गये स्त्री-शिक्षा के प्रयास
- चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति
- चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन
- चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या
- चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा पर व्यय
- प्राथमिक शिक्षा में प्रति विद्यालय व्यय
- प्राथमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय
- प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना

प्राथमिक शिक्षा :

प्रारम्भिक शिक्षा वह प्रकाश है, जो जीवन के समस्त अन्धकार को दूर कर बालक में पवित्र संस्कारों, भावनाओं, निश्चित दृष्टिकोणों और भावी विचारों को जन्म देता है। जिससे बालक का समस्त जीवन प्रकाशित होता है। भारत वर्ष की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तो प्रारम्भिक शिक्षा का और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा एवं जीवितता के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। मताधिकार का समुचित प्रयोग करने के लिए सामान्य शिक्षा आवश्यक होती है। प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा तो लार्ड मैकाले के शिक्षा सम्बन्धी विचार से ही शुरू हो गयी थी। उसने अपने विवरण पत्र[1] में अंग्रेजी माध्यम से उच्च तथा पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया और प्रारम्भिक शिक्षा की उपेक्षा की। माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा इस स्तर की शिक्षा को सहायता भी कम मिली। 1854 के घोषणा पत्र में इस स्तर की शिक्षा उन्नयन के लिए कहा गया और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक सहायता अनुदान पद्धति विकसित करने की बात कही गयी। 1982 के भारतीय शिक्षा आयोग[2] के प्रस्ताव में कहा गया कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक उन्नति हुयी है। 1904 में लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किये।

सन् 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। राष्ट्रीय भावना जाग्रत होने के कारण इसका तीव्र विरोध किया गया। भारतीय जनता ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की। उसी मांग को लेकर 19 मार्च सन् 1910 को इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव भी रखा, परन्तु उनको इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। 16 मार्च 1911 को गोखले ने प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी बिल प्रस्तुत किया। उनका शिक्षा बिल तो स्वीकृत नहीं हुआ लेकिन इतनी अधिक जागृति आ गयी थी कि यह मांग समाप्त नहीं की जा सकी। साइमन कमीशन द्वारा नियुक्त हर्टाग समिति 1929 ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। सर्वप्रथम इस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर ध्यान आकर्षित किया। 1937 में प्रान्तीय स्वशासन की नींव रखी गयी। इन 11 में से 7 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की सरकार बनी। इसी समय गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात

---

1. जे0पी0 नायक एण्ड सैय्यद नुरुल्ला, हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इंडिया बाम्बे, द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लि0, 1951, पृष्ठ सं0-113
2. डब्ल्यू0डब्ल्यू0 हन्टर, रिपोर्ट ऑफ द इण्डियन एजूकेशन कमीशन, 1882, कलकत्ता गवर्नमेंट प्रिंटिंग, 1882, पृष्ठ सं0-225

किया। इस योजना में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। सन् 1944 में सर जॉन सार्जेन्ट ने 'स्मृति पत्र' केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने रखा। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ठोस सुझाव दिये जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात स्वीकार कर ली गयी।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया है कि "इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति कर निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार में भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारो, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत शिक्षा राज्य का विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई राज्यों में पंचायती राज्य संस्थायें, ग्राम पंचायत, ब्लाक समिति, जिला परिषद स्थापित की गयी और उन्हे शिक्षा का भार सौंप दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था बनायी गयी थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षो के अन्दर 6-14 वय के सभी बालक/बालिकाओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी किन्तु 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह ठीक है किन्तु 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से लेकर अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वैसे हर पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। केन्द्र एवं राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सर्व-शिक्षा अभियान अपनाया है। यह अभियान क्रान्तिकारी है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चे स्कूलों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में होगे। लक्ष्य यह भी है कि 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे 2001 तक पांच वर्षो की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर ले। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति आ जाये कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे वे स्कूल जाना बन्द न कर दे।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, भारतीय संविधान में 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के साथ ही एक ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसके तहत 6-14 वय वर्ग वाले बालक/बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये कार्यक्रमो का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। जहाँ वर्ष 1950-51 में 3075260 बच्चे 34833 प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे। वहीं उनकी संख्या 2004-05 में 129976 विद्यालयों में 26139380 तक पहुँच जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में 84804 अध्ययन शिक्षण कार्य कर रहे थे वही उनकी संख्या वर्ष 2004-05 में 367412 है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में प्रत्येक 300 आबादी और 1.5 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा न उपलब्ध होने पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने एवं 3 कि0मी0 की दूरी तथा 800 आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुये एक त्वरित सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत 9524 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये गये जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। और 4863 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये गये जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों आवश्यकता थी। इस चिन्हांकन के आधार पर प्रदेश के जनपदों में सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृतियाँ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रदेश में 6-14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की गयी है। इस हेतु शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश भाग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर व्यय करने का उद्देश्य है।

शिक्षा कार्य में किन्हीं कारणों से उत्पन्न ह्रास एवं अवरोध को समाप्त करने के लियें वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाने हेतु विद्यालयों की धारणा क्षमता में अभिवृद्धि की जानी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के बालक/बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है। समाज के निर्बल वर्ग शिक्षार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्यक्रम, मध्यान्ह अल्पाहार तथा छात्रवृत्तियाँ की अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक शिक्षा परिवेश में सुधार हेतु नये भवनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने भवनों में सुधार तथा अन्य आवश्यक उपकरणों/शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। गत सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता क्रम में नये विद्यालय खोले जाते है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का विकास :

सन् 1947 में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना उत्तर प्रदेश शासन ने बनायी थी लेकिन धनाभाव के कारण उसे त्यागना पड़ा। 1949-50 में प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार, स्थानीय निकाय और निजी अभिकरणों द्वारा किया जाता था। नवम्बर 1950 में शासनादेश के माध्यम से सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकायों को सौंप दिये गये। इसके पूर्व जिला बोर्ड की शिक्षा समिति विद्यालयों का नियन्त्रण करती थी।

सन् 1950-60 के मध्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गयी। जिसके माध्यम से छात्रों में मूल उद्योग तथा श्रम के प्रति समादर की भावना का विकास हुआ। सन् 1955 में शिक्षा पुर्नव्यवस्था की नयी योजना लागू की गयी। बेसिक शिक्षा को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इस वर्ष पूरे प्रदेश में 7 प्रथमिक विद्यालय खोले गये।[1] सन् 1955-60 के मध्य नवीन योजनाये प्रारम्भ होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का बहुमुखी विकास हुआ। शासन ने 565 प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की। इसी दौरान कक्षा 1 से 3 तक के छात्र-छात्राओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया। भवनों के निर्माण एवं उपकरणों के खरीदने के लिये लिये 1,000 प्रति विद्यालय अनुदान स्वीकृत किया। शासन ने 250 और प्राथमिक विद्यालय खोले। जुलाई 1957 में चतुर्थ एवं पंचम कक्षाओं को भी शुल्क मुक्त कर

1. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश सुपरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (सम्बन्धित वर्षों की)

दिया गया। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सजीवता लाने के लिये शिल्पकला, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक ज्ञान तथा सामान्य ज्ञान को स्थान दिया गया। सन् 1960 में 1,425 विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गयी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये 42 लड़को के तथा 6 लड़कियों के नार्मल स्कूल खोले गये। 80 नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। इस वर्ष 400 स्कूल माताओं की अंशकालिक नियुक्ति की गयी।

वर्ष 1960-70 के मध्य प्राथमिक शिक्षा में विशेष सुधार किये। सन् 1960-65 के मध्य 400 स्कूल माताओं की नियुक्ति करके 72,000 रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की महिला अध्यापिकाओं को निवास की सुविधा प्रदान करने के लिये 9,37,500 रु0 स्वीकृत किये गये।[1] बालिकाओं के 100 प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिये 1,120 आवास गृह निर्मित कराये गये। और ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं को रु0 15, प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित को रु0 10 का मासिक भत्ता देना स्वीकार किया गया। लड़कियों के 3 तथा लड़को के 5 नार्मल स्कूल खोले गये। वर्ष 1965-70 के मध्य उत्तर प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति के कारण 725 बालकों के तथा 500 बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय खोले तथा 10,435 शिक्षक, शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गयी। छात्राओं की सुविधा के लिये 2,500 स्कूल माताओं की नियुक्तियाँ की गयी। निर्धन एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये 24 लाख पुस्तके प्राथमिक कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को दी गयी। प्रदेश में प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक अप्रशिक्षित थे उन्हें पत्राचार पद्धति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान में एक केन्द्र की स्थापना की गयी। राज्य में एच0टी0सी0, जे0टी0सी0 को समाप्त करके बी0टी0सी0 कोर्स लागू किया गया। प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल रखी गयी। इसी वर्ष में 15 अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, 11 उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, 11 सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका एवं 10 प्रति उप विद्यालय निरीक्षको के पदों का सृजन किया गया।

वर्ष 1970-80 में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया। वर्ष 1971-75 तक के शिक्षा सत्र में बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये बेसिक शिक्षा परिषद गठित की गयी। प्रत्येक जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों का सृजन किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क

---

1. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश सुपरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (सम्बन्धित वर्षों की)

पुस्तकों का वितरण किया गया तथा यूनीसेफ एवं एन0सी0आर0टी0 की सहायता से कक्षा की सहायता से कक्षा 3 से ही विज्ञान की शिक्षा नवीन पद्धतियो से दिये जाने की योजना बनायी गयी। सन् 1976-80 के वर्ष पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आते है। बच्चों के घर मैदानी क्षेत्र में 1½ कि0मी0 व पर्वतीय क्षेत्र में 1 कि0मी0 तक की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने की बात कही गयी। वर्ष 1979-80 में मैदानी क्षेत्र के 48 जनपदों तथा पहाड़ी क्षेत्र के 8 जनपदों के ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में क्रमशः 334 तथा 325 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी। 3,33,333 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तके वितरित करने की व्यवस्था की गयी। निर्बल वर्ग के छात्रों में पोशाक वितरण के लिये रु0 40,000 दिये गये।

सन् 1980-90 के दशक में प्राथमिक शिक्षा को सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने के प्रयास किये गये। स्व0 भूत पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी द्वारा इसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर प्रमुखता दिखायी गयी थी। वर्ष 1980-81 में 250 जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 32 विद्यालय नगर क्षेत्र में खोले गये। विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु 8,166 विद्यालयों के अनुदान स्वीकृत किये गये। मैदानी क्षेत्र के 2050 जूनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षण सामाग्री हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये। ह्रास एवं अवरोध को खत्म करने के लिये 1, 2 और 3 कक्षाओं को अलग-अलग न चलाकर समन्वित शिक्षाक्रम में संचालित किया गया। 6-11 वय वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था हेतु 5,600 अंशकालिक केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 1982-86 में प्राथमिक शिक्षण हेतु 74,273 विद्यालय संचालित है। इनमें से 69,053 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5220 नगर क्षेत्रों में स्थित है। इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 2,60,264 में से अध्यापकों की संख्या 202801, अध्यापिकाओं की संख्या 57,463 है। इन विद्यालयों में सम्मिलित संख्या 1-5 तक अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं की सम्मिलित संख्या 1,22,41,817 तथा मात्र बालिकाओं की संख्या 40,23,047 है।[1]

1986-87 में 8 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 171 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने के लिये 1,77,76,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के मैदानी जनपदों के क्षेत्र के 1528 विद्यालयों तथा पर्वतीय क्षेत्र के 440 विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु अनुदान सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को

---

1. शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद (सम्बन्धित वर्षों के)

स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गयी। वर्ष 1988-89 में 372 विकास खण्डों के 26,633 प्राइमरी विद्यालयों को अनुदानित करने हेतु भारत सरकार से 1490.41 लाख रु0 का अनुदान प्राप्त हो चुका है। जिसमें से प्रदेश सरकार ने 1414.19 लाख रुपया स्वीकृत किया है जिसे जनपद को वितरित कर दिया गया है। वर्ष 1989-90 में सामग्री क्रय हेतु 1573.78 लाख तथा 1756 अध्यापकों के वेतनादि हेतु 801.71 लाख कुल 2375.51 लाख रु0 प्राप्त हुआ है। तथा योजनान्तर्गत 1,756 महिला अध्यापकों की मद की स्वीकृति भी भारत सरकार से प्राप्त हुयी है।[1]

वर्ष 1990-91 के मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,270 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 2,76,940 हजार रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है व 8 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 185 मिश्रित नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये।[2]

वर्ष 1992-93 में परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति योजनान्तर्गत 1274 अध्यापकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है। और वेतनादि हेतु 93,37,000 रु0 स्वीकृत है। 1994-95 में मैदानी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2501 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 21,54,09 हजार रु0 का प्रावधान किया गया है। व पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 216 मिश्रित नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 372 विकास खण्डों में 26,633 प्राइमरी विद्यालयों को अनुदानित करने हेतु भारत सरकार से सामग्री क्रय हेतु 1866.57 लाख तथा 2619 अध्यापकों के वेतनादि हेतु 408.62 लाख कुल 2275.19 लाख रु0 प्राप्त हुआ। 1995-96 में प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पोषाहार सहायता सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड-डे-मील) प्रथम चरण में वर्ष में प्रदेश में 38 जनपदों के 248 विकास खण्डों (162 मैदानी तथा 86 पर्वतीय) में लागू की गयी थी। वर्ष 1997-98 में 1,31,29,698 बच्चे योजना से लाभान्वित हो रहे थे।[3]

वर्ष 1997-98 में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 के प्रत्येक 300 आबादी और 1.5 कि0मी0 की दूरी (पर्वतीय

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1988-89, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद पृ0सं0 : 1-6
2. शिक्षा की प्रगति, 1990-1991, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 1990, इलाहाबाद पृ0सं0 : 1-6
3. शिक्षा की प्रगति, 1997-1998, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 1997, इलाहाबाद पृ0सं0 : 1-5

क्षेत्र में 1 कि0मी0) पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध न होने पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने एवं 3 कि0मी0 की दूरी तथा 800 की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुये एक त्वरित सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण के आधार पर 41 जनपदों में 4786 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी। वर्ष 1996-97 में 551 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा करायी गयी तथा 249 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना दशम् वित्त योजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वीकृतियां निर्गत की गयी।[1]

बालिका विद्यालयों में दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के साथ-साथ शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि के लिए भी स्वीकृतियां निर्गत की गयी व इसके लिए 8000 शौचालय व 7657 हैण्ड पम्पों की धनराशि स्वीकृत की गयी। राज्य सरकार विशेष रूप से निर्बल वर्गों/अल्पसंख्यक की शिक्षा के प्रति सजग है। वर्ष 1999-2000 में 9,70,000 प्राथमिक विद्यालयों में 134000,000 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं तथा 3,18,000 अध्यापक इस क्षेत्र में कार्यरत है।

वर्ष 2001-02 में केन्द्र एवं राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण और सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान अपनाया है। यह अभियान क्रान्तिकारी है। इस अभियान के अन्तर्गत 2003 तक सभी बच्चे स्कूलों, शिक्षा आश्वासन केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों अथवा वापस स्कूल चलों शिविरों में होंगे। लक्ष्य यह भी है कि 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे 2007 तक पाँच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2010 तक ऐसी स्थिति आ जाये जो बच्चे स्कूल जाने लगे वे बीच में स्कूल जाना बन्द न कर दें।[2]

सन् 2004-05 प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार योजना :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को यह निर्देश दिये गये थे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी

1. शिक्षा की प्रगति, 1997-98, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 1997, इलाहाबाद पृ0सं0 : 1-5
2. शिक्षा की प्रगति, 2001-02, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2001 इलाहाबाद पृ0सं0 : 1-6

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के रूप में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाये जिसमें कम से कम 8 से 12 ग्राम प्रोटीन एवं 300 कैलारी ऊर्जा हो।

उक्त आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2004 को प्रदेश के उपर्युक्त श्रेणी के सभी विद्यालयों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये। आदेशों के क्रियान्वयन पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु ग्राम स्तर से प्रदेश स्तर तक समितियां निर्मित कर दी गयी है। पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कमेटियों को सौंपा गया है। एतदर्थ रुपये 118.97 करोड़ की धनराशि भी 03 किस्तों में दिनांक 31 अगस्त 2004, दिनांक 28 सितम्बर 2004 एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2004 को निर्गत की गयी है। खाना बनाने के लिए स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाओं आदि की सेवायें प्राथमिकता के रूप में ली जाये। लगभग 88 प्रतिशत विद्यालय में योजना का संचालन सुचारु रूप से प्रारम्भ हो गया है।[1]

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार :

यह पुरस्कार रु0 500 (पांच सौ) प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से प्रदान किया जाता है। प्रासंगिक योजना में मैदानी क्षेत्र के बेसिक परिषदीय ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा-5 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा-8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक/ अध्यापिकाओं को पुरस्कृत करने हेतु मानक के आधार पर जिला स्तर पर विचार किया जाता है।[2]

बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम :

नेपाल सीमा से लगे जनपदों के सीमावर्ती विकास खण्डों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम योजना चलाई गयी है। इस योजना को वर्ष 1999-2000 से संचालित किया गया है। जिसके संचालनार्थ वर्ष 1999-2000 में रु0 18.985 लाख, वर्ष 2000-01 में रु0 57.49 लाख, वर्ष 2001-02 में रु0 18.02 लाख, वर्ष 2003-04 में रु0 171.415 लाख तथा 2004-05 में कुल 180.21 लाख की धनराशि शासन द्वारा प्राप्त हुयी है। जिससे निर्माण कार्य कराया जा रहा है।[3]

---

1. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 7
2. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 8
3. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 9

शिक्षा मित्र योजना :

शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000-01 से प्रारम्भ किया गया है। यह योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, परन्तु इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने हेतु प्रेरित करना मात्र है।

वर्णित योजना में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये शिक्षामित्रों में 88322 को चयनित कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भी स्वीकृत शिक्षामित्रों में से 12754 शिक्षामित्र तथा बी0ई0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत 4722 शिक्षा मित्र अर्थात् सम्प्रति कुल 105798 शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षामित्र को प्रशिक्षण अवधि में रुपया 400 प्रतिमाह एवं शिक्षण कार्य में रुपया 2250/- प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान मई के अन्तिम कार्यदिवस तक के लिए किया जाता है।[1]

वित्तीय वर्ष 2002-03 में शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण एवं उक्त अवधि के मानदेय भुगतान हेतु रु0 17169730 एवं शिक्षण अवधि के लिए रु0 380783270 का आवंटन किया जा चुका है लेकिन वर्ष 2004-05 में शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु रु0 299280000 की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

सघन क्षेत्रीय विकास योजना :

इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग जो शैक्षिक रूप से वंचित है या पिछड़े हुये हैं, उनमें समानता और सामाजिक न्याय के हितों को ध्यान में रखकर योजना संचालित की गयी है। इस योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल रुपया 27089500 की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से 2002-03 तक 596 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। वर्ष 2004-05 के लिए विद्यालयों के अवशेष निर्माण हेतु 904.53 लाख का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृत हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।[2]

---

1. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 9
2. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 10

ग्यारहवां वित्त आयोग :

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्यारहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2000-01 में 718 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण तथा 1724 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण, वर्ष 2001-02 में 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं 862 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण एवं वर्ष 2002-03 में 361 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण और 863 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में ग्यारहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत 1543 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक एवं 3086 सहायक अध्यापकों के वेतन हेतु रु0 5239102201 तथा 867 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा हेतु रु0 56355000 कुल रु0 580265220 की धनराशि नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित है।[1]

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था :

कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालकों में वर्ष 2001-02 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु रु0 55075200 की धनराशि प्राप्त हुयी थी। जिसके प्रति 2061659 छात्र लाभान्वित हुये थे। वर्ष 2002-03 में रु0 59755224 की धनराशि प्राप्त हुयी थी जिसमें प्रति 2202969 छात्र लाभान्वित हुये थे एवं वर्ष 2003-04 में रु0 113800000 की धनराशि प्राप्त हुयी थी जिसमें से रुपया 99349481 की धनराशि व्यय हुयी और 3425758 छात्र लाभान्वित हुये थे। वर्णित योजना में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1-8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी। वर्ष 2004-05 में लगभग 142 लाख बच्चे लाभान्वित हुये।[2]

स्वाधीनता के पश्चात् उत्तर प्रदेश मे सन् 1950- से 2004-05 के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसका विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में अंकित किया गया है। इन 54 वर्षो की अवधि के प्रत्येक दसवें वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, उनमें नामांकन तथा बालक और बालिकाओं के वय वर्ग में प्रतिशत तथा कुल प्रत्यक्ष व्यय को दिखाया गया है। अन्त में वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत दिया गया है। सारिणी

---

1. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 11
2. शिक्षा की प्रगति, 2004-05, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, 2004, इलाहाबाद पृ0सं0 : 12

सारिणी क्रमांक 5.1

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति

मद/वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
विद्यालय संख्या	31,979	40083	62127	70606	77111	86361	88927	104166	119404	129976	2.63
बालिका विद्यालय संख्या	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	-
कुल नामांकन	2727123	3958528	10615722	9368401	11961564	12554938	12901510	17854255	22807000	26139380	4.27
बालिका नामांकन	334948	787660	3867691	2774829	4068501	4478442	4601599	5317800	6034000	12209680	6.89
6 से 11 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत	35.66	44.72	87.82	90.35	94.46	96.82	98.35	97.91	98.46	98.94	1.91
बालकों का प्रतिशत	87.72	80.10	63.57	70.38	65.99	64.33	64.33	70.22	73.54	53.29	-91
बालिकाओं का प्रतिशत	12.28	19.89	36.43	29.62	34.01	35.67	35.67	29.78	26.46	46.71	2.50
कुल शिक्षकों का संख्या	70299	99054	203359	247754	266157	291930	293666	278429	263192	283287	2.61
अध्यापिकाओं की संख्या	5189	11714	32502	44042	57037	69799	70329	66737	63146	113313	5.88
प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या (प्रतिशत में)	55	62	70	82	90	96	97	98	99	98	6.24
कुल व्यय हजार रु0 में	33218	56927	316714	1646506	7886621	36511093	38077295	40897214	46871250	51325781	14.56
कुल प्रत्यक्ष शैक्षिक व्यय (प्रतिशत में)	26.7	25.6	28.3	34.5	50.4	45.6	50.8	55.6	52.9	55.7	8.37

स्रोत : 1. उत्तर प्रदेश की मुख्य सांख्यिकीय, शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2. एजूकेशन इन इण्डिया, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

क्रमांक 5.1 से ज्ञात होता है कि सन् 1950 से 2004-05 तक की अवधि में प्रदेश के अन्दर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या चार गुनी हो गयी है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.63 प्रतिशत है। इस अवधि में बालिकाओं की संख्या कुल विद्यालय संख्या में ही समाहित है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन नौ गुने से ऊपर बढ़ा है। प्रदेश में कुल नामांकन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.27 प्रतिशत की है जबकि बालिकाओं के नामांकन में 36 गुना वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.89 प्रतिशत है। प्रारम्भ के वर्ष में वय वर्ग में केवल 35.66 प्रतिशत बच्चे नामांकित हुये थे किन्तु अन्तिम वर्ष 2004-05 में इनका प्रतिशत बढ़कर 98.94 हो गया जबकि बालिकाओं की प्रतिशतता 12.28 से बढ़कर 46.71 हो गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि बालिकाओं का नामांकन प्रथम वर्ष में 12 प्रतिशत था किन्तु प्रदेश के बहुत प्रयास करने पर अन्तिम वर्ष में इनका प्रतिशत बढ़कर 46.71 हो गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1950-51 से 2004-05 की अवधि में शिक्षकों की संख्या चार गुना बढ़ गयी है। इनकी संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.61 प्रतिशत है। इस अवधि में अध्यापिकाओं की संख्या में 21 गुना की वृद्धि व औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.88 प्रतिशत है। इनकी संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.88 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में इस अवधि में कुल शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की अपेक्षा शिक्षिकाओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुयी है। इस अवधि में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या प्रतिशत 55 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गयी है। प्रारम्भ के वर्षों में इनका प्रतिशत कम रहा। इसका मुख्य कारण है कि आज स्त्रियां शिक्षा के प्रति अधिक जागरुक हो गयी है।

अध्ययनीय अवधि के 54 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का प्रत्यक्ष व्यय 1545 गुने अधिक बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.56 प्रतिशत है। प्रदेश में कुल शिक्षा पर होने वाले प्रत्यक्ष व्यय से प्राथमिक शिक्षा के व्यय का अनुपात प्रायः बढ़ता रहा है। सन् 1950-51 में यह 26.7 प्रतिशत था जो 2004-05 में बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गया है।

चित्रकूटधाम मण्डल में किये गये स्त्री-शिक्षा के प्रयास :

वर्ष 1950-51 से 1960-61 तक की अवधि में संभाग में स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रयास किये गये। इस अवधि के मध्य झाँसी जनपद में 144 जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये थे। बाँदा जनपद में 131 तथा हमीरपुर जनपद में 136 स्कूल खोले गये थे। जालौन में 31 जूनियर बेसिक स्कूल कम हो गये। जालौन की जिला परिषदों से इन विद्यालय की कमी का कारण ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि गैर सहायता प्राप्त उन विद्यालयों को बन्द कर दिया गया था जो पर्याप्त संख्या के अभाव में नहीं चल पा रहे थे। इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों में 694 अध्यापिकाओं में से झाँसी जनपद में 205, जालौन में 151, बाँदा में 157 व हमीरपुर जनपद में 181 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इस अवधि में जूनियर बेसिक स्कूल किराये के भवनों, निवासी मकानों या छप्पर में चलते थे। सन् 1956-57 में संभाग के जूनियर बेसिक स्कूलों को रु0 100/- प्रति विद्यालय की दर के उपकरण खरीदने के लिए शासन द्वारा प्रदान किये गये। अवधि के अन्त में 26 जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए नवीन भवनों का निर्माण व 206 भवनों के सुधार के लिये व्यवस्था की गयी। सन् 1959-60 तक संभाग में 102 स्कूल माताओं की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 1960-61 से 1970-71 की अवधि में 1533 जूनियर बेसिक विद्यालयों में से झाँसी जनपद में 498, जालौन में 319, बाँदा जनपद में 389 व हमीरपुर जनपद में 327 खोले गये और इसके विकास के लिए 844 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। संभाग के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूलों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अध्यापिकायें अपने निवास से दूर नियुक्त थी उनके लिए आवासीय सुविधा सुलभ कराने हेतु 50 आवास गृह बनवाये गये। इसमें अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापिकाओं को अतिरिक्त वेतन भत्ता प्रदान किये गये। इन वर्षों में संभाग के अन्दर 141 स्कूल माताओं की नियुक्ति की गयी थी और छात्राओं के 25 विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करायी गयी थी और निर्धन और कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को लेखन सामग्री और पुस्तकें मुफ्त प्रदान की गयी थी। संभाग की 166 अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 1970-71 से 1980-81 के मध्य नये बेसिक स्कूल खोले गये। इन दस वर्षों की अवधि में 479 जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये। जिनमें से जालौन, बांदा व हमीरपुर में क्रमशः 83, 138, 94 जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा झाँसी जनपद में पहले की तुलना में विद्यालयों में कमी आयी। इन विद्यालयों की कमी का कारण ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि गैर सहायता प्राप्त उन विद्यालयों को बन्द कर दिया गया था जो पर्याप्त संख्या के अभाव में नहीं चल पा रहे थे। इन वर्षों में 10 नवीन भवनों का निर्माण, जिसमें झाँसी में 03, ललितपुर में 03, बाँदा में 02 व जालौन जनपद में 2 में किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 विद्यालयों को शौचालयों से सुसज्जित किया गया तथा निर्धन छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें तथा लेखन सामग्री प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी। आख्यागत वर्षों में 591 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी जिसमें 221 झाँसी जनपद में, जालौन जनपद में 68, बाँदा जनपद में 40 व हमीरपुर जनपद में 29 अध्यापिकाओं की नियुक्ति हुयी थी।

वर्ष 1980-81 से 1990-91 के मध्य जूनियर बेसिक स्कूलों में से झाँसी में 89, ललितपुर में 38, बाँदा में 46 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये व जालौन जनपद व हमीरपुर जनपद में पहले की अपेक्षा विद्यालयों में कमी आयी। इससे आभास होता है कि विद्यालयों का साधन-सम्पन्न न होना इसलिए उन विद्यालयों को बन्द कर दिया गया। आख्यागत वर्षों में 238 अध्यापिकाओं की नियुक्ति हुयी थी। जिसमें 275 झाँसी जनपद में, 38 ललितपुर में, 46 बाँदा जनपद में अध्यापिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई तथा 89 जालौन में, 32 हमीरपुर जनपद में जो कि पहले की अपेक्षा आख्यागत वर्षों में अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी है। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं की कमी का कारण ज्ञात होने पर विद्यालयों में कमी आना व शिक्षिकाओं का सेवा निवृत्त होना।

वर्ष 1990-91 से 2000-01 के दस वर्षों के मध्य चित्रकूटधाम मण्डल की स्थापना हुयी जिसमें चार जनपद बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट हुये। चूंकि शोधार्थी चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत शोध कार्य किया है। पहले ये दोनों जनपद हमीरपुर व बाँदा में सम्मिलित थे। शोधार्थी ने झाँसी मण्डल व चित्रकूट मण्डल दोनों के ही आंकड़े अपने शोध में दिये हैं। इन दस वर्षों में 1892 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये। जिसमें झाँसी जनपद में 164, ललितपुर में 137, जालौन में 171 विद्यालयों में बढ़ोत्तरी हुयी किन्तु बाँदा

व हमीरपुर में विद्यालयों में कमी आयी। आख्यागत वर्षों में 1879 अध्यापिकाओं में झाँसी जनपद में 401, ललितपुर में 769, जालौन में 277 अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि व बाँदा में 62, हमीरपुर में 134 अध्यापिकायें जो कि अन्य जनपदों की अपेक्षा कम है। इसी वर्ष प्रदेश शासन द्वारा नवीन जनपदों के सृजन एवं जनपदों के पुनगर्ठन के लिए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। बाँदा व हमीरपुर जनपद जिला संस्थान विहीन है। लेकिन भारत सरकार ने बाँदा में संस्थान स्थापित हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया।

वर्ष 2000-01 से 2001-02 के मध्य 312 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये व 800 भवन निर्माण/पुनः निर्माण किया गया। 453 प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नवीन पदों का सृजन किया गया। बाँदा में 864 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी। हमीरपुर में 20 प्राथमिक विद्यालय नये तथा पुनर्निर्माण 45 का किया गया। 150 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये गये। शौचालय 200, एन0पी0आर0सी0 07 व प्रधानाध्यापकों की संख्या 20 की गयी। महोबा में 15 नये भवन व 26 का पुनर्निर्माण किया गया, अतिरिक्त कक्षा कक्ष 37, शौचालय 200 व 15 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गयी। आख्यागत वर्षों में बाँदा में 18, हमीरपुर में 17, महोबा में 12 व चित्रकूट में 15 विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में 11 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी, जिसमें झाँसी में 02, ललितपुर में 01, जालौन में 02, बाँदा में 02, हमीरपुर में 02 महोबा में 01 व चित्रकूट जनपद में 01 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 2001-02 से 2002-03 के मध्य प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों की संख्या 1793 है, जिनमें 432 बाँदा जनपद में, 433 हमीरपुर में, महोबा में 141 व चित्रकूट जनपद में 118 विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं में से बाँदा में 352, हमीरपुर में 370 महोबा में 140 व चित्रकूट जनपद में 144 अध्यापिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी व झाँसी, ललितपुर, जालौन जनपद में अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी है। बाँदा में महिला शिक्षा मित्रों की संख्या 511, हमीरपुर में 246, महोबा में 214 शिक्षामित्रों की संख्या है। प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का प्रतिशत बाँदा में 97.96, चित्रकूट में 95. 51, हमीरपुर में 100.00 व महोबा में भी 100.00 है।

वर्ष 2002-03 से 2003-04 के मध्य मण्डल प्राथमिक विद्यालय में से झाँसी, ललितपुर, जालौन व बाँदा में नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिसमें क्रमशः 234,

21, 411, 69 संख्या में बढ़ोत्तरी हुयीं। बाकी जनपदों में विद्यालयों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो गयी। इस अवधि में जर्जर अवस्था में जो विद्यालय पड़े हुये हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए प्राथमिक में 10 व उच्च प्राथमिक में 9 का लक्ष्य रखा गया और उसको पूर्ण किया गया। जिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष छात्रों की संख्या में उपलब्ध नहीं है वहाँ अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 187 व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 187 का लक्ष्य था जिसे पूर्ण किया। आख्यागत वर्षों में 1096 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी जो कि पहले की अपेक्षा कम है।

वर्ष 2003-04 से 2004-05 के मध्य बाँदा में 95, चित्रकूट में 132, हमीरपुर में 23, महोबा में 79 प्राथमिक विद्यालय पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुयी। अध्यापिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुयी ये वृद्धि बाँदा में 633, हमीरपुर में 299, महोबा में 248 व चित्रकूट में 441 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इसी वर्ष चित्रकूट जनपद में 15, महोबा में 4, बाँदा में 61 व हमीरपुर में 9 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। जो जर्जर अवस्था में विद्यालय हैं उन्हें पुनः निर्माण का लक्ष्य है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु महोबा में 108 का लक्ष्य है। जिसमें 73 विद्यालयों को पूर्ण किया जा चुका है व 35 विद्यालयों का निर्माण चल रहा है।

चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति :

बुन्देलखण्ड संभाग के 4 जिले 1950 से 1974 तक चले। 1975 से पाचवाँ जनपद ललितपुर जोड़ा गया। चूंकि शोधार्थी चित्रकूटधाम मण्डल क्षेत्र के अन्तर्गत शोध कार्य किया है लेकिन यह 1998 में चित्रकूटधाम मण्डल बना इस सन् से महोबा व चित्रकूट जनपद और जुड़ गया। पहले महोबा हमीरपुर में व चित्रकूट बाँदा में शामिल था। अतः इन जनपदों के पूर्व के आंकड़े नहीं दिये गये। 1975-76 में झांसी जनपद के साथ ही ललितपुर के आंकड़े भी प्रदर्शित किये गये है ताकि जनपद की वृद्धि का सही आंकलन किया जा सके।

सारिणी क्रमांक 5.2 से ज्ञात होता है कि सन् 1950 से 2004-05 तक के 54 वर्षो में झांसी जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में दो गुने से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार ललितपुर जिले में लगभग डेढ़ गुने से अधिक, जालौन में तीन गुने से अधिक, बांदा में लगभग ढाई गुना, हमीरपुर में लगभग डेढ़ गुना तथा महोबा व चित्रकूट में

सारिणी क्रमांक 5.2

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झांसी	589	733	1,231	839	928	1092	1110	1344	1578	1700	1.98
ललितपुर	-	-	-	556	599	736	951	971	992	956	2.28
जालौन	535	504	823	906	983	1154	1171	1582	1993	2041	2.51
बांदा	565	696	1,085	1,223	1317	887	905	1337	1446	1541	1.87
हमीरपुर	518	654	981	1,075	902	571	588	1031	987	1000	1.23
महोबा	-	-	-	-	-	562	574	715	673	752	7.55
चित्रकूट	-	-	-	-	-	719	734	846	778	910	6.06
संभाग योग	2207	2587	4120	4599	3829	5721	6033	7826	8447	8900	2.62

स्रोत : शिक्षा की प्रगति, सम्बन्धित वर्षों की सांख्यिकीय, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

2000-01 से 2004-05 (चार वर्ष) की अवधि में महोबा में डेढ़ गुना से अधिक चित्रकूट में सवा गुना की वृद्धि हुयी है। विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर झांसी में 1.98 प्रतिशत, ललितपुर में 2.28, जालौन मे 2.51, बाँदा में 1.87, हमीरपुर जिले में 1.23, महोबा में 7.55 व चित्रकूट 6.06 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.62 प्रतिशत है। जो सम्पूर्ण प्रान्त की औसत वार्षिक वृद्धि दर के बराबर है। महोबा व चित्रकूट जनपदों में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के अन्य जनपदों से अधिक है। बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के विभिन्न जनपदों में अध्ययनीय अवधि के प्रत्येक दसवें वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति रेखाचित्र क्रमांक 1 में दर्शायी गयी है।

बालक-बालिकाओं के विद्यालय :

अध्ययनीय अवधि के अन्तिम वर्ष 2004-05 में चित्रकूटधाम मण्डल के बालक और बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या सारिणी क्रमांक 5.3 में दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 5.3

चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षा के बालक-बालिकाओं की विद्यालय संख्या

जनपद	विद्यालयों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
बांदा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1541
चित्रकूट	-	-	910
हमीरपुर	-	-	1000
महोबा	-	-	752
मण्डल योग	-	-	4203

स्रोत : शिक्षा की प्रगति, 2004-05 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 5.3 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण चित्रकूटधाम मण्डल में 4203 प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें बांदा जनपद में 36.66 प्रतिशत बालक तथा बालिकाओं के विद्यालय है। चित्रकूट जनपद में 21.65 प्रतिशत विद्यालय, हमीरपुर जनपद में 23.79 प्रतिशत तथा महोबा जनपद में 17.89 प्रतिशत विद्यालय है। सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय बांदा जनपद में है फिर हमीरपुर और फिर चित्रकूट व सबसे कम महोबा जनपद में प्राथमिक विद्यालय है।

चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन :

सन् 1950 से 2004-05 तक के आंकड़े बुन्देलखण्ड संभाग से लिये गये है तथा 2000 से 2005 तक चित्रकूट मण्डल व झाँसी मण्डल से आंकड़े लिये गये है जिसे सारिणी क्रमांक 5.4 में देखा जा सकता है। चित्रकूट मण्डल में 54 वर्षो में नामांकन 155 गुना बढ़ा है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.80 प्रतिशत है तथा पूरे उत्तर प्रदेश में नामांकन की वृद्धि दर 4.27 प्रतिशत है। राज्य और मण्डल की वृद्धि दर समान नहीं है। झांसी के प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में इस अवधि में 96 गुने की वृद्धि हुयी है। इस जनपद में नामांकन की औसत वृद्धि दर 8.83 प्रतिशत जो संभाग से लगभग 1 प्रतिशत कम है। जालौन जनपद में नामांकन 111 गुना बढ़ा है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर 9.13 प्रतिशत है। बांदा जनपद में इस अवधि में नामांकन 116 गुना है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में नामांकन 87 गुना बढ़ा और इसकी वार्षिक की वृद्धि दर 8.64 प्रतिशत है। महोबा जनपद में 2000-04 (चार वर्षो) में नामांकन दो गुना बढ़ा और इसकी वार्षिक वृद्धि दर 21.58 व चित्रकूट जनपद में 3 गुने बढ़ा और औसत वार्षिक वृद्धि दर 37.38 प्रतिशत है। इसका कारण है कि इन जनपदों में विद्यालयों का साधन सम्पन्न होना। 54 वर्षों में सर्वाधिक नामांकन बांदा जनपद का रहा है। सन् 1950 से 2004-05 तक प्रत्येक दस वर्षो में बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के विभिन्न जनपदों की प्राथमिक शिक्षा के नामांकन को रेखाचित्र क्रमांक 2 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 5.4

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	1180	5288	10690	34507	70883	57137	58673	59000	50000	113980	8.83
ललितपुर	-	-	-	13729	21185	27894	30640	32400	28000	78990	7.56
जालौन	949	3000	8790	31180	48895	51399	52888	53000	53000	106230	9.13
बाँदा	980	4266	12005	35817	77982	39884	32939	35000	39000	114150	9.21
हमीरपुर	800	3460	9682	32068	63543	.23605	24195	30063	33000	70260	8.64
महोबा	-	-	-	-	-	24804	29461	34150	37000	54200	21.58
चित्रकूट	-	-	-	-	-	19942	32288	34230	26000	71030	37.38
संभाग योग	3909	16014	41167	147301	282488	244666	261084	277843	266000	608840	9.80

स्रोत : शिक्षा संस्थाओं की वार्षिक सांख्यिकी, सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन

नामांकन लाख में

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 01-02 02-03 03-04 04-05

वर्ष

झांसी
ललितपुर
जालौन
बांदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0 -2

सारिणी क्रमांक 5.5

बालक-बालिकाओं का नामांकन

चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का नामांकन

जनपद	नामांकन		योग
	बालक	बालिकायें	
बांदा	134580	114150	248730
हमीरपुर	80550	70260	150810
महोबा	60830	54200	115030
चित्रकूट	77930	71030	148960
मण्डल योग	353890	309640	663530

स्रोत : शिक्षा की प्रगति, 2004-05 शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि चित्रकूटधाम मण्डल के कुल नामांकन में 46.67 प्रतिशत बालिकायें हैं। राज्य के कुल नामांकन में बालिकाओं का प्रतिशत 46.70 है। यह प्रतिशत लगभग-लगभग सभी जनपदों में विद्यमान है। बाँदा जनपद में 45.89, हमीरपुर जनपद में 46.59, महोबा जनपद में 47.12 व चित्रकूट में 47.68 प्रतिशत बालिकायें नामांकित हैं। इस प्रकार चित्रकूट मण्डल और उसके प्रत्येक जनपद में बालिकाओं की नामांकित संख्या राज्य के मानक प्रतिशत से कहीं अधिक व कहीं कुछ कम है। बाँदा व हमीरपुर जनपद में राज्य के मानक से कुछ कम है तथा चित्रकूट व महोबा जनपद में कुछ अधिक।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या :

बुन्देलखण्ड व चित्रकूट मण्डल के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक स्तर की शिक्षिकाओं की संख्या सन् 1950 से 2004-05 तक अग्रांकित सारिणी क्रमांक 5.6 में दिखायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 5.6 से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड व चित्रकूट मण्डल में 54 वर्षों में शिक्षिकाओं की संख्या 6 गुना बढ़ी है। इनकी संख्या में वृद्धि सन् 2000-01, 2001-02 व 2002-03 में सर्वाधिक हुई। इसके बाद पुनः 2003-04 मण्डल में शिक्षिकाओं की संख्या में कमी आयी और 2004-05 में फिर इनकी संख्या में वृद्धि हुयी है। इसका

सारिणी क्रमांक 5.6

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की संख्या

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	80	285	560	781	1056	1457	1459	1068	678	1244	5.21
ललितपुर	-	-	-	233	271	1040	1041	726	411	748	4.98
जालौन	55	206	397	465	376	653	655	613	571	1040	5.59
बाँदा	63	220	380	420	466	404	406	758	774	1407	5.92
हमीरपुर	71	252	470	499	467	333	335	705	473	772	4.52
महोबा	-	-	-	-	-	311	312	452	343	772	25.52
चित्रकूट	-	-	-	-	-	317	318	462	438	879	29.04
मण्डल योग	269	963	1807	2398	2636	4515	4526	4784	3688	6862	6.18

स्रोत : शिक्षा की प्रगति, सम्बन्धित वर्षों की सांख्यिकीय, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की संख्या
शिक्षिकाओं की संख्या
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0 -3

कारण है कि 2003-04 में शिक्षिकायें सेवा निवृत्त हुयी होगी और फिर 2004-05 में इनकी नियुक्ति करके इनकी संख्या में वृद्धि हो गयी। इन 54 वर्षों में बाँदा जनपद में शिक्षिकाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है। बाँदा जनपद की औसत वृद्धि 5.92 प्रतिशत, झाँसी जनपद में 5.21, ललितपुर में 4.98, जालौन में 5.59, हमीरपुर में 4.52 प्रतिशत है। महोबा व चित्रकूट जनपद में 2001-02 से 2004-05 (चार वर्षों में) सर्वाधिक वृद्धि हुयी इन जनपदों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 25.52 व 29.04 प्रतिशत है। महोबा व चित्रकूट जनपद अलग बनने से नये प्राथमिक विद्यालय खुले उनमें नये अध्यापकों की नियुक्ति की गयी जिससे शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि हुयी।

प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाएं :

अग्रांकित सारिणी में सन् 2004-05 में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षिकाओं का वर्गीकरण प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर प्रतिशत में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 5.7

चित्रकूटधाम मण्डल में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का ग्रामीण तथा नगरीय आधार पर वर्गीकरण (प्रतिशत में)

जनपद	शिक्षिकाओं की प्रतिशत संख्या	
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
ग्रामीण	98.92	1.08
नगरीय	94.62	5.38
संभाग योग	96.94	4.07

स्रोत : सांख्यिकीय विभाग, उप शिक्षा निदेशालय, झाँसी मण्डल, झाँसी (उ0प्र0)

सारिणी क्रमांक 5.7 से ज्ञात होता है कि चित्रकूटधाम मण्डल में 96.94 प्रतिशत शिक्षिकायें प्रशिक्षित हैं तथा 4.07 अप्रशिक्षित। ग्रामीण क्षेत्र में 98.92 प्रतिशत शिक्षिकायें प्रशिक्षित हैं जबकि 1.08 प्रतिशत अप्रशिक्षित। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 94.62 प्रतिशत शिक्षिकायें प्रशिक्षित व 5.38 प्रतिशत शिक्षिकायें अप्रशिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। शोधकत्री को सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि नगरीय क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों व राजनैतिक दबाव के तहत अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर ली जाती है जो कि अनुचित है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात :

चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में सन् 1950 से 2004-05 तक प्रत्येक दसवें वर्ष में शिक्षिका और बालिका अनुपात अथवा प्रति शिक्षिका-बालिका संख्या अग्रांकित सारिणी में दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 5.8 से ज्ञात होता है कि शिक्षिका-बालिका अनुपात विभिन्न वर्षों में बहुत बदलता रहा है। इसकी सीमा 11 से 167 तक रही है। जिस वर्ष छात्रों का नामांकन बढ़ा और तदानुसार शिक्षिकाओं की नियुक्तियां नहीं हुई, उस वर्ष यह अनुपात बढ़ा है लेकिन जिस वर्ष शिक्षिकाओं की नियुक्तियां हुई और नामांकन में सामान्य वृद्धि हुयी उस वर्ष यह अनुपात कम हो गया है। झाँसी जनपद के प्रथम वर्ष में यह अनुपात अधिक रहा और दूसरे, तीसरे व चौथे वर्ष में यह अनुपात कम हो गया फिर पुनः बढ़ा और फिर घटकर बढ़ गया। जालौन जनपद में प्रथम वर्ष से लेकिन अंतिम वर्षों तक यह अनुपात बढ़ता ही गया है। इसका तात्पर्य है छात्राओं के नामांकन के साथ-साथ शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की गयी है। बाँदा जनपद में प्रथम वर्ष को छोड़कर औसत अनुपात में अधिक उतार-चढ़ाव हुआ है और हमीरपुर की भी यही स्थिति रही है। महोबा व चित्रकूट जनपद में औसत अनुपात पहले बढ़ा और फिर घटता गया। सन् 2004-05 में संभाग में औसत अनुपात 89 रहा और कुल प्रदेश में शिक्षिका-बालिका अनुपात 108 रहा। प्रदेश के अनुपात से यह जान पड़ता है कि शिक्षिकाओं की नियुक्तियां छात्राओं के बढ़ने के साथ नहीं हुयी है। इससे प्रत्येक वर्ष अनुपात में बड़ी विषमता आ गयी है।

सारिणी क्रमांक 5.8

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	15	19	19	44	67	39	40	55	73	91
ललितपुर	-	-	-	59	78	26	29	45	68	106
जालौन	17	15	22	67	130	79	81	86	93	102
बाँदा	15	19	32	85	167	100	81	46	50	81
हमीरपुर	11	14	20	64	136	71	72	42	70	91
महोबा	-	-	-	-	-	80	94	75	108	70
चित्रकूट	-	-	-	-	-	63	101	74	59	80
मण्डल योग	14	17	23	61	128	54	57	58	72	89
उत्तर प्रदेश	64	67	119	63	71	64	65	80	95	108

स्त्रोत : शिक्षिकाओं व बालिकाओं की संख्या के आधार पर निर्मित।

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 में प्रत्येक दसवें वर्ष की अवधि में प्राथमिक शिक्षा पर विद्यालय व्यय का विवरण सारिणी क्रमांक 5.9 में दर्शाया गया है। सन् 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा पर मण्डल में कुल प्रत्यक्ष व्यय रु0 2.57 लाख था जो 2004-05 में बढ़कर रुपया 29.90 करोड़ हो गया। व्यय लगभग 11631 गुने बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 18.93 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.56 प्रतिशत है। सन् 1950-51 से 2004-05 तक मण्डल में 54 वर्षों में कुल शैक्षिक व्यय का सर्वाधिक 23 प्रतिशत झाँसी जनपद में व्यय हो रहा है और उससे कम 19 प्रतिशत ललितपुर में, जालौन जनपद व बाँदा जनपद में 18 प्रतिशत और सबसे कम हमीरपुर जनपद में 17 प्रतिशत व्यय हो रहा है। इस अवधि में झाँसी जनपद का व्यय लगभग 9620 गुना बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 23.70 प्रतिशत थी। बाँदा जनपद में व्यय लगभग 7841 गुना बढ़ गया है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर 18.06 प्रतिशत है। जालौन जनपद में व्यय लगभग 10224 गुना बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 18.64 प्रतिशत है। हमीरपुर में व्यय 6177 गुना बढ़ा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 17.54 प्रतिशत है। ललितपुर में 74 गुना व्यय, महोबा में व चित्रकूट में 7 गुना व्यय बढ़ा है। चित्रकूटधाम मण्डल में व्यय 11631 गुना बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि मण्डलीय मानक से झाँसी व ललितपुर जनपद का अधिक व सभी जनपदों का कम।

व्यय के विवरण को देखते हुये ऐसा जान पड़ता है कि प्राथमिक शिक्षा के व्यय झाँसी जनपद को वरीयता दी गयी थी फिर जालौन जनपद को और फिर बाँदा जनपद पर ध्यान दिया गया था। बाकी जनपदों की कुछ अवहेलना की गयी। इस क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति समान रूप से चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जिस अनुपात में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में विद्यालय व्यय को भी बढ़ाया जाये।

सारिणी क्रमांक 5.9

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	70680	1150810	3471420	6712000	88252800	158340000	233100000	336000000	504960000	680000000	23.70
ललितपुर	-	-	-	4017100	15154700	77648000	104800200	174780000	238080000	301140000	19.71
जालौन	66875	897120	3201470	5010180	29686600	98090000	175650000	348040000	558040000	683735000	18.64
बाँदा	67800	856080	3873450	11007000	52680000	88700000	135750000	267400000	374514000	531645000	18.06
हमीरपुर	51800	895980	3482550	9535250	13530000	28550000	58800000	195890000	246750000	320000000	17.54
महोबा	-	-	-	-	-	28111240	51705920	107250000	134667300	210560000	65.43
चित्रकूट	-	-	-	-	-	35950000	80740000	152364600	171160000	263900000	64.60
संभाग योग	257155	3799990	14028890	36281530	199304100	515389240	840546120	1581724600	2228171300	2990980000	18.93

स्त्रोत : शिक्षा संस्थाओं की वार्षिक सांख्यिकी, सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)
व्यय करोड़ रूपयों में
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0 -4

प्राथमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 के प्रत्येक दस वर्ष की अवधि में प्राथमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय का विवरण सारिणी क्रमांक 5.10 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 5.10 से ज्ञात होता है कि मण्डल में 54 वर्षो की अवधि में प्रति विद्यालय व्यय बहुत बढ़ गया है। सन् 1950-51 में जहाँ झाँसी जनपद में रु0 120 व्यय होता था वहीं 2004-05 में बढ़कर रु0 4,00,000 हो गया। प्रति विद्यालय व्यय लगभग 3333 गुना बढ़ा है। व्यय की सबसे कम वृद्धि हमीरपुर जनपद में हुई है। जालौन जनपद में रु0 125 से बढ़कर रु0 3,35,000 हो गया है। ललितपुर जनपद में 24 वर्षो में रु0 7226 से बढ़कर रु0 315000 हो गया है। बाँदा जनपद में रु0 120 से बढ़कर रु0 3,45,000 हो गया है। इन जनपदों में सबसे अधिक झाँसी जनपद में व सबसे कम महोबा जनपद का है। इन जनपदों में क्रमशः झाँसी में 300333, ललितपुर में 43, जालौन में 2680, बाँदा में 2875, हमीरपुर में 3200, महोबा व चित्रकूट जनपद में 5 गुनी वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण मण्डल में प्रति विद्यालय व्यय लगभग 2808 गुना बढ़ा है। झाँसी, हमीरपुर, बाँदा जनपद का प्रति विद्यालय व्यय मण्डलीय मानक से अधिक व ललितपुर, जालौन का कम।

प्राथमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय :

सन् 1950-51 से बुन्देलखण्ड संभाग के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक शिक्षा पर हुये प्रति बालिका व्यय को सारिणी क्रमांक 5.11 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 5.11 से ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 में प्रति बालिका व्यय लगभग रु0 2.00 था किन्तु सन् 2004-05 में बढ़कर सबसे अधिक झाँसी जनपद में 2797.89 हो गया है। सबसे कम व्यय महोबा जनपद का है। महोबा जनपद में सबसे कम व्यय का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है जबकि शिक्षिका बालिका अनुपात अन्य जनपदों की अपेक्षा ठीक है। प्रति बालिका लागत में इस प्रकार की भिन्नता निश्चित रूप में ध्यान आकर्षित करती है। यह शिक्षा के समीकरण का परिचायक नहीं है।

वर्ष 1950-51 में प्रति बालिका व्यय झाँसी, जालौन, हमीरपुर जनपद में क्रमशः 1.87, 1.91 व 1.82 था जो मण्डलीय मानक से कम है तथा बाँदा जनपद में प्रति बालिका व्यय 2.10 है जो मानक से अधिक है। वर्ष 2004-05 मण्डल का मानक बढ़कर 2204.37 हो गया है। झाँसी जनपद में 2797.89, ललितपुर में 1749.69, जालौन में 3021.63, बाँदा में 2137.43, हमीरपुर में 2121.87, महोबा में 1830.47 व चित्रकूट जनपद में 1771.61 है। मण्डलीय मानक से झाँसी व जालौन का प्रति बालिका व्यय अधिक व शेष जनपदों में कम है।

सारिणी क्रमांक 5.10

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में प्राथमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय (रु० में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	120	1570	2820	8000	95100	145000	210000	250000	320000	400000
ललितपुर	-	-	-	7225	25300	105500	110200	180000	240000	315000
जालौन	125	1780	3890	5530	30200	85000	150000	220000	280000	335000
बाँदा	120	1230	3570	9000	40000	100000	150000	200000	259000	345000
हमीरपुर	100	1370	3550	8870	15000	50000	100000	190000	250000	320000
महोबा	-	-	-	-	-	50020	90080	150000	200100	280000
चित्रकूट	-	-	-	-	-	50000	110000	180100	220000	290000
मण्डल योग	116.25	1487.50	3457.50	7725.00	41120.00	83645.71	131468.57	195728.57	2502728.57	326428.57

स्रोत : संकलन रजिस्टर, सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद उ0प्र0।

सारिणी क्रमांक 5.11

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	1.87	17.90	27.36	66.50	483.15	1066.70	1539.93	1771.35	2214.73	2797.89
ललितपुर	-	-	-	87.79	145.28	822.88	885.63	1307.57	1597.85	1749.69
जालौन	1.91	22.68	35.30	51.10	251.45	733.92	1281.93	1966.21	2571.61	3021.63
बाँदा	2.10	15.77	24.64	73.52	242.99	905.50	1368.28	1258.09	1940.48	2137.43
हमीरपुर	1.82	22.20	31.75	99.42	78.95	413.99	837.71	1272.26	1690.06	2121.87
महोबा	-	-	-	-	-	387.73	614.85	867.26	1224.24	1830.47
चित्रकूट	-	-	-	-	-	405.01	787.34	946.55	1205.35	1771.61
मण्डल योग	1.93	19.63	29.76	75.66	240.36	676.53	1045.09	1341.32	1777.76	2204.37

स्रोत : सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद उ0प्र0 के आंकडों के आधार पर

प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण राज्य से तुलना :

यद्यपि इस अध्याय में शिक्षा की प्रगति की तुलना यथा स्थान की गयी है फिर भी प्राथमिक शिक्षा को समग्र रूप से जानना शोधकत्री का अभीष्ट है। दूसरे इस तुलना से परिकल्पनाओं का सत्यापन भी हो जाता है।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में 54 वर्षो की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.62 प्रतिशत रही है जबकि सम्पूर्ण प्रदेश में इस स्तर के विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.63 प्रतिशत है। इन आंकडों से स्पष्ट है कि मण्डल व प्रदेश में औसत वार्षिक वृद्धि दर समान है। प्रदेश में नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.27 प्रतिशत है जो मण्डल की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.80 से बहुत कम है। ऐसा सम्भवतः इसलिए हुआ कि प्रदेश की तुलना में क्षेत्र कम है और साधन प्रचुर मात्रा में है, इसलिए यह अन्तर प्रतीत होता है।

मण्डल में शिक्षिकाओं की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.18 प्रतिशत रही है जबकि पूरे प्रदेश में इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.88 है। मण्डल की तुलना में प्रदेश की शिक्षिकाओं का प्रतिशत कम है। सन् 2004-05 में प्राथमिक शिक्षा के शत-प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षिकायें है। तब इस मण्डल में 96.94 प्रतिशत शिक्षिकायें प्रशिक्षित है।

प्राथमिक शिक्षा में प्रदेश के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.56 प्रतिशत है जबकि इस मण्डल में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 18.93 प्रतिशत है। मण्डल के शैक्षिक पिछड़ेपन तथा शिक्षिकाओं की कमी को दूर करने के लिये व्यय को बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है और यह प्रदेश व मण्डल में होने वाले व्यय के आंकड़े दर्शा रहे हैं।

अध्याय-षष्ठ

पूर्व माध्यमिक शिक्षा (बालिका)

- उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का विकास
- चित्रकूटधाम मण्डल में किये गये स्त्री शिक्षा के प्रयास
- चित्रकूटधाम में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की प्रगति
- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन
- चित्रकूटधाम में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या
- चित्रकूटधाम में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत
- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात
- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पर व्यय
- पूर्व माध्यमिक शिक्षा में प्रति विद्यालय व्यय
- पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय
- प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना

पूर्व माध्यमिक शिक्षा (बालिका)

उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का विकास :

उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा कई रूपों से गुजर कर अपने वर्तमान स्वरूप पर पहुँची है। सन् 1917 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा की अवधि केवल दो वर्षो की थी। जिसमें कक्षा 5 और 6 ही शामिल थे, को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गयी थी। इन विद्यालयों को "वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल" के नाम से जाना जाता था। इनमें कक्षा 5, 6 व 7 की कक्षायें शामिल थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी मिडिल स्कूल थें जिसमें कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती थी। इन दोनों तरह के मिडिल स्कूलों का नाम "हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल" और एंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल" कर दिया गया।

स्वतन्त्रता के बाद प्रदेश के लोकप्रिय शासन ने जब शिक्षा का पुनर्गठन किया तब पाठ्यक्रम के कृत्रिम भेद को मिटा दिया गया।[1] सन् 1953-54 में जब शिक्षा की "पुर्नव्यवस्था योजना" लागू की गयी तब इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया और इन स्कूलों का नाम जूनियर बेसिक स्कूलों के समान सीनियर बेसिक शिक्षा रखा गया।

सन् 1950-51 से 1955-56 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा में द्रुत गति से विकास हुआ। सन् 1950-51 में 217 विद्यालय खोले गये। आर्थिक कठिनाई के कारण तथा भवन निर्माण सामग्री के अभाव में कोई प्रगति नहीं की जा सकी, सामान्यतः विद्यालय भवनों की दशा संतोषजनक नहीं थी। इसको अनिवार्य बनाने के लिये विद्यालयों को उपकरण खरीदने के लिये 112 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय को 1,000 प्रतिशत की दर से 1,12,0001 की स्वीकृति प्रदान की गयी।[2] सन् 1952-53 में श्रमदान, उत्पादन और स्वतः समाज सेवा पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसी वर्ष में रचनात्मक तथा स्वालम्बन कार्य और विद्यार्थी श्रम के लिये टाइम टेबिल दो घण्टे निर्धारित कर दिये गये।[3] वर्ष 1954-55 में कृषि शिक्षा को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिये प्रदेश में 2,095 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को 19,665 एकड़ भूमि दी गई। मार्च तक 2,488

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1957 लखनऊ शिक्षा पत्रिका विभाग संचालक कार्यालय, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ सं0-9
2. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1950-51, इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट, 1953, पृष्ठ सं0-16-22
3. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1951-52, इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट, 1955, पृष्ठ सं0-20-26

प्रसाराध्यापकों की नियुक्तियाँ की गयी एवं उनके लिये रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की गयी। विद्यालयों में कृषि फार्मों की उन्नति के लिये बैलों की जोड़िया तथा रहट आदि के लिये अनुदान दिये गये।[1] और जहाँ कृषि की शिक्षा की सुविधायें नहीं है, शिल्प तथा दस्तकारी को अनिवार्य बना दिया गया है। इनमें 200 प्रसार अध्यापकों को नियुक्त किया गया।[2]

वर्ष 1956-57 से 1960-61 तक की पूर्व माध्यमिक शिक्षा विकासोन्मुख रही। वर्ष 195-57 में 596 विद्यालयों को रुपया 500 प्रति बैल की जोड़ी के लिये अनुदान दिया गया तथा 654 विद्यालयों को 400 प्रति रहट की सिंचाई की सुविधा के लिये धन दिया गया। 1957-58 में 95 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को शिल्प केन्द्रित किया गया। सन् 1958-59 में 225 पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कला-कौशल की शिक्षा को तथा 40 विद्यालयों में कृषि की शिक्षा के क्रियान्वित किया गया। इस वर्ष 60 विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था की गयी व 21,000 एकड़ भूमि कृषि के लिये दी गयी। जिसमें से 12,000 एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है।[3]

सन् 1960-61 से 1965-66 तक की शिक्षा विशेष कार्यक्रमों के साथ प्रारम्भ हुई। 1960-61 में 115 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 173 विद्यालयों में कला कौशल की शिक्षा तथा 40 विद्यालयों में कृषि की शिक्षा प्रारम्भ की गयी। इस वर्ष 90 विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष रूप से प्रयास किये गये। सन् 1961-62 में पूर्व माध्यमिक स्तर के 120 विद्यालयों में सामान्य विज्ञान की शिक्षा का सूत्रपात किया गया। बालिकाओं के 4 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संगीत की शिक्षा प्रारम्भ की गयी।[4] सन् 1963-64 में प्रदेश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं की पूर्व माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही थी या जहाँ विद्यालय खोलना सम्भव न था, उन स्थानों पर क्रमोत्तर कक्षाये खोलने की व्यवस्था की गयी।[5] 1965-66 में कुछ नवीन गैर सरकारी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनुदान के आधार पर खोले गये जिनमें से 2 विद्यालय द्रुत विकास के अन्तर्गत खोले गये।

---

1. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1954-54, इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट, 1958, पृष्ठ सं0-18-35
2. शिक्षा की प्रगति, 1955-56, लखनऊ, शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1958, पृष्ठ सं0-6-11
3. शिक्षा की प्रगति, 1958-59, लखनऊ, शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1958, 1959-60 पृष्ठ सं0-6-11, 6-10
4. शिक्षा की प्रगति, 1961-62 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-6-10
5. शिक्षा की प्रगति, 1963-64 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-8-16

वर्ष 1966-67 से 1970-71 के बीच अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये। उस वर्ष 850 अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त किये गये। ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं की शिक्षा का अभाव था वहाँ 75 क्रमोत्तर कक्षाये खोली गयी गैर सरकारी विद्यालयों को पुस्तकालयों के अभाव की पूर्ति के लिये अनुदान दिया गया। उस वर्ष अध्यापक प्रशिक्षण के जे0टी0सी0 कोर्स के स्थान पर सी0टी0सी0 कोर्स प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष 30 विद्यालयों को वर्कशाप, विज्ञान, उपकरण, कला की पुस्तके खरीदने के लिये अनुदान दिया गया।[1]

वर्ष 1970-71 से वर्ष 1975-76 तक की अवधि में ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये 30 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। प्रदेश के जिन जनपदों में विद्यालयों की संख्या अधिक थी उनमें सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उपविद्यालय निरीक्षिका तथा अतिरिक्त उपविद्यालय निरीक्षक के पद सृजित किये गये। सन् 1971-72 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये 130 बालकों के तथा 147 बालिकाओं को विद्यालय खोले गये इस वर्ष प्रदेश के 17 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया।[2] वर्ष 1973-74 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये 30-30 बालक-बालिकाओं के लिये विद्यालय खोले गये। श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने के लिये विद्यालयों में टाट पट्टी बनाना, मोमबत्ती, डेस्क बनाना तथा अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रम रखे गये। अख्यागत वर्ष में पहली बार लखनऊ में 28 दिसम्बर, 1973 से जनवरी 1974 तक उत्पादन कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यो की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। जिसमें प्रदेश के अधिकांश जनपदों ने भाग लिया। 1974-75 के शिक्षा सत्र में 163 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये इन विद्यालयों में से 29 विद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों में खोले गये 3 विद्यालय आश्रम पद्धति पर आदिवासियों एवं जनजातियों के लिये खोले गये।[3]

वर्ष 1976-77 से 1980-81 के बीच शिक्षा विशेष कार्यक्रमों के साथ प्रारम्भ हुयी। वर्ष 1976-77 में सार्वभौमिक शिक्षा हेतु बच्चों के निवास से 3 किलोमीटर की परिधि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इस स्तर की शिक्षा के विचार हेतु 51 नये सीनियर बेसिक स्कूल तथा 18 क्रमोत्तर कक्षायें खोली गयी। वर्ष 1977-78 में ग्रामीण

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1966-67 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-11-12
2. शिक्षा की प्रगति, 1970-71 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-5-8
3. शिक्षा की प्रगति, 1974-75 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-7-8

क्षेत्रों में 8396 तथा नगर क्षेत्र में 2994 सीनियर बेसिक विद्यालय चल रहे थे जिनमें 8237 विद्यालय बालकों के एवं 3153 संस्थायें बालिकाओं की थी।[1] वर्ष 1978-79 में मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 38 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी। वर्ष 1979-80 में मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी। मैदानी क्षेत्रों में 400 तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 125 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में साज-सज्जा हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये। पर्वतीय जिलों के 16 तथा मैदानी क्षेत्रों के 198 असहायिक मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया गया। निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी जिले के 1000 तथा पर्वतीय जिलों के 500 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, बैंक स्थापित करने हेतु आदेश दिये गये।[2]

वर्ष 1980-81 से 1985-86 के मध्य अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये। 1980-81 वर्ष में मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 98 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 46 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 10 लाख रु0 का प्राविधान किया गया तथा 24 विद्यालयों में क्रियान्वित करने की योजना बनायी गयी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति की राशि रुपया 51 से बढ़ाकर रुपया 101 प्रतिमाह कर दी गयी।[3] वर्ष 1985-86 में सीनियर बालिका विद्यालयों के समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अन्तर्गत प्राथमिक जूनियर हाईस्कूलों में सिलाई मशीन देकर बालिकाओं द्वारा पोशाक तैयार कराये जाने की योजना बनायी गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भाषा नीति के कार्यान्वयन की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कक्षा 6-8 तक त्रिभाषा सूत्र की योजना लागू है। और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रत्येक जनपद में एक बालक और एक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अहिन्दी क्षेत्र की एक भाषा अध्ययन-अध्यापन के लिये सन्दर्भ में केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।[4]

वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 के बीच वर्ष 1986-87 में 16504 सीनियर बेसिक विद्यालय में से 13080 बालक तथा 3424 बालिकाओं के विद्यालय संचालित हो रहे है। इनमें से 15252 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। इन सभी विद्यालयों में अध्ययनरत

1. शिक्षा की प्रगति, 1972-78 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-5-8
2. शिक्षा की प्रगति, 1979-80 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-6-9
3. शिक्षा की प्रगति, 1981-82 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-6-7
4. शिक्षा की प्रगति, 1985-86 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-50-51

छात्र/छात्राओं की संख्या 2336426 है। जिसमें छात्रों की 1731425 तथा बालिकाओं की 604701 है। इसी प्रकार इसमें अध्यापन कार्य में कार्यरत शिक्षक 76098 तथा शिक्षिकायें 24268 की संख्या है। तथा कक्षा 6-8 में अध्ययनरत छात्रों की सामूहिक संख्या 3951904 है जिसमें से बालिकायें 102445 है।[1] वर्ष 1990-91 में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 33 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 105 सीनियर बेसिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु 16.90 लाख रु0 शासन से स्वीकृत किया गया तथा विद्यालयों में साज-सज्जा व शिक्षण सामग्री हेतु 30 लाख रु0 की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हुयी।[2]

वर्ष 1993-94 से 1998-99 के मध्य में अनेक कार्य किये गये। वर्ष 1993-94 में मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 31 व पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के 162 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये संचालित एक मात्र अशासकीय सेवा भारती अध्यापन मन्दिर (बी0टी0सी0) यूनिट, सेवा पुरी, वाराणसी को उसमें कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुरक्षण स्वीकृत किया जाता है।[3] वर्ष 1994-95 में प्रदेश में कुल 14427 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित है। इसमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या 3783442 है और कार्यरत शिक्षिकाओं व शिक्षकों की संख्या 96372 है। इसी वर्ष आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा हेतु योजना चलाई जा रही हैं और यह योजना 10 जूनियर हाईस्कूलों में (मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, झाँसी, मुरादाबाद, पौढ़ी-गढ़वाल, बलिया) चलायी जा रही है। इसी वर्ष बालाहार/पुष्टाहार योजना प्रदेश के 15 जनपदों में जिसमें बाँदा, ललितपुर, झाँसी, हमीरपुर, जालौन भी सम्मिलित है। यह नगर की मलिन बस्तियों के 6 वर्ष तक की आयु में शिशुओं एवं गर्भवती/धात्री माताओं के लाभार्थ संचालित है।[3] वर्ष 1996-67 में प्रदेश में कुल 19917 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित है जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 21678 हो गये। कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 4725769 से बढ़कर 4773468 हो गयी। वर्ष 1996-99 के मध्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृतियां दी गयी।[4]

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1986-87 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-51-52
2. शिक्षा की प्रगति, 1990-91 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-7-9
3. शिक्षा की प्रगति, 1994-95 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-8-9
4. शिक्षा की प्रगति, 1996-97 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-5-9

वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में कुल 21678 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या 3182027 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बालिका उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृतियां दी गयी है। इसी वर्ष आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को 200 रु0 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा वर्दी भत्ता 400 रु0 पुस्तक स्टेशनरी भत्ता, 50 रु0 माहवार प्रति बच्चा यातायात भत्ता तथा 2000 रु0 तक का विकलांगता निवारण सम्बन्धी उपकरण।[1]

प्रदेश में वर्ष 2001-02 में कुल 20429 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 1975666 है। विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या 99694 है। अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान हेतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों का योगदान विदित है। आर्थिक संकट के कारण जनता में दान आदि देने की प्रवृत्ति समाप्त हो गयी है। जिनमें इन विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण करना एक कठिन कार्य हो रहा है। जिनमें इन विद्यालयों की अनुदान सूची पर लेकर विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन वितरण कराने की एक योजना संचालित है।[2]

वर्ष 2002-04 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का योगदान विदित है। इस वर्ष कई योजनायें चलायी गयी-

1. बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम
2. शिक्षा मित्र योजना
3. सघन क्षेत्रीय विकास योजना
4. प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना
5. ग्यारहवाँ वित्त आयोग

वर्ष 2004-05 में उपर्युक्त योजनाओं के अलावा एक और व्यवस्था की गयी-

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1999-2000 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-7-9
2. शिक्षा की प्रगति, 2001-02 इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ सं0-22

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था :

कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालाकों में वर्ष 2001-02 में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण हेतु रु0 55075200 की धनराशि प्राप्त हुयी थी जिसके प्रति 2061659 छात्र लाभान्वित हुये हैं। वर्ष 2002-03 में रु0 59755224 की धनराशि प्राप्त हुयी थी। जिसके प्रति 2202969 छात्र लाभान्वित हुये हैं एवं वर्ष 2003-04 में रु0 99349481 की धनराशि प्राप्त हुयी थी और 3425758 छात्र लाभान्वित हुये थे। वर्णित योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1-8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तके वितरित की गयी। वर्ष 2004-05 में लगभग 142 लाख बच्चे लाभान्वित होगें।

वर्ष 2004-05 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित नवाचार कार्यक्रम चलाये गये-[1]

1. बालिका शिक्षा :

उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं में कौशल विकास हेतु कार्यानुभव शिक्षा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में चलाया जा रहा है। कार्यानुभव शिक्षा कार्यक्रम कुल 637 विद्यालयों में संचालित है।

2. मीना मंच :

9-18 वय वर्ग की विद्यालय जाने वाली, विद्यालय न जाने वाली किशोरी बालिकाओं का समूह 'मीना मंच' का गठन किया गया है। जीवन कौशल क्षमता विकास हेतु मंच के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है। मंच के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यालय में मीना कक्ष स्थापित किया गया है।

3. ग्रीष्म कालीन शिविर :

9+ वय वर्ग की शाला त्यागी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये ग्रीष्मावकाश में 10 दिवसीय और आवासीय कुल 115 ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित कराये गये।

---

1. सर्व शिक्षा अभियान, वार्षिक आख्या, 2004-05

4. मॉडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच :

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच के अन्तर्गत कुल 590 न्याय पंचायतें आच्छाति की गयी, जिनके 1185 गाँवों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया गया तथा 1563 गाँव शाला त्यागी रहित है।

5. माँ-बेटी मेला :

बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा मीना मंच की लांचिंग हेतु कुल 700 माँ-बेटी मेलों का आयोजन किया गया।

6. मीना कैम्पेन :

समुदाय के बीच बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु 700 गाँवों में मीना कैम्पेन कर चर्चा की गयी।

7. कला-जत्था :

बालिका शिक्षा समुदाय से सीधी वार्ता करने हेतु कला-जत्था अभियान चलाया गया। कुल 912 गाँव में स्थानीय प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटकों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

8. कम्प्यूटर शिक्षा :

1. ब्लाक स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है।
2. चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय के दो-दो शिक्षकों का प्रशिक्षिण संचालित है।
3. जनपद स्तर पर हार्डवेयर क्रय हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके है। 41 जनपदों में कम्प्यूटर स्थापना हो चुकी है।

9. अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों हेतु ब्रिज कैम्प :

अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये ब्रिज कैम्प आयोजित किये जा रहे है। 06 माह के गैर आवासीय कुल 260 ब्रिज कैम्प संचालित है, जिसमें 10400 बच्चों का प्रवेश किया गया।

स्कूल से बाहर बच्चों का विवरण :

- शैक्षिक सत्र 2004-05 के लिये आऊट आफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण करने के लिये हाउस होल्ड सर्वेक्षण कराया गया। 6-14 वर्ष के कुल 24.60 लाख बच्चे स्कूल के बाहर चिन्हित हुये।

- आऊंट आफ स्कूल बच्चों का कम्प्यूटरीकृत विवरण तैयार कराया जा रहा है। जिन ग्रामों में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या 30 से अधिक है, उनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- जिन ग्रामों में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या 30 से कम होगी, उनका नामांकन पूर्व से संचालित निकटस्थ विद्यालयों में कराया जा रहा है।
- बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने हेतु जुलाई-अगस्त 2004 में स्कूल चलो अभियान संचालित किये जाने के निर्देश जनपदों को दिये जा चुके है। जनपदों में स्कूल चलो अभियान की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में सन् 1950 से 2004-05 तक के वर्षो में पूर्व माध्यमिक शिक्षा में जो प्रगति हुई है वह अग्रांकित सारिणी में दिखाई गयी है। इस समायावधि में प्रत्येक दस वर्ष के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, उनमें नामांकन तथा बालक-बालिकाओं के वय वर्ग में प्रतिशतता शिक्षा का प्रतिशत तथा कुल प्रत्यक्ष व्यय दर्शाया गया है। अन्तिम स्तम्भ में वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत दिया गया है।

सारिणी क्रमांक 6.1 से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 54 वर्षो में लगभग 12 गुना बढ़ गयी है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत है। बालिकाओं के विद्यालयों में सन् 1950 से 2004-05 के बीच लगभग ग्यारह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.68 प्रतिशत है। ये बालिका विद्यालय कुल विद्यालयों के बराबर है। कुल विद्यालयों में नामांकन लगभग 26 गुना से अधिक बढ़ा है और औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.28 प्रतिशत है। बालिकाओं के नामांकन में 58 गुना से अधिक की वृद्धि हुयी है और इनकी वार्षिक वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत है। सन् 1950-51 में 11 से 14 वय वर्ग के केवल 11.73 प्रतिशत नामांकित थे। जिनमें लड़को का प्रतिशत 2.04 था किन्तु 54 वर्ष बाद यह प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 56.10 प्रतिशत तथा 43.90 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन 54 वर्षो में लड़कियों की संख्या में अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुयी है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या में इस अवधि के अन्दर पाँच गुना से वृद्धि हुयी है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.31 प्रतिशत रही है तथा शिक्षिकाओं की संख्या में ग्यारह गुना से अधिक वृद्धि हुयी और इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.65

सारिणी क्रमांक - 6.1

उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति- 1950-2005

मद/वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
विद्यालय संख्या	2854	4335	8787	13555	15072	19639	20429	27928	35427	36874	4.85
बालिका विद्यालय संख्या	468	661	2008	3200	3319	3021	3102	3893	4684	5531	4.68
कुल नामांकन	348137	549827	1380906	1804514	2747568	2938650	2975666	6824666	7698000	9329430	6.28
बालिकाओं का नामांकन	69798	103688	285166	391731	721254	910505	924105	2109553	3295000	4095470	7.83
11 से 14 वय वर्ग के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	11.73	16.60	31.32	52.25	73.21	80.07	83.52	86.94	91.20	95.09	3.95
बालकों का प्रतिशत	79.95	81.14	79.35	78.29	73.75	69.02	68.94	69.09	57.20	56.10	0.65
बालिकाओं का प्रतिशत	2.04	18.85	20.65	21.71	26.25	30.98	31.06	30.91	42.80	43.90	5.85
कुल शिक्षकों की संख्या	14505	23259	52186	73101	99329	98925	99694	87770	75845	84125	3.31
शिक्षिकाओं की संख्या	2900	4202	10880	14326	19415	21933	22099	21440	20772	33750	4.65
प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या (प्रतिशत में)	84	89	66	91	95	90	93	96	97	98	0.29
कुल व्यय रु0	11995774	27327754	88331573	187993783	287655993	387318203	486980413	586642623	686304833	785967043	8.05
कुल प्रत्यक्ष शैक्षिक व्यय (प्रतिशत में)	13.61	11.21	10.91	12.05	13.65	10.16	15.55	20.67	18.21	20.42	0.75

स्रोत : 1. उत्तर प्रदेश की मुख्य सांख्यिकी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

2. शिक्षा की प्रगति सम्बन्धित वर्षो की शिक्षा, निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

रही है। इन 54 वर्षो में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या 84 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गयी है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर व्यय इस अवधि में बढ़कर 65 गुना से अधिक हो गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.05 प्रतिशत है। इस स्तर पर शिक्षा का कुल प्रत्यक्ष शैक्षिक व्यय का अनुपात पहले की अपेक्षा बढ़ा है। प्रथम वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत 13.61 था और अन्तिम वर्ष में 20.42 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले की अपेक्षा व्यय बढ़ है जिससे विद्यालयों की स्थिति पहले से बेहतर हो गयी है।वर्ष 1960-61 से 1970-71 की समयावधि में 77 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। विद्यालय खोलने में अधिक वरीयता ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदान की गयी थी। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 22, बाँदा जनपद में 28, जालौन जनपद में 17 और हमीरपुर जनपद में 10 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे। इस समयावधि में संभाग के अन्दर 169 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी थी इनमें से झाँसी, बाँदा, जालौन और हमीरपुर में क्रमशः 57, 33, 53 व 26 अध्यापिकायें नियुक्त की गयी। इस अवधि में चुने हुये पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भवन सज्जा और काष्ठोपकरण के लिए सरकार ने धन प्रदान किया। 1960 से 1970 के मध्य विज्ञान की शिक्षा 29 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गयी। निर्धन छात्राओं को 51 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। संभाग के ग्रामीण और पिछड़े हुये क्षेत्रों में जहाँ पूर्व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी वहाँ छात्राओं की शिक्षा सुविधा के लिए संभाग में 45 क्रमोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की गयी।

वर्ष 1970-71 से 1980-81 की समयावधि में 178 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। सन् 1971-72 से 1975-76 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से झाँसी जनपद से ललितपुर को अलग करके एक जनपद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। अतः इस अवधि में संभाग में पाँच जनपद हो गये थे। इस अवधि में झाँसी जनपद 23, जालौन में 18, बाँदा में 38 तथा हमीरपुर जनपद में 35 विद्यालय खोले गये। इन दस वर्षों में जालौन जनपद में सबसे कम पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला गया। संभाग में इन दस वर्षों में 294 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इनमें से झाँसी, जालौन, बाँदा और हमीरपुर जनपदों में क्रमशः 76, 48, 30 व 66 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इस अवधि में संभाग में 74 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

संभाग के निर्धन छात्र/छात्राओं को विभिन्न दरों पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गयी। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की विशेष सुविधायें प्रदान की गयी।

वर्ष 1980-81 से 1990-91 तक की अवधि में पहले की तुलना में 112 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कमी आयी। झाँसी जनपद में 23, ललितपुर में 02, जालौन में 10, बाँदा में 31 व हमीरपुर में 04 विद्यालय कम हो गये। विद्यालयों में कमी बच्चों की संख्या के अभाव में न चल पाने के कारण उनको समाप्त कर दिया गया। सबसे ज्यादा बाँदा जनपद के विद्यालयों की संख्या में कमी आयी। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही और झाँसी जनपद में सबसे ज्यादा अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी और यह कमी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की समाप्ति के कारण आयी और इसका मुख्य कारण बच्चों की संख्या में कमी, अध्यापिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध न होना है। बालिका शिक्षा के विस्तार एवं संवर्द्धन हेतु तहसील स्तर पर राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। महिला शिक्षा के गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नयन हेतु महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम में ऐसी विषयवस्तु समाहित हो जो बालिकाओं में आत्म सम्मान, आत्म रक्षा, आत्म विश्वास भर सके।

वर्ष 1990-91 से 2000-01 की अवधि में 84 नये विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में से पूर्व माध्यमिक विद्यालय झाँसी जनपद में 05, ललितपुर जनपद में 02, जालौन में 19, बाँदा जनपद में 12 व हमीरपुर जनपद में 16 व शेष महोबा व चित्रकूट में विद्यालय खोले गये। इस अवधि में ललितपुर जनपद में सबसे कम पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। चूँकि वर्ष 1997-98 में चित्रकूटधाम मण्डल बना जिसका मुख्यालय बाँदा जनपद में है। इस मण्डल में महोबा व चित्रकूट जनपद को शामिल किया गया है। क्योंकि शोधार्थी चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत शोध कार्य कर रही है। इस मण्डल के पूर्व महोबा, हमीरपुर में व चित्रकूट, बाँदा जनपद में सम्मिलित थे और ये सभी झाँसी मण्डल के अन्तर्गत आते थे। इन विद्यालयों में 843 अध्यापिकाओं में से झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा हमीरपुर में क्रमशः 283, 24, 76, 405, 05 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इस अवधि के अन्त में 39 अध्यापिकायें महोबा व 80 चित्रकूट जनपद में नियुक्त की गयी।

2000-01 से 2001-02 के मध्य 12 नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में से 02 विद्यालय झाँसी जनपद में, ललितपुर में 02, जालौन में 02,

बाँदा में 01, ललितपुर में 02, महोबा में 01 व चित्रकूट जनपद में 02 विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में 45 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। जिनमें झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, हमीरपुर महोबा व चित्रकूट में क्रमश 08, 05, 06, 09, 05,, 05 व 07 अध्यापिकाओं नियुक्ति की गयी।

वर्ष 2001-02 से 2002-03 के मध्य 16 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 01, ललितपुर जनपद में 04, जालौन में 01, बाँदा जनपद में 02, महोबा में 05 व चित्रकूट जनपद में 03 नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये लेकिन हमीरपुर जनपद में कोई नया विद्यालय नहीं खुला। इन विद्यालयों में 144 अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी और सबसे ज्यादा कमी आयी बाँदा जनपद में। इससे आभास होता है कि गैर सहायता प्राप्त उन विद्यालयों को बन्द कर दिया गया था जो पर्याप्त संख्या के अभाव में नहीं चल पा रहे थे। ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपद में क्रमशः 41, 21, 36, 39 व 24 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 2002-03 से 2003-04 के मध्य 21 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि हुयी। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 05, ललितपुर में 04, जालौन में 02, बाँदा में 02, हमीरपुर में 01, महोबा जनपद में 05 व चित्रकूट जनपद में 02 विद्यालय और खोले गये। इन विद्यालयों में पहले की अपेक्षा 147 अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी और यह कमी झाँसी व बाँदा जनपद में आयी। शेष बाकी जनपदों में ललितपुर में 40, जालौन में 20, हमीरपुर में 36, महोबा में 39 व चित्रकूट जनपद में 23 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 2003-04 से 2004-05 की अवधि में 19 और नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये है। जिसमें झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपदों में क्रमशः 05, 02, 02, 03, 02, 03 व 02 विद्यालय खोले गये हैं। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 250, ललितपुर में 172, जालौन जनपद में 102, बाँदा जनपद में 439, हमीरपुर में 88, महोबा में 94 व चित्रकूट जनपद में 81 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की प्रगति :

चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में सन् 1950-51 से 2004-05 तक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की वृद्धि को अग्रांकित सारिणी-क्रमांक 6.2 में दर्शाया गया है।

सारिणी-क्रमांक 6.2 से ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 21 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.86 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में 10 गुने की वृद्धि हुई है। इस जनपद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.36 प्रतिशत है। ललितपुर जनपद में 1 गुने की वृद्धि हुयी इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.41 प्रतिशत है। जालौन में 14 गुने की वृद्धि हुई है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.07 है। बाँदा जनपद में 13 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.97 प्रतिशत है व हमीरपुर में 33 गुने की वृद्धि हुयी है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.68 प्रतिशत है। इन 54 वर्षों में सबसे कम वृद्धि ललितपुर जनपद में व सबसे अधिक वृद्धि हमीरपुर जनपद में हुई है। महोबा व चित्रकूट जनपद में चार वर्षों में 2 गुने व 1 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। इन जनपदों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 18.92 व 11.21 प्रतिशत है।

सारिणी क्रमांक 6.2

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालयों की प्रगति

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	05	10	32	55	32	37	39	40	45	50	3.36
ललितपुर	-	-	-	30	28	30	32	36	40	42	1.41
जालौन	04	07	24	42	32	51	53	54	56	58	5.07
बाँदा	04	08	36	66	35	47	48	50	52	55	4.97
हमीरपुर	02	05	15	50	46	61	63	63	64	66	6.68
महोबा	-	-	-	-	-	14	15	20	25	28	18.92
चित्रकूट	-	-	-	-	-	17	19	22	24	26	11.21
योग	15	30	107	285	173	257	269	285	306	325	5.86

स्त्रोत - सांख्यिकी विभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

बालक-बालिकाओं के विद्यालय :

अध्ययनीय अवधि के अन्तिम वर्ष 2004-05 चित्रकूटधाम मण्डल के बालक और बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या सारिणी क्रमांक - 6.3 दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक - 6.3

जनपद	विद्यालयों की संख्या		योग
	बालक	बालिका	
बाँदा	444	55	499
चित्रकूट	266	26	292
हमीरपुर	306	66	372
महोबा	254	28	282
योग	**1270**	**175**	**1445**

स्रोत - शिक्षा की प्रगति - 2004-05 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 6.3 से ज्ञात होता है कि चित्रकूट मण्डल में सन् 2004-05 में 1445 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। जिसमें से 12.11 प्रतिशत विद्यालय बालिकाओं के अवशेष 87.89 प्रतिशत विद्यालय बालकों के हैं। इन विद्यालयों में बाँदा जनपद में बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय 11.02 प्रतिशत, चित्रकूट जनपद में 8.90, हमीरपुर जनपद में 17.74 व महोबा जनपद में 9.92 प्रतिशत पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। इनके शेष प्रतिशत पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक जनपद में बालकों के लिये हैं। सबसे अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर तथा सबसे कम चित्रकूट जनपद में हैं।

चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन

सन् 1950-2005 तक के आंकड़े बुन्देलखण्ड/चित्रकूट सम्भाग से लिये गये है। जिसे सारिणी क्रमांक 6.4 में देखा जा सकता है।

सन् 1950-51 से 2004-05 तक की अवधि में पूरे मण्डल के अन्दर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 40 से अधिक की वृद्धि हुई। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.09 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में नामांकन लगभग 26 गुना से अधिक बढ़ा। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.28 प्रतिशत है। बाँदा जनपद में 54 वर्षो में 36 गुने की वृद्धि हुई है, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.87 प्रतिशत है। जालौन जनपद में

सारिणी क्रमांक 6.4

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	1029	2556	3850	4477	8224	12792	13061	24815	36000	27720	6.28
ललितपुर	-	-	-	1102	3850	4064	4110	8428	12000	13990	11.17
जालौन	963	2207	3110	3824	9270	10102	10307	20410	27000	30460	6.60
बाँदा	756	2010	5302	8200	10292	6037	8247	15119	20000	27400	6.87
हमीरपुर	661	1683	2112	2201	7563	5383	5495	10270	14000	16300	6.11
महोबा	-	-	-	-	-	2556	2611	9270	14000	11000	44.03
चित्रकूट	-	-	-	-	-	3018	3581	6222	10000	11310	39.13
योग	3409	8456	14374	19804	39199	43952	47412	94534	133000	138180	7.09

स्रोत - शिक्षा संस्थाओं की वार्षिक सांख्यिकी, सांख्यिकी विभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

नामांकन 31 गुना बढ़ा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत है। इस अवधि में हमीरपुर जनपद में नामांकन 24 गुना बढ़ा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.11 प्रतिशत है। 2000 से 2004 तक (चार वर्षों) महोबा जनपद में नामांकन 4 गुने से अधिक बढ़ा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 44.03 प्रतिशत है तथा चित्रकूट जनपद में नामांकन लगभग 3 गुने से अधिक बढ़ा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 39.13 प्रतिशत है। इस अवधि में सबसे अधिक नामांकन 54 वर्षों में बाँदा जनपद का रहा है। ललितपुर में 24 वर्षों में नामांकन 12 सात गुना बढ़ा है व इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.17 प्रतिशत है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालक/बालिकाओं का नामांकन :

सन् 1950-51 से सन् 2004-05 तक मण्डल के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के नामांकन की स्थिति सारिणी क्रमांक 6.5 पर दर्शाया गया है-

सारिणी क्रमांक - 6.5

चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का नामांकन

जनपद	नमांकन संख्या		योग
	बालक	बालिका	
बाँदा	38250	27400	65650
हमीरपुर	22400	16300	38700
महोबा	15260	11000	26260
चित्रकूट	18370	11310	29680
मण्डल योग	**94280**	**66010**	**160290**

स्त्रोत - शिक्षा की प्रगति - 2004-05 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 6.5 से ज्ञात होता है कि पूरें मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कुल नामांकन में 41.18 प्रतिशत बालिकायें है। बाँदा जनपद में 41.73 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 42.11 प्रतिशत, महोबा जनपद में 41.88 प्रतिशत व चित्रकूट जनपद में 38.10 प्रतिशत नामांकन बालिकाओं का है तथा मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कुल नामांकन में 58.81 प्रतिशत बालक हैं। पूरे जनपद में सबसे कम

बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत चित्रकूट जनपद में है तथा सबसे अधिक हमीरपुर जनपद में।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या :

बुन्देलखण्ड व चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की संख्या सन् 1950-2005 तक अग्रांकित सारिणी क्रमांक 6.6 में दिखायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 6.6 से स्पष्ट होता है कि पूरे मण्डल में पूर्व माध्यमिक स्तर के अध्यापिकाओं की संख्या 54 वर्षों में 13 गुने की वृद्धि हुयी है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.93 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में अध्यापिकाओं की संख्या लगभग सात गुने से अधिक बढ़ी और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.81 प्रतिशत है। ललितपुर जनपद में लगभग चार गुने से अधिक बढ़ी और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.67 प्रतिशत है। जालौन जनपद में सात गुने से अधिक व हमीरपुर में आठ गुने से अधिक अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि हुयी। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.83 व 3.97 प्रतिशत है। तथा बाँदा जनपद में ग्यारह गुनी वृद्धि हुयी व औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.66 प्रतिशत है। सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर बाँदा जनपद में तथा सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर ललितपुर जनपद में रहा है। महोबा व चित्रकूट में वर्ष 2000-04 (चार वर्षो में) में पांच गुने व लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुयी है। महोबा में औसत वार्षिक वृद्धि दर 53.41 प्रतिशत व चित्रकूट जनपद में 10.34 प्रतिशत है।

सारिणी क्रमांक 6.6

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की संख्या

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	62	110	167	243	149	432	440	329	218	468	3.81
ललितपुर	-	-	-	74	66	90	95	136	176	348	6.67
जालौन	57	90	143	191	209	285	291	312	332	434	3.83
बाँदा	55	73	106	136	179	584	593	399	205	644	4.66
हमीरपुर	36	69	95	161	194	130	135	171	207	295	3.97
महोबा	-	-	-	-	-	39	44	83	122	216	53.41
चित्रकूट	-	-	-	-	-	80	87	111	134	215	28.03
मण्डल योग	210	342	511	805	797	1640	1685	1541	1394	2620	4.78

स्रोत - शिक्षा की प्रगति, सम्बन्धित वर्षो की सांख्यिकी शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की संख्या
शिक्षिकाओं की संख्या
700
600
500
400
300
200
100
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
01-02
02-03
03-04
04-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0 -7

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत :

सन् 2004-05 में सम्पूर्ण चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण के आधार पर अंग्राकित सारिणी में विवरण प्रस्तुत किया गया है :-

सारिणी क्रमांक 6.7

चित्रकूटधाम मण्डल में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का ग्रामीण तथा नगरीय आधार पर वर्गीकरण

क्षेत्र	शिक्षिकाओं का प्रतिशत	
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
ग्रामीण	98.50	1.50
नगरीय	92.40	7.60
योग	95.45	4.55

स्रोत - सांख्यिकीय विभाग उप शिक्षा निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल

सारिणी क्रमांक 6.7 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण संभाग में 95.45 प्रतिशत अध्यापिकाये प्रशिक्षित व 4.55 प्रतिशत अध्यापिकायें अप्रशिक्षित है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में से ग्रामीण क्षेत्र में 98.50 प्रतिशत अध्यापिकायें प्रशिक्षित व 1.50 प्रतिशत अध्यापिकायें अप्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 92.40 प्रतिशत अध्यापिकायें प्रशिक्षित व 7.60 प्रतिशत अध्यापिकायें अप्रशिक्षित हैं। अध्ययन के दौरान पाया गया कि नगरीय क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की तुलना में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है। इसका कारण राजनैतिक दबाव, व्यक्तिगत व्यवहार, व कम वेतन पर अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर ली जाती है। जिससे शिक्षा के स्तर पर गिरावट आ रही है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात :

वर्ष 1950-51 से 2004-05 तक के प्रत्येक दस वर्ष में संभाग के प्रत्येक जनपद में शिक्षिका-बालिका अनुपात अथवा प्रति शिक्षिका-छात्रा संख्या निम्नांकित है :-

सारिणी 6.8 से दर्शाया गया है कि :-

सारिणी क्रमांक 6.8

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	17	23	23	18	55	29	30	75	165	59
ललितपुर	-	-	-	15	58	45	43	62	68	40
जालौन	17	25	22	20	44	35	35	65	81	70
बाँदा	14	28	50	60	57	10	14	38	98	43
हमीरपुर	18	24	22	14	39	41	41	60	68	55
महोबा	-	-	-	-	-	66	59	111	115	51
चित्रकूट	-	-	-	-	-	38	41	56	75	52
मण्डल योग	16	25	28	24	49	27	28	61	95	52
उत्तर प्रदेश	24	24	26	27	37	41	42	98	159	121

स्त्रोत - शिक्षिकाओं व बालिकाओं की संख्याओं के आधार पर निर्मित

सारिणी 6.8 से ज्ञात होता है कि मण्डल में विभिन्न वर्षों में शिक्षिका-बालिका अनुपात बहुत बदलता रहा है। इसकी सीमायें 10 से लेकर 165 तक रही। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस वर्ष छात्राओं का नामांकन बढ़ा उसके अनुसार शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हुयी उस वर्ष यह अनुपात बढ़ गया है। लेकिन जिस वर्ष शिक्षिकाओं की अधिक नियुक्तियाँ हुयी और नामांकन में सामान्य वृद्धि हुयी उस वर्ष यह अनुपात कम हो गया है। मण्डल के सभी जनपदों में शिक्षिका-बालिका अनुपात में अधिक उतार-चढ़ाव हुआ है। कुल संभाग में औसत अनुपात 52 रहा और कुल प्रदेश में शिक्षिका-बालिका अनुपात 121 रहा। प्रदेश के अनुपात में यह जान पड़ता है कि शिक्षिकाओं की नियुक्तियाँ छात्रों के बढ़ने के साथ नहीं हुई है। इसके प्रत्येक वर्ष अनुपात में बड़ी विषमता आ गयी है। सबसे अधिक अनुपात वर्ष 2003-04 में झाँसी जनपद में 165 रहा इस अनुपात से पता चलता है कि छात्राओं के नामांकन के अनुसार शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हुयी है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पर व्यय :

चित्रकूटधाम मण्डल से सम्बन्धित जनपदों में 54 वर्षों की अवधि के प्रत्येक दसवें वर्ष में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर हुये प्रत्यक्ष व्यय को अग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है :-

सारिणी क्रमांक 6.9 से ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 से 2004-04 तक के 54 वर्षों की अवधि में संभाग के अन्दर पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर व्यय लगभग 16163 गुना बढ़ गया है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 19.66 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में 6034 गुना, ललितपुर में 47 गुना, जालौन जनपद में 18729 गुना, बाँदा जनपद में 10476 गुना, हमीरपुर जनपद में 28285 गुना, महोबा जनपद में 18 गुना व चित्रकूट जनपद में 13 गुना वृद्धि हुई जिनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 17.49 प्रतिशत, 17.48 प्रतिशत, 19.98 प्रतिशत, 18.70 प्रतिशत, 20.90 प्रतिशत, 107.34 प्रतिशत व 92.50 प्रतिशत है। अध्ययनीय अवधि में प्रत्येक दसवें वर्ष में तथा सन् 2000 के पश्चात् हर वर्ष में इस मण्डल में विभिन्न जनपदों की पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर किये गये व्यय की प्रगति रेखा चित्र क्रमांक-8 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 6.9

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	2900	47700	140160	629200	5696000	8140000	10842000	12000000	14400000	17500000	17.49
ललितपुर	-	-	-	264000	1960000	3000000	4800000	7200000	9600000	12600000	17.48
जालौन	960	34650	208800	345660	2560000	5100000	9275000	10800000	15680000	17980000	19.98
बाँदा	1680	43520	230760	657360	4200000	7050000	9600000	14000000	15600000	17600000	18.70
हमीरपुर	700	27800	127200	519000	2300000	4880000	6300000	11340000	15360000	19800000	20.90
महोबा	-	-	-	-	-	424200	1170000	2500000	5000000	7840000	107.34
चित्रकूट	-	-	-	-	-	549100	1527600	3300000	6000000	7540000	92.50
मण्डल योग	6240	153670	496920	2415220	16716000	29143300	43514600	61140000	81640000	100860000	19.66

स्रोत - संकलन रजिस्टर सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)
व्यय करोड़ रूपयों में
25
20
15
10
5
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0 -8

सन् 1950-51 में मण्डल में कुल शैक्षिक व्यय का सर्वाधिक 46 प्रतिशत झाँसी जनपद पर व्यय हो रहा है उससे कम बाँदा में 27 प्रतिशत, जालौन में 15 प्रतिशत तथा सबसे कम हमीरपुर जनपद में 11 प्रतिशत व्यय हो रहा था परन्तु सन् 2004 में झाँसी जनपद में 17 प्रतिशत, ललितपुर में 12 प्रतिशत, जालौन में 17 प्रतिशत, बाँदा में 17 प्रतिशत व हमीरपुर में 19 प्रतिशत व्यय हुआ है। सन् 2004-05 में व्यय वितरण में कुछ समानता आ गई है। व्यय के विवरण को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा के व्यय वितरण में मण्डल के सभी जनपदों में लगभग समानता की दृष्टि से देखा गया है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा में प्रति विद्यालय व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 तक अवधि में प्रत्येक पाँचवें वर्ष में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर व्यय अग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 6.10 से ज्ञात होता है कि 54 वर्षों की अवधि में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय बढ़ा है। झाँसी जनपद में सन् 1950-51 में प्रति विद्यालय 580 पर रुपये था, जो बढ़कर 2004-05 में 350000 हो गया है। बाँदा जनपद में 420 रुपये से बढ़कर 320000 रुपय, जालौन जनपद में 240 रुपये से बढ़कर 310000 रुपये तथा हमीरपुर से 350 से बढ़कर 300000 रुपये हो गया है। ललितपुर जनपद में 8800 से बढ़कर 300000, महोबा व चित्रकूट जनपद में क्रमशः 30300 से बढ़कर 280000 व 32300 से बढ़कर 290000 हो गया है। इन जनपदों में सबसे ज्यादा झाँसी जनपद व सबसे कम महोबा जनपद का है। इन जनपदों में क्रमशः 603 गुना, 761 गुना, 1291 गुना, 857 गुना, 34 गुना, 9 गुना व 8 गुने अधिक की वृद्धि हुई। मण्डलीय मानक से जालौन व हमीरपुर का प्रति विद्यालय व्यय अधिक व झाँसी, बाँदा व ललितपुर का व्यय कम है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा में प्रति बालिका व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 की समयावधि में प्रत्येक दसवें वर्ष में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय अग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 6.10

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों के पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय (रु0 में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	580	4770	4380	11440	178000	220000	278000	300000	320000	350000
ललितपुर	-	-	-	8800	70000	100000	150000	200000	240000	300000
जालौन	240	4950	8700	8230	80000	100000	175000	200000	280000	310000
बाँदा	420	5440	6412	9960	120000	150000	200000	280000	300000	320000
हमीरपुर	350	5560	8480	10380	50000	80000	10000000	180000	240000	300000
महोबा	-	-	-	-	-	30300	78000	125000	200000	280000
चित्रकूट	-	-	-	-	-	32300	80400	150000	250000	290000
मण्डल योग	397.50	5180	6992.50	9762	99600	101800	151628.57	205000	261428.57	307142.85

स्त्रोत - संकलन रजिस्टर सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सारिणी क्रमांक 6.11

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय (रु० में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	2.81	18.66	36.40	140.54	692.60	636.33	830.10	483.57	400.00	631.31
ललितपुर	-	-	-	239.56	509.09	738.18	1167.88	854.29	800.00	900.64
जालौन	.99	15.70	67.14	90.39	276.15	504.85	899.87	529.15	580.74	590.28
बाँदा	2.22	21.65	43.52	80.17	408.08	1167.79	1164.05	925.98	780.00	642.34
हमीरपुर	1.05	16.52	60.23	235.80	304.11	906.55	1146.49	1104.18	1097.14	1214.72
महोबा	-	-	-	-	-	165.96	448.10	269.69	357.14	712.72
चित्रकूट	-	-	-	-	-	181.94	426.58	530.38	600.00	666.66
मण्डल योग	1.77	18.13	51.82	139.29	438.00	614.51	869.01	671.03	659.29	765.52

स्त्रोत - सांख्यिकीय विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आंकड़ों के आधार पर।

सारिणी क्रमांक 6.11 को देखने से स्पष्ट होता है कि सन् 1950-51 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय झाँसी में 2.81 व बाँदा 2.22 तथा हमीरपुर जनपद में 1.05 रुपया था। इस स्तर की शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय सबसे कम जालौन जनपद में .99 था। सम्भागीय मानक रु0 1.77 से जालौन और हमीरपुर जनपदों में प्रति बालिका व्यय कम था परन्तु इस सत्र में सबसे अधिक व्यय हमीरपुर जनपद में 1214.72 रु0 है। झाँसी में 631.31, जालौन में 590.28, ललितपुर में 900.64, बाँदा में 642.34, महोबा में 712.72 व चित्रकूट जनपद में 666.66 रु0 है। सम्भागीय मानक 765.52 है। जालौन व हमीरपुर में प्रति बालिका व्यय सम्भागीय मानक से अधिक है। प्रति बालिका व्यय में यह असमानता शैक्षिक सुविधाओं में समानता के सिद्धान्त के विपरीत है जो संभाग के सभी जनपदों में इस स्तर की शिक्षा के विकास में बाधक सिद्ध होती है।

प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण राज्य से तुलना :

प्रस्तुत अध्याय में मण्डल की पूर्व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की विवेचना करते समय प्रदेश से उसकी तुलना यदा-कदा की गयी है। किन्तु तुलना समवेत रूप में करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल की पूर्व माध्यमिक शिक्षा की स्थिति खराब है इसके लिये विद्यालय और नामांकन बढ़ाने के लिये विशिष्ट गति से वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। मण्डल में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.86 है जबकि प्रदेश में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत है। इस स्तर की शिक्षा में मण्डल में नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.09 प्रतिशत है जबकि प्रदेश में नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.28 प्रतिशत है, जो मण्डल की तुलना में कम है। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश की तुलना में मण्डल के विद्यालयों का भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं से परिपूर्ण होना।

मण्डल में शिक्षिकाओं की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.93 प्रतिशत रही है। जबकी पूरे प्रदेश में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.65 प्रतिशत है। यह आंकड़े भी लगभग समान है। सन् 2004-05 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के शत-प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षिकायें है। इस मण्डल में 95.45 प्रतिशत शिक्षिकायें प्रशिक्षित है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.05 प्रतिशत है जबकि मण्डल में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 19.66 प्रतिशत है, जो प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि से बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति प्रदेश की प्रगति से बहुत अच्छी है।

अध्याय-सप्तम्

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बालिका)

- उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास
- चित्रकूटधाम मण्डल में किये गये स्त्री शिक्षा के प्रयास
- चित्रकूटधाम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रगति
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन
- चित्रकूटधाम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या
- चित्रकूटधाम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का प्रतिशत
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पर व्यय
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में प्रति विद्यालय व्यय
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय
- प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बालिका) :

शिक्षा संरचना में माध्यमिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। शैशवावस्था के संस्कारों का पोषण और परिपक्वीकरण इसी स्तर की शिक्षा में होता है। यही शिक्षा बालक को एक ओर जीवन के निकट लाती है, तो दूसरी ओर उसे जीविकोपार्जन योग्य अथवा उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने योग्य बनाती है। यही प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की एक अनिवार्य कड़ी है। यह प्रारम्भिक शिक्षा के लिए शिक्षकों का निर्माण करती है और दूसरी ओर उच्च शिक्षा की अपेक्षित सफलता का आधार बनती है। डॉ0 मिश्र के अनुसार- "देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ही ढांचे में ढ़लते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता इसी स्तर पर उत्पन्न की जाती है। दुर्भाग्यवश शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, उतनी ही निर्बल और उपेक्षित भी रही है।"[1]

सन् 1947 में देश के स्वतन्त्र होने पर हमारे देश के जिन नेताओं ने शासन संभाला वे ब्रिटिश शासन की शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को भलीभांति जानते थे। अतएव उनका ध्यान शिक्षा की सुधार की ओर आकर्षित हुआ। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 18 फरवरी, 1948 को कहा कि हमारे राष्ट्रीय बजट में अब शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। किन्तु दुर्भाग्य से इस समय बड़ी विकट समस्यायें उठ खड़ी हुयी थीं।

ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा सुधार के लिए शिक्षाविदों की अनेक समितियां और सम्मेलन बुलाये गये उनमें शिक्षा की प्रतिकृति निर्धारित करने का विचार किया गया। "यद्यपि जनतंत्रीय समाज के लिए माध्यमिक शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा की श्रृंखला में इसको सामान्यतः सबसे निर्बल कड़ी माना जाता है।"[2] भारत के माननीय शिक्षाविद् हुमायूँ कबीर ने ऐसा क्यों कहा? यह शिक्षा ऐसी गति को कैसे प्राप्त हुई? इसको जानने के लिए ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि देखना आवश्यक हो गया है। वैदिक युगीन एवं मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था में केवल दो ही स्तर थे प्रारम्भिक और उच्च। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात ईसाई मिश्नरियों ने किया। "माध्यमिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धनी भारतीयों को अपने अंग्रेज शासकों की भाषा को सीखने की मांग की पूर्ति करना था।"[3] 1835 में लार्ड

---

1. मिश्र आत्मानन्द, शिक्षा की समस्यायें, भोपाल (म0प्र0) हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1978, पृ0सं : 236
2. हुमायूँ कबीर, एजूकेशन इन न्यू इंडिया, पृष्ठ सं0-42
3. एस0एन0 मुखर्जी, एजूकेशन इन इंडिया, टुडे एण्ड टुमारो, पृष्ठ सं0-111

विलियम बैन्टिक ने "मैकाले के विवरण पत्र" को स्वीकार करके, यह निश्चय किया कि शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला सम्पूर्ण धन, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से चलायी जाने वाली कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय किया जाये।[1]

वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से देश में विश्वविद्यालय स्थापित हुये जिनको परीक्षा लेने का अधिकार दिया गया। सन् 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सहायता अनुदान प्रणाली का समर्थन किया और माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बाँट कर विभिन्न पाठ्यक्रमों को अपनाने का सुझाव दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में माध्यमिक शिक्षा पर अपना नियन्त्रण कठोर कर दिया। सैडलर कमीशन 1917 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना का संकेत किया और इण्टरमीडिएट का विश्वविद्यालयों से अलग करने का सुझाव दिया। सार्जेन्ट रिर्पोट 1944 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये अमूल्य सुझाव दिये।

स्वतत्रंता के बाद भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार डॉ0 ताराचन्द्र[2] की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जिसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि 12 वर्ष रखी गयी जिसमें 5 वर्ष जूनियर बेसिक, 3 वर्ष सीनियर बेसिक या पूर्व माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा दी जाये। माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिये बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया। डॉ0 राधाकृष्णन कमीशन 1948 ने[3] अपनी जाँच के फलस्वरूप यह पाया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुदालियर कमीशन 1952-53 ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिये पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण एवं बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया।

कोठारी कमीशन 1964-66 ने[4] माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये नवीन संगठन, पाठ्यक्रम, व्यवसायीकरण आदि के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन समितियों और आयोगों के सुझावों में सबसे अधिक प्रभावशाली सुझाव मुदालियर कमीशन के

---

1. गुन्नार मिरडल, एशियन ड्रामा, वाल्यूम- III, पृष्ठ सं0-938-939
2. ताराचन्द समिति, 1948, कमेटी ऑन सेकेण्ड्री एजूकेशन कमीशन इन इंडिया, 1948, न्यू देलही मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, 1948
3. यूनीवर्सिटी एजूकेशन कमीशन रिपोर्ट, 1948-49 मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, न्यू देलही
4. रिपोर्ट ऑफ द एजूकेशन कमीशन, 1964-66, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, न्यू देलही

है।[1] जिसके अनुसार पूरे देश में 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा 12 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और तीन वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स रखा गया। उत्तर प्रदेश शासन ने 3 जुलाई 1948 को प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन योजना लागू की थी। उसके अन्तर्गत सभी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों का पुनर्गठन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम से किया गया। आचार्य नरेन्द्र देव समिति ने भी इसी संरचना को स्वीकार किया और इस स्तर की शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की यह प्रतिकृति (पैटर्न) मुदालियर कमीशन द्वारा संस्तुत संरचना में प्रायः भिन्न है। मुदालियर कमीशन ने केवल नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा तक को उच्चतर माध्यमिक स्तर माना है तथा बारहवीं कक्षा को उपाधि पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर उसे त्रिवर्षीय करने का सुझाव दिया गया है। कोठारी कमीशन ने भी उत्तर प्रदेश की तरह बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा है। इस प्रकार मुदालियर कमीशन के सुझावों को अपनाने वाले प्रदेशों में प्रायः त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया है। जिससे उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने में छः वर्ष लगते है। उत्तर प्रदेश में भी यह अवधि छः वर्ष की ही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पूरे देश के लिये 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा की गयी, पर तब इसे लागू नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस संरचना को लागू करने पर बल दिया गया। आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) प्राथमिक के अन्तर्गत आती है और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है। आज प्रायः सभी प्रान्तों में प्रथम 10 वर्षीय पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिये समान है और +2 पर वर्गीकरण है।

1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0) ने खुले विद्यालयों की स्थापना की और माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की शुरुआत की। 1989 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय खुला विद्यालय (National Open School) में समुन्नत किया। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन के लिये अनेक योजनायें चलायी गई जिनमें +2 पर व्यवसायीकरण करने हेतु प्रान्तीय सरकारों को विशेष आर्थिक सहायता देना विशेष महत्व रखता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह प्रयास सन्तोषजनक माना जा सकता है, परन्तु 10+2+3 शिक्षा संरचना के दर्शन

---

1. रिपोर्ट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन कमीशन, 1952-53, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, न्यू देलही

की दृष्टि से यह बहुत कम है, उसका अभी और प्रयास करना है। अतएव यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा संरचना एक मजबूत कड़ी बने, जो इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को वहन करने में समर्थ हो।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास :

सन् 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ जिसमें सामाजिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जैसे गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को यद्यपि वरीयता दी गयी थी लेकिन राजनीतिज्ञों, नेताओं तथा समाज के प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक खोलने पर अधिक बल दिया। सन् 1951-52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुयी। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। शिक्षा संस्थाओं में तकनीकि और व्यवसायिक विषयों को लागू किया गया। सन् 1953 में आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुयी। उसकी सिफारिशों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा में कई परिर्वतन किये गये। इसी वर्ष मुदालियर कमीशन की भी रिपोर्ट प्रकाशित हुयी परन्तु प्रदेश सरकार ने उसकी अनुशंसाओं को लागू नहीं किया। प्रायः जमींदार लोग अपनी माल-गुजारी से कुछ अंश शिक्षा के लिये देते थे। परन्तु 1952 में जमींदारी प्रथा खत्म होने से उन्होनें अपना हाथ शिक्षा से खींच लिया जिसके कारण बहुत सी संस्थाओं का विकास अवरूद्ध हो गया। ऐसी संस्थायें पूर्ण शासन के आश्रित हो गये। ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण में माध्यमिक शिक्षा का विकास धीरे-धीरे होता रहा।

सन् 1950-51 से 1953-54 के मध्य 1950-51 में बालिका राजकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के लिये 18 बसों के खरीदने के लिये 225000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।[1] इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में नये माध्यमिक विद्यालय खोले गये। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भवन निर्माण एवं सुधार हेतु 302250 रु0 का अनुदान दिया गया। राजकीय शिक्षा संस्थानों को इस कार्य हेतु 351200 रु0 का अनुदान दिया गया। इस वर्ष बालिकाओं की शिक्षा में सर्वतोमुखी प्रगति हुयी। 23 राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण के क्रय हेतु 13700 रु0 दिये गये तथा एक सौ निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में साज-सज्जा तथा उपकरण आदि के लिये 39400 रु0 का अनुदान दिया गया।[2] दस बालिका हाईस्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा खोलने की अनुमति दी गयी। बालिका विद्यालयों में विज्ञान अध्यापिकाओं की कमी के कारण अवकाश प्राप्त

---

1. जनरल रिपोर्ट ऑन एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 31 मार्च, 1948, इलाहाबाद, 1950, पृष्ठ सं0-5, 49, 73
2. शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की वार्षिक आख्या, 31 मार्च, 1951, इलाहाबाद, 1952, पृष्ठ सं0-26-35

अध्यापक नियुक्त किये गये। सन् 1953-54 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु जो कमेटी नियुक्त की गयी थी उसने अपनी रिर्पोट मई 1953 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इसके पश्चात् जुलाई 1954 को आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिर्पोट के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया।

वर्ष 1954-55 से 1959-60 के मध्य सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये। 1954-55 में सरकार ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु 3 लाख रु0 स्वीकृत किये। सहायता प्राप्त बालक एवं बालिकाओं के विद्यालयों में काष्ठोपकरण एवं साज-सज्जा समान आदि की व्यवस्था करने के क्रमशः 49000 तथा 36000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया तथा बालिका विद्यालयों में बसे खरीदने के लिये 60000 रु0 स्वीकृत किये गये।[1] 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो चुकी थी विकास के नये आयाम सामने थे। बालिकाओं के लिये चार हाईस्कूल एटा, बिजनौर, बाँदा तथा बाराबंकी को इण्टरमीडिएट तक बढ़ाया गया। वर्ष 1957-58 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग विषयों का समावेश किया गया। इस वर्ष 20 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिये खोले गये। वर्ष 1959-60 की अवधि में उच्चतर माध्यमिक क्षेत्र में सबसे विशिष्ट बात यह हुई कि 1958 में इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट संशोधित किया गया। उस एक्ट की धारा 7 को छोड़कर अन्य धाराये 23 जनवरी 1959 को लागू कर दी गयी जिसके द्वारा शिक्षकों को सुरक्षा मिली।

वर्ष 1960-61 से 1964-65 की अवधि में उत्तराखण्ड के नव निर्मित जिलों में शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं के 74 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को काष्ठोपकरण और समान के लिये 36000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया। 14 विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु 35000 रु0 का अनुदान और 19 विद्यालयों में क्रीड़ागन हेतु तथा खेल का समान खरीदने के लिये क्रमशः 37000 तथा 49000 रु0 का अनुदान दिया गया।[2] वर्ष 1963-64 में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सुधार एवं प्रसार के लिये प्रयास किये गये। सन् 1964-65 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को संगठित करने के लिये, शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने, विविध प्रकार के अनुदान देकर शैक्षिक स्थिति को दृढ़ करने की नीति अपनायी गयी।

---

1. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1953-54, इलाहाबाद पृष्ठ सं0-34-37
2. एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1960-61, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद 1968, पृष्ठ सं0-25-39

जनवरी सन् 1965 से बालिकाओं की शिक्षा को हाईस्कूल तक निःशुल्क करने की योजना बनायी गयी। इसके कारण छात्राओं की शिक्षा को एक उत्साह की लहर दौड़ गयी। 1964-65 में बालिकाओं के 24 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का उच्चीकरण हाईस्कूल स्तर राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी था। इसके अतिरिक्त 14 बालकों एवं 7 बालिकाओं के राजकीय विद्यालयों को इण्टरमीडिएट स्तर तक साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों को उन्नत किया गया।[1]

वर्ष 1967-68 से 1980-81 के मध्य माध्यमिक शिक्षा में काफी सुधार किया गया। वर्ष 1967-68 में शिक्षकों को पुरूस्कृत करने की योजना चालू की गयी। तथा प्रादेशिक स्तर पर सम्मानित करने की योजना का शुभारम्भ किया। 1968-69 में सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार देने हेतु रु0 11,700 शासन द्वारा स्वीकृत किया गया। 1969-70 में प्रदेश के पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50 गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सुधार हेतु 1 लाख रु0 का अनुदान दिया गया। 1973-74 में 60 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान दिया तथा 47 शिक्षक-शिक्षिकाओं की योग्यता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन हेतु दक्षता पुरस्कार प्रदान किया गया। 1 मार्च 1974 से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लाभार्थ सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू की गयी।[2] वर्ष 1975-76 पचमं वर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चलाया गया।

वर्ष 1976-77 में मैदानी क्षेत्र में एक बालिका हाईस्कूल को इण्टर स्तर तक तथा पर्वतीय क्षेत्र में 13 विद्यालयों को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत किया गया। जिसमें 11 बालकों तथा 2 बालिकाओं के विद्यालय थे। जबकि 1977-78 में मैदानी क्षेत्र में 11 बालक 11 बालिका एवं पर्वतीय क्षेत्र में 16 बालक तथा 3 बालिकाओं के राजकीय हाईस्कूल खोले गये। वर्ष 1979-80 में 54सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या तथा सेनेटरी सुविधा के लिये 7 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता, 34 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला एवं विज्ञान उपकरण

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1965-66, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-13-19
2. उत्तर प्रदेश, 1976, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1977, पृष्ठ सं0-98

के लिये 15 विद्यालयों को पुस्तकालय हेतु एवं 25 ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष व्यवस्था करने हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1985-86 से 1989-90 के मध्य उच्च्तर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया है प्रदेश में जहां पर बालिकाओं का कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सातवीं पंचवर्षीय योजना में खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5691, जिसमें बालक विद्यालयों की संख्या 4872 व बालिका विद्यालयों की संख्या 819 है। इन विद्यालयों में बालक/बालिकाओं की सम्मिलित संख्या 4408290 है। इसी प्रकार इन सभी विद्यालयों में अध्ययन कार्य में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या क्रमशः 104524 व 20535 है। 1987-88 में मैदानी क्षेत्र के लिये 14.20 लाख रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये 50000 रु0 का प्रावधान विद्यालयों के पुस्तकालय सम्बर्द्धन के लिये प्रावधान प्रस्तावित है।[1] वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बालिकाओं की माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ मैदानी क्षेत्र के 69 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 4 विद्यालयों के लिये अनुदान स्वीकृत करना प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1989-90 में गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के लिये 1.25 लाख रु0 अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया गया। इसी वर्ष 18 तहसीलों में 18 राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने का लक्ष्य था जिसमें 18 राजकीय कन्या हाईस्कूल तथा क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुसार 9 विद्यालय कुल 27 राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुयी है।[2]

वर्ष 1990-91 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या वृद्धि पर सेनिटरी सुविधा कक्षा-कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु 16.14 लाख रु0 स्वीकृत किये गये। पुस्तकालय संवर्द्धन प्रदान करने हेतु 13. 39 लाख रु0 स्वीकृत किये गये। सहायता प्राप्त बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की उनमें अध्ययनरत बालिकाओं को शौचालय एवं कॉमन रूम की व्यवस्था हेतु सरकार ने विशेष प्राविधान किया है। वर्ष 1991-92 में 100 बालक व 100 बालिका विद्यालयों हेतु रु0

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1987-88, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-12-13
2. शिक्षा की प्रगति, 1989-90, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-14-15

10 हजार प्रति विद्यालय की दर मैदानी क्षेत्र में 14.09 लाख रु0 का प्राविधान है व पर्वतीय क्षेत्र में 1.00 लाख रु0 का परिव्यय रखा गया है। 1993-94 में मान्यता प्राप्त मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने के लिए टोकन बजट प्राविधान है इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु 9 करोड़ 24 हजार रु0 का प्राविधान स्वीकृत है व पर्वतीय क्षेत्र के 23 विद्यालयों को 50 लाख का प्राविधान है।[1]

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के मध्य काफी सुधार हुआ। 1994-95 में गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के लिए विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारी के वेतन वितरण हेतु रु0 1158.92 लाख एवं रु0 60.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। लेकिन 1078.92 लाख एवं 107.50 लाख का व्यय हुआ। इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 6637 इनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 5819599 है। वर्ष 1995-96 में मान्यता प्राप्त 25 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु 73.31 लाख रु0 का बजट शासन से प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं हेतु मैदानी क्षेत्र के 104 विद्यालयों के लिए 57.98 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्र के दो विद्यालयों के लिए 1.20 लाख रु0 का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसी वर्ष मैदानी क्षेत्र की 423 असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल/राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण का लक्ष्य था किन्तु कुल 4 असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना की गयी। 1996-97 में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7003 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 5452245 है। इनमें अध्यापन कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 137569 है।[2]

वर्ष 1999-2000 में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 8549 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 5795677 है इसमें अध्यापन कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 141332 शैक्षिक प्रगति हेतु माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उपर्युक्त योजनायें इस वर्ष से संचालित हैं। साथ ही सहायता प्राप्त एल0टी0 प्रशिक्षण विद्यालय विभागीय अनुदान सूची पर हैं, जिन्हें

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1991-92 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-14-15
2. शिक्षा की प्रगति, 1996-97 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-16-17

प्रतिवर्ष आवर्तक अनुरक्षण तथा मंहगाई स्वीकृत किया जाता है। के0पी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद, डी0ए0वी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर, किशोरी रमण एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ। इसी वर्ष प्रदेश में 120 (जिसमें 32 एंग्लोइण्डियन स्कूल भी सम्मिलित हैं) ऐसी संस्थायें हैं जो काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हैं और 123 ऐसी संस्थायें हैं जो सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसी संस्थायें हैं जिनको कक्षा 8 तथा कक्षा 9 तक उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 275 है।[1]

वर्ष 2001-02 में संचालित माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9063 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 5517071 है। इनमें अध्यापन कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 127297 है। वर्ष 1989-90 के प्लस दो स्तर पर प्रारम्भ की गयी। केन्द्र पुरोनिर्धारित व्यावसायिक शिक्षा योजना पांच चरणों में कुल 910 माध्यमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इन 910 माध्यमिक विद्यालयों में 192 शासकीय एवं 718 अशासकीय विद्यालय सम्मिलित हैं। उत्तराखण्ड राज्य स्थापित हो जाने के फलस्वरूप 118 विद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत आ गये हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अब 792 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। जनपद स्तर पर योजना में क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु 60 सहजिला विद्यालय निरीक्षण तथा 60 सांख्यिकीय सहायकों के पद सृजित है। किन्तु ये पद भरे नहीं गये हैं। संस्था स्तर पर प्रधानाचार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा व दिशा निर्देश देने हेतु उच्च स्तरीय राज्य व्यावसायिक शिक्षा परामर्शदात्री समिति का पुनगर्ठन वर्ष 1996 में किया गया है।[2]

वर्ष 2002-03 में प्रदेश में कुल 11524 माध्यमिक विद्यालय संचालित है जिसमें 548 राजकीय तथा 10976 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है। इसमें 4435 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 62 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है।[3]

---

1. शिक्षा की प्रगति, 1999-2000 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-16-17
2. शिक्षा की प्रगति, 2001-02 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-25-26
3. शिक्षा की प्रगति, 2002-03 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-26-27

माध्यमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के साथ पठन-पाठन की व्यवस्था में सुधार के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये हैं[1]:-

1. असेवित विकास खण्डों में बालिका/इण्टर विद्यालयों की स्थापना।
2. सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्ध तंत्रों के सहयोग से कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान।
3. माध्यमिक विद्यालयों का भवन-निर्माण।
4. विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
5. असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन (बालक/बालिका)।
6. राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण।
7. विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट।
8. माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था।
9. कन्या विद्या धन योजना।
10. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना।
11. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण।
12. माध्यमिक शिक्षा परिषद।
13. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन।
14. शैक्षिक कार्यक्रमों का सुगम तथा प्रभावी क्रियान्वयन।
15. परीक्षा फल में सुधार लाया जाना।

वर्ष 2003-04 में प्रदेश में कुल 12387 माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें 548 राजकीय तथा 10976 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है इसमें 4435 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 7404 वित्त विहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 63.34 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर "क्लास प्रोजेक्ट" योजना, विज्ञान शिक्षा में

---

1. शिक्षा की प्रगति, 2002-03 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-6-12

सुधार योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना, नेशनल फिटनेस कोर योजना चल रही है।[1]

वर्ष 2004-05 में प्रदेश में कुल 12766 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। जिसमें 548 राजकीय तथा 12218 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें 4474 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 7744 वित्तहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 67-64 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में चार प्रकार की कम्प्यूटर शिक्षा योजनायें संचालित हैं।[2]

1. क्लास प्रोजेक्ट योजना
2. 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब योजना।
3. भारत सरकार के आई0टी0 मंत्रालय के अन्तर्गत विद्यावाहिनी योजना।
4. कम्प्यूटर साक्षरता योजना।

सारिणी क्रमांक 7.1 से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 54 वर्षों में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत है। बालिकाओं के विद्यालय में सन् 1950 से 2004 के बीच लगभग 17 गुने की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.40 प्रतिशत है। ये बालिका विद्यालय कुल विद्यालयों के 20 प्रतिशत हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन लगभग 16 गुना बढ़ा जिसकी वृद्धि की प्रतिशतता 5.29 है। इसी प्रकार बालिकाओं के नामांकन में भी 34 गुने की वृद्धि हुई है। जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 6.79 प्रतिशत है। अध्ययनीय अवधि के प्रारम्भिक वर्षों में 14 से 18 वय वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत 3.83 प्रतिशत था जो 2004-05 में बढ़कर 85.61 प्रतिशत हो गया। 54 वर्ष बाद 2004-05 में यह प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 85.61 प्रतिशत हो गया।

---

1. शिक्षा की प्रगति, 2003-04 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-26-27
2. शिक्षा की प्रगति, 2004-05 शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0-6-14

सारिणी क्रमांक 7.1

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति 1950-2004

मद/वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
विद्यालय संख्या	987	1771	3415	5178	5999	8459	9063	11524	12387	12766	4.85
बालिका विद्यालय संख्या	154	282	581	758	886	1501	1608	2504	2576	2639	5.40
कुल नामांकन	417405	912077	2315736	3448323	4768406	5321830	5517071	6283356	6333707	6764358	5.29
बालिका नामांकन संख्या	57825	154485	463977	695829	11455932	1572239	1629787	1861415	1876352	2004102	6.79
14 से 18 वय वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत	3.83	8.48	15.60	20.80	35.02	43.09	55.60	69.14	74.23	85.61	5.94
बालकों का प्रतिशत	86.15	83.06	79.96	79.82	75.93	70.46	70.46	70.38	70.38	70.37	-0.37
बालिकाओं का प्रतिशत	13.85	16.94	20.04	20.18	24.07	29.54	29.54	29.62	29.62	29.62	1.42
कुल शिक्षकों की संख्या	18227	36076	79646	115864	126172	123516	127297	133542	134899	137902	3.81
शिक्षिकाओं की संख्या	2774	5854	14836	19747	19522	24149	25581	28966	29296	29296	4.49
प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या (प्रतिशत में)	52.2	68.5	78.3	80.10	85.7	90.56	94.24	96.50	97.21	98.80	1.19
कुल व्यय	16595	33610	182428	1646506	5802473	19059496	19275324	21251632	35184850	40326273	15.53
कुल प्रत्यक्ष व्यय (प्रतिशत में)	38.2	39.4	39.3	43.3	44.5	42.6	46.9	51.2	49.2	52.6	0.91

स्त्रोत - 1. उ0प्र0 की मुख्य साख्यिकी, शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2. शिक्षा की प्रगति सम्बन्धित वर्षों की शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या में 1950-2004 के बीच सात गुने से अधिक की वृद्धि हुयी है। इनकी संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.81 रही है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल शिक्षिकाओं की संख्या दस गुना बढ़ी और इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.49 प्रतिशत है। प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या 52.2 से बढ़कर 98.80 प्रतिशत हो गयी है।

इस अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय भार 2430 गुना बढ़ गया है। जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.53 प्रतिशत है। प्रथम वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत 38.2 था और अन्तिम वर्ष में 43.3 प्रतिशत हो गया है। राजकीय विद्यालयों में निरन्तर वृद्धि होने के साथ उसी अनुपात में व्यय भी बढ़ना चाहिये लेकिन इस दिशा में इतनी वृद्धि नहीं हो सकी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री शिक्षा के प्रयास :

वर्ष 1950-51 से 1960-61 के मध्य संभाग में 38 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इनमें से झाँसी जनपद में 17, बाँदा जनपद में 04, जालौन जनपद में 10 और हमीरपुर जनपद में 07 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इन जनपदों में क्रमशः 64, 36, 55 व 40 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। सन् 1950-51 आर्थिक कठिनाइयों का काल था। हाईस्कूलों को इण्टर कक्षाओं तक उठाना था जिसमें बहुत से धन की आवश्यकता थी। भवनों की कमी को दूर करने के लिए शासन ने भवन अनुदान देना शुरू किया जिसमें झाँसी और बाँदा विशेष रूप से लाभान्वित हुये। छात्राओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए झाँसी जनपद के अंचल में एक विद्यालय खोला गया। बाँदा जनपद में एक विद्यालय को इण्टरमीडिएट तक बढ़ाया गया। झाँसी जनपद के ललितपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 5 लाख का प्राविधान किया गया। 1958 में इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट पारित होने से शिक्षकों को विशेष सुरक्षा मिली।

वर्ष 1960-61 से 1970-71 के मध्य संभाग में 64 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इनमें झाँसी जनपद में 13, जालौन में 25, बाँदा जनपद में 20 व हमीरपुर जनपद में 06 विद्यालय खोले गये। संभाग में इन दस वर्षों में 260 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। इनमें से झाँसी में 70, जालौन में 90, बाँदा जनपद में 36 व

हमीरपुर जनपद में 64 नियुक्तियां की गयी। यद्यपि यह काल दैवी आपदाओं तथा विदेशी आक्रमणों से ग्रस्त रहा था फिर भी बुन्देलखण्ड में विशेष प्रयास किये गये। 1965 में बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क बनाने की योजना बनायी गयी जिसके परिणामस्वरूप संभाग में छात्राओं की शिक्षा में विकास हुआ। इस अवधि में 13 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया जिसमें बाँदा से 3, 7 जालौन और 3 झाँसी में थे। 1967-68 में शिक्षकों को पुरस्कृत करने की योजना लागू की गयी। 1969-70 में बुन्देलखण्ड संभाग में 25 गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सुधार हेतु रु0 50000 का अनुदान दिया गया। दो राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को हाईस्कूल स्तर तक उन्नत किया गया।

वर्ष 1970-71 से 1980-81 के बीच संभाग में 96 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। जिनमें से 16 झाँसी जनपद में, 30 बाँदा जनपद में, 70 जालौन में व 19 हमीरपुर जनपद में खोले गये। 1975 में ललितपुर को एक नया जनपद बना दिया गया जो पहले झाँसी जनपद में शामिल था। जिसकी सांख्यिकी को भी झाँसी के साथ मिलाकर ही प्रस्तुत किया गया है। संभाग में 315 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। जिनमें झाँसी जनपद में 111, जालौन जनपद में 70, बाँदा जनपद में 30 व हमीरपुर जनपद में 19 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी थी। 1970 से 75 की अवधि में देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए सरकार को सभी स्तरों पर खर्चों पर कटौती करनी पड़ी। युद्ध से उत्पन्न समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। संभाग में बालकों को तीन तथा बालिकाओं के एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण एवं नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।

वर्ष 1980-81 से 1990-91 की अवधि में संभाग में 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। जिसमें ललितपुर जनपद में 01, जालौन में 04, बाँदा जनपद में 03 व हमीरपुर जनपद में 07 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। किन्तु झाँसी जनपद में इन 10 वर्षों के मध्य विद्यालयों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 133 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी लेकिन बाकी जनपदों में पहले की अपेक्षा अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं की

संख्या में कमी का कारण ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि गैर सहायता प्राप्त उन विद्यालयों को बन्द कर दिया गया है जो अपर्याप्त संख्या के अभाव में नहीं चल पा रहे थे।

वर्ष 1990-91 से 2000-01 के मध्य मण्डल में इन दस वर्षों में 87 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इनमें झाँसी जनपद में 16, ललितपुर में 03, जालौन में 27, 03 बाँदा जनपद में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी। लेकिन हमीरपुर जनपद में 01 अध्यापिका में कमी आयी। वर्ष 1997-98 में झाँसी मण्डल बनाया गया जिसे चित्रकूटधाम मण्डल में परिवर्तित कर दिया गया और इसके अन्तर्गत चार जनपद बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट आते हैं। इसके पूर्व चित्रकूट, बाँदा व महोबा, हमीरपुर जनपद में सम्मिलित था।

वर्ष 2000-01 से 2001-02 के मध्य मण्डल में 49 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। जिसमें झाँसी जनपद में 11, ललितपुर जनपद में 03, जालौन जनपद में 15, बाँदा जनपद में 03 व हमीरपुर जनपद में 01 नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में झाँसी जनपद में 20, ललितपुर में 08, जालौन में 08, बाँदा में 01 व हमीरपुर जनपद में 02, महोबा में 04 व चित्रकूट जनपद में 11 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी तथा पूरे मण्डल में 54 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 2001-02 से 2002-03 के इस एक वर्ष के अन्तराल में मण्डल में 141 नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। जिसमें झाँसी जनपद में 39, ललितपुर जनपद में 14, जालौन में 19, बाँदा में 19, हमीरपुर में 17, महोबा व चित्रकूट में क्रमशः 14, 19 नये विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, महोबा में क्रमशः 49, 41, 161, 31, 18 अध्यापिकायें नियुक्त की गयी। लेकिन हमीरपुर व चित्रकूट में अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी है।

वर्ष 2002-03 में 2004-05 के इस दो वर्ष के अन्तराल में मण्डल में 42 विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो गयी। जिसमें झाँसी जनपद में 12, ललितपुर में 06, जालौन में 11, हमीरपुर में 01, महोबा में 08 व चित्रकूट में 05 विद्यालय नये खोले गये। किन्तु बाँदा जनपद में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुयी। वर्ष 2003-04 में अध्यापिकाओं की संख्या पिछले वर्ष की भांति रही, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन वर्ष 2004-05 में पहले की अपेक्षा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन वर्ष 2004-05 में पहले की अपेक्षा अध्यापिकाओं की संख्या में कमी आयी यह कमी ललितपुर जनपद में 80 अध्यापिकायें ही रह गयी। लेकिन झाँसी जनपद में 08, जालौन में 08, बाँदा में 06, हमीरपुर में 06, महोबा में 08 व अध्यापिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी चित्रकूट जनपद में पिछले वर्षों की भांति ही रहा।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रगति :

बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के सात जनपदों में सन् 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में बाँदा जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 27 गुने की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.29 प्रतिशत है। झांसी जनपद में 12 गुने की वृद्धि हुई है, इसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.76 प्रतिशत है। जालौन जनपद में विद्यालयों की प्रगति 18 गुने व इसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.49 प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में विद्यालयों की वृद्धि 13 गुने बढ़ी है। इस जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 4.86 प्रतिशत है। ललितपुर जनपद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 1975-76 में दर्शाया गया है। उसकी वृद्धि 8 गुने हुयी है जो कि सम्भाग में सबसे कम रही। इसकी औसत वृद्धि दर 9.33 प्रतिशत है। 1997 से चित्रकूट मण्डल बनने के पश्चात् दो नये जनपद शामिल हुये महोबा व चित्रकूट। महोबा व चित्रकूट दोनों जनपदों की प्रगति 3 गुने हुई है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर 37.25 व 34.27 प्रतिशत है। सम्पूर्ण मण्डल में यह वृद्धि 23 गुने है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.05 प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.85 से अधिक है।

सारिणी क्रमांक 7.2

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों की प्रगति

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	3	6	10	13	14	18	24	35	36	37	4.76
ललितपुर	-	-	-	4	3	4	8	30	32	34	9.33
जालौन	2	4	5	10	7	16	19	30	35	36	5.49
बाँदा	1	3	4	7	7	8	10	25	26	27	6.29
हमीरपुर	2	3	3	7	6	9	12	13	13	26	4.86
महोबा	-	-	-	-	-	5	7	24	25	18	37.25
चित्रकूट	-	-	-	-	-	4	8	17	17	13	34.27
मण्डल योग	**08**	**16**	**22**	**41**	**37**	**64**	**88**	**174**	**184**	**191**	**6.05**

स्रोत - सांख्यिकी विभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों की प्रगति
विद्यालयों की संख्या
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
01-02
02-03
03-04
04-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0-9

सारिणी क्रमांक - 7.3

चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक बालक-बालिकाओं के विद्यालय

2004-05

जनपद	विद्यालयों की संख्या		योग
	बालक	बालिका	
बाँदा	54	27	81
चित्रकूट	39	13	52
हमीरपुर	39	26	65
महोबा	31	18	49
योग	**163**	**84**	**247**

स्त्रोत - शिक्षा की प्रगति - 2004-05 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 7.3 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण मण्डल में सन् 2004-05 में 247 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जिनमें से 65.99 प्रतिशत विद्यालय बालकों के तथा 34.00 प्रतिशत विद्यालय लड़कियों के है। सम्पूर्ण सम्भाग के विद्यालयों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि बाँदा जनपद में 33.33 प्रतिशत, चित्रकूट जनपद में 25 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 40 प्रतिशत व महोबा जनपद में 36.73 प्रतिशत विद्यालय बालिकाओं के है। बालिकाओं के सबसे अधिक विद्यालय हमीरपुर जनपद में तथा सबसे कम चित्रकूट जनपद में है। इनमें से प्रत्येक जनपद में शेष प्रतिशत उच्चतर मााध्यमिक विद्यालय बालकों के है। उत्तर प्रदेश से तुलना करने से ज्ञात होता है कि पूरे उच्चतर माध्यमिक विद्यालायों में बालिकाओं के विद्यालयों की प्रतिशतता 20.67 है, जो सभी जनपदों से कम है। मण्डल की तुलना में भी उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रतिशतता कम है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन :

सन् 1950-2005 तक के आंकड़े बुन्देलखण्ड व 2000 से 2005 तक चित्रकूटधाम मण्डल से आंकड़े लिये गये है जिसे सारिणी क्रमांक 7.4 में देखा जा सकता है।

सारिणी क्रमांक 7.4

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	1624	3251	12230	20869	16812	23587	24571	24502	24695	26376	5.29
ललितपुर	-	-	-	3663	6522	6191	6463	6476	6535	6980	2.72
जालौन	836	1200	5836	7350	12267	14421	14805	14817	14935	15952	5.61
बाँदा	480	1687	3657	6257	9519	10000	9093	12375	12476	13325	6.34
हमीरपुर	610	1234	3398	5627	9836	9954	10375	9954	10036	10719	5.45
महोबा	-	-	-	-	-	3251	3399	3412	3442	3676	3.11
चित्रकूट	-	-	-	-	-	4668	6167	10906	10988	11736	25.92
मण्डल योग	**3550**	**7372**	**25121**	**43766**	**54956**	**72072**	**74873**	**82442**	**83107**	**88764**	6.14

स्रोत - सांख्यिकी विभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन
नामांकन हजार में
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
01-02
02-03
03-04
04-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0-10

सारिणी से स्पष्ट है कि सन् 1950-51 से 2004-05 तक की अवधि में मण्डल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में 25 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.14 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में नामांकन 16 गुने बढ़ा। इसकी औसत वृद्धि दर 5.29 प्रतिशत है। मण्डल के बाँदा जनपद में नामांकन में वृद्धि सर्वाधिक 27 गुने की हुई है, जबकि ललितपुर में सबसे कम 8 गुने की वृद्धि हुई। इसकी औसत वृद्धि दर क्रमशः 6.34 प्रतिशत और 2.72 प्रतिशत है। जालौन जनपद में नामांकन 18 गुना बढ़ा है, इसकी औसत वृद्धि दर 5.61 प्रतिशत है। इस अवधि में हमीरपुर जनपद में नामांकन लगभग 17 गुना बढ़ा और इसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.45 प्रतिशत की हुई। महोबा व चित्रकूट में 4 वर्षों में नामांकन में 1 गुना व 2 गुने की वृद्धि हुई है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर 3.11 व 25.92 प्रतिशत है।

झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपदों में मण्डल की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है लेकिन बाँदा जनपद में मण्डल की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। राज्य में नामांकन की वृद्धि प्रतिशत 5.29 प्रतिशत है जिसे झाँसी, जालौन, बाँदा व हमीरपुर में नामांकन की वृद्धि प्रतिशतता राज्य की तुलना में अधिक है व ललितपुर, चित्रकूट व महोबा में कम।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का नामांकन :

सन् 1950-51 से 2004-05 तक सम्भाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के नामांकन की स्थिति अंग्रकित सारिणी में दर्शायी गयी है-

सारिणी क्रमांक - 7.5

चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालक और बालिकाओं का नामांकन

जनपद	नामांकन संख्या		योग
	बालक	बालिका	
बाँदा	34189	13325	47514
चित्रकूट	25817	11736	37553
हमीरपुर	21689	10719	32408
महोबा	11198	3676	14874
मण्डल योग	**92893**	**39456**	**132349**

स्त्रोत - शिक्षा की प्रगति - 2004-05 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 7.5 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कुल नामांकन में 29.81 प्रतिशत, बालिकायें है। मण्डल में बाँदा जनपद में 28.04 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 33.08 प्रतिशत, महोबा जनपद में 24.71 प्रतिशत व चित्रकूट जनपद में 31.25 प्रतिशत बालिकायें अध्ययनरत है। इनके शेष प्रतिशत के नामांकन प्रत्येक जनपद में बालकों के है। बालिकाओं की सबसे कम प्रतिशतता महोबा जनपद में है। हमीरपुर व चित्रकूट जनपद को छोड़कर शेष दोनों जनपदों (बाँदा व महोबा) में सम्भागीय मानक से बालिकाओं की संख्या कम है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या :

चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्यापिकाओं की संख्या अध्ययनीय अवधि के प्रत्येक दस वर्ष में अग्रांकित सारिणी में दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 7.6 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पूरे मण्डल में उच्चतर माध्यमिक स्तर में अध्यापिकाओं की संख्या में 54 वर्षो में लगभग 16 गुने से अधिक की वृद्धि हुई और औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत 3.36 है। इस अवधि में झाँसी जनपद में अध्यापिकाओं की संख्या पन्द्रह गुने बढ़ी जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.57 प्रतिशत है। ललितपुर जनपद में 92वें गुने की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.33 प्रतिशत है। जालौन जनपद में 17 गुने की वृद्धि हुई और जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.32 प्रतिशत है। बाँदा जनपद में 28 गुने से अधिक की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.35 प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में 49 गुने की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.32 प्रतिशत है। महोबा व चित्रकूट जनपद में 63 गुने व 141 गुने से अधिक की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 12.06 व -8.33 प्रतिशत है। 54 वर्षों में मण्डल के सभी जनपदों में सर्वाधिक वृद्धि झाँसी जनपद में और सबसे कम ललितपुर जनपद में रहा। 4 वर्षों में महोबा व चित्रकूट जनपद में से चित्रकूट जनपद का औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम रहा।

सारिणी क्रमांक 7.6

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	86	150	220	331	464	493	513	562	563	571	3.57
ललितपुर	-	-	-	85	69	123	131	172	172	92	0.33
जालौन	50	105	195	265	118	114	122	283	283	291	3.32
बाँदा	40	76	112	142	112	100	101	132	134	140	2.35
हमीरपुर	41	81	145	164	109	76	78	76	77	83	1.32
महोबा	-	-	-	-	-	52	56	74	74	82	12.06
चित्रकूट	-	-	-	-	-	51	62	36	36	36	-8.33
मण्डल योग	**217**	**412**	**672**	**987**	**872**	**1009**	**1063**	**1335**	**1339**	**1295**	**3.36**

स्रोत - सांख्यिकी विभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या

रेखाचित्र सं0-11

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात :

चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में सन् 1950 से 2004-05 तक प्रत्येक दसवें वर्ष में शिक्षिका और बालिका अनुपात अग्रांकित सारिणी में दर्शायी गयी है। सारिणी क्रमांक 7.7 में बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के विभिन्न जनपदों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात से ज्ञात होता है कि विभिन्न जनपदों में बराबर बदलाव आता रहा है लेकिन चित्रकूट जनपद में निरन्तर गति दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस वर्ष छात्राओं का नामांकन बढ़ा, तदानुसार शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई, उस वर्ष यह अनुपात बढ़ गया है लेकिन जिस वर्ष शिक्षिकाओं की अधिक नियुक्तियां नहीं हुई और नामांकन में भी विशेष वृद्धि नहीं हुई, उस वर्ष यह अनुपात कम हो गया। सन् 2004-05 में झाँसी जनपद में यह अनुपात 46 है, लेकिन उसी वर्ष बाकी सभी जनपदों में यह अनुपात झाँसी की तुलना में अधिक है। इसका तात्पर्य है कि 54 वर्षों में झाँसी जनपद में सबसे अधिक शिक्षिका-बालिका अनुपात रहा तथा सबसे ज्यादा अनुपात चित्रकूट जनपद का रहा। इसका तात्पर्य है कि चित्रकूट जनपद में शिक्षिकाओं की नियुक्ति बालिकाओं के नामांकन की अपेक्षा नहीं हुई है। मण्डल में सभी जनपदों का अनुपात उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक रहा है।

सारिणी क्रमांक 7.7

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में जनपदों में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका-बालिका अनुपात

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	18	21	55	63	36	47	48	44	44	46
ललितपुर	-	-	-	43	94	50	49	38	38	76
जालौन	16	11	30	28	104	127	121	52	53	55
बाँदा	12	22	32	44	85	100	90	94	93	95
हमीरपुर	14	15	23	34	90	130	133	130	130	129
महोबा	-	-	-	-	-	63	60	46	47	44
चित्रकूट	-	-	-	-	-	91	99	303	305	32
मण्डल योग	**15**	**17**	**35**	**42**	**82**	**88**	**86**	**101**	**101**	**68**
उत्तर प्रदेश	**20**	**26**	**31**	**35**	**74**	**65**	**63**	**64**	**64**	**68**

स्रोत - शिक्षिकाओं की संख्या के आधार पर निर्मित।

माध्यमिक शिक्षा पर विद्यालय व्यय :

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में 54 वर्षों की अवधि में प्रत्येक दसवें वर्ष में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रत्यक्ष व्यय को अंग्राकित सारिणी में दर्शाया गया है :-

विगत पृष्ठ की सारिणी क्रमांक 7.8 से ज्ञात होता है कि सन् 1050-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों की अवधि में मण्डल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर लगभग 323 गुने व्यय बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.29 प्रतिशत है। इस अवधि में झाँसी जनपद में 242 गुने व्यय बढ़ गया है, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत है। बाँदा जनपद में 522 गुने की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 12.29 प्रतिशत है। जालौन जनपद में 146 गुने व्यय बढ़ गया है। जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.67 प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में 166 गुने की व्यय बढ़ा है जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.94 प्रतिशत है। ललितपुर जनपद के आंकड़ों को सन् 1980-81 में दर्शाया गया है। इसके पूर्व यह जनपद झाँसी जनपद में शामिल था। इस जनपद में 12 गुने व्यय बढ़ है जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.16 प्रतिशत है। महोबा व चित्रकूट जनपद 1998 से बना है जिसके आंकड़े 2000-01 से प्राप्त हुये हैं। पहले यह जनपद हमीरपुर व बाँदा जनपद में शामिल थे। महोबा तथा चित्रकूट जनपद में 4 गुने व्यय बढ़ा है।जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 46.54 व 43.71 प्रतिशत है।

सन् 1950-51 में मण्डल में कुल शैक्षिक व्यय का सर्वाधिक 35 प्रतिशत जालौन जनपद पर व्यय हो रहा है। उससे कम हमीरपुर जनपद में 28 प्रतिशत और झाँसी जनपद में 26 प्रतिशत खर्च हो रहा है। सबसे कम 10 प्रतिशत बाँदा जनपद में खर्च हेा रहा हैं। परन्तु सन् 2004-05 में विभिन्न जनपदों पर व्यय अधिक हो गया है। झाँसी जनपद में यह व्यय 19.72 प्रतिशत जो अन्य जनपदों से अधिक है। ललितपुर में 18.04 प्रतिशत, जालौन में 15.98 प्रतिशत, बाँदा जनपद में 16.54 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 14.48 प्रतिशत, महोबा जनपद में 8.83 प्रतिशत तथा चित्रकूट जनपद में 5.97 प्रतिशत व्यय बढ़ा है। व्यय के विवरण को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यय वितरण में मण्डल के सभी जनपदों को समान दृष्टि से नहीं देखा गया है।

सारिणी क्रमांक 7.8

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
झाँसी	47043	254436	439560	295750	3305960	4328100	6313584	9458225	10332864	11388600	10.70
ललितपुर	-	-	-	840860	669249	969540	2093496	8236652	9403424	10647443	11.16
जालौन	63212	160088	333750	1721220	1278620	3175472	4071225	6823440	8467830	9231408	9.67
बाँदा	18298	176868	274344	1667421	1891645	2418136	3242980	8408260	8879494	9554517	12.29
हमीरपुर	50090	131301	304932	1654898	1482450	2367594	3348684	3800981	3991540	8364200	9.94
महोबा	-	-	-	-	-	1105480	1656473	6052344	6693100	5098806	46.54
चित्रकूट	-	-	-	-	-	808500	1683248	3887662	4198422	3448198	43.71
मण्डल योग	**178643**	**722693**	**1352586**	**6180149**	**8627924**	**15172822**	**22409690**	**46667564**	**51966674**	**57733172**	**11.29**

स्रोत - सांख्यिकी विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आंकड़ों के आधार पर।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)
व्यय करोड़ रूपयों में
0
2
4
6
8
10
12
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
झाँसी
ललितपुर
जालौन
बाँदा
हमीरपुर
महोबा
चित्रकूट

रेखाचित्र सं0-12

माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 तक की अवधि में प्रत्येक दसवें वर्ष में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय अंग्राकित सारिणी में दर्शाया गया है :-

सारिणी क्रमांक 7.9 को देखने से ज्ञात होता है कि 54 वर्षों की अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय काफी बढ़ गया है। झाँसी जनपद में 1950-51 में प्रति विद्यालय व्यय रु0 15681.50 था जो 2004-05 में बढ़कर 307800.00 हो गया है। बाँदा जनपद में 1950-51 में रु0 18298.30 था जो बढ़कर 2004-05 में 353871.50 हो गया। जालौन जनपद में 1950-51 में रु0 31606.00 था जो बढ़कर अब 256428.26 हो गया है। हमीरपुर में 1950-51 में रु0 25045.00 था जो 2004-05 में 321700.00 हो गया है। ललितपुर जनपद 1975-76 से अलग हुआ पहले यह झाँसी जनपद में शामिल था सन् 1980-81 में रु0 210215.00 से बढ़कर 313160.00 हो गया है। महोबा व चित्रकूट पहले हमीरपुर व बाँदा जनपद में शामिल थे सन् 1997 से यह अलग जनपद बन गये हैं। महोबा जनपद में सन् 2000-01 में रु0 221096.20 था जो बढ़कर 283267.50 हो गया है तथा चित्रकूट में 202125.90 से बढ़कर 265246.70 हो गया है। यदि प्रति विद्यालय का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि झाँसी व बाँदा जनपद में 19 गुने की वृद्धि, जालौन में 8 गुने की वृद्धि व हमीरपुर जनपद में 12 गुने की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा झाँसी व बाँदा जनपद में वृद्धि हुयी तथा सबसे कम जालौन जनपद में।

माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय :

सन् 1950-51 से 2004-05 की समयावधि में प्रत्येक दसवें वर्ष में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय अग्रांकित सारिणी में दशार्या गया है-

सारिणी क्रमांक 9.10 से ज्ञात होता है कि सन् 1950-51 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय हमीरपुर जनपद में सर्वाधिक रुपया 82.11 था तथा सबसे कम प्रति बालिका व्यय झाँसी जनपद में रु0 28.96 था। मण्डलीय मानक रुपया 56.20 से जालौन व हमीरपुर जनपद का अधिक व शेष जनपदों का कम है। सन् 2004-05

सारिणी क्रमांक 7.9

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय (रु0 में)

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	15681.50	42406.80	73260.00	22750.10	236140.00	240450.00	263066.00	270235.00	287024.00	307800.00
ललितपुर	-	-	-	210215.00	223083.00	242385.06	261687.50	274555.00	293857.00	313160.00
जालौन	31606.00	40022.70	66750.11	172122.23	182660.40	198467.86	214275.25	227448.06	241938.00	256428.20
बाँदा	18298.30	58956.80	68586.10	238203.60	270235.00	302267.04	324298.75	336330.40	341519.60	353871.50
हमीरपुर	25045.00	43767.50	101644.10	236414.00	247075.00	263066.40	279057.09	292383.00	307041.00	321700.00
महोबा	-	-	-	-	-	221096.21	236639.00	252181.80	267724.60	283267.50
चित्रकूट	-	-	-	-	-	202125.90	210406.00	228686.30	246966.50	265246.70
मण्डल योग	**22657.71**	**46288.49**	**77560.00**	**195940.80**	**231838.60**	**238550.85**	**257202.42**	**268861.14**	**283724.14**	**300210.28**

स्रोत - सांख्यिकी विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सारिणी क्रमांक 7.10

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न जनपदों में माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय

जनपद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
झाँसी	28.96	78.28	35.94	14.17	196.64	183.49	256.95	386.01	418.41	431.78
ललितपुर	-	-	-	229.55	102.61	156.60	323.92	1271.87	1438.93	1525.42
जालौन	75.61	133.40	57.18	234.17	104.23	220.19	274.98	460.51	571.49	578.69
बाँदा	38.12	104.84	75.01	266.48	198.72	241.81	356.64	679.45	711.72	2873.53
हमीरपुर	82.11	106.40	89.73	294.09	150.71	237.85	322.76	381.85	397.72	780.31
महोबा	-	-	-	-	-	340.04	487.34	1773.84	1944.53	1387.05
चित्रकूट	-	-	-	-	-	173.20	272.94	356.47	382.09	1986.28
मण्डल योग	**56.20**	**105.73**	**64.46**	**207.69**	**148.60**	**221.88**	**327.93**	**758.57**	**837.84**	**1366.15**

स्रोत - सांख्यिकी विभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

तक के 54 वर्षों बाद भी इसी प्रकार की व्यय की असमानता दिखाई पड़ी। प्रति बालिका व्यय में जो वृद्धि हुई, वह महत्वपूर्ण है। बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के जनपदों में सबसे अधिक वृद्धि बाँदा जनपद में रु0 2873.53 है। हमीरपुर जनपद में रु0 780.31, जालौन जनपद में रु0 578.69 व झाँसी जनपद में रु0 431.78 प्रति बालिका व्यय में है। बाँदा जनपद को छोड़कर बाकी सभी जनपदों में प्रति बालिका व्यय मण्डलीय मानक 1366.15 से कम रहा है।

प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण राज्य से तुलना :

इस अध्याय में मण्डल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की विवेचना करते समय प्रदेश से यदा-कदा तुलना की गयी है। लेकिन बुन्देलखण्ड/चित्रकूट मण्डल के सन्दर्भ में तुलना करना अधिक उचित होगा।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में 54 वर्षो की समयावधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.05 प्रतिशत है जबकि सम्पूर्ण प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत है। प्रदेश की तुलना में मण्डल में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक है। मण्डल में नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.14 प्रतिशत है जबकि प्रदेश में इस स्तर की शिक्षा नामांकन 5.29 प्रतिशत है जो प्रदेश के नामांकन प्रतिशत से अधिक है।

मण्डल में शिक्षिकाओं की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.36 प्रतिशत है जबकि पूरे प्रदेश में इस स्तर पर शिक्षिकाओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.49 प्रतिशत है। यद्यपि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है लेकिन शासन के आदेशानुसार शिक्षिकाओं की नियुक्तिं पर शासकीय आदेशों की दृढ़ता से पालन किया गया। मण्डल में शिक्षिकाओं का प्रतिशत प्रदेश की तुलना में कम है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में प्रदेश के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.53 प्रतिशत है। जबकि मण्डल में 11.29 है। सम्भाग के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह महती आवश्यकता है कि मण्डल के व्यय में वृद्धि की जाये।

अध्याय-अष्टम्

उच्च शिक्षा (सामान्य) महिला

- भारत में उच्च शिक्षा का विकास
- स्वन्तत्रता पश्चात् उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति
- उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन
- चित्रकूटधाम मण्डल में उच्च शिक्षा का विकास
- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का विकास
- चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालय का विकास
- प्रगति के आधार पर उत्तर प्रदेश से तुलना

उच्च शिक्षा (सामान्य) महिला :

शिक्षा जीवन के विकास का प्रमुख साधन है। मानव जीवन को संयंत्र, सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित करने के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस शिक्षा के विविध रूप प्रचलित हैं जैसे- पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा आदि। सामान्यतया यह माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही उच्च शिक्षा का प्रारम्भ होता है जिसका निष्पादन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में किया जाता है। उच्च शिक्षा का जो स्वरूप हमारे सामने हैं उसमें उच्चता का अर्थ प्रायः माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा से ही होता है।

उच्च शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए हमें उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को समझना होगा। इस विषय में विश्वभर के विचारक एक मत है कि "उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के उस उदात्त रूप का अन्वेषण करना है जिससे मानव संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में विकास और उन्नति हो सके।"[1]

भारत के विभिन्न स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्वप्रथम वुड के घोषणा-पत्र (1854) में किया गया। इसके बाद भारत में जो भी शिक्षा आयोग गठित हुये सभी ने विभिन्न स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य जारी रखा। 1948 में भारत सरकार ने राधाकृष्णनू आयोग का गठन किया। इसने उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किये उन्हें निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है :-[2]

1. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो।
2. व्यक्तियों के आनुवांशिक गुणों को ज्ञात कर उनका विकास करना।
3. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सके।
4. ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो और समाज सुधार के कार्यों में सहयोग दे सके।

---

1. हैदरिगंटन एच0, दि सोशल फंक्शन ऑफ द यूनीवर्सिटीज लन्दन लिन्डसे प्रेस, 1953
2. डी0एस0 कोठारी, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1964-66, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1966 अध्याय-19, पैरा-10

5. ऐसे विवेकशील नागरिक तैयार करना जो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करे, ज्ञान की सदैव खोज करें, व्यवसाय का प्रबन्ध करें और देश में भौतिक अभावों की पूर्ति करें।
6. ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें, उसमें योगदान दें।
7. विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना।
8. विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।
9. विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना।
10. विद्यार्थियों में विश्वबन्धुत्व और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना।
11. विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास करना।

इसके बाद कोठारी आयोग (1964-66) ने उसके द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को अपेक्षाकृत कुछ संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में कहा गया है कि उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान की प्राप्ति और नवीन ज्ञान की खोज, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों की तैयारी, युवकों में विस्तृत दृष्टिकोण के विकास और राष्ट्र के बहुमुखी विकास का साधन है। आज भारत में उच्च शिक्षा के ये ही उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं :-

1. युवकों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना और उन्हें नये ज्ञान की खोज करने और सत्य की पहचान करने योग्य बनाना।
2. राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों, प्रशासक, संगठनकर्ता, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन आदि का निर्माण करना।
3. युवकों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की कुशलता और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता का विकास करना।
4. युवकों में विस्तृत दृष्टिकोण-सामाजिक समानता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करना।
5. युवकों को राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए तैयार करना।

6. शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदों को घटाने का प्रयत्न करना।

7. व्यक्ति एवं समाज से सत जीवन के विकास के लिए जिन मनोवृत्तियों एवं मूल्यों की आवश्यकता होती है। अध्यापकों एवं छात्रों में उनके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में उन्हीं मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का संवर्द्धन पोषण करना।

अतएव स्पष्ट है कि राष्ट्र जीवन, राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र शक्ति में उच्च शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका लक्ष्य सृष्टि के दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी धरातलों पर स्वयं अपने बारे में मनुष्य के बोध की गहराई देना होता है। समूचे समाज में इस बोध का प्रसार करना और मानव जाति की सेवा के लिए उसका उपयोग करना ही शिक्षा का कार्य बनता है।

भारत में उच्च शिक्षा का विकास :

भारत में शिक्षा के इतिहास का अध्ययन सामान्यतः तीन कालों के अन्तर्गत किया जाता है :–[1] .

1. प्राचीन काल
   (क) वैदिक काल
   (ख) बौद्धकाल
2. मध्यकाल
   (क) पूर्व मुगलकाल
   (ख) मुगल काल
3. आधुनिक काल
   (क) ईसाई मिशनरी काल
   (ख) ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल
   (ग) ब्रिटिश शासनकाल
   (घ) स्वतन्त्र काल

संसार में उच्च शिक्षा का श्रीगणेश सर्वप्रथम भारत वर्ष में हुआ। यहाँ वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में होती

---

1. लाल रमन बिहारी, ''भारतीय शिक्षा विकास एवं उसकी समस्यायें'', पृष्ठ सं0-420-426

थी। इस काल में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे इसलिये केवल ऋषि और गुरु कन्यायें या फिर राजे-महाराजों की पुत्रियों ही इस शिक्षा को प्राप्त कर पाती थी। परिणामतः इस काल में उच्च शिक्षा का विकास बहुत कम हुआ।

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समानान्तर बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। बौद्धों ने अपने मठों एवं विहारों में शिक्षा के द्वार सभी के लिये खोल दिये। इस काल में तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। इनमें 10-10 हजार छात्र-छात्राये अध्ययन करते थे। इस काल में उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन वैदिक काल की अपेक्षा कुछ अधिक हुआ।

मध्यकाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत 1192 में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक इस देश का पहला मुसलमान शासक था। उसने नालन्दा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बर्बरतापूर्ण नष्ट किया। और इसके स्थान पर मकतब व मदरसों का निर्माण किया। परिणामतः उच्च शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव 1556 में बाबर ने डाली। उसने भी अपने शासन काल में अनेक मदरसों का निर्माण कराया। उसके उत्तराधिकारी हुमायूँ ने भी कई बड़े मदरसे स्थापित किये। हुमायूँ के बाद अकबर गद्दी पर बैठा उसने मदरसों में भारतीय भाषा और साहित्यों की शिक्षा की भी व्यवस्था की। अकबर के बाद जहाँगीर और शाहजहाँ ने इस कार्य को जारी रखा लेकिन शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने हिन्दू शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर दिया जिससे उच्च शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया।

आज आधुनिक काल में उच्च शिक्षा का सूत्रपात सर्वप्रथम लारेन हेस्टिंग्ज ने 1781 में कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करके किया इस मदरसे में 7 वर्षीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गयी। इसमें शिक्षा का माध्यम अरबी था। इसके 10 वर्ष बाद 1791 में बनारस के तत्कालीन रेजीकेन्ट जानेथन डंकन (Sanathan Duncan) ने बनारस में 'बनारस संस्कृत कॉलिज' की स्थापना की। इस कॉलिज में भी 7 वर्षीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गयी। दोनों ही कॉलिज में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। 1798 में लार्ड वैलजली (Lord Wellesley) भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुये उन्होंने 1800 में कलकत्ता में यूरोपीय शिक्षा पद्धति पर आधारित 'फोर्ट विलियम कॉलिज' की स्थापना की। 1817 में ईसाई मिशनरियों ने सीरामपुर में सीरामपुर कॉलिज की स्थापना की और इसमें

पाश्चात्य भाषा, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की। इसी वर्ष राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में 'हिन्दू कॉलिज' की स्थापना की। इसमें बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित एवं ज्योतिष विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। 1821 में बम्बई प्रान्त के गवर्नर एलफिन्सटन ने पूना में ''पूना संस्कृत कॉलिज' की स्थापना की। 1854 में वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें शिक्षा को विभिन्न स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा में विभाजित करने की घोषणा की गयी और साथ ही मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गयी। 1857 में इन तीनों नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को सम्बद्धता देना तथा परीक्षा लेकर उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री देना था।

1857 की सैनिक क्रान्ति दबाने के बाद 1858 में से ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की बागडोर स्वयं संभाली। 1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippon) ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त हुये। इन्होंने 1882 में 'भारतीय शिक्षा आयोग' (हण्टर कमीशन) की नियुक्ति की। इसी श्रृंखला में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय बना। 1882 में भारत में केवल 4 विश्वविद्यालय और 68 महाविद्यालय थे और इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या केवल 5399 थी। 1902 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 5179 और 23009 हो गयी। 1902 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लार्ड कर्ज़न (Lord Curzon) ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1904 में लार्ड कर्ज़न ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली सुनिश्चित हुयी। 1913 में प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गयी परिणामस्वरूप 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय तथा 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की नियुक्ति की गयी। 1918 में उस्मानिया 1920 में ढाका, 1921 में अलीगढ़, 1922 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी। तभी हर्टाग समिति (1929) में उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियन्त्रण करने और उसके स्तर को उठाने की सिफारिश की। परिणामतः उसके प्रसार की गति धीमी पड़ गयी। परन्तु फिर भी 1930 में अन्नामलाई,

1937 में ट्रावनकोर, 1943 में उत्कल, 1946 में सागर और 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की।

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन् कमीशन) की नियुक्ति की गयी। 1951 से हमारे देश में सभी विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में शिक्षा पर कुल रु0 153 करोड़ व्यय किये गये, जिसमें से रु0 14 करोड़ विश्वविद्यालय शिक्षा (सामान्य एवं व्यावसायिक) पर व्यय किये गये। सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति (U.G.C.) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप समुन्नत किया। उससे अगले वर्ष 1954 में ग्रामीण उच्च समिति (Rural Higher Education Committee) का गठन किया गया। इस योजना के दौरान कई नये विश्वविद्यालयों और कई कृषि, वाणिज्य इंजीनियरिंग, विधि और शिक्षक-शिक्षा के स्वतन्त्र महाविद्यालयों की स्थापना की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में शिक्षा में कुल रु0 273 करोड़ व्यय किये गये, जिसमें से विश्वविद्यालयी शिक्षा (सामान्य एवं व्यावसायिक) पर रु0 48 करोड़ व्यय किये गये। जिससे तकनीकि शिक्षा पर कुल 49 करोड़ व उच्च तकनीकि शिक्षा में रु0 24 करोड़ व्यय किये गये। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जिससे उसके अधिकार और बढ़ गये। 1959 में राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) की शुरूआत की गयी और अनेक अन्य छात्र कल्याण योजनायें शुरू की गयी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में शैक्षिक योजनाओं पर कुल रु0 589 करोड़ व्यय किये गये, जिनमें से रु0 87 करोड़ विश्वविद्यालयी शिक्षा (सामान्य एवं व्यावसायिक) पर व्यय किये गये। इस योजना में तकनीकि शिक्षा पर 125 करोड़ व रु0 65 करोड़ उच्च तकनीकि शिक्षा के विकास पर व्यय किये गये। इस योजना के दौरान 1963 में उच्च शिक्षा संस्थाओं में 'राष्ट्रीय कैडिट कोर' (N.C.C.) की शुरूआत की गयी। इसी बीच 1964 में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की। 1968 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। पर इससे पहले भारत में श्री निकेतन (बंगाल), गाँधी धाम (मद्रास) जामिया मिलिया (नई दिल्ली) बिजपुरी (उ0प्र0) अमरावती एवं वर्धा (महाराष्ट्र) में इस प्रकार के ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार 1961 से 1968 के बीच

लगभग एक दर्ज़न नये विश्वविद्यालय और लगभग 400 नये महाविद्यालय स्थापित किये गये और उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकि शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए विशेष कदम उठाये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) शुरू होने से पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) की घोषणा हो चुकी थी। इस योजना में रु0 786 करोड़ में से रु0 195 करोड़ विश्वविद्यालयी शिक्षा पर व्यय किये गये। पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में रु0 912 करोड़ में से रु0 205 करोड़ विश्वविद्यालयी शिक्षा पर व्यय किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में से रु0 2530 में से रु0 559 करोड़ विश्वविद्यालयी शिक्षा (सामान्य एवं व्यावसायिक) पर व्यय किये गये। इस योजना के दौरान उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और उसके स्तर की ऊँचा उठाने पर विशेष बल दिया गया, साथ ही सतत् शिक्षा की व्यवस्था की गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शैक्षिक योजनाओं पर कुल रु0 7633 करोड़ व्यय किये गये जिसमें 1201 करोड़ रु0 विश्वविद्यालयी शिक्षा पर व्यय किये गये। इस योजना के दौरान 1985 में देहली में 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' (IGNOU) की स्थापना की और इस शिक्षा कार्यक्रमों का विकास किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में शैक्षिक योजनाओं पर कुल 19600 करोड़ में से रु0 1516 करोड़ तथा नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के 20381.6 करोड़ में से रु0 2500 करोड़ विश्वविद्यालयी शिक्षा पर आवंटित किये गये।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में शिक्षा के लिए रु0 42850 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिनमें से रु0 3607 करोड़ उच्च शिक्षा और रु0 4300 करोड़ तकनीकि शिक्षा के लिए आवंटित किये गये हैं। इस योजना के उच्च शिक्षा सम्बन्धी पाँच मुख्य लक्ष्य हैं :-

1. उच्च शिक्षा का विस्तार करना, वर्तमान में 18-23 आयु वर्ग के केवल 6 प्रतिशत युवक अध्ययनरत हैं, योजना के अन्त तक इन्हें 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
2. वर्तमान पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाना।
3. इस स्तर पर नये-नये पाठ्यक्रम शुरू करना।
4. उच्च तकनीकि शिक्षा संस्थानों को साधन सम्पन्न बनाना और
5. उच्च तकनीकि शिक्षा का स्तर उठाना।

पर देख हम यह रहे हैं कि सरकार उच्च शिक्षा के प्रसार की तरफ अधिक ध्यान दे रही है। देश भर में स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं सामान्य व्यावसायिक एवं तकनीकि की बाढ़ सी आ रही है। इससे उच्च शिक्षा का स्तर मान बनाये रखना कठिन होगा।

स्वतन्त्रता पश्चात् उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की प्रगति :

सन् 1950-51 से 1960-61 के मध्य प्रदेश में 10 विश्वविद्यालय थे। इसमें रुड़की विश्वविद्यालय को सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि यह सामान्य शिक्षा का न होकर केवल इंजीनियरिंग शिक्षा का है। केन्द्रीय सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को रु0 12.50 लाख तथा बनारस विश्वविद्यालय को रु0 23.51 लाख का अनुदान पोषण एवं विकास के लिए दिया। राज्य सरकार ने भी 1950-51 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बिना ब्याज में रु0 6 लाख का ऋण दिया जिससे वह अपने घाटे को पूरा कर सके। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय को रु0 1.5 लाख का आवर्ती तथा रु0 1.00 लाख का अनावर्ती अनुदान दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए सन् 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी इससे एक वर्ष बाद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया। इस योजना में गोरखपुर को रु0 9 लाख और संस्कृत विश्वविद्यालय को रु0 11.54 लाख दिये गये।

सन् 1960-61 से 1970-71 के दस वर्षों की अवधि में 02 विश्वविद्यालय खोले गये जिनमें से कानपुर विश्वविद्यालय व मेरठ विश्वविद्यालय थे। 1960 में उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया जो वित्तीय व्यवस्था और भूथम समिति की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित था। 1962-63 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और इरानी में पत्रोपधि पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये। बनारस विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सन् 1960-62 की अवधि में रु0 106.17 लाख छात्रवृत्ति और वजीफों में बांटे गये। शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान सरकार ने स्वीकृत कर दिये। विश्वविद्यालय के कुलपति अभी तक कोर्ट के द्वारा निर्वाचित किये जाते थे किन्तु अब मुख्य न्यायाधीश तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित तीन व्यक्तियों एक समिति द्वारा कुछ नामों की अनुशंसा की जाने लगी जिसमें से कुलाधिपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करते थे। सन् 1963-64 में आगरा विश्वविद्यालय में

सांख्यिकी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में संस्कृत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान व बनारस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, विज्ञान विभाग खोले गये। मेरठ विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया व एम0फिल0 की कक्षायें खोली।

सन् 1970-71 से 1980-81 के दस वर्षों की अवधि में 08 विश्वविद्यालय खोले गये। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रायः सभी क्षेत्रों में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने की नीति अपनायी। सन् 1973 में कुमायूँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। इनके एक वर्ष बाद फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आदि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1975 में फैजाबाद स्थित डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय शामिल थे। इसके अतिरिक्त गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, सहारनपुर भी है जिसे विश्वविद्यालय जैसी संस्था का स्तर शासन द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 1975 में पर्वतीय क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कॉलेज, पिथौरागढ़ व मैदानी क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर में कला संकाय में खोला गया। राज्य मे 24 राजकीय डिग्री कॉलेज सम्मिलित है। वर्ष 1976-77 में प्रदेश में 366 डिग्री कॉलेज खोले गये। इसी वर्ष मैदानी क्षेत्र के कॉलेजों को रु0 7,00,000 तथा पर्वतीय क्षेत्र के कॉलेजों को रु0 25,000 का विकास अनुदान स्वीकृत किया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त वर्सरी छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना में रु0 87000 का प्राविधान था। वर्ष 1978 में गाजीपुर (महिला) और चकिया (वाराणसी) में एक-एक नये डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1975-79 के मध्य प्रदश में 342 अशासकीय एवं 28 राजकीय डिग्री कॉलेज थे। अशासकीय महाविद्यालयों में 276 पुरुष तथा 75 महिलाओं के थे। 28 राजकीय डिग्री कॉलेजों में से 4 डिग्री कॉलेज वर्ष 1978-79 में खोले गये जिनमें राजकीय महाविद्यालय, चरखारी (हमीरपुर), राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार (रायबरेली), राजकीय महिला महाविद्यालय (बाँदा) तथा राजकीय महाविद्यालय (देवरिया) शामिल हैं।

वर्ष 1980-81 से 1990-91 के मध्य 354 अशासकीय एवं 53 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें महिला महाविद्यालयों की संख्या 85 है। वर्ष 1980-81 में 867

नवीन छात्रवृत्तियां तथा विगत वर्षों की छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण एवं शिक्षा संहिता में विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता में निमित्त 5287000 रु0 की धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान है। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृतित 761000 रु0 एवं 35000 रु0 का प्राविधान किया गया है। 1980 से 1990 के मध्य 05 विश्वविद्यालय और खोले गये जिनमें 1981 में दयालबाग एजूकेशनल शिक्षण संस्थान आगरा, 1983 में पशु चिकित्सा अनुसंधान सस्थान इज्जतनगर, बरेली, 1987 में वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, 1989 में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ व केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ, वाराणसी में स्थापित की गयी।

वर्ष 1982-83 में शासन द्वारा तीन जनपदों में राजकीय महाविद्यालय खोले गये। राजकीय महाविद्यालय नोएडा, गाजियाबाद, राजकीय महाविद्यालय ओबरा मिर्जापुर, राजकीय महाविद्यालय महोबा हमीरपुर। शिक्षा में एकरुपता लाने के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व लखनऊ विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। अशासकीय महाविद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शासकीय अंशदान हेतु रु0 25.80 लाख का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों की समस्याओं के निराकरण एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु वर्तमान में गोरखपुर एवं लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 11 व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना की जा चुकी हैं। पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना हेतु वर्ष 1986-87 के लिए रु0 50 हजार स्वीकृत है। वर्ष 1988-89 में असेवित एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में सीमित साधनों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी- राजकीय महाविद्यालय कर्वी बांदा, राजकीय महाविद्यालय बारामऊ उन्नाव, राजकीय महाविद्यालय सैदपुर गाजीपुर, राजकीय महाविद्यालय खटीमा नैनीताल। इसी वर्ष इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में खोला गया।

वर्ष 1990-91 से 1998-99 के मध्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को सुसंगत एवं व्यवसायपरक बनाने के लिए पाठ्यक्रम पुनर्संरचना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर बहुत बल दिया गया है। वर्ष 1990-91 में फतेहपुर में एक राजकीय महिला महाविद्यालय

की स्थापना की गयी है तथा 6 अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय वि0वि0) लखनऊ सहित कुल 22 विश्वविद्यालय, 5 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 486 महाविद्यालय है। महिला महाविद्यालयों की संख्या 108 है।

वर्ष 1991-92 मे उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इण्डियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश में दो छात्र-छात्रओं को 300 रु0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु रु0 29000 का प्राविधान है। यह छात्रवृत्ति शोधरत छात्रों को 3 वर्ष तक देय हाती है। उच्च शिक्षा के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर तथा मेरठ में स्थापित हैं। यू0जी0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना नोएडा, गाजियाबाद में की गयी है।

वर्ष 1994-95 में प्रदेश में 9 विश्वविद्यालय तथा 7 महाविद्यालयों में व्यवसायपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। इस समय 21 विश्वविद्यालय, 5 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 486 महाविद्यालय हैं जिनमें से 27 उत्तराखण्ड, 7 बुन्देलखण्ड, 13 पूर्वी पिछड़े क्षेत्र तथा 21 मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। प्रदेश में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब तक अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए 6 तथा शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1996-97 में पाठ्यक्रमों को सुसंगत एवं व्यवसायपरक बनाने के लिये पाठ्यक्रम पुनर्संरचना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर बहुत बल दिया गया है। वर्ष 1998-99 में प्रदेश शासन द्वारा राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में की गयी है।

वर्ष 1999-2000 में अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 631 हो गयी है। जिसमें सहशिक्षा के 482 तथा महिलाओं के 149 महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में से

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 356 है। प्रदेश के मैदानी तथा उत्तराखण्ड क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों मेडिकल एवं तकनीकि कॉलेजों तथा राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रतिभावान निर्धन तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। 31 जनवरी 2000 तक कुल 132 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं इनमें से मैदानी क्षेत्र में 98 तथा उत्तराखण्ड में 34 शासकीय महाविद्यालय है।

वर्ष 2000-01 में 758 महाविद्यालयों में अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 656 जिसमें सहशिक्षा के 506 तथा महिलाओं के 150 महाविद्यालय हैं तथा राजकीय महाविद्यालय की संख्या बढ़कर 102 हो गयी है। जिसमें 44 राजकीय महाविद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य हो रहा है। उच्च शिक्षा में रु0 2902.67 लाख व्यय किया जा रहा है। शिक्षकों की समयबद्ध प्रोन्नति हेतु लागू "कैरियर एडवासमेण्ट स्कीम" लागू कर प्रोन्नति के अवसर के साथ उच्च शिक्षा के मानक स्तर को बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2002-03 में 945 महाविद्यालयों में अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 834 हो गयी है। इन महाविद्यालयों में से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 345 है। विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के विकास तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रांगण के विकासार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाते हैं, जिससे इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें लाभान्वित होते हैं।

वर्ष 2003-04 में 1117 महाविद्यालयों में अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 1006 हो गयी है। इन महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 345 है तथा अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की संख्या 661 है। आयोजनागत मद में भवन निर्माणार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 650.00 लाख का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के निर्देश पर वर्ष 1969-70 में प्रथम बार 2500 स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं पर लागू की गयी थी लेकिन अब वृद्धि हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार क्रमशः 7.5 अनुपात में व्यय वहन करते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु0 120.00 प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु0

200.00 प्रति छात्र दस दिवसीय विशेष शिविर अनुदान विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2004-05 में 1438 महाविद्यालयों में शासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 115 है तथा अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 1323 हो गयी है। इन महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 345 है तथा अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की संख्या 978 है। राजकीय महाविद्यालयों के विकासार्थ आयोजनागत मद में कई योजनायें प्रस्तावित हैं। जिसके अन्तर्गत इनके भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। आयोजनागत मद में भवन निर्माणार्थ वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु0 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण कराने हेतु रु0 1200.00 लाख तथा राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के विस्तार एवं विद्युतीकरण हेतु रु0 200.00 लाख का पूँजीगत मद में प्राविधान किया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में सन् 1950-51 से 2004-05 के मध्य उच्च शिक्षा में जो विकास हुआ उसे सारिणी क्रमांक 8.1 में दर्शाया गया है। इस 54 वर्ष के काल खण्ड को दस-दस वर्षों के अन्तराल से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों, उनमें पुरुष, महिलाओं की संख्या, नामांकन तथा छात्र-छात्राओं की संख्या प्रतिशतता लिखी गयी है। तत्पश्चात् पुरुष-महिला शिक्षको की संख्या, कुल प्रत्यक्ष व्यय तथा उनकी औसत वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत भी दिखाया गया है।

सारिणी नं0 8.1 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में 54 वर्षों में कुल महाविद्यालयों की संख्या लगभग 35 गुना बढ़ी है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.85 है। जबकि महिला महाविद्यालयों की संख्या 45 गुने से अधिक बढ़ी है। यदि विश्लेषण करके देखा जाय तो पता लगता है कि वर्ष 1990-2000 के बीच महिला महाविद्यालयों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देने के कारण हुई। कुल नामांकन में 47 गुने की वृद्धि है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.40 प्रतिशत है। जबकि महिलाओं के नामांकन में 209 गुने की वृद्धि हुयी है और इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.40 प्रतिशत है। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं के नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2000 और 2004 के बीच हुई। इससे पता चलता है कि छात्रायें छात्रों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उच्च शिक्षा की ओर प्रवृत्त हुई।

सारिणी क्रमांक 8.1

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा (सामान्य) की प्रगति 1950-51 से 2004-05

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत वार्षिक वृद्धि दर
महाविद्यालयों की संख्या	40	128	247	361	419	758	835	945	1117	1438	6.85
महिला महाविद्यालयों की संख्या	06	20	53	86	88	178	192	212	231	273	7.33
कुल नामांकन	29798	67702	185375	355670	559627	988286	1092992	1119178	1144049	1409470	7.40
छात्राओं का नामांकन	2504	8743	39133	60222	155904	360619	435449	438494	441215	523948	10.40
छात्रों का प्रतिशत	91.60	87.90	78.80	83.07	72.14	63.51	60.16	60.82	61.43	62.83	-
छात्राओं का प्रतिशत	8.4	12.9	21.1	16.9	27.86	36.49	39.84	39.18	38.57	37.17	-
प्राध्यापकों की संख्या	1249	3444	8266	10136	11300	14209	14485	14529	14545	14621	4.66
प्राध्यापिकाओं की संख्या	74	331	1446	2264	3011	3430	3522	3525	3530	3539	7.42
कुल प्रत्यक्ष व्यय (रु0 में)	6369797	19376088	79026765	201118342	211267671	221417000	221412010	116086033	234005088	705149000	9.11

स्त्रोत - 1. शिक्षा की प्रगति, 1950-51 से 2004-05 शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

प्रदेश में शिक्षकों की संख्या में लगभग 11 गुने की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.66 है। पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.42 है। इन 54 वर्षों का विवेचन करने से ज्ञात होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता सराहनीय है। इससे हमारे संवैधानिक निर्देशो की पूर्ति होती दिखायी देती है। इन महाविद्यालयों में व्यय सम्पूर्ण भारत के व्यय से अधिक तीव्रता से बढ़ा है। इन महाविद्यालयों में व्यय 110 गुना बढ़ा है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.11 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन :

शिक्षा का प्रशासन एक जटिल समस्या है क्योंकि इसमें न केवल भौतिक वस्तुओं पर ही वरन् अनेक मानवीय तत्वों एवं व्यवहारों पर भी ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। मानवीय तत्वों में बालक, अध्यापक, माता-पिता, लिपिक, चपरासी, देश के नागरिक इत्यादि का समावेश है। भौतिक वस्तुओं में विद्यालय खेल का मैदान, साज-सज्जा और शैक्षणिक उपकरण शामिल हैं। अतएव साधनों को जुटाना ही आवश्यक नहीं होता वरन् उन्हें समायोजित एवं समन्वित करना भी जरूरी है। इस समन्वय को करने के लिए मानवीय साधनों एवं भौतिक साधनों में उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने के लिए शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिससे उत्तम हो सके। शिक्षा संस्थाओं को उच्च आदर्श तक पहुँचाने के लिए उसके संगठन एवं संचालन में अधिकाधिक कुशलता, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके, आवश्यक होता है।

शिक्षा प्रशासन को सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना गया है जिसके माध्यम से शैक्षणिक क्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किये जाते है।[1] शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ-साथ मानवीय सम्बन्धों की व्यवस्था से भी सम्बन्धित है। अर्थात् व्यक्तियों के मिल-जुल कर और अच्छे ढ़ंग से कार्य करने से इसका प्रयोजन शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी साधनों, सामग्रियों तथा व्यक्तियों का सुगठन कर शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना है। यह शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने की एक गतिविधि है। यह लोक प्रशासन के एक वृहद क्षेत्र

---

1. हाक्स, विस तथा रफनर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल एण्ड प्रोसिडयूस न्यूयार्क प्रिंटिंग हॉल 1949, पृष्ठ सं0 : 2

का ही एक अंग है। इसके अन्तर्गत शिक्षा का आयोजन, संगठन, संचालन, समन्वयन, नियन्त्रण तथा मूल्याकंन की क्रियायें होती हैं।[1]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

आधुनिक काल में शिक्षा का प्रशासन सर्वप्रथम बंगाल प्रान्त की प्रेसीडेन्सी में 17 जुलाई सन् 1823 को 'जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रेक्शन' द्वारा प्रारम्भ हुआ। सन् 1843 में प्रान्तीय स्तर पर ऐसी ही एक कमेटी उत्तर-पश्चिम प्रान्त आगरा, अवध में भी की गयी। शिक्षा विभाग की नींव प्रान्त के लेफ्टीनेन्ट गर्वनर जैम्स टामसन ने डाली। जब उन्होंने हल्का बन्दी स्कूलों के लिए विजिटर एवं प्रान्त के लिए विजिटर जनरल की नियुक्ति की। सन् 1854 के वुड डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक लोक शिक्षण विभाग कायम किया जाये। अतः सन् 1855 में विजिटर जनरल का नाम संचालक लोक शिक्षण (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन) रख दिया गया और प्रान्त को चार वृत्तों (सरकिल्स) में बाँटा गया।

लार्ड कर्ज़न ने शिक्षालयों पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए इस विभाग का गठन किया "भारतीय शिक्षा सेवा" के कुछ लोगों को स्थान दिया गया परन्तु सन् 1923 में आयोग ने इसकी भर्ती समाप्त कर दी।

द्वैध शासन में जब भारतीय मंत्रियों और अंग्रेज अधिकारियों में खींचतान होने लगी तब इन अफसरों की भर्ती बन्द कर दी गयी और 1938 तक इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया गया इसकी जगह पर प्रान्तीय सेवा आरम्भ की गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति तक शिक्षा का प्रशासन लगभग इसी प्रकार रहा।

स्वतन्त्रयोत्तर काल में :

सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा प्रशासन का पुनर्गठन और विस्तार किया गया। संचालक लोक शिक्षण का नाम बदलकर शिक्षा निदेशक कर दिया गया। शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय इलाहाबाद में था। किन्तु सरकार की सुविधा के लिए लखनऊ में भी एक कैम्प ऑफिस खोला गया। समस्त राज्य को पाँच क्षेत्रों में विभाजित करके जो बाद में आठ भागों में विभाजित किया गया और अब 10 क्षेत्रों में बाँटा है। प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय उपसंचालक (रीजनल डिप्टी डायरेक्टर) नियुक्त किया गया। प्रत्येक जिले की एक

---

1. डॉ0 मिश्र आत्मानन्द, शिक्षा कोष, कानपुर ग्रन्थम् 1977, पृष्ठ सं0-177

जिला शासन शिक्षा निरीक्षक के पास रखा गया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका शिक्षा की क्षेत्रीय निरीक्षिका (रीजनल इंसपेक्टर ऑफ गर्ल्स एजूकेशन) की नियुक्ति की गयी।

सन् 1960 में एक 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' बनायी गयी। इसी वर्ष एक यूनीवर्सिटी कमीशन नियुक्त हुआ जिसका कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालयों की व्यवस्था आदि थी। सन् 1972 में इलाहाबाद में एक उच्च शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया। जिसका सर्वोच्च अधिकारी उच्च शिक्षा निदेशक अलग से नियुक्त किया गया। कानपुर, नैनीताल, बनारस और श्रीनगर (गढ़वाल) में शासकीय महाविद्यालय खोले गये। परीक्षाओं में छात्रों द्वारा अधिक नकल किये जाने के कारण तथा उनके निवारण हेतु 1965 में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1950 से पूर्व उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारस, आगरा, लखनऊ थे। वर्ष 1949 में रुड़की के टामसन इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 1956 में वाष्णेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों को सम्बद्ध कर दिया गया।

पूर्वी जिलों की मांग पूर्ति के लिए 1956-57 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में दो नये विश्वविद्यालय खोल दिये गये। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इस मांग की पूर्ति के लिए 1973 में कुमायूँ और गढ़वाल अलग-अलग विश्वविद्यालय खोले गये। इसके अतिरिक्त राज्य के तीन और क्षेत्रों में अवध (फैज़ाबाद), बुन्देलखण्ड (झाँसी), रुहेलखण्ड (बरेली) में भी सन् 1975 में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) एवं काशी विद्यापीठ (बनारस) को विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्था घोषित कर दिया गया और अब काशी विद्यापीठ को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया।

शिक्षा विभाग :

प्रशासन के दो स्तर शिक्षा सचिवालय एवं निदेशालय मिलकर राज्य के शिक्षा विभाग का निर्माण करते हैं। यह विभाग सीधे मंत्री के नियन्त्रण में होता है। शिक्षा विभाग के तीन प्रकार के कार्य होते हैं :-

1. विधि नियम विषयक (रेगुलेटरी)
2. व्यवहत (ओपरेशनल)
3. नैदेशिक (डायरेक्टिव)

शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिवालय और निदेशालय द्वारा शासन की शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करता है। अतएव राज्य में शिक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व सचिवालय एवं निदेशालय पर रहता है।

शिक्षा सचिवालय :

यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके प्रमुख कार्य शिक्षा की नीति निर्धारण करना, सब स्तरों की शिक्षा का एक सूचीकरण, कर्मियों का प्रशासन, बजट बनाना, आयोग व्यय का नियन्त्रण, सहायक अनुदान वितरण, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण का नियन्त्रण पर्यवेक्षण, युवा कल्याण योजनायें और छात्रवृत्तियों की दर बनाना आदि। ये कार्य सचिवालय निदेशालय क्षेत्रीय जिला स्तरों पर किये जा रहे हैं। इनका कुछ उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों तथा स्वायत्त संस्थाओं पर भी रहा है।

उप विभागाध्यक्ष

उप सचिव के पास विभिन्न स्तरों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य रहता है। चतुर्थ और षष्ठ सचिव के पास प्रायः उच्च शिक्षा का कार्य होता है और उनसे सम्बन्धित सब मामलों को उन्हें सीधे सचिव के सामने रखना होता है। लिंक अधिकारी उप सचिव के जरूरी और तत्कालिक कार्यों को देखते हैं और जब कभी वे दौरे या अवकाश में होते हैं तब उनके रूप में कार्य करते हैं। ऐसे मामले जो नीति से सम्बन्धित नहीं होते हैं, उप सचिव प्रायः उन्हें सीधे शिक्षा मंत्री को भेज सकते हैं।

सचिवालय में 14 उपविभाग हैं जिन उपविभागों का उच्च शिक्षा से अधिक सम्बन्ध हैं वे प्रमुख इस प्रकार हैं :-

शिक्षा B_1 विभाग	:	निदेशालय की स्थापना तथा शासकीय महाविद्यालय।
शिक्षा B_2 विभाग	:	विकासत्व योजनायें और शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों की स्थापना।

शिक्षा S_1 विभाग : उच्च शिक्षा व विश्वविद्यालय, एन0सी0सी0, विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिकों का दल, प्रादेशिक शिक्षा दल, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ग्रामीण उच्च संस्थान।

शिक्षा S_2 विभाग : डिग्री कॉलेज।

शिक्षा E विभाग : शिक्षक-शिक्षा, महाविद्यालय वृत्तिका, छात्रवृत्ति तथा अन्य

उच्च शिक्षा निदेशालय :

अभी तक सम्पूर्ण शिक्षा का निदेशन एक ही निदेशक द्वारा किया जाता था किन्तु सन् 1972 में इलाहाबाद में अलग से शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी। उच्च शिक्षा निदेशक इसका प्रमुख अधिकारी है जो सामान्य शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों पर नियन्त्रण करता है। इसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक, एक सहायक निदेशक और दो सहायक उप निदेशक होते हैं। उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन वितरण का कार्य विद्यालय जिला अधिकारी ही देखते हैं। निदेशालय की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है।

शिक्षा निदेशक के अधिकार अंग्राकित हैं :-

1. निदेशालय के अफसरों तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य और उच्च शैक्षिक कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करना।
2. कॉलेजों के सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना।

3. प्राचार्य को छोड़कर सभी अन्य कर्मचारियों की दक्षता रोक पारित करना।

4. सहायक प्रोफेसर, व्याख्याता और उप प्राचार्य की नियुक्ति पदोन्नति और दण्ड देना।

5. निदेशालय के अफसरों और कॉलेजों के शिक्षकों की गोपनीय टिप्पणी लिखना।

6. निदेशालय के कर्मचारी और कॉलेज के प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के यात्रा का कार्यक्रम एवं व्यय स्वीकृत करना।

संयुक्त संचालक यही सब कार्य तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के संदर्भ में करता है और उसके अतिरिक्त लम्बे अवकाश में गये व्यक्तियों के स्थान पर स्थानापन्न नियुक्ति तथा विभाग के बाहर किसी पद के लिए दिये आवेदन पत्र को अग्रसारित करता है। उपनिदेशक, सहायक उपनिदेशक इन्हीं दो अधिकारियों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। एक उपनिदेशक अशासकीय कॉलेज का वित्त देखता है जिसकी सहायता के लिए एक उप निदेशक होता है।

सहायक निदेशक योजना सेवा सम्बन्धी मामले पी0डब्ल्यू0डी0 और सांख्यिकीय सम्बन्धी कार्य करता है। इसका सहायक उपनिदेशक लखनऊ कैम्प ऑफिस का कार्य देखता है और मुख्यालय में छात्रवृत्ति तथा निदेशालय की स्थापना का कार्य भी संभालता है।

अक्टूबर सन् 1964 से भारत सरकार ने सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए त्रिलाभ (ट्रिपल बेनीफिट) योजना चलाई है। इसमें भविष्य निधि बीमा और पेंशन की व्यवस्था है। परन्तु यह शिक्षकों पर भी लागू होती है। निम्न वर्ग कर्मचारियों पर नहीं। अचानक मृत्यु हो जाने पर 6 माह की ग्रेच्युटी देने का भी प्राविधान किया गया है। जिसके लिए रु0 22 लाख की ग्रेच्युटी विधि स्थापित की गयी थी। सरकार ने अब तो पेंशन के नियमों में भी बहुत सुधार लिया है।

राज्य योजना आयोग :

उत्तर प्रदेश का योजना आयोग भी है, जिसके अन्तर्गत एक आयोजन संस्थान है। यह राज्य के सभी क्षेत्रों की योजनाओं का निर्माण करता है। शिक्षा की पंचवर्षीय योजनाओं को भी यही अन्तिम रूप प्रदान करता है। शैक्षिक आवश्यकताओं का विवरण शिक्षा विभाग से प्राप्त होता है। किन्तु लक्ष्य और आवंटन का निर्णय यह आयोग करता है। इसमें आर्थिक विशेषज्ञों और सामान्य प्रशासकों का ही वर्चस्व रहता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन :

राज्य का प्रत्येक विश्वविद्यालय सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर स्थापित किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के आधार पर स्थापित हुये थे। शेष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों पर स्थापित हुये हैं। अलग-अलग वर्षों में स्थापित होने वाले इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भिन्न-भिन्न प्राविधान थे। इनमें एकरूपता लाने के लिए शासन ने सन् 1973 में एक अधिनियम पारित कर राज्य के सब विश्वविद्यालयों में एकरूपता ला दी है।

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और केन्द्रिय विश्वविद्यालयों के चीफ रेक्टर जिनके विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। विश्वविद्यालयों का प्रमुख अधिकारी कुलपति होता है जो अपना कार्य कार्यकारिणी सभा या कोर्ट के परामर्श से करता है। कार्यकारिणी और कोर्ट का उत्तरदायित्व अधिनियम और नियम बनाना और विश्वविद्यालय से संगठन और प्रशासन के सभी मामलों को देखना होता है। इसका निर्माण विश्वविद्यालय में रुचि रखने वाले सभी प्रकार के प्रतिनिधियों, चुने हुये विधान सभा के कुछ सदस्यों तथा कुलाधिपति द्वारा मनोनीत कुछ व्यक्तियों के द्वारा होता है।

एकेडेमिक कौंसिल साधारणतः विद्या सम्बन्धी मामलों को देखती है और विशेषतया पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा तथा विभिन्न संकायों के कार्यों का समायोजन करती है। संकाय का डीन संकाय मण्डल का चेयरमैन होगा और उनके नीचे अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ स्टेडीज) होते हैं। जो प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग नियुक्त किये जाते हैं। वरीयता एवं सेवा के अनुसार शिक्षक इनके अध्यक्ष या संयोजक (कनवीनर) नियुक्त किये जाते हैं। विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों का एक डीन नियुक्त किया जाता है जो उनके हितों और उन्नत को देखता है। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी एक डीन की नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी कॉलेजों का निर्णय इन विभिन्न समितियों के द्वारा किया जाता है किन्तु कुछ मामले कुलाधिपति के पास जाते हैं। ये स्टेट्यूस और आर्डीनेंस में संशोधन करने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत दिये गये उनके अधिकारों के आधार पर प्रतिवेदन होते हैं। जिस पर वह स्वीकृत या निर्णय देता

है। कॉलेजों के सम्बन्ध, निरीक्षकों तथा समितियों के सदस्यों की नियुक्ति भी उसकी ही स्वीकृति पर होती है।

कुलपति कार्यकारिणी का सभापति होता है और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है। उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह अधिनियम और ऑर्डीनेंस आदि के प्राविधानों का भली-भांति पालन कराये। उसकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है। जिसमें विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, कुलीधिपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत तीसरा व्यक्ति होता है। यह कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करते हैं। जिसमें से एक ही कुलपति पद पर नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में उच्च शिक्षा का विकास :

वर्ष 1950-51 में 2 महाविद्यालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1949 में श्री अम्बिका प्रसाद सक्सेना के प्रयास से बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ0 सम्पूर्णानन्द जी ने किया था। आरम्भ में यहाँ स्नातक स्तर पर कला वर्ग के 8 विषयों को मान्यता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1969 में एक तथा 1972 में तीन विषयों का भी अध्यापन शुरू हुआ। वर्ष 1960 से ही कला संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की मान्यता मिल गयी थी। सन् 1961 में विधि कक्षाओं को भी मान्यता प्रदान की गयी। शिक्षा संकाय और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं भी क्रमशः 1970 तथा 71 से प्रारम्भ की गयी। प्रारम्भ में इस महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 07 तथा छात्र/छात्राओं की संख्या 209 थी जो वर्तमान में बढ़कर 51 प्राध्यापक (16 महिला प्राध्यापक) व 7385 छात्र/छात्राएं हैं। सन् 1951 में दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई जालौन की स्थापना हुई। आरम्भ में यहाँ स्नातक कला के 8 विषयों को मान्यता मिली थी लेकिन सन् 1953 में शिक्षा संकाय, सन् 1957 में संस्कृत व समाजशास्त्र, 1958 में अर्थशास्त्र तथा हिन्दी, 1959 में अंग्रेजी तथा 1958 में हिन्दी, राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोली गयी। 1969 में इतिहास और 1971 में रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, 1972 में संगीत शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान और भूगोल में स्नातक कक्षाएं व 1974 में मनोविज्ञान विषय शुरू किया गया।

आरम्भ में इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 143 व प्राध्यापकों की संख्या 12 थी जो वर्तमान में बढ़कर 3356 छात्र/छात्राएं व 58 प्राध्यापक, जिसमें 10 महिला प्राध्यापक हैं।

वर्ष 1955-60 के मध्य 1 महाविद्यालय की स्थापना हुई। विज्ञान की शिक्षा के प्रासर हेतु सन् 1959 में विपिन बिहारी महाविद्यालय, झाँसी की स्थापना की गयी। आरम्भ में यहाँ विज्ञान स्नातक स्तर पर गणित वर्ग के 3 विषयों तथा अंग्रेजी विषय को मान्यता मिली थी। सन् 1964 में जीव विज्ञान वर्ग के 2 विषयों को भी मान्यता मिली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कर महाविद्यालय ने लगभग रु0 8 लाख के मूल्य का भवन निर्माण कराया, जिसमें व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, वाचनालय एवं प्रशासनिक भवन सम्मिलित हैं। स्थापना वर्ष में यहाँ छात्र संख्या 28 तथा अध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी की संख्या 03 थी जो वर्तमान में बढ़कर 2186 छात्र/छात्राएं व 41 अध्यापक हैं, जिसमें 5 महिला प्राध्यापक हैं।

वर्ष 1960-65 के मध्य 4 महाविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1960 में अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा, बाँदा का शिलान्यास श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभान गुप्ता ने इस महाविद्यालय का उद्घाटन किया। 1960 में बी0ए0, 1964 में बी0एस0सी0, 1967 में एम0ए0 हिन्दी, 1969 में एम0ए0 राजनीति, अर्थशास्त्र, 1972 में संस्कृत, एम0एस0सी0, गणित तथा रसायन विज्ञान, 1973 में बी0एड0 तथा एम0ए0 भूगोल और 1980 में एम0एड0 तथा भौतिक विज्ञान में एम0एस0सी0 खोलने की अनुमति शासन से मिली। वर्तमान में 51 शिक्षक, 60 शिक्षणेत्तर कर्मचारी व 6120 छात्र/छात्राएं हैं। वर्ष 1960 में ही आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य में दक्ष करने के उद्देश्य से ब्रह्मानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राठ (हमीरपुर) की स्थापना की। आरम्भ में इसे कृषि स्नातक स्तर पर समस्त अनिवार्य विषयों की सम्बद्धता प्राप्त हुई। सन् 1969-70 में एम0एस0सी0 (कृषि), 1975-76 में एम0एस0सी0 (कृषि) एग्रोनामी व कृषि अर्थशास्त्र विषयों की शिक्षा प्रारम्भ की गयी। इस सत्र में एम0एस0सी0 (कृषि) जेनेटिक्श एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग तथा पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में कक्षाएं शुरू की। प्रारम्भ में केवल 07 शिक्षक एवं 23 छात्र/छात्राएं थे लेकिन वर्तमान में 37 प्राध्यापक व 1520 छात्र हैं।

वर्ष 1962 में आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीपरी बाजार, झाँसी की स्थापना की गयी। यह महाविद्यालय पूर्व में इण्टरमीडिएट कॉलेज था। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 8 विषयों को सम्बद्धता प्राप्त हुई। स्थापना वर्ष में छात्राओं की संख्या 102 तथा अध्यापिकाएं 02 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 2190 व 12 प्राध्यापिकाएं हैं। वर्ष 1964 में तत्कालीन जिलाधीश श्री रामकुमार भार्गव का सहयोग प्राप्त कर पं0जे0एन0पी0जी0 कॉलेज, बाँदा की स्थापना की गयी। महाविद्यालय का आरम्भ जिला परिषद द्वारा प्रदत्त 8 कक्षों में हुआ था। आरम्भ में स्नातक स्तर पर कला वर्ग में 8 विषयों को सम्बद्धता प्राप्त हुई। वर्ष 1969-70 में बी0एड0 कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। कालान्तर में स्नातक/स्नातकोत्तर में बी0ए0, एम0ए0, एम0एस0सी0, बी0एस0सी0 की कक्षाएं भी प्रारम्भ हुई। स्थापना वर्ष में यहाँ 52 छात्र तथा 07 प्राध्यापक थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 5323 छात्र व 61 प्राध्यापक (11 प्राध्यापिकाएं) हैं।

वर्ष 1965-70 के मध्य 2 महाविद्यालयों जिसमें 1968 में नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय को 7 विषयों में स्नातक स्तर तक अस्थाई मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में स्नातक स्तर पर 8 विषय परास्नातक स्तर पर 04 विषय व स्नातक स्तर पर कृषि संकाय को सम्बद्धता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में प्राचार्य सहित शिक्षकों की संख्या 10 व छात्रों की संख्या 1732 है। वर्ष 1969 में गाँधी महाविद्यालय, उरई, जालौन की स्थापना की गयी। इस महाविद्यालय में कला संकाय के 7 विषयों में स्नातक स्तर की मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1970 से इतिहास व मनोविज्ञान व 1971-72 में बी0एड0 को मान्यता मिली। इसी वर्ष भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिक्षाशास्त्र विषयों को भी मान्यता मिली। महाविद्यालय में स्थापना के समय 339 छात्र तथा 9 प्राध्यापक थे, जो वर्तमान में बढ़कर 2380 छात्र व 18 प्राध्यापक (3 महिला प्राध्यापक) है।

वर्ष 1970 से 1975 के मध्य 4 महाविद्यालय की स्थापना की गयी। वर्ष 1971 में कालपी महाविद्यालय, कालपी, जालौन की स्थापना हुई। कानपुर विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति डॉ0 राधाकृष्ण अग्रवाल का विशेष सहयोग इस संस्था को प्राप्त रहा। महाविद्यालय में स्नातक कला वर्ग के 7 विषयों व परास्नातक स्तर पर दो विषयों को मान्यता प्राप्त है। यह महाविद्यालय 1977 में अनुदान सूची पर आ चुका था। सन् 1976 में यू0जी0सी0 द्वारा रु0 4500 की बुक बैंक के लिए अनुदान दिया गया। स्थापना वर्ष में यहाँ

103 छात्र/छात्राएं तथा 07 प्राध्यापक थे, जो वर्तमान में यहाँ 1121 छात्र/छात्राएं तथा 08 प्राध्यापक हैं। वर्ष 1972 में श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर, झाँसी का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पं0 कमलापति त्रिपाठी ने किया। आरम्भ में इसे स्नातक स्तर पर कला संकाय के 8 विषयों को मान्यता मिली। सन् 1980-81 में इसे स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र विषय की सम्बद्धता प्राप्त हुई। स्थापना वर्ष में यहाँ की छात्र संख्या 143 थी। वर्तमान में यह संख्या 1527 हो गयी है। इस महाविद्यालय में कुल 10 प्राध्यापक (2 महिला प्राध्यापक) हैं।

वर्ष 1973 में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय, कोंच, जालौन को श्री जगत नारायण दीक्षित एवं महन्त श्री राजकिशोर शरण के उदार सहयोग से स्थापित हुआ। यहाँ स्नातक स्तर पर कला संकाय के मुख्य 07 विषयों की शिक्षण व्यवस्था है। सन् 1977 से महाविद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0, परास्नातक स्तर पर हिन्दी व संस्कृत विषयों की शिक्षण की व्यवस्था है। इस समय महाविद्यालय में 10 प्राध्यापक (01 महिला प्राध्यापक) व 1225 छात्र/छात्राएं हैं। वर्ष 1975 में राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर की स्थापना हुई। सर्वप्रथम कला संकाय के अन्तर्गत 07 विषयों में स्नातक कक्षाएं आरम्भ की गयी। तत्पश्चात् बी0एस0सी0, एम0ए0 व एम0एस0सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। स्थापना के समय महाविद्यालय में प्राचार्य के अतिरिक्त 07 शिक्षक तथा 192 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, जो वर्तमान में बढ़कर 23 प्राध्यापक (3 महिला प्राध्यापक) तथा 2138 छात्र/छात्राएं हैं।

वर्ष 1975 से 1985 के मध्य 3 महाविद्यालय जिसमें वर्ष 1978 में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, बाँदा को तत्कालीन शासन द्वारा इस क्षेत्र की महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्थापित किया गया था। स्थापना वर्ष में केवल 34 छात्राओं द्वारा 07 विषयों में इस महाविद्यालय की कक्षाएं प्रारम्भ हुई। कालान्तर में 3 विषय और स्वीकृति किए गए। वर्तमान में बी0एस0सी0 व एम0ए0 की कक्षाएं भी संचालित हैं। स्थापना के समय यहाँ 5 शिक्षिकाएं और 94 छात्राएं थी जो बढ़कर इस समय 16 शिक्षिकाएं व 1000 छात्राएं हैं। वर्ष 1981 में फुन्दी सिंह लौना राजकीय महाविद्यालय, जालौन की स्थापना हुई। आरम्भ में कला संकाय के 7 विषयों एवं वाणिज्य संकाय के प्रमुख विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन की शुरूआत हुई। वर्ष के प्रारम्भ में छात्र/छात्राओं की संख्या 153 व 09 प्राध्यापक थे वर्तमान

में छात्र/छात्राओं की संख्या 581 व प्राध्यापकों की संख्या 11 हो गयी है। वर्ष 1982 में वीर भूमि राजकीय महाविद्यालय महोबा में खोला गया। इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 14 प्राध्यापक (02 महिला प्राध्यापक) तथा छात्रों की संख्या 1500 है।

वर्ष 1985 से 1995 के मध्य 5 महाविद्यालय और खोले गये। जिसमें वर्ष 1993 में एक राजकीय महिला महाविद्यालय हमीरपुर में खोला गया। इस महाविद्यालय में कला वर्ग में स्नातक स्तर की कक्षाएं हैं। स्थापना वर्ष से अब तक महाविद्यालय में 07 प्राध्यापक (5 महिला प्राध्यापक) तथा छात्रों की संख्या 596 से बढ़कर 800 हो गयी है। वर्ष 1993 में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के अन्तर्गत आर0पी0 रिछारिया डिग्री कॉलेज, बरूआसागर झाँसी, श्री गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज, झाँसी, सनातन धर्म बालिका महाविद्यालय उरई जालौन, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बाँदा की स्थापना हुई। आर0पी0 रिछारिया डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0एस0सी0 कक्षाएं चल रही हैं। इस कॉलेज में 10 प्राध्यापक (01 महिला प्राध्यापक) तथा 487 छात्र/छात्राएं हैं। श्री गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तर पर बी0कॉम0 व बी0एस0सी0 की कक्षाएं चल रही हैं। इस कॉलेज में 829 छात्र/छात्राएं व 06 प्राध्यापक हैं। सनातक धर्म बालिका महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी0ए0 व एम0ए0 की कक्षाएं चल रही थी। इस महाविद्यालय में 1068 छात्राएं व 04 महिला प्राध्यापक हैं। जिला परिषद कृषि महाविद्यालय में 13 शिक्षक व 267 छात्र (5 छात्राएं) अध्ययनरत हैं।

वर्ष 1995-2000 के मध्य 06 महाविद्यालय जिसमें 1995 में राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी जिसमें बी0ए0 की कक्षाएं चल रही हैं। इस महाविद्यालय में 8 प्राध्यापक (3 महिला प्राध्यापक) तथा 405 छात्राएं हैं। वर्ष 1995 में राजकीय महाविद्यालय समथर, झाँसी की बी0ए0 की कक्षा में 138 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। वर्ष 1995 को राजकीय महाविद्यालय ललितपुर में बी0एस0सी0, बी0कॉम0 की कक्षाओं में 566 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय में 11 प्राध्यापक (07 महिला प्राध्यापक) है। वर्ष 1996 में राजकीय महाविद्यालय मेहरौनी ललितपुर में खोला गया। इस महाविद्यालय में बी0ए0 कक्षा में 385 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा 03 प्राध्यापक (01 महिला प्राध्यापक)

हैं। वर्ष 1997 को राजकीय महाविद्यालय मौदहा (हमीरपुर) में स्नातक स्तर पर 575 छात्र व 04 प्राध्यापक (02 महिला प्राध्यापक) है तथा वर्ष 1999 को स्ववित्त पोषित महाविद्यालय स्व0 रामस्वरूप यादव महाविद्यालय पूँछ झाँसी में खोला गया। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी0ए0 व बी0एस0सी0 की कक्षाएं चल रही है। इसमें 1155 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत व 16 प्राध्यापक (05 महिला प्राध्यापक) है।

वर्ष 2000 से 2005 के मध्य 15 महाविद्यालय जिसमें राजकीय व स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोले गये। वर्ष 2000 में ललितपुर में राजकीय महाविद्यालय तालबेहट में खोला गया। इस महाविद्यालय में बी0ए0 की कक्षायें चल रही है, जिसमें 214 छात्र व 2 प्राध्यापक कार्यरत है। शेष महाविद्यालय श्रीमती गनेशी बाई सोनी विज्ञान महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी) में बी0एस0सी0 की कक्षायें चल रही हैं, जिसमें 190 छात्र/छात्राएं व 6 प्राध्यापक (01 महिला प्राध्यापक), पं0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय झाँसी में बी0एस0सी0 की कक्षाओं में 80 छात्राएं व 6 प्राध्यापक (4 महिला प्राध्यापक), चन्द्रशेखर आजाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान, झाँसी में बी0लिब0, बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस की कक्षायेंच चल रही हैं तथा सैयद जब्बार हुसैन आब्दी महिला महाविद्यालय उरई, जालौन में खोला गया।

वर्ष 2001 में श्रीमती अमृत कुँवर महाविद्यालय, अटराकलाँ जालौन में बी0ए0, बी0एस0सी0 की कक्षाओं में 534 छात्र/छात्राएं व 08 प्राध्यापक, श्री गंगाराम बॉकेलाल महाविद्यालय, हरसिंगार, मदारपुर, जालौन में बी0ए0 की कक्षा में 290 छात्र व 06 प्राध्यापक हैं। राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय बाँदा में बी0कॉम0 व बी0ए0 कक्षा में 300 छात्र/छात्राएं, 07 प्राध्यापक (2 महिला प्राध्यापक), नागास्वामी जी बालिका डिग्री कॉलेज, भरूआसुमेरपुर (हमीरपुर) में बी0ए0 की कक्षा में 194 छात्राएं, 06 प्राध्यापक (4 महिला प्राध्यापक), श्री रामकृष्ण महाविद्यालय, कुरारा (हमीरपुर) में बी0ए0 की कक्षा में 224 छात्र/छात्राएं, 08 प्राध्यापक (2 महिला प्राध्यापक), श्री सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय, बबेरू (बाँदा) में बी0ए0, बी0एस0सी0 की कक्षा में 480 छात्र/छात्राएं व 09 प्राध्यापक हैं। वर्ष 2003 में शहीद भगत सिंह साइंस महाविद्यालय, उरई (जालौन) में बी0एस0सी0 कक्षा में 264 छात्र/छात्राएं व 04 प्राध्यापक, स्व0 बहादुर सिंह महाविद्यालय, माधोगढ़ (जालौन) में बी0ए0, बी0एस0सी0 की कक्षा में 200 छात्र/छात्राएं, 04 प्राध्यापक (3 महिला प्राध्यापक),

स्व0 कामता प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, बदौसा (बाँदा) में बी0ए0 की कक्षा में 115 छात्र/छात्राएं व 04 प्राध्यापक तथा एकलव्य महाविद्यालय, दुरेड़ी रोड (बाँदा) में बी0ए0 व बी0एड0 की कक्षा में 180 छात्र/छात्राएं व 08 प्राध्यापक (4 महिला प्राध्यापक) हैं।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के महाविद्यालय की प्रगति, छात्र/छात्राओं की संख्या व प्राध्यापकों की संख्या को सारिणी क्रमांक 8.2 व 8.3 व 8.4 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 8.2

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों की प्रगति 1950-2004-05

वर्ष	छात्र	छात्रायें	योग	वृद्धि प्रतिशत
1950-51	02	-	02	-
1960-61	05	-	05	150
1970-71	09	01	10	100
1980-81	15	02	17	70
1990-91	16	04	20	17.65
2000-01	26	06	32	60
2001-02	27	06	33	3.13
2002-03	28	07	35	6.06
2003-04	30	08	38	8.57
2004-05	36	09	45	18.42

स्त्रोत : 1. शिक्षा की प्रगति उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद (उ0प्र0)

2. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, वार्षिक आख्या 2004-05

सारिणी क्रमांक 8.2 से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 54 वर्षो में बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों में द्रुत गति से विकास हुआ। 1950-51 में जहाँ 02 महाविद्यालय थे वहाँ 2004-05 में बढ़कर 45 हो गये जो 23 गुना बढ़ी है। छात्रों के महाविद्यालयों में लगभग 18 गुने की वृद्धि हुई है जबकि छात्राओं के महाविद्यालयों में लगभग 9 गुने की वृद्धि हुई है।

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों की प्रगति
महाविद्यालयों की संख्या
50
45
40
35
30
25
20
15
10
05
00
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
महिला महाविद्यालयों की संख्या
पुरूष महाविद्यालयों की संख्या
कुल महाविद्यालयों की संख्या

रेखाचित्र सं0-13

सबसे अधिक वृद्धि 150 प्रतिशत वर्ष 1960-61 के पंचवर्षीय काल में हुई जबकि सबसे कम संख्या वर्ष 2001-02 में 3.13 प्रतिशत है। महाविद्यालयों की संख्या में 1960-61 के बाद बराबर परिवर्तन होता रहा। इन 54 वर्षो में बालको की औसत वार्षिक वृद्धि 5.65 है जबकि बालिकाओं की वार्षिक वृद्धि दर 4.26 है। उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.85 है जो बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के महाविद्यालयों की वार्षिक वृद्धि दर 6.09 से अधिक है। बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों की प्रगति को रेखाचित्र क्रमांक 13 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 8.3

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या

1950-2004-05

वर्ष	छात्र	छात्रायें	योग	वृद्धि प्रतिशत
1950-51	239	63	302	-
1960-61	1069	145	1214	301.98
1970-71	6183	600	6783	458.73
1980-81	11794	1980	13774	103.06
1990-91	17530	5233	22763	65.26
2000-01	46136	10112	56248	147.06
2001-02	54742	14990	69732	23.97
2002-03	61912	19056	80968	16.11
2003-04	59802	23527	83329	2.92
2004-05	57689	28000	85689	2.83

स्त्रोत : शिक्षा की प्रगति (सम्बद्ध वर्षो की) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सारिणी क्रमांक 8.3 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के 54 वर्षो के पश्चात् कुल छात्र संख्या बढ़कर 284 गुना हो गयी है। इस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि 1970-71 के पंचवर्षीय में हुई। इस अवधि में कुल छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.33 रही। यह वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 7.40 से अधिक रही है। इन वर्षो में बालकों की संख्या बढ़कर 444 गुनी हो गयी और बालिकाओं की संख्या बढ़कर 241 हो गयी है। बालिकाओं

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों में नामांकन
महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं का नामांकन
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
00
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या
महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या
महाविद्यालयों में कुल संख्या

रेखाचित्र सं0-14

का नामांकन बालकों की अपेक्षा कम रहा है। बालकों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.99 प्रतिशत है। जबकि बालिकाओं की 12.28 प्रतिशत है। बालिकाओं की वृद्धि दर बालकों की अपेक्षा अधिक है। महाविद्यालयी नामांकन स्वतंत्रता के पश्चात् तेज गति से बढ़ा। बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों की प्रगति को रेखाचित्र क्रमांक 14 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 8.4

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की संख्या

1950-2004-05

वर्ष	पुरूष (शिक्षक)	महिला (शिक्षिका)	योग	वृद्धि प्रतिशत
1950-51	12	-	12	-
1960-61	36	-	36	200
1970-71	179	14	193	436.11
1980-81	422	52	474	145.60
1990-91	487	89	576	21.5
2000-01	560	120	680	18.06
2001-02	580	145	725	6.62
2002-03	594	195	789	8.83
2003-04	650	220	870	10.27
2004-05	680	250	930	6.90

स्त्रोत : संबंधित वर्षो की शिक्षा की प्रगति, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, 2004-05, इलाहाबाद।

उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.4 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात् महाविद्यालय के अध्यापकों की संख्या बढ़कर 78 गुना हो गयी है। इसमें पुरूषों की संख्या 57 गुना और महिलाओं की संख्या 18 गुना बढ़ी है। महिलाओं की संख्या पहले बहुत कम होने के कारण उनकी वृद्धि अधिक मात्रा में हुई है। इस अवधि में अध्यापकों की कुल औसत वृद्धि दर 8.62 प्रतिशत है। यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की संख्या
महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की संख्या
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
वर्ष
महिला प्राध्यपाकों की संखया
पुरूष प्राध्यपाकों की संखया
कुल प्राध्यपाकों की संखया

रेखाचित्र सं0-15

4.66 से अधिक है। बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालयों की प्रगति को रेखाचित्र क्रमांक 15 में दर्शाया गया है।

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की तुलना में संभाग में महिला शिक्षा में आशा से अधिक वृद्धि हुई। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं में स्वावलम्बन और शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा हुई। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महिला वर्ष तथा महिला दशक मनाने के कारण भी जागृति आयी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के मिले-जुले प्रयास के प्रतिफल महिला शिक्षा में अधिक विकास हुआ। विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1970-71 के पश्चात् संभाग में महाविद्यालयों, छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं में भारी वृद्धि हुई।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का विकास :

बुन्देलखण्ड के 29478 वर्ग किलोमीटर में फैले हुये क्षेत्र में झाँसी, जालौन और ललितपुर, बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपद सम्मिलित है। इनकी कुल जनसंख्या 82.32 लाख है। जिसमें से 27.55 लाख नगरीय एवं शेष 54.77 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुये है। बुन्देलखण्ड की साक्षरता 42.77 प्रतिशत है जिसमें से 57.94 पुरुष तथा 24.42 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित है।

उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड संभाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पहाड़ी क्षेत्रों की भांति अविकसित क्षेत्र घोषित किया गया है। झाँसी इस सम्भाग का केन्द्रीय स्थान है, विश्व इतिहास में भी झाँसी का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की यह नगरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम रणस्थली रही है। कला संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में यह महान रही है। उपन्यास सम्राट डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा एवं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त झाँसी जनपद की ही देन है। देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के यज्ञ में पावन आहुति देने वाले क्रांतिवीर चन्द्रशेखर आजाद के अनन्य सहयोगी और हिन्दी के विद्वान मनीषी डॉ0 भगवान दास माहौर और उनके अज्ञात महान वीरों की कार्यस्थली झाँसी रही है।

झाँसी जनपद की सीमायें पश्चिम तथा दक्षिण के मध्य प्रदेश को स्पष्ट करती है। इसके पूर्व में हमीरपुर तथा उत्तर में जालौन जनपद स्थित है। जनपद की कुल जनसंख्या 17.46 लाख है जिसमें से 7.79 लाख व्यक्ति नगरीय तथा 9.67 लाख ग्रामीण

क्षेत्रों में निवास करते है। इनमें लगभग 66.69 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.11 प्रतिशत तथा स्त्रियों की 51.21 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम सं0 10-1983 की धारा 4 की उपधारा 1-ए के अधीन शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 10/15-60-33/74 के अनुसार दिनांक 26 अगस्त 1975 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना झाँसी में विधिवत् की गयी। अधिनियम की धारा-5 (1) परिशिष्ट के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र झाँसी मण्डल के पाँचों जनपदों झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बाँदा व ललितपुर में निर्धारित किया गया। यह सात (7) दक्षिणी उत्तर प्रदेश के एवं सोलह (16) उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों का बना हुआ है। यद्यपि ये सारे जिले प्राचीन काल में एक साथ देखे जाते थे तथापि आज उनका प्रशासन अलग-अलग किया जाता है। बुन्देलखण्ड के उत्तरी क्षेत्र में झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बाँदा एवं चित्रकूट जिले आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यही क्षेत्र बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय झाँसी है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य था अच्छी से अच्छी सामाजिक एवं वैतनिक शिक्षा को शोध द्वारा प्रदान करना जिसमें लिंग, जाति, देश एवं धर्म का भेद न हो।

स्व0 श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा जैसे दूरदर्शी (तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की कल्पना की कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा लायी जाये जिससे क्षेत्र का विकास हो।बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख ध्येय है अच्छी शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए विश्वविद्यालय नयी तकनीकों का प्रयोग करें। विश्वविद्यालय के प्रमुख ध्येय इस प्रकार है :-

1. व्यावसायिकता, उपयोगिता एवं सत्यनिष्ठा को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना।
2. नये ज्ञान को विकसित करने के लिए अथक प्रयास करना।
3. अपने विषयों की गहराई तक जानकारी रखने का गुण।
4. इस बात को समझना कि विज्ञान द्वारा काफी परेशानियों को हल किया जा सकता है।
5. लेखन एवं वाचन क्रिया के तरीकों का विकास।
6. विज्ञान के सिद्धान्त, कुशलता एवं प्रयोगिक प्रशिक्षण को एक मजबूत धरातल प्रदान करना।

7. अध्यापन, प्रशासन एवं शोध विकास कार्यों को गति प्रदान करना।

इस विश्वविद्यालय का शुभारम्भ 26 अगस्त, 1975 को स्थानीय बुन्देलखण्ड कॉलेज झाँसी के अतिथि गृह में हुआ था। यथाशीघ्र यह विश्वविद्यालय नन्दनपुरा झाँसी में किराये के भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 2266का(1)/15-10-76- 30-75 दिनांक 11 मार्च, 1976 एवं सं0 1023/15-15-77-47-3/76 दिनांक 26 मार्च, 1977 द्वारा क्रमशः रु0 3 लाख एवं 5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। वर्ष 1979 में तत्कालीन कुलपति श्री रामकृष्ण त्रिवेदी आई0ए0एस0 के सद्प्रयासों द्वारा 186.11 एकड़ भूमि लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के समीप करगुंआ और पिछौर गाँवों के निकट कैमासिन पहाड़ी के दोनों ओर झाँसी-कानपुर मार्ग पर निर्धारित की गयी, जिस पर आज विश्वविद्यालय का भव्य भवन निर्मित है। वर्ष 1980-81 में एक करोड़ तथा वर्ष 1881-82 में रु0 20 लाख का अनुदान मिला। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 66 निवास गृह बनाये गये। विश्वविद्यालय परिसर में सुन्दरीकरण के प्रयास चल रहे हैं।

1975 के अगस्त मास में विश्वविद्यालय खुलते ही सबसे पहले बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश करने का कार्य शुरू किया गया। सन् 1976 की परीक्षायें 15 अप्रैल से प्रारम्भ की गयी तथा समय से (रिजल्ट) परीक्षाफल घोषित किये गये। इस क्षेत्र के 17 महाविद्यालय उस समय तक कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। विश्वविद्यालय को आयोग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं था क्योंकि सन् 1956 की अधिनियम की धारा 12-ए के अन्तर्गत उन्हीं विश्वविद्यालयों को आयोग मान्यता प्रदान कर सकता था जिनके पास अपनी भूमि के अतिरिक्त भवन आदि के रूप में दो करोड़ रु0 की परिसम्पत्ति हो और उसमें एक से अधिक संकायों के अन्तर्गत अध्ययन होता हो तथा शोध की समुचित व्यवस्था हो। बाद में 2 करोड़ रु0 की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गयी थी। राज्य सरकार से जो भी प्राप्त होता था उसी पर विश्वविद्यालय की प्रगति निर्भर करती थी।

विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर डॉ0 वाहिद यू0 मलिक नियुक्त हुये जिनका कार्यकाल 26.08.1975 से 28.02.1978 तक रहा। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ0 एम0 चेन्ना रेड्डी थे उस समय कुल सचिव का भार श्री प्रकाश शरण अवस्थी पर था जिनका कार्यकाल 02.09.1975 से 26.03.1977 तक रहा। वर्तमान में विश्वविद्यालय के

कुलाधिपति महामहिम श्री टी0वी0 राजेश्वर, राज्यपाल उ0प्र0, कुलपति प्रो0 रमेश चन्द्रा, प्रति कुलपति श्री ओ0 पी0 कण्डारी, कुलसचिव श्री वी0के0 सिन्हा व वित्त अधिकारी श्री कालीचरन, प्रॉक्टर एवं निदेशक प्रो0 धीर सिंह, उपकुलसचिव श्री डी0 एन0 बाजपेयी व श्री एम0 सी0 अग्रवाल, सहायक कुलसचिव श्री जे0 पी0 यादव, श्री मनीराम वर्मा, श्री अनिल भार्गव व श्री मंशाराम जाटव हैं। इन सभी के प्रयासों से कार्यकारिणी विद्वत परिषद, अध्ययन मण्डल तथा अन्य समितियों को गठित कर विश्वविद्यालय को व्यवस्थित किया।

वर्ष 1977 में सम्पन्न हुये दीक्षान्त समारोह में प्रोफेसर नूरूल हसन, डॉ0 भगवानदास माहौर एवं पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर को 'डाक्टरेट' की मानद उपाधियों से विभूषित किया गया था। वर्ष 1979 में कुलाधिपति स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 3 और कांस्य पदक 6 तथा प्रतिभूत अन्य 13 स्वर्ण पदकों से विद्यार्थियों को उनकी श्रेष्ठ उपलब्धियों पर अलंकृत एवं पुरस्कृत किया गया था।

विश्वविद्यालय को 10 वर्ष बाद 1986 में आवासीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। उस समय विश्वविद्यालय परिसर में चार विभाग थे- डिपार्टमेन्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स एण्ड कॉपरेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्फारमेशन साइंस। ये विभाग वो शिक्षा प्रदान करते थे जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रदान नहीं की जाती थी। इस प्रकार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय एक नव-निर्माता और शैक्षिक अग्रज बनकर सामने आया। हांलाकि स्रोतों की कमी और समस्याओं की वजह से विश्वविद्यालय अपने निर्धारित समय के अनुकूल नहीं बढ़ पाया। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट, डिपोर्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एवं डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो कि प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में विश्वविद्यालय को दे दिये गये थे। उनके भवन निर्माण का कार्य अगले वर्ष खत्म हुआ और वे उसके तीन साल बाद कार्य में आये। सन् 1998 में विश्वविद्यालय में 8 शिक्षण विभाग और 102 छात्र परिसर में थे।

वर्ष 1999 में जब विश्वविद्यालय अपनी 25वीं वर्षगाँठ मना रहा था तब से विश्वविद्यालय ने जो बढ़त हासिल की वह किसी दन्त कथा से कम नहीं लगती यह सब हो पाया विश्वविद्यालय के युवा कुलपति प्रो0 रमेश चन्द्रा जी की वजह से जिन्होंने 31 जुलाई 1999 को कार्यभार संभाला। ये इसी बात से देखा जा सकता है कि 2003-04 के दौरान

36 संस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े। वर्ष 1998 में शिक्षकों की संख्या 08 थी जो 2003-04 में बढ़कर 360 हो गयी तथा छात्रों की संख्या 225 से बढ़कर 8000 की गणना में पहुँच गयी। यदि 2003-04 की बात की जाये तो उस समय विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कॉलेज जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज भी आता है, में छात्रों की संख्या 80000 के ऊपर बढ़ गयी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सेक्शन 12बी0 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का नाम आ गया। वर्ष 2003-04 में 36 संस्थान एवं शोध संस्थानों की मदद से 153 तकनीकी कार्यक्रम लाये गये। इस तेज बढ़त के पीछे कहीं न कहीं अगर शिक्षकगणों का हाथ था वहीं प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ था जिन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग करते हुये विश्वविद्यालय के विकास में अपना काफी समय लगाया।

वर्ष 1999 में विश्वविद्यालय में कार्यरत चार विभागों से बढ़कर 16 विभाग व 40 इंस्टीट्यूट की बढ़त हुई। 3 नये शिक्षण विभाग सामने आये जो थे- डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एवं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी प्रमुख हैं। इसी वर्ष शैक्षिक कार्यक्रमों की संख्या 6 सें बढ़कर 22 हो गयी। रेग्यूलर शिक्षकों की संख्या 8 से बढ़कर 49 हो गयी एवं छात्रों की संख्या 120 से बढ़कर 720 हो गयी। इसी वर्ष 9 विभागों के अन्तर्गत 21 संस्थान बने। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। फूट टेक्नोलॉजी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट के भवनों का निर्माण व शिक्षकों के आवास भी कार्यान्वित हो गये।

वर्ष 2000 में 22 से बढ़कर 25 संस्थान कार्यरत हुये तथा सम्बद्ध संस्थानों की संख्या 33 हो गयी। कुल अध्यापकों की संख्या 49 से बढ़कर 135 तथा विद्यार्थियों की संख्या 720 से बढ़कर 2000 हो गयी। कोर्सेस 22 से बढ़कर 58 हुये। इसी वर्ष विश्वविद्यालय ने कई प्रकार के इनाम, पदक, छात्रवृत्तियां बनायी जैसे- कुलपति स्वर्ण एवं रजत पदक, उपकुलपति बेस्ट स्टूडेन्ट एवार्ड, मास्टर सुन्दर लाल स्वर्ण पदक, स्व0 श्री भगवानदास स्वर्ण पदक, स्व0 एच0एन0 बहुगुणा पदक, बाबू जगजीवन राम स्वर्ण पदक, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर स्वर्ण पदक, प्रो0 वेद नन्दन स्वर्ण पदक, प्रो0 आर0सी0 मेहरोत्रा बेस्ट टीचर एवार्ड एवं श्री एस0सी0 शास्त्री एवं श्री ओम तिवारी बेस्ट स्टूडेन्ट स्कॉलरशिप

बनायी गयी। दो दीक्षान्त समारोह मनाये गये जिनमें से एक 25वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मनाया गया।

वर्ष 2001 में संस्थानों की संख्या 27 हो गयी। पंडित रामनारायण शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड अल्टरनेट मेडिसिन्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेन्सिक साइंस तथा इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ इसी समय स्थापित हुये। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संख्या बढ़कर 68 तथा विभाग की संख्या 126 हो गयी। इस वर्ष तक बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या बढ़कर 36 हो गयी। 2 दीक्षान्त समारोह युवा महोत्सव व 3 राष्ट्रीय संगोष्ठियां मनायी गयी। विश्वविद्यालय का डेनवर विश्वविद्यालय यू0एस0ए0 एवं शोका विश्वविद्यालय जापान के साथ संधि प्रारम्भ हो गयी। विज्ञान संभाग के विद्यार्थियों के लिए नयी छात्रवृत्तियां व इनामों की शुरूआत हुई। इस वर्ष राम एस0 गोयल फाउन्डेशन एवार्ड भी शामिल हुआ। छात्रों की संख्या बढ़कर 4000 तक पहुँच गयी। मार्च में सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण होना चालू हुआ। दिसम्बर में फार्मेसी प्रशासकीय/शैक्षणिक भवन बनाना प्रारम्भ हुआ। बी0सी0 ऑफिस एनेक्स, कुलपति ऑफिस एवं ई0सी0 कमेटी रूम का निर्माण शुरू हुआ।

वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 12-बी0 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुई। इस वर्ष तक कुल संस्थानों की संख्या बढ़कर 34, व्यावसायिक पाठ्यक्रम 128, फैकल्टी 225 तथा सम्बन्धित कॉलेजों की संख्या बढ़कर 36 हो गयी। इसी वर्ष दो दीक्षान्त समारोह व दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें करायी गयी। कुल विद्यार्थियों की संख्या 7000 तक पहुँच गयी तथा कैम्पस में बी0 शैड लगाया गया।

वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय को रु0 2.25 करोड़ का अनुदान यू0जी0सी0 से मंजूर किया गया। भूगर्भ विज्ञान के लिए खनिज तथा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा रु0 3.38 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। इसी वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ फूट टेक्नोलॉजी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इनवाइरलमेंट साइंस के लिए क्रमशः 50 लाख तथा 30 लाख रु0 की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कॉलेजों की संख्या बढ़कर 44 हो गयी। संस्थानों की संख्या बढ़कर 37 जिनमें 180 पाठ्यक्रम चलाये गये। इन संस्थानों में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 300 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 250 तथा छात्रों की संख्या लगभग 9000 हो गयी।

वर्ष 2004-05 में 11वाँ दीक्षान्त समारोह 10 अगस्त 2004 को मनाया गया जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यू0जी0सी0, एन0ए0ए0सी0 की टीम ने विश्वविद्यालय में विजिट की, अप्रैल 19/22, 2004 और विश्वविद्यालय को बी0++ उपाधि प्रदान की गयी। यह उपाधि शैक्षिक एवं भवन निर्माण के आधार पर दी गयी। संस्थानों की संख्या परिसर में बढ़कर 40 हो गयी और पाठ्यक्रम 205 हो गये। छात्रों की संख्या बढ़कर 14400 व शिक्षकों की संख्या भी बढ़कर 400 से ज्यादा हो गयी। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की संख्या बढ़कर 52 हो गयी। विश्वविद्यालय ने 2004 में 6वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला में हिस्सा लिया था जो कि न्यू दिल्ली, बम्बई, बंग्लौर व कोलकत्ता में मनाया गया था। विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग में दो अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस को यू0जी0सी0 द्वारा माइक्रो बायोलॉजी में नवाचार कार्य करने के लिए 54 लाख रु0 मिले। 3 नये विभागों को यू0जी0सी0 द्वारा अनुदान मिला जो वीमेन्स स्टेडीज, एडल्ट कन्टीनोइंग एजूकेशन, एक्सटेंशन एण्ड फील्ड आउटरीच एवं एस0सी0/एस0टी0 शेल।

वर्ष 2005-06 में लैन के द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कम्प्यूटरों को एक साथ जोड़ने का विचार किया गया। डॉ0 के0आर0 नारायणन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्टरनेशनल स्टीडीज जो कि पहले से ही यू0जी0सी0 के अनुदान प्राप्त कर चुका है उसे क्रियाशील बनाना। राजीव गाँधी इंडोर स्टेडियम, यूनीवर्सिटी आडीटोरियम, रिसेप्सन लॉज तथा वेटिंग रूप का भी निर्माण इसी वर्ष सम्पादित हुआ। इस वर्ष 32 नवीन पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये। पंडित आर0एन0 शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तथा एल्टर नेट मेडिसिन्स का निर्माण भी पूर्ण हुआ। इसी वर्ष श्रीमती इन्द्ररानी जगजीवन राम छात्रा तथा बाबू जगजीवन राम छात्र आवास की नींव श्री राम विलास पासवान जो तत्कालीन मंत्री हैं, ने रखी।[1]

विश्वविद्यालय ने सन् 1976 में परीक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया था। अंग्राकित सारिणी में सन् 1976 और 2004-05 की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या दी गयी है जिसमें उसकी प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

---

1. बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक बुलेटिन, 2005-06

सारिणी क्रमांक 8.5

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या

परीक्षा स्तर	सम्मिलित छात्र संख्या वर्ष 1976	सम्मिलित छात्र संख्या वर्ष 2004-05
बी0एस0सी0	685	7929
बी0एस0सी0 (कृषि)	90	813
बी0ए0	7648	37098
एम0ए0	1067	10243
एम0एस0सी0	65	689
बी0काम0	241	3115
बी0एड0	800	495
एल0एल0बी0	594	1401
बी0एच0एस0सी0	-	89
बी0टेक0	-	812
एम0बी0बी0एस0	-	463
बी0लिब सांइस	-	107
मेडिकल डिप्लोमा	-	18
कम्प्यूटर डिप्लोमा	-	15
एम0कॉम0	-	584
एम0एस0सी0 (कृषि)	-	132
एम0एड0	-	80
एम0ए0 (ग्रामीण अर्थ0 सहकारिता)	-	06
एम0एस0सी0 (गणित एवं सांख्यिकी)	-	100
एम0बी0ए0	-	74
एम0लिब0 एस0सी0	-	45
एम0डी0 तथा एम0एस0	-	70
योग	11190	64378

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, वार्षिक रिपोर्ट, झाँसी

उपरोक्त सारिणी को देखने से पता चलता है कि सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि बी0ए0 व एम0एस0सी0 की कक्षाओं में वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय का आय-व्यय :

विश्वविद्यालय में 2000 से लेकर 2004-05 तक आय-व्यय का विश्लेषण सारिणी क्रमांक 8.6 में किया गया है। इस सारिणी में विश्वविद्यालय की होने वाली आय एवं व्यय का विवरण दिया गया है।

सारिणी क्रमांक 8.6

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की आय-व्यय 2000 से 2004-05

वर्ष	आय	व्यय	आय की वृद्धि प्रतिशत	व्यय की वृद्धि प्रतिशत
2000-01	95784930	89896327	-	-
2001-02	145780900	119890320	6.57	74.9
2002-03	171138078	122021250	55.9	73.6
2003-04	166631262	122825094	44.0	31.3
2004-05	378419495	390314499	-	-

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की आय-व्यय रिपोर्ट।

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय की आय निरन्तर बढ़ती रही किन्तु सन् 2002 में आय में 55.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पूर्व वर्ष के मुकाबले कम है। सारिणी से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की आय, व्यय से अधिक रही है। विश्वविद्यालय को चाहिये कि उसे जिन स्रोतों के आय प्राप्त हो रही है उसको शिक्षण, परीक्षण, अनुसंधान व भवन निर्माण हेतु करें ताकि विश्वविद्यालय का विकास किया जा सके।

सन् 2004-05 में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्रोतों से आय और उनके योगदान के अनुपात का विवरण सारिणी क्रमांक 8.7 में दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 8.7

सन् 2004-05 में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्रोतों से आय और उनके योगदान के अनुपात का विवरण

क्रमांक शीर्षक	आय (रु0)	कुल प्रतिशत
शैक्षणिक विभाग	7403295.00	4.1
संस्थागत छात्रों से प्राप्त आय	17920952.00	10.0
व्यक्तिगत छात्रों से प्राप्त आय	19318440.00	10.8
बिक्री से प्राप्त	4945777.00	2.8
अन्य से प्राप्त आय	39009004.00	21.9
विनियोजन से प्राप्त ब्याज की आय	88901080.00	50.0
योग	177498548.00	100.00

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में आय-व्यय विवरण।

सारिणी क्रमांक 8.7 में सन् 2004-05 में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्रोतों और उनके योगदान के अनुपात का विवरण दिया गया है। इस सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय की कुल आय रु0 177498548 है। इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की सबसे ज्यादा आय अन्य से प्राप्त मदों से है। इसका प्रतिशत 21.9 है। व्यक्तिगत छात्रों से शैक्षिक शुल्क व संस्थागत छात्रों से प्राप्त शैक्षिक शुल्क आय का 10 प्रतिशत मिलता है व बिक्री से प्राप्त आय का 2.8 प्रतिशत ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रहा है।

सन् 2004-05 में विश्वविद्यालय की प्रमुख व्यय मदें दर्शायी गयी हैं जो इस प्रकार हैं-

सारिणी क्रमांक 8.8

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों पर व्यय 2004-05

क्रमांक	मद	व्यय (रु0)	प्रतिशत
1.	शिक्षक वर्ग का वेतन्न भत्ता आदि	7030814.00	9.5
2.	अधिकारी वर्ग का वेतन भत्ता आदि	2995042.00	4.0
3.	तृतीय वर्ग कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि	10571433.00	14.3
4.	चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि	3734111.00	5.0
5.	प्राविधिक वर्ग कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि	58787.00	0.07
6.	कार्यालय व्यय	4752480.00	6.4
7.	मुद्रण	3499526.00	4.7
8.	परीक्षा संचालन पर व्यय	9479607.00	12.8
9.	एकेडमिक व्यय	798677.00	1.0
10.	पुस्तकालय	294209.00	0.4
11.	भवनों की वार्षिक मरम्मत	1808600.00	2.5
12.	अन्य उपकरणों की मरम्मत	3137207.00	12.6
13.	कन्टेन्जेन्सी व्यय	607129.00	0.8
14.	विविध व्यय	24718821	33.6
	योग	73486443.00	100.00

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय आय-व्यय, 2004-05

सारिणी क्रमांक 8.8 से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में व्यय 12.8 प्रतिशत परीक्षाओं के संचालन पर हुआ। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय सम्बद्धक विश्वविद्यालय है। अतएव उसका प्रमुख शैक्षणिक कार्य परीक्षा लेना है। इस व्यय को लगभग आधे से अधिक होना चाहिये। 14.3 प्रतिशत व्यय तृतीय वर्ग के कर्मचारियों पर, 9.5 प्रतिशत व्यय शिक्षक वर्ग, 4.0 प्रतिशत अधिकारी वर्ग, 5.0 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी वर्ग, 6.4 प्रतिशत

कार्यालय, 4.7 प्रतिशत मुद्रण, 0.4 प्रतिशत पुस्तकालय में, 2.5 प्रतिशत भवनों की मरम्मत में, 12.6 प्रतिशत परिसर के अन्य उपकरणों की मरम्मत में व्यय किया जा रहा है। सबसे कम प्राविधिक वर्ग के कर्मचारियों को वेतन व भत्ता के लिए 0.07 प्रतिशत ही व्यय किया जा रहा है एक सम्पन्न पुस्तकालय महाविद्यालयों के प्रयोग के लिए आवश्यक है। बहुत की मूल्यवान पुस्तकें महाविद्यालय नहीं खरीद पाता है, जिसके अभाव में अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा का कार्य उन्नत नहीं हो पा रहा है। इस पर व्यय 0.4 प्रतिशत ही हो रहा है जो कि बहुत कम है। शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत 1.0 है जो कि बहुत कम है।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की आय-व्यय से अधिक है इससे ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में आर्थिक संकट नहीं है। विश्वविद्यालय को अब शिक्षण एवं परीक्षण में सुधार करने तथा एक सम्पन्न पुस्तकालय निर्मित करने का कार्य शेष है। अनुसंधान को भी वरीयता देनी चाहिये।

चित्रकूटधाम मण्डल में महाविद्यालय का विकास :

चित्रकूटधाम मण्डल उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र है। उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 2004-05 में 1438 महाविद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 115 शासकीय एवं 1323 अशासकीय महाविद्यालय हैं। अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 345 व अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 978 है। ये महाविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेकिन इनके सम्बन्ध में सामान्यतया बहुत कम जानकारी है। चित्रकूटधाम मण्डल के प्रत्येक महाविद्यालय के विषय में सूचनायें प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा। महाविद्यालय की स्थापना किन परिस्थितियों तथा किनके प्रयासों से हुई, विस्तार कैसे हुआ, अब क्या सुविधायें हैं एवं महाविद्यालय के विषय में सामान्य सूचनायें देने का प्रयास किया जायेगा। सूचनाओं का संकलन बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से किया गया है।

इस मण्डल में इस समय कुल 18 महाविद्यालय हैं, जिनमें से 07 महाविद्यालय शासकीय व 04 महाविद्यालय अशासकीय व शेष 06 महाविद्यालय अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, एवं कृषि संकाय में स्नातकोत्तर स्तर, एम0एड0 स्तर की शिक्षा की सुविधा है।

वर्ष 2004-05 में मण्डल के महाविद्यालयों में 22,553 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में वर्ष 2004-05 में शिक्षकों की संख्या 205 है। उच्च शिक्षा के विकास में व्यक्तिगत संस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ा? वे कैसे विकसित हुई? यह जानना आवश्यक है। अतएव चित्रकूटधाम मण्डल के महाविद्यालयों के विकास की रूप रेखा नीचे दी जा रही है।

1. राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा (उ0प्र0) :

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1978 को तत्कालीन शासन द्वारा इस क्षेत्र की महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु की गयी। स्थापना वर्ष में केवल 34 छात्राओं द्वारा सात विषयों में इस महाविद्यालय में कक्षायें प्रारम्भ हुई और निरन्तर प्रगति के सोपानों पर अग्रसर यह महाविद्यालय अब अपने 22वें सोपान पर कदम रख रहा है। वर्तमान में 1000 छात्रायें, 16 शिक्षक, 06 तृतीय श्रेणी कर्मचारी महाविद्यालय की पूँजी हैं। इस समय स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं समाजशास्त्र में अध्ययन की सुविधा प्राप्त है। बी0एस0सी0 की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान सत्र में विज्ञान संकाय में भी अध्ययन कार्य प्रारम्भ हो गया है।

महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। महाविद्यालय के गत दो दशकों के इतिहास में जिन प्रतिभा सम्पन्न छात्राओं में महाविद्यालय में कीर्तिमान स्थापित किये हैं, चाहे शैक्षिक स्तर पर हो अथवा पाठ्येत्तर, हमें गौरव की अंनुभूति कराते हैं। छात्राओं के मन में सेवा भावना जागृत करना तथा देश प्रेम की भावना जगाने की दृष्टि से राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई तथा रेंजर्स की एक यूनिट योजनाधिकारी की देखरेख में चल रही है। छात्रायें सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने का कार्य करती है। मलिन बस्तियों में जाकर स्वच्छता, साक्षरता, सद्भावना एवं सेवा की शिक्षा देती है।

क्रीड़ा के क्षेत्र में महाविद्यालय ने समय-समय पर कीर्तिमान स्थापित किये हैं। दिनांक 11, 12 एवं 13 जनवरी, 1999 को आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसमें खो-खो, कबड्डी, कैरम, दौड़, लम्बी-ऊँची कूद, भाला फेंक, डिसकन थ्रो इत्यादि प्रतियोगितायें आयोजित की गयी। कु0 भारती सुखेजा, बी0ए0 द्वितीय वर्ष महाविद्यालय की क्रीड़ा चैम्पियन रही। झाँसी में अक्टूबर 1999 में

मण्डलीय खेलकूद प्रतियोगिता ने इस महाविद्यालय की बी0ए0 प्रथम वर्ष की छात्रा कु0 रश्मि तिवारी, ऊँची कूद में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा प्रदेश स्तर पर भाग लेने हेतु चयन किया गया है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियां सोल्लास मनाई जाती हैं। सत्रारम्भ में अगस्त माह में स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती समापन सप्ताह महिला महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसके अन्तर्गत रंगोली, निबन्ध, पोस्टर और महिला आरक्षण विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गयी। 14 नवम्बर स्वर्गीय नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर छात्राओं द्वारा एक रंगारंग मेले का आयोजन किया गया। दिसम्बर 1998 में धारा 356 पर एक वाद-विवाद एवं ''नारी दशा दिशा'' विषय पर भाषण, प्रतियोगिता करायी गयी।[1]

2. पं0 जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा :

पं0 जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा की स्थापना तत्कालीन जिलाधिकारी श्री राजकुमार भार्गव, आई0ए0एस0 के सहयोग से 8 अगस्त, 1964 को हुई। महाविद्यालय का शुभारम्भ जिला परिषद के एक भवन में जिसमें आठ कक्ष थे, हुआ था। महाविद्यालय के निजी भवन निर्माण हेतु श्री केशवचन्द्र सिंह चौधरी एवं चन्द्रभूषण सिंह चौधरी ने उदारतापूर्वक भूमि दान में दी। महाविद्यालय के इतिहास में दानवीर चौधरी परिवार एवं सेठ हरिकृष्ण सेठ जी की सेवायें स्तुत्य रहेगी। प्रथम प्राचार्य डा0 जी0एन0 द्विवेदी ने कॉलेज को उत्तरोत्तर विकास की दिशा दी। कॉलेज के संविधान में पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी, बाँदा को रखा गया है। सन् 1972 में महाविद्यालय का प्रशासनिक कार्य जिलाधिकारी एवं उनके द्वारा नामित एस0डी0एम0, बाँदा सचिव के रूप में कर रहे हैं।

सम्प्रति महाविद्यालय के पास 14 एकड़ भूमि है। जिस पर प्राचार्य कक्ष, शिक्षक कक्ष, 32 शिक्षण कक्ष, एक लाइब्रेरी हॉल, एक परीक्षा भवन, कार्यालय, प्रयोगशालायें, छात्र संघ भवन, छात्रों का कमरा, पोस्ट ऑफिस, इलाहाबाद बैंक, सायकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, खेलकूद कक्ष, विशाल स्टेडियम, खेलकूद का मैदान, शिक्षक आवास निर्मित हैं। आरम्भ में इसे स्नातक स्तर पर कलावर्ग के सात विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुई, जो हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान थे। तब यह महाविद्यालय आगरा

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'सुरसरि' से उद्धृत

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। कालान्तर में भूगोल और सैन्य विज्ञान को वर्ष 1968-69 में अस्थायी मान्यता दी गयी। 1970-71 में कानपुर विश्वविद्यालय ने पत्रांक संख्या-के0यू0/17615 दिनांक 10.08.70 द्वारा स्थायी मान्यता भूगोल को एवं सैन्य विज्ञान को दी गयी। सत्र 1969-70 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी। इसी प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषयों में 1970-71 में के0यू0/17933 दिनांक 31.08.70 द्वारा सम्बद्धता प्राप्त हुई। इसमें गणित विषय भी शामिल था।

बी0एड0 कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु वर्ष 1969-70 में कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के पत्रांक के0यू0/8123/एफीलियेशन 69 दिनांक 14.07.69 द्वारा सम्बद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय अब दो भवनों में चल रहा है। बी0एड0 विभाग एक अलग भवन में चल रहा है, जिसका अपना विभागीय ऑफिस भी अलग है। यहाँ का परीक्षाफल सदैव सर्वोत्तम रहा।

स्थापना वर्ष में यहाँ 52 छात्र तथा 07 प्राध्यापक थे। अब प्राध्यापकों की संख्या 61 है। महाविद्यालय में 35 प्राध्यापक पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त हैं जिन्हें राज्य सरकार ने पुरस्कृत भी किया था। इसी प्रकार डॉ0 रणजीत सोवियत संघ द्वारा सम्मानित हैं एवं डा0 सी0पी0 दीक्षित 'ललित' भी राज्य सरकार द्वारा सम्मानित प्राध्यापक हैं। 05 अध्यापक यू0जी0सी0 स्कीम द्वारा एम0फिल0 उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। 05 प्राध्यापक पी0एच0डी0 हेतु शोधकार्य में संलग्न हैं। सम्प्रति रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विभागों को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्र के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

महाविद्यालय परिसर में एक विशाल पुस्तकालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से निर्मित है। जिसमें हजारों की संख्या में बहुमूल्य पुस्तकें एवं अनुपलब्ध ग्रंथ मौजूद हैं। शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में यह महाविद्यालय अग्रणी रहा है। यहाँ सभी इनडोर एवं आऊटडोर गेम्स संचालित होते हैं। इनके सफल संचालन का भार श्री एम0पी0 सिंह विभागाध्यक्ष के ऊपर है। वर्तमान में महाविद्यालय के पास फुटबॉल, हॉकी, बॉलीबाल, बास्केटबॉल, टेबिल टेनिस, क्रिकेट के अलग-अलग मैदान उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन यूनिट महाविद्यालय में चल रही है। 6/60 यू0पी0एन0सी0सी0 कम्पनी भी विगत वर्षों से संचालित है। इस समय 160 कैडिटो की स्वीकृति प्राप्त है। सन् 2005 में कम्पनी के 98 कैडिटों को सर्टीफिकेट प्राप्त हुये हैं। 2005 की सी0 सर्टीफिकेट परीक्षा में अण्डर ऑफिसर विजेन्द्र सिंह ने ''ए'' ग्रेडिंग प्राप्त की यह ग्रेडिंग 79 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलती है। रिपब्लिक डे कैम्प 2006 के लिए 2 छात्राओं का चयन हुआ था। किन्तु कतिपय कारणों से उन्हें संरक्षकों के निर्देश पर लखनऊ से ही वापस आना पड़ा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति छात्र/छात्रायें काफी जागरूक है। सम्प्रति महाविद्यालय में 61 प्राध्यापक जिनमें 11 प्राध्यापिकायें तथा 51 शिक्षणेत्तर कर्मचारी और 5323 छात्र हैं।[1]

3. अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा) :

बाँदा जनपद में बाँदा और प्रयाग के मध्य विस्तृत भू-खण्ड पर प्रथम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक उत्तम संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1960 में हुई। महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास स्व0 श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने और उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभान गुप्त ने किया था।

इस संस्था के प्रथम प्राचार्य पद को गौरवान्वित करने वाले शिक्षाविद् श्री ठाकुर जगपत सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विद्यालय प्रांगण में कला, विज्ञान, शिक्षा, क्रीडा, पुस्तकालय भवन, शिक्षक आवास, बैंक, डाकघर, अतिथि गृह तथा लगभग 25 एकड़ कृषि भूमि संलग्न है। इस महाविद्यालय को वर्ष 1960 में बी0एड0, 1964 में बी0एस0सी0, वर्ष 1967 में एम0ए0 हिन्दी, 1969 में एम0ए0 राजनीति, अर्थशास्त्र 1972 में संस्कृत, एम0एस0सी0, गणित तथा रसायन विज्ञान, 1773 में बी0एड0 तथा एम0ए0 भूगोल, वर्ष 1980 में एम0एड0, वर्ष 1986 में बी0कॉम0 तथा वर्ष 1999 में एम0कॉम0 में संचालन की मान्यता प्राप्त हुयी है।

इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र, अंग्रेजी, सैन्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु-विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा का प्राविधान किया गया। वर्तमान में 51 शिक्षक तथा

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'विकल्प' से उद्धृत

60 शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं। छात्र/छात्राओं की कुल संख्या 6120 है। महाविद्यालय का पुस्तकालय भवन विशाल एवं भव्य है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से बना है। जिसमें संग्रहालय, बुक बैंक कक्ष, शोध कक्ष एवं एक विशाल अध्ययन कक्ष भी है। इस समय पुस्तकालय में 42631 पुस्तके हैं। जिनकी अनुमानित लागत रु0 1684310.00 है।

खेलकूद के क्षेत्र में भी यह विद्यालय अग्रणी है। महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के लिए विशाल क्रीडा क्षेत्र है। एक प्रशिक्षित शिक्षा अधीक्षक की देख-रेख में हॉकी, बॉलीबाल, फुटबॉल, कबड्डी, बॉस्केटबॉल, टेबिल टेनिस आदि खेलने की व्यवस्था है। महाविद्यालय में एक विशाल छात्रावास भी है, जिसमें 120 छात्रों के रहने की समुचित व्यवस्था है। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने किया था। किसी समय मेस की व्यवस्था थी लेकिन वर्तमान में छात्र स्वयं भोजन पकाते हैं।

महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की एक कम्पनी भी विगत वर्षों से संचालित है। 1976-77 से राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट भी कार्य कर रही है। छात्रसंघ का गठन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। यहाँ का परीक्षाफल सदैव उत्तम रहा है।

भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाईयां महाविद्यालय में कार्यरत हैं, जो शासन की नीतियों के अन्तर्गत पर्यावरण, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा एवं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले नागरिकों एवं छात्रों के समग्र विकास के लिए कार्यरत हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पल्स पोलियो, श्रमदान, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त अभियान विगत वर्षों में लगाये गये वृक्षों की देखभाल आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये।

महाविद्यालय में हिन्दी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रतिरक्षा अध्ययन, भूगोल, गणित, रसायन विज्ञान, आदि विषयों में पी0-एच0डी0 शोध की व्यवस्था है। गत वर्षों में लगभग 20 शोधार्थी महाविद्यालय में पंजीकृत हुये थे। महाविद्यालय में बी0एस0सी0 (कृषि) तथा एम0एस0सी0 बॉटनी की मान्यता विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।[1]

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय, बाँदा :

महामहिम श्री मोतीलाल बोरा तत्कालीन राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा 1995 को डी0ए0वी0 इण्टर कॉलेज के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी की स्मृति में उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस महाविद्यालय को उ0प्र0 शासन से 11 जनवरी, 2001 को मान्यता प्राप्त हो सकी और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का सम्बद्ध महाविद्यालय बना।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम मण्डल के मुख्यालय बाँदा नगर के किसी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की मान्यता न होने को दृष्टिगत रखते हुये छात्रहित में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति ने प्रथम सोपान में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय खोलने का निर्णय लिया।

वाणिज्य संकाय खोलने की प्रेरणा स्व0 सेठ हरिकृष्ण पूर्व प्रबन्धक पैतृक संस्था एवं संस्थापक सचिव/प्रबन्धक जे0एन0 कॉलेज बाँदा, स्व0 श्री बैजनाथ सिन्हा पूर्व प्रधानाचार्य पैतृक संस्था, जनकवि बाबू केदारनाथ अग्रवाल, स्व0 महीरजध्वज सिंह (बाबू भइया) पूर्व विधायक, श्री सौरभ चन्द्र पूर्व जिलाधिकारी बाँदा, श्री रामेश्वर भाई पूर्व विधायक, श्री विवेक कुमार सिंह पूर्व राज्य मंत्री, व श्री जगराम सिंह पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बाँदा, श्री संतोष गुप्ता जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार मण्डल बाँदा, डॉ0 शरद चतुर्वेदी सचिव/प्रबन्धक जे0एन0 कॉलेज बाँदा, श्री इन्द्रजीत सिंह पूर्व प्राचार्य जे0एन0 कॉलेज बाँदा एवं इं0 संतोष कुमार मसुरहा से प्राप्त हुई। महाविद्यालय की स्थापना में पैतृक संस्था के प्रधानाचार्य श्री बाबूलाल गुप्ता का योगदान विशेष प्रशंसनीय रहा।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की परिनियमावली के परिनियम 12.05 (ख) के अनुसार प्रबन्ध समिति में महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है। महाविद्यालय में 300 छात्र/छात्रायें, 07 प्राध्यापक जिसमें 02 महिला शिक्षिकायें भी हैं। शिक्षणेत्तर कर्मचारी की संख्या 09 है। इस महाविद्यालय में बी0ए0 व बी0कॉम0 की कक्षायें हैं। भविष्य में एल0एल0बी0, एम0कॉम0 एवं अन्य व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की योजना है।

महाविद्यालय परिसर में एक पुस्ताकालय वाचनालय है, जिसमें 1500 पुस्तकें हैं। क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा के लिए विशाल मैदान है। जिसमें सभी प्रकार के इन्डोर खेल-

बैडमिन्टन, टेबलटेनिस, कैरम, शतरंज इत्यादि की सुविधा एवं सभी आउटडोर खेलों में बॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि की व्यवस्था। जिमनास्टिक- पैरलेल बार, हारिजेन्टल बार, हार्स बेल्ट एवं जूडो गद्दे सहित और पूर्ण मल्टीजिम व सेपरेट बाडी बिल्डिंग के उपकरणों से सुसज्जित व्यायामशाला है। खेलों एवं व्यायामशाला के उपकरणों में अभ्यास कराने वाले अनुभवी एवं कुशल कोच की सुविधा भी है। खेलकूद की सारी सामग्री व सफल संचालन का भार श्री विवेक पाण्डेय के ऊपर है।

महाविद्यालय में आधुनिकीकृत इण्टरनेट सहित कम्प्यूटर के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है जिसमें 'ओ' लेवेल प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी की स्वीकृतोपरान्त छात्रवृत्ति राशि का वितरण महाविद्यालय स्थित सेन्ट्रल बैंक में विद्यार्थी द्वारा खोले गये खातों में स्थानान्तरित की जाती है। निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। जिसका निर्धारण प्राचार्य द्वारा होता है।[1]

स्व0 कामता प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, बदौसा (बाँदा) :

जनपद बाँदा की बदौसा नगरी स्व0 कामता प्रसाद शास्त्री की ज्ञान स्थली है। यह महाविद्यालय श्री दीनानाथ पाण्डेय जी पूर्व प्राचार्य अतर्रा महाविद्यालय के अथक प्रयासों से स्थापित हुआ और एक ही वर्ष में काफी प्रगति की ओर बढ़ा लेकिन इस महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की चेष्टा रखने वाले इस महान व्यक्ति को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया।

प्रदेश के महान नेता स्व0 मान्धाता सिंह जी की विशेष इच्छा रही है कि बदौसा में शास्त्री जी के नाम का एक महाविद्यालय होना चाहिये, उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु एवं शास्त्री जी के अग्रज श्री बेनी माधव मिश्र जी की प्रेरणा से स्व0 कामता प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय बदौसा (बाँदा) की स्थापना सन् 2003 में हुयी। यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से सम्बद्ध है। इस महाविद्यालय में 17 प्राध्यापक, 05 शिक्षणेत्तर कर्मचारी, 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व 300 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है। यहाँ पर स्नातक

---

1. महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका से प्राप्त सूचनार्थ

स्तर पर कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास विषयों के साथ शिक्षारम्भ हुई।

इस महाविद्यालय में छात्रों के हितार्थ समिति का गठन किया जाता है। इसमें कॉलेज के एक शिक्षक के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा का एक प्रतिनिधि छात्र रहता है। शिक्षक इस समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रतिवर्ष मुख्य अनुशासन अधिकारी की अध्यक्षता में अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। जिसमें प्राचार्य द्वारा मनोनीत कुछ प्राध्यापक तथा सभी संकायों के निर्धारित छात्र प्रतिनिधि होते हैं।

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ क्रीड़ा के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे- टेबिल टेनिस, फुटबॉल, बालीबॉल बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एवं व्यायाम शिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था है। इस कॉलेज की टीमें समय-समय पर विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेगी।[1]

जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा :

उत्तर प्रदेश का बाँदा जिला ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहाँ पर लगभग 20 लाख जनता निवास करती है, जिनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। अतः कृषि जो कि इस क्षेत्र के जीवन का मुख्य आधार है। इस कार्य को अंजाम देने का श्रेय जिला पंचायत अध्यक्ष, बाँदा श्री चन्द्रपाल सिंह व श्री जगराम सिंह को है। यह कार्य इन्होनें इस जिले को एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना करके पूरा किया।

इस जिले के कुछ गिने-चुने समूहों में समय-समय पर इसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संघर्ष किया है परन्तु कृषि जो कि इस क्षेत्र के जीवन का मुख्य आधार है, अछूता ही रहा, इस कार्य को अंजाम देने का श्रेय तत्कालीन अध्यक्ष जिला पंचायत, बाँदा श्री चन्द्रपाल सिंह जी को है। यह कार्य इन्होंने इस जिले को एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना करके पूरा किया।

इस महाविद्यालय को उ0प्र0 शासन द्वारा कृषि संकाय की सम्बद्धता दिनांक 01.09.93 से एवं कक्षायें प्रारम्भ करने की अनुमति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के तत्कालीन

---

1. महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका से प्राप्त सूचनार्थ

कुलपति माननीय डॉ0 कलियान सिंह जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 21.01.94 को प्राप्त हुयी।

वर्तमान में श्री कुशजध्वज सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बाँदा है। इस महाविद्यालय में 13 शिक्षक, 07 शिक्षणेत्तर कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी के 01 सदस्य है व छात्रों की संख्या 267 है जिसमें 5 छात्रायें भी हैं।

महाविद्यालय में बी0एस0सी0 (कृषि) का पाठ्यक्रम कुल चार वर्षों का है एवं चार वर्ष पूरे होने के उपरान्त ही स्नातक की डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। इस महाविद्यालय में पुस्तकालय में कृषि की समस्त विषयों की 5000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ विषय पत्रिकायें, मैंग्जीन, समाचार पत्रों एवं संदर्भ ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा के साथ-साथ पुस्तकालय में लगभग 50 छात्रों के एक साथ अध्ययन के लिए वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। महाविद्यालय में पठन-पाठन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों द्वारा अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय के पास पर्याप्त कृषि फार्म उपलब्ध है जिस पर बुन्देलखण्ड के कृषि विकास की दृष्टि से छात्रों का प्रशिक्षण तथा प्रमुख फसलों के विकास पर शोध कार्य करने का प्रयास किया जाता है। महाविद्यालय में छात्रों को समय-समय पर उनके विषय से सम्बन्धित शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों पर भ्रमण हेतु ले जाया जाता है। जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसमें छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा उच्चस्तरीय साहित्यिक तथा कृषि वैज्ञानिक प्रशिक्षण विषयक लेखों का प्रकाशन किया जाता है। अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रतिवर्ष अनुशासन समिति गठित की जाती है जो छात्रों में अनुशासन बनाये रखने का कार्य करती है।

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न खेलों की भी सुविधा छात्रों को प्रदान की जाती है जिसमें छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु महाविद्यालय में समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगितायें तथा गोष्ठियों का आयोजन विभिन्न विषयों पर किया जाता है, जिसमें छात्रों का अध्ययन के साथ-साथ बौद्धिक विकास भी हो सके।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों में 100 छात्र तथा विशेष शिविर में 50 छात्रों को भागीदारी प्रदान की जाती है। छात्रों को छुट्टियों के समय पर घर जाने के लिए रेलवे कन्सेसन फार्म प्रदान किये जाते है, जिसके द्वारा छात्रों को किराये पर 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को 75 प्रतिशत किराये की छूट रेलवे द्वारा प्रदान की जाती है।[1]

सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय, बबेरू (बाँदा) :

शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र बबेरु में छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधान संस्थापक सम्मानीय श्री चन्द्रपाल कुशवाहा जी की असीमित मेहनत और लगन ने इच्छा नवमी की शुभ मुहूर्त में सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन सिंचाई राज्यमंत्री मान्नीय शिवशंकर सिंह पटेल के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ तथा 1 सितम्बर, 2001 को मात्र कला संकाय के 56 छात्र/छात्राओं का नामांकन कर 6 सुयोग्य प्राध्यापकों के साथ सत्र प्रारम्भ किया गया। महाविद्यालय को जुलाई 2001 से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा मान्यता को प्राप्त हुई। विज्ञान संकाय का शुभारम्भ सन् 2002 से हुआ। इस महाविद्यालय में 9 प्राध्यापक, 7 शिक्षणेत्तर कर्मचारी व 480 छात्र/छात्रायें हैं।

वर्तमान समय में सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय जो कि क्षेत्रीय महत्व का संस्थान है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में देश-विदेश से विद्यार्थियों और शिक्षाविदों को आकर्षित करता है। मोहक व विस्तृत प्रांगण जो 21 बीघा भूमि तक फैला हुआ है, जिसमें विशालकाय शिक्षण कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन, कम्प्यूटर संस्थान प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, वाचनालय आदि सुसज्जित हैं और इनमें मौजूद हैं उच्चकोटि के प्राध्यापक जो छात्र/छात्राओं की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने में तत्पर रहते हैं ताकि अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर अग्रणी रह सके।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) की 2 इकाई कार्यरत है। इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में समाज सेवा की भावना के साथ-साथ व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व की क्षमता, आत्म विश्वास व ग्रामीण परिवेश से परिचित कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष निकटवर्ती ग्रामीण अंचलों में दस दिवसीय विशेष शिविर का

1. महाविद्यालय की विवरण पत्रिका उद्धृत

आयोजन किया जाता है तथा 20 घंटों का सामान्य कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। महाविद्यालय एक कम्पनी एन0सी0सी0 इकाई लाने हेतु प्रयासरत है।

महाविद्यालय में आधुनिक निर्मित नवीन पुस्तकालय भवन है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 2 हजार पुस्तकें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संदर्भ तथा शोध पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें भी उपलब्ध हैं। विशाल खेल का मैदान सभी प्रकार के इनडोर खेलों यथा बैडमिंटन, टेबुलटेनिस, कैरम, शतरंज इत्यादि की सुविधा एवं सभी आउटडोर खेलों में बॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि की व्यवस्था है। क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा के प्रभारी श्री विजयपाल जी हैं। दूरस्थ स्थानों से आये छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालयों स्तर से एक विशाल छात्रावास (छात्र/छात्रा) अलग-अलग प्रस्तावित हैं। महाविद्यालय में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।[1]

एकलव्य महाविद्यालय, दुरेड़ी रोड (बाँदा) :

महान तपोनिष्ठ, आदर्श चरित्र नायक ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र 'धनुर्धर वीर एकलव्य' के नाम पर महाविद्यालय की स्थापना गुरुकुल की भांति नगर के कोलाहल से दूर एकान्त शान्त प्राकृतिक सुरम्य वातावरण को की गयी, जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ है। एकलव्य महाविद्यालय की स्थापना समाज सेविका श्रीमती शकुन्तला देवी एवं एकलव्य सेवा संस्थान के अन्य सम्मानित सदस्यों के सौजन्य से 1 जुलाई, 2003 को की गयी है।

यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से सम्बद्ध, शासन एवं एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत इस महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल विषयों की एवं शिक्षक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा (बी0एड0) द्वारा शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0) की स्थायी मान्यता शासन एवं एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्राप्त है। शिक्षा संकाय में निर्धारित सीटों की संख्या 100 व शारीरिक शिक्षा के लिए 50 सीट हैं। इस महाविद्यालय में 110 शिक्षक व 300 छात्र/छात्रायें हैं।

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0सी0सी0) की एक इकाई कार्यरत है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष निकटवर्ती ग्रामीण अंचलों में दस दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है तथा 120 घंटे का सामान्य कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। महाविद्यालय एक कम्पनी एन0सी0सी0 इकाई लाने हेतु प्रयासरत है।

महाविद्यालय में एक आधुनिक नवनिर्मित पुस्तकालय भवन है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शोध कार्य हेुत संदर्भित तथा शोध पुस्तकें उपलब्ध हैं। वाचनालय हेतु प्रमुख दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। महाविद्यालय में विशाल खेल का मैदान सभी प्रकार के इनडोर खेलों-बैडमिंटन, टेबुलटेनिस, कैरम, शतरंज इत्यादि की सुविधा एवं सभी आउटडोर खेलों में बॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि की व्यवस्था है तथा शीघ्र ही मिनी स्टेडियम भी विद्यालय परिसर में बन रहा है।

महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आधुनिक रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0एवं कम्प्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं तथा सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है व निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दूरस्थ स्थानों से आये छात्रों के लिए महाविद्यालय परिसर में एक विशाल छात्रावास छात्रों के लिए निर्मित है। जिसमें एक साथ लगभग 100 छात्र निवास कर सकते हैं। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एक अनुशासन समिति का गठन किया जाता है।[1]

गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी (चित्रकूट) :

'गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी महामुनि अत्रि, भगवती अनुसुइया, गोस्वामी तुलसीदास की यह साधना भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा का केन्द्र है। भगवती भारती की साधना भूमि में इस महाविद्यालय की स्थापना 1988 ई0 में हुई। इस महाविद्यालय की स्थापना कर्वी के नागरिकों, बुद्धिजीविकों तथा महात्माओं की जागरुकता का परिचायक है। इस अविकसित क्षेत्र के उन्नयन हेतु शिक्षा-दीप का प्रज्जवलन आवश्यक था।

---

1. महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका से उद्धृत

स्थानीय शिक्षा समिति ने चित्रकूटधाम महाविद्यालय हेतु एक समिति बनायी तथा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बन्दोबस्त किया। बेड़ी पुलिया से लगभग 400 मी0 दूर कर्वी-बाँदा मार्ग पर महाविद्यालय के भवन का निर्माण हुआ। यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है। जनपद का यह एक मात्र राजकीय महाविद्यालय है। 7 नवम्बर, 1986 को चित्रकूटधाम कर्वी महाविद्यालय की सम्पत्ति उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी। उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी राजाज्ञा 7 जून, 1988 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय को खोलने की घोषणा करके क्षेत्र को उच्च शिक्षा का मानक प्रदान किया।

महाविद्यालय कालान्तर में अपने भव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। वर्तमान प्राचार्य डॉ0 सतीश चन्द्रा ने अपनी सम्पूर्ण क्षमता को इस निमित्त केन्द्रित कर दिया है। परिसर सौन्दर्यीकरण के साथ मानक परीक्षा व्यवस्था और परास्नातक कक्षाओं के परिचालन हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इस महाविद्यालय में 10 शिक्षक, 06 शिक्षणेत्तर कर्मचारी, 07 चतुर्थ श्रेणी व 1000 से अधिक छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 व परास्नातक स्तर पर एम0ए0 की कक्षायें हैं। उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र भी गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय, कर्वी चित्रकूट में जुलाई 2005 को स्थापित हुआ।

राष्ट्रीय सेवा योजना की दो यूनिट महाविद्यालय को आवंटित है। यूनिट एक ने विगत कई सत्रों में मानक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उत्कृष्टता के आधार पर यूनिट एक को शासन से अतिरिक्त यू0टी0ए0 कार्यक्रम भी आवंटित किये गये। महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद्, हिन्दी साहित्य परिषद्, राजनीतिशास्त्र परिषद् तथा अर्थशास्त्र परिषद् का संचालन सुचारू रूप से होता रहा है।

पत्रिका प्रकाशन, चाहारदीवारी निर्माण, साज-सज्जा, विश्वविद्यालय रोजर रेंजर समागम, एऊस विषय संगोष्ठी साक्षरता विषयक मानव श्रृंखला, जीवनशैली शिक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता, अम्बेडकर छात्रावास, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित अनेक स्तरीय कार्यक्रम, पुस्तकालय समृद्धि आदि को वर्तमान सत्र की उपलब्धियों में परिगणित किया जा सकता है।

महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ (चित्रकूट) :

महामति प्राण नाथ महाविद्यालय, मऊ (चित्रकूट) इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर माताबदल जायसवाल एवं उनकी सहधर्मणी डॉ0 शकुन्तला जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डफरिन अस्पताल इलाहाबाद के तपश्चर्या का प्रतिफल है। इस महाविद्यालय की स्थापना डॉ0 जायसवाल जी के सत्प्रयास एवं उनके अभिन्न सहयोगियों के परिश्रम व त्याग से सन् 1974-75 में कौशाम्बी डिग्री कॉलेज के नाम से की गयी थी। इस प्रकार सन् 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 तीन शिक्षा सत्रों में अध्ययन, अध्यापन कार्य प्रारम्भ रहा। प्रयत्नों के बावजूद कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न हो सकीं लेकिन वे निराश नहीं हुये बल्कि अपने उदात्त लक्ष्य को दृष्टि में रखकर प्रयत्नशील रहे जिसमें सत्र 1982-83 से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा महाविद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी। पूर्व में इस महाविद्यालय का नाम कौशाम्बी डिग्री कॉलेज था लेकिन बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश शासन ने महाविद्यालय के नये नाम की स्वीकृति दी अब इस महाविद्यालय का नाम महामति प्राणनाथ महाविद्यालय मऊ (चित्रकूट) है। इस महाविद्यालय को स्थायी मान्यता बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुयी। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी0ए0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान व स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 हिन्दी, संस्कृत विषयों की शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में इन विषयों से सम्बन्धित 10 विषयों के 14 अध्यापक अध्यापन कार्य में कार्यरत है तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी 02, चतुर्थ श्रेणी 06, छात्र/छात्राओं की संख्या 650 है।

महाविद्यालय में छात्रों के ज्ञानार्जन और उनमें अध्यापन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था है जिसमें सत्र 2004-05 में लगभग 4000 पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा पुस्तकों के अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकायें भी नियमित रूप से आती हैं। महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रभारी की देखरेख में तथा छात्रों के प्रतिनिधि के सहयोग से विभिन्न प्रकार के खेलों में छात्र रुचि लेते हैं। महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग में क्रिकेट, फुटबॉल, बॉलीबॉल, बैडमिंटन, डिस्कस, जैबलिन, हैमर, कैरम बोर्ड आदि खेलों की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों में परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना को विकसित करने तथा उन्हें क्रम के महत्व के समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है। इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय योजना की यूनिट सन् 1988-84 से ही शुरू हो गयी थी। महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की यूनिट खोलने के लिए इस विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क प्रयास किया और प्रारम्भ किया।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों तथा महाविद्यालय के उत्सवों में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।[1]

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर (उ0प्र0) :

वर्ष 1975 तक हमीरपुर जनपद में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल राठ में स्वामी ब्रह्मानन्द जी के नाम पर कृषि संकाय का महाविद्यालय था। 24 जुलाई, 1975 को उत्तर प्रदेश ने जनपद हमीरपुर के सारस्वत विकास को नयी दिशा दी। 1975 में इस महाविद्यालय की स्थापना मात्र 192 छात्र/छात्राओं के साथ प्रारम्भ हुई। यहाँ पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं इतिहास विषयों के साथ शिक्षारम्भ हुयी। सन् 1976 में विज्ञान संकाय तथा सन् 1982 में परास्नातक कक्षाओं में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र व हिन्दी की कक्षायें प्रारम्भ हुईं।

1975 से 1995 तक दो दशकों में यहाँ पर डॉ0 ज्ञानेश्वर निगम से लेकर प्रो0 विद्याशंकर त्रिपाठी तक 14 प्राचार्य रहे। वर्तमान में महाविद्यालपय में 23 प्राध्यापक हैं जिनमें से 03 महिला प्राध्यापक हैं तथा छात्रों की संख्या 2138 है। छात्र/छात्राओं के ज्ञान संवर्द्धन तथा प्रतियोगी चेतना को विकसित करने की दृष्टि से प्राचार्य प्रो0 विद्याशंकर त्रिपाठी ने पुस्तकालय तथा वाचनालय को समृद्ध बनाने की दिशा में पहल की, जिसके परिणामस्वरूप शासन तथा यू0जी0सी0 स्तर पर अनुदान मिला। इससे अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें मंगाई तथा हिन्दी और अंग्रेजी के विविध समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की। वर्तमान में पुस्तकालय में कुल 23388 पुस्तकें हैं। श्री आर0एस0 यादव पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। 1994-95 में तत्कालीन महामहिम श्रीयुत् मोतीलाल वोरा ने विज्ञान

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

संकाय को उच्चीकृत कर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान में एम0एस0सी0 की कक्षायें की तथा वाणिज्य संकाय कक्षाओं की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर ने स्थानीय तथा क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्यिक शिक्षार्जन के नये द्वारा खोल दिये।

वर्ष 1995 के बाद खेलकूदों के आयोजनों पर अधिक ध्यान दिया गया इन वर्षों में अर्न्तमहाविद्यालीय स्तर की एथलेटिक्स, क्रिकेट तथा अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रो0 वीरेन्द्र सिंह के निर्देशन में यहाँ पर क्रीड़ा का सुचारू संचालन हो रहा है।

शिक्षणेत्तर कार्यकलापों को और अधिक गति तथा छात्रों में उत्साह एवं ऊर्जा उत्पन्न करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयां बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है, जिनके अन्तर्गत डॉ0 बलराम, डॉ0 आर0एस0 रजक तथा डॉ0 ए0के0 सैनी प्रभारी के रूप में कार्यरत है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई व एन0सी0सी0 की भी व्यवस्था है। 1984 से यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर चल रही है। वर्तमान में इसे प्रशिक्षित प्राध्यापक लेफ्टीनेंट डॉ0 ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय संचालित कर रहे हैं। महाविद्यालय में रोवर्स रेंजर्स की योजना भी चल रही है जिसे प्रशिक्षित प्राध्यापक श्री स्वामी प्रसाद संचालित कर रहे हैं।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अपनी स्थापना के रजत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसके ढाई दशकों की सारस्वत यात्रा कई पड़ावों को पार करती हुई आज जिस मुकाम पर पहुँची है, वहाँ से गुजरने वाला हर मार्ग मनीषा की ओर जाता है। महाविद्यालय के रजत जयन्ती वर्ष में रजत प्रतिभा अलंकरण, रजत सांस्कृतिक साँझ, रजतकवि गोष्ठी एवं रजत प्रसार व्याख्यान जैसे कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है। जहाँ तक महाविद्यालय के प्राध्यापकों के शोध क्षेत्र का प्रश्न है, तो यहाँ कई प्राध्यापक समय-समय पर संगोष्ठियों में भाग लेकर अपने शोध पत्रों द्वारा महाविद्यालयों के गौरव को बढ़ाते रहते हैं।

महाविद्यालय अपनी स्थापना वर्ष 1975 में 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' जैसे जिस विचार बीज को अपनी भाव भूमि में बोया था। आज वह रजत वर्ष में साकार रूप

प्राप्त करता हुआ परिलक्षित हो रहा है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली महाविद्यालय परिवार वचनबद्ध है।[1]

राजकीय महिला महाविद्यालय, हमीरपुर (उ0प्र0) :

राजकीय महिला महाविद्यालय हमीरपुर शासनादेश सं0-2964/15/(17)-9-150/93 दिनांक 03.09.93 द्वारा सितम्बर 1993 में स्थापित हुआ। वर्तमान समय में महाविद्यालय राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के छात्रावास में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय के पास 3.08 एकड़ भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण हेतु शासन के अनुदान की मांग अनवरत की जा रही है। अनुदान यथाशीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

स्थापना वर्ष से अब तक महाविद्यालय में 07 प्राध्यापक हैं जिनमें से 01 प्राचार्य भी हैं। इन प्राध्यापकों में 05 महिला प्राध्यापिकायें हैं। सत्र 1999-2000 में कुल छात्राओं की संख्या 596 है, वर्तमान में यह संख्या 800 हो गयी है। महाविद्यालयमें रोवर्स रेंजर की एक इकाई कार्यरत है, जिसका संचालन डॉ0 नीता दीक्षित द्वारा हो रहा है। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की एक मात्र इकाई को राजाज्ञा सं0-870/सत्तर-रा0से0यो0 को 21/99 दिनांक 10 मई, 1999 के द्वारा समाप्त कर दिया है। महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का सतत् आयोजन किया जाता रहा है। क्रीड़ा प्रभारी डॉ0 कंचन यादव के नेतृत्व में खेलकूद की गतिविधियों का वर्ष भर संचालन होता रहा है। अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कु0 अर्चना मिश्रा ने महाविद्यालय का नेतृत्व किया।

पुस्तकालय के अन्तर्गत महाविद्यालय में कुल 739 पुस्तकें हैं। दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकायें भी नियमित रूप से मंगायी जाती है। जिससे छात्राओं का बहुमुखी विकास हो सके।

महाविद्यालय में छात्रवृत्ति का वितरण संतोषजनक ढंग से होता है। विवरण इस प्रकार है रु0 35000 अनुसूचित जाति के लिए, 12660 पिछड़ी जाति के लिए तथा दो छात्राओं को इस वर्ष राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी स्वीकृत हुई है। शुल्क मुक्ति की विभिन्न धाराओं

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

के अन्तर्गत इस सत्र में बी0ए0 तृतीय वर्ष में 26 बी0ए0 द्वितीय वर्ष में 14 तथा बी0ए0 प्रथम वर्ष में 21 छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की गयी है।

छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु प्रत्येक विषय में विभागीय परिषदों का गठन किया गाय है, जो अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। महाविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक, वाद-विवाद, पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के विकास में हर स्तर पर यहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अनेक प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी महाविद्यालय शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासन उत्कृष्ट है।[1]

राजकीय महाविद्यालय, मौदहा (हमीरपुर) :

इस महाविद्यालय की स्थापना जुलाई, 1997 में की गयी। उस वर्ष महाविद्यालय का प्रथम सत्र था, तब भी 207 छात्र/छात्रायें पंजीकृत हुये थे। छात्र/छात्राओं का परीक्षा परीणाम भी हर्षवर्धक रहा। जबकि अंग्रेजी एवं हिन्दी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में विषयाध्यापक नहीं थे और प्राचार्य का पद रिक्त था वर्तमान में 04 प्राध्यापक में से 1 प्राचार्य है और इनमें से 02 महिला प्राध्यापक हैं।

सत्र 1998-99 में बी0ए0 प्रथम वर्ष के साथ-साथ बी0ए0 द्वितीय वर्ष में भी छात्रों को प्रवेश दिया गया। इस सत्र में भी राजनीति व अंग्रेजी विषयाध्यापकों के एवं प्राचार्य के पद रिक्त थे लेकिन छात्र/छात्राओं ने कठिन परिश्रम करके महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाया।

जब 2003-04 में महाविद्यालय में 575 छात्र/छात्राओं को पंजीकृत किया गया जो कि महाविद्यालय के अनुशासन प्रशासन एवं श्रेष्ठ अध्यापन का द्योतक है। महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं ने कठिन परिश्रम करके परीक्षा दी और उम्मीद है कि उनके परिणाम उत्कृष्ट होगें।

महाविद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जिसमें 829 पुस्तकें हैं जिससे समस्त छात्र/छात्रायें लाभान्वित हैं। महाविद्यालय में पंजीकृत समस्त छात्र/छात्राओं को प्राध्यापकों एवं कार्यालय को पर्याप्त फर्नीचर सुविधा प्राप्त है।

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

महाविद्यालय को सांसद निधि से एक पुस्तकालय भवन निर्मित कराया गया है, जिसके हस्तान्तरण की प्रक्रिया चल रही है। महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाला है। महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास विषयों के अध्यापन हेतु शासन से अनुमति प्राप्त है।

महाविद्यालय में पंजीकृत छात्र/छात्रायें भी हैं, जो पाठ्येत्तर कार्यों में महाविद्यालय को गौरव प्रदान करते हैं। महाविद्यालय में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बी0ए0 प्रथम वर्ष की दो छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रावृत्ति प्राप्त है।

बी0ए0 भाग-एक में 232, भाग द्वितीस वर्ष में 139 और तृतीय वर्ष में 144 छात्र पंजीकृत थे। इस प्रकार समस्त पंजीकृत छात्रों की संख्या 515 थी।[1]

ब्रह्मानन्द महाविद्यालय राठ (हमीरपुर) :

जनपद हमीरपुर उत्तर प्रदेश प्रान्त का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ अतीत में शिक्षा का घोर अभाव था। सम्पूर्ण जनपद में अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों एवं अधर्म का बोलबाला था। पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी का हृदय द्रवित हो उठा। अपनी निष्काम सेवा के आधार पर क्षेत्र में कृषि शिक्षा के हेतु राठ में सन् 1938 में बी0एन0बी0 हाईस्कूल की स्थापना की। तत्पश्चात् सन् 1960 में ब्रह्मानन्द महाविद्यालय की स्थापना की। तब बी0एस0सी0 कृषि कक्षायें शुरू हुई। सन् 1969-70 में एम0एस0सी0 (कृषि) तथा 1975-76 में एम0एस0सी0 (कृषि) एग्रोनामी व कृषि अर्थशास्त्र विषयों की शिक्षा प्रारम्भ की गयी। इस सत्र में एम0एस0सी0 (कृषि) जेनेटिक्श एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग तथा पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में कक्षायें शुरू की।

इस महाविद्यालय के प्रारम्भ में केवल 07 शिक्षक एवं 23 छात्र थे लेकिन वर्तमान में 37 शिक्षक व 1520 छात्र हैं। पाठ्य विषय और छात्र संख्या विस्तार के साथ-साथ महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य भी होता रहा। बी0एस0सी0 (कृषि) एवं एम0एस0सी0 (कृषि) कक्षाओं के पठन-पाठन हेतु 10 भवन फर्नीचर विशाल शिक्षण कक्षा तथा 18 प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं। 100 एकड़ का सुविधा युक्त कृषि प्रक्षेत्र कृषि शोध कार्यों

---

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

के लिए एवं डेरी फार्म उपलब्ध है। कृषि, विज्ञान, वाणिज्य व गृह विज्ञान संकाय के लिए अलग-अलग भवनों की व्यवस्था है। ये सभी आधुनिकतम उपकरणों तथा साज-सज्जा युक्त प्रयोगशालायें निर्मित हैं। विशाल पुस्तकालय भवन में 16 हजार पाठ्य पुस्तकें विद्यमान तथा सभी विषयों में प्रचलित जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, बुलेटिन, रिसर्च पेपर एवं अर्ह पुस्तकालयाध्यक्ष में कुशल नियंत्रण में हो रहा है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित रुप से संचालित है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष अनेक उल्लेखनीय कार्य-कलापों के साथ-साथ वनीकरण जैसे शीर्षस्थ एवं महत्वपूर्ण स्तर का कार्यक्रम संचाजिल है। छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट एवं स्फूर्तियुक्त बनाने हेतु महाविद्यालय के आधिपत्य में एक विशाल कीड़ास्थल है जहां बॉलीवाल, बास्केट बाल, क्रिकेट, खो-खो, बैडमिन्टन, टेनिस, कबड्डी, ऊँची कूद, लम्बी कूद, पोलबाल, गोलाफेंक आदि खेल खेले जाते हैं। महाविद्यालय में जूनियर एवं सीनियर एन0सी0सी0 कोर्स संचालित है। इसका सफल संचालन कैप्टन मदन मोहन राजपूत एन0सी0सी0 ऑफीसर द्वारा किया जाता है।

महाविद्यालय में कृषि संकाय में सस्य विज्ञान कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान तथा जेनेटिक्स एण्ड प्लाण्ट ब्रीडिंग तथा विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान शोधकेन्द्र में मान्यता प्राप्त है। इसमें अतिरिक्त एम0एस0सी0 (कृषि) के सभी छात्र अपने-अपने लघुशोध प्रबन्ध महाविद्यालय व क्षेत्र पर प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी कथित समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सम्पादित कराने में संलग्न रहते हैं।

इस महाविद्यालय में कृषि शोध कार्य हेतु ब्रम्हानन्द वनस्थली धनौरी में वर्ष 1983 से निरन्तर बंजर भूमि सुधार योजना क्रियान्वित है। जिसके तहत 300 एकड़ अनुपजाऊ वनस्पति रहित, ऊबड़-खाबड़, कंकरीली जमीन में व्यापक पैमाने पर सुधार हुआ है। जिसमें वर्तमान में विभिन्न फलों वाले, इमारती लकड़ी एवं अन्य उपयोगी वृक्ष लाखों की तादाद में लहरा रहे हैं। परन्तु पर्याप्त संसाधनों के अभाव में यहां अभी सिंचाई, सुरक्षावाद इत्यादि में सम्बन्धित कार्य पूरेहोना शेष है। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय् श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार में असाधारण एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के तहत "इन्दिरा प्रिय दर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार" का राष्ट्रीय पुरुस्कार प्राप्त हो चुका हैं

निर्धन मेधावी दूर-दराज एवं विभिन्न प्रान्तों से अध्ययन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा कराने हेतु विद्यालय परिसीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय के पास तीन भव्य एवं विशाल छात्रावास डूँगर सिंह छात्रावास, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास व महिला छात्रावास जो कि क्रमशः 15 लाख, 30 लाख एवं 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है।[1]

श्री नागास्वामी जी बालिका डिग्री कॉलेज, भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर) :

अन्नत श्री विभूषित ब्रम्हालीन श्री नागास्वामी रोटीराम बाबा जी की तपोभूमि भरुआ सुमेरपुर मे उनकी ही पुण्य स्मृति में ग्राम पंधरी के समीप ग्रामीण बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु महिला महाविद्यालय की स्थापना की गयी। जिसकी स्थापना 2001 का श्रेय श्री प्रताप नारायण दुबे (पूर्व विधायक), श्री आनन्दी पॉलीवाल (पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत), श्री लालू सिंह एवं नगर के प्रबुद्ध नागरिकों को जाता है। श्री राजा कुँवर प्रधान ग्राम पंधरी ने महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 1.683 हेक्टेयर के लगभग भूमि पट्टे पर आवंटित कर एक बहुत बड़ा योगदान किया है। श्री अरुण कुमार दुबे उर्फ पप्पू भइया द्वारा महाविद्यालय भवन की आधारशिला रखी गयी है। इस महाविद्यालय में 1 प्राचार्य 120 छात्रायें अध्ययनरत हैं। डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा के अलावा हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र व गृह विज्ञान विषय संचालित हैं।

प्रबन्धन समिति श्री स्वामी नागा जी के स्वप्नों को साकार रूप देने हेतु महाविद्यालय में बी0एड0 की कक्षायें प्रारम्भ हो गयी हैं। जिसके लिये बी0एड0 संकाय का विशाल भवन, पुस्कालय, प्रयोगशाला एवं शिक्षण कक्ष आदि तैयार है। बी0एड0 विभाग का अपना निजी पुस्तकालय है जो अनेकानेक पुस्तकों से सम्पन्न है, सभी वांछित सामग्री से परिपूर्ण प्रयोगशालायें है। मानक के अनुरूप शिक्षण कक्ष है जिलमें छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था है। निकटतम विषय में महाविद्यालय में सभी संकाय एवं विषयों के साथ बी0पी0एड0 एवं स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय सेवा योजना युनिट का प्रकल्प स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है यदि सम्भव हुआ तो इसी सत्र में कम से कम एक इकाई में 50 छात्राओं को शामिल किया जा सकेगा।

महाविद्यालय में पुस्तकालय को विविध विषयों से समृद्ध किया गया है। वाचनालय में भी दैनिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था की गयी है। शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय छात्र संघ के गठन की व्यवस्था की गयी है ताकि छात्राओं में उत्तरदायित्व निर्वहन की क्षमता आ सके। महाविद्यालय में छात्राओं के लिये खेलकूद की सुविधा है तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु महाविद्यालय स्तर की अनेक योजनायें हैं। छात्राओं में नैसर्गिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतिभा को उजागर करने के लिये लेख, निबन्ध, भाषण, प्रश्न मंच आदि का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय में छात्रवृत्तियाँ के माध्यम से निर्धन एवं मेधावी छात्राओ को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।[1]

वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय, महोबा :

वर्ष 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मानूनीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के महोबा के आगमन पर इस महाविद्यालय के प्रान्तीयकरण की मांग की गयी। इस मांग को स्वीकार करते हुये इस महाविद्यालय को वर्ष 1982-83 में राजकीय महाविद्यालय का स्वरूप दिया गया प्रारम्भ में इसमें कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययन की सुविधा एवं व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।

मार्च 1988 में इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिया गया। वर्ष 1991-92 में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय महोदय द्वारा राजकीय महाविद्यालय महोबा का नाम वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय महोबा करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

वर्ष 1989-90 एवं 1995-96 में शासन की ओर से दो-दो व्याख्यान कक्षों एवं महाविद्यालय के द्वितीय प्रशासनिक-भवन का निर्माण कराया गया। वर्ष 1996-97 से महाविद्यालय में विज्ञान संकाय एवं एम0काम0 का शुभारम्भ हुआ। विज्ञान संकाय हेतु शासन द्वारा बनाये जाय रहे विशाल विज्ञान-भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। वर्तमान में इस

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

महाविद्यालय में 14 प्राध्यापक है। जिसमें 02 महिला प्राध्यापक है। तथा छात्रों की संख्या 1500 है।

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से सम्बद्ध है। वर्ष 1987-88 से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर लागू किया गया है।

महाविद्यालय में क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्य किये जाते है जैसे विभिन्न खेलों की टीमों का चयन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विगत वर्षों में महाविद्यालय द्वारा खो-खो एवं हैण्डबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अर्न्तविश्वविद्यालीय प्रतियोगिताओं के लिये चयनित बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की टीम में भी इस महाविद्यालय का चयन होता रहा है। महाविद्यालय में निर्धन एवं मेधावी छात्रों को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें पूरे वर्ष के लिये 10 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क जमा करने पर निर्गत की जाती हैं जिन्हे परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना आवश्यक होगा।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक छात्रा इकाई कार्यरत है। विद्यार्थियों में अनुशासन बद्ध होकर राष्ट्र सेवा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित एक इकाई में महाविद्यालय की कोई भी छात्रा सदस्य हो सकती है।

प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद होती है। इस विषय/विभाग के समस्त छात्र उस परिषद के सदस्य होते है। विभाग प्रभारी परिषदों के पदेन निदेशक होते है और अन्य पदाधिकारी छात्रों में से मनोनीत किये जायेंगे। विभागीय परिषदों के तत्वाधान में केवल शैक्षणिक कार्यकलाप होंगे जैसे - निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगितायें, विचार गोष्ठी शैक्षिक भ्रमण विद्वानों के व्याख्यान संस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चरखारी (महोबा) :

राजकीय महाविद्यालय चरखारी, महोबा की स्थापना राजाज्ञा सं0 5013/15/87 (11)-(20) (76) 71 दिनांक 28 अक्टूबर, 1978 द्वारा हुई। यह महाविद्यालय 8 विषयों के साथ प्रारम्भ हुआ। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों में एक-एक प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई। 12 नवम्बर, 1978 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री रामनरेश यादव द्वारा

इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय स्थानाभाव के कारण गंगा सिंह इण्टर कॉलेज मेला ग्राउण्ड स्थित कम्पनी हाल विद्युत गृह एवं बी0 पार्क में चलता रहा है। सम्प्रति 13 अगस्त 1982 से महाविद्यालय मेला मैदान के समीप 16.30 एकड़ भूमि पर निर्मित अपने नए भवन में तालकोठी से स्थानान्तरित होकर गतिशील है।

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय में स्नातक व कला स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। 13 नवम्बर, 2001 को उच्च शिक्षा मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह की उद्घोषणा चरखारी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के शुभारम्भ हेतु 20 नवम्बर, 2001 को 13 पद सृजित कर दिये गये हैं। सत्र 2002-03 से विज्ञान की स्नातक कक्षाओं में अध्यापन प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान सत्र 2005-06 में महाविद्यालय में बी0कॉम0 व एम0ए0 की उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेश की अर्हताएं वही होगी जो कला व विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में थी। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 08 प्राध्यापक हैं, जिसमें 02 महिला प्राध्यापक हैं। महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 1150 है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के दस दिवसीय विशेष शिविर हेतु छात्र/छात्राओं का चयन सामान्य कार्यक्रम के लिए चयनित छात्र/छात्राओं में से उनके कार्य, व्यवहार और उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक इकाई से 50-50 छात्र/छात्राएं विशेष शिविर के लिए चयन किये जाते हैं।

महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग की एक विभागीय परिषद गठित होती हैं जिसमें विभाग प्रभारी के निर्देशन में छात्र/छात्राएं न केवल महाविद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं अपितु विविध संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु चयनित किये जाते हैं। महाविद्यालय का एक समृद्ध पुस्तकालय और वाचनालय है, जहाँ समाचार पत्रों के अलावा विभिन्न विषयों की उपयोगी पत्रिकाएं एवं जनर्ल्स उपलब्ध है। वाचनालय कक्ष में छात्रों के बैठकर पढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था है।

महाविद्यालय के पास अपना खेल का विशाल मैदान है, जहाँ क्रीड़ा प्रभारी के निर्देशन में छात्र/छात्राएं विविध खेलों का अभ्यास करते हैं और प्रत्येक सत्र की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं इस मैदान पर भव्यता के साथ सम्पन्न होती हैं। महाविद्यालय में पिछड़ी

जाति के छात्र/छात्राओं को तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है।[1]

1. महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका से उद्धृत

अध्याय-नवम्

पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा

- पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का महत्व
- आयोजन संयम
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम् पंचवर्षीय योजनायें

(अ) अवधि

(ब) आवंटन

(स) प्राथमिकता

(द) लक्ष्य

(य) उपलब्धि

(र) परियोजना

(ल) चित्रकूटधाम मण्डल में विशिष्ट प्रयास

पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा

15 अगस्त, 1947 को सदियों की पराधीनता के बाद जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो उसके सामने अगणित समस्यायें खड़ी थी। अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति के फलस्वरूप देश शोचनीय दशा को पहुँच गया था। योजनाबद्ध प्रयास के बिना देश का कल्याण संभव नहीं था। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी दृष्टियों से देश ग्रसित था। आधुनिक समय में विकास के लिए आयोजन महत्वपूर्ण समझा जाता है। आयोजन किन्हीं परिस्थितियों के उपस्थित होने के पूर्व उसके समाधान करने के लिए उपलब्ध साधनों की क्रमबद्ध व्यवस्था करने को कहते हैं। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''आयोजन भविष्य में कार्य करने के लिए निर्वदों का एक समुच्चय तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन की विधि निर्धारित करने की प्रक्रिया है।'' आयोजन द्वारा भविष्य की आवश्यकतायें निश्चित की जाती है। उनकी संतुष्टि के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, कालावधि निर्दिष्ट की जाती है, जिसके अन्तर्गत संतुष्ट करना है, साधनों एवं सेवाओं का आंकलन किया जाता है। यह प्रक्रिया ध्येयों एवं सुझावों का एक क्रम प्रस्तुत करती है, जो एक सन्तुलित ढंग से नियंत्रित होकर निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उनमें प्रमुख उद्देश्यों की व्यवस्था की जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है और उनकी प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम को योजना कहते हैं।''[1]

सी0ई0वी0वाई0 ने[2] शैक्षिक आयोजन की निम्नलिखित परिभाषा दी है ''शैक्षिक आयोजन शिक्षा प्रणाली की नीति प्राथमिकताओं तथा लागतों को निर्धारित करने में ऐसी दूरदर्शिता का प्रयोग करता है, जिसमें आर्थिक और राजनैतिक वास्तविकता प्रणाली के विकास की संभावना तथा देश और छात्र जिसकी सेवा करने के लिए प्रणाली बनायी गयी है, का समुचित ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार शैक्षिक आयोजन राष्ट्रीय आवश्यकताओं, राजनीतिक पूर्वाग्रहों, आर्थिक अनिवार्यताओं, प्रणाली स्वयं की विकासात्मक संभावनाओं और छात्रों की आकांक्षाओं की परस्पर टकराती हुयी मांगों के दावों के क्रम के बीच समझौता और समायोजन की व्याख्या है।''

---

1. आत्मानन्द मिश्र, शिक्षा का वित्त प्रबन्धन, रामबाग कानपुर ग्रन्थम, 1976, पृ0सं0 : 13
2. सी0ई0वी0वाई0 प्लानिंग एण्ड द एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिस, यूनेस्को, 1967, पृ0सं0 : 110-111

शिक्षा के महत्व को देखते हुये उसके विकास का विधिवत् आयोजन किया जाने लगा। योजनाओं में शिक्षा समाज सेवा के अन्तर्गत आती है। इसके साथ अन्य सेवायें, स्वास्थ्य, आवास, जल प्रदाय तथा समाज कल्याण आदि है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया था कि ''राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में नियोजित विकास करने के लिए शिक्षा को केन्द्रीय स्थान देना परमावश्यक है।''[1]

पं0 जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना करके पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारम्भ किया। अध्ययन अवधि तक दसवीं पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन शोधार्थी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना तक शोध कार्य में आंकड़े सम्मिलित किये हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में तीन वार्षिक योजनायें भी चलायी गयी। तीसरी योजना काल भारत के लिए बड़ा ही दुःखद रहा। इन वर्षों में प्राकृतिक आपदायें एवं प्रकोप तथा पड़ोसी राष्ट्रों के हमलों ने देश को इस तरह झकझोर दिया था कि सभी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। परिणामतः चौथी योजना के लिए पर्याप्त धन जुटाना मुश्किल हो गया। अतएव तृतीय योजना के बाद तीन वार्षिक योजनायें चलानी पड़ी। जिनसे विकास को वह दिशा और गति नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिये थी। इन योजनाओं में शिक्षा को धन का आवंटन किया गया। लक्ष्य निर्धारित किये गये अवधि समाप्त होने पर उपलब्धियों का अवलोकन किया गया।

इन योजनाओं के विधिवत् संचालन के लिए केन्द्र में एक योजना आयोग की स्थापना की गयी। जिसका कार्य सम्पूर्ण राज्यों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को निश्चित करना और फिर प्रस्तुत करना था। ये योजनायें केन्द्र और राज्यों के सहयोग से बनायी जाती है। राज्यों के विकास कार्यों के लिए केन्द्र अनुदान देता है जिसमें राज्य अपना योगदान भी करता है। सभी राज्य अपनी-अपनी योजनायें बनाते हैं जिन पर केन्द्र के साथ विचार-विमर्श होता है तब कहीं योजना अपना रूप ग्रहण कर पाती है।

योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना मंत्री उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। जिनमें एक लोक जीवन का अनुभवी, प्रशासन का अनुभवी तथा शिक्षा मंत्री। अब सांख्यिकी विभाग का भी एक सदस्य होता है। योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद के

---

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना (नई दिल्ली) योजना आयोग

समक्ष रखा जाता है। इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्यों में केन्द्रीय मंत्री तथा प्रदेश के प्रमुख मंत्री होते हैं। परिषद योजना के आकार, लक्ष्य, प्राथमिकता और धनराशि आदि के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेकर संशोधन सहित उसे आयोग को वापस कर देती है। आयोग निर्देशानुसार परिवर्तन करके उस योजना को अंतिम रूप दे देता है। एक योजना के आधार पर दूसरी योजना का निर्माण किया जाता है। एक योजना की समाप्ति इस बात का अवसर प्रदान करती है कि पिछले कार्य-कलापों का अवलोकन किया जाय व भविष्य के नये उद्देश्य व लक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।

प्रदेशों में योजना कार्य के लिए प्रारम्भ में एक सचिव की नियुक्ति की जाती थी जो विभिन्न विभागों की योजनाओं का समायोजन करके मंत्रिमण्डल के सामने रखता था तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करता था। योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्र के परामर्श की प्रतीक्षा रहती थी। कार्य की वृद्धि एवं अनावश्यक देरी को दूर करने की इच्छा से उत्तर प्रदेश में भी एक योजना आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और अन्य मंत्रियों के अतिरिक्त विख्यात अर्थशास्त्री तथा अन्य विशेषज्ञ रखे जाते हैं। इसकी सहायता के लिए एक आर्थिक सलाहकार समिति और मंत्रिपरिषद् की उपसमिति होती है। उनके आदेश पर राज्य का नियोजन विभाग कार्य करता है। इसमें 8 विभाग हैं ये विभाग योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है- जिसका संक्षिप्त विवरण यहाँ देना समीचीन होगा।

1. आर्थिक और सांख्यिकीय उपविभाग :

यह उपविभाग समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके उनसे प्राप्त आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करता है। विश्लेषण करके उनकी व्याख्या भी करता है।

2. परिप्रेक्षीय आयोजन उपविभाग :

यह विभाग राज्य की वर्तमान आर्थिक दशा को दृष्टि में रखकर एक लम्बी अवधि तक योजनाओं का निर्माण करता है। इसके पश्चात् इसी के परिप्रेक्ष्य में वह छोटी-छोटी कई योजनाओं को आयोजित करता है।

3. जनशक्ति आयोजन उपविभाग :

इस उपविभाग का कार्य प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए जनशक्ति की आवश्यकता और उसका विवरण तैयार करना है। इस विभाग का यह भी कर्तव्य है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जनशक्ति का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। बेरोजगारी की समस्या के बढ़ने की संभावना तो नहीं है।

4. क्षेत्रीय नियोजन उपविभाग :

यह उपविभाग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमताओं का अध्ययन करता है और यदि उनमें असमानतायें हैं तो समानता लाने के लिए अनेक छोटी योजनायें बनाता है।

5. **शोध आयोजन एवं क्रियान्वयन उपविभाग :**

इस उपविभाग की स्थापना सन् 1954 में की गयी थी। यह उपविभाग नवाचारों और नयी परियोजनाओं पर प्रयोग करके देहाती क्षेत्रों के विकास के लिए उपाय बताता है।

6. **सामग्री प्रबन्ध और समायोजन उपविभाग :**

इस उपविभाग का प्रमुख कार्य इन्जीनियरिंग विभाग की समस्यायें निपटाने और उनके प्रयोग में आने वाली सामग्री का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करना होता है।

7. **परियोजना निर्माण तथा मूल्यांकन उपविभाग :**

ये उपविभाग प्रदेश के लिए छोटी-छोटी योजनाओं का निर्माण करता है। योजनाओं के क्रियान्वयन से जो उपलब्धियां प्राप्त हैं, उनका मूल्यांकन करता है।

8. **सूचनाओं के अनुश्रवण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध उपविभाग :**

इस उपविभाग का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि जिस अवधि तक के लिए योजना बनायी गयी है वह अपने निर्धारित अवधि में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है या नहीं। योजना पर जो धनराशि व्यय की जा रही है उसका अपव्यय न हो। पूरा लाभ उठाया जा रहा है या नहीं। अन्त में इसकी उपलब्धि का आंकलन बड़ी सावधानी से किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा :

अब हम प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का विकास देखने का प्रयास करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का विकास केवल तीन स्तरों पर ही देखेंगे- प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा। क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शोधकत्री को अन्य स्तरों की तरह न तो कोई आवंटन मिला और न ही कोई परियोजनायें उस स्तर की शिक्षा के विकास को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करके विवेचन करेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु0 153.37 करोड़ था। जिसमें से सामान्य शिक्षा पर रु0 18.07 करोड़ व्यय किये गये। जो योजना परिव्यय का 11.8 प्रतिशत था। प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और विद्युत को दी गयी। इसके बाद उद्योग और यातायात, अन्तिम स्थान समाज सेवाओं का था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च वरीयता प्राथमिक एवं समाज शिक्षा को दी गयी। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा पर रु0 12.71 करोड़ व्यय किये गये। सामान्य शिक्षा के कुल व्यय का 70 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। पहली योजना की अवधि में 12,350 स्कूल खोले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय बेसिक प्राथमिक पाठशालायें खोली गयी। 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों को सुविधा देने के लिए 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 6-11 वर्ष वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की प्रतिशतता 13.54 थी।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग में कृषि के संसाधनों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। सिंचाई की सुविधा का भी प्रावधान किया गया। इस योजना में उत्तर प्रदेश शासन की शैक्षिक नीतियां व्यवहार में नहीं लायी जा सकी क्योंकि बुन्देलखण्ड में अशिक्षा और दरिद्रता अधिक थी।

---

1. फर्स्ट फाइव इयर प्लान, प्रोग्रेस रिव्यू ऑफ द उत्तर प्रदेश 1951-56, लखनऊ; प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 1957, पृ0सं0 : 95-96

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर :

इस योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर रु0 1.25 करोड़ व्यय किये गये। कुल योजना का 13.1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का केवल 7.0 प्रतिशत व्यय हुआ। यह व्यय बहुत ही कम था।

प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक और फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस योजना काल में छात्राओं के 12 हाईस्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुवर्ती कक्षायें खोलने का लक्ष्य था। सन् 1948 की माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाना था। 70 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने का प्रावधान रखा गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1. 83 लाख अतिरिक्त नामांकन करने की आशा थी।

इस योजना के अन्त तक अपेक्षित संख्या में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 114 अनुवर्ती कक्षायें खोली गयी। नामांकन में भारी वृद्धि हुयी। छात्रवृत्तियों पर प्रतिवर्ष रु0 1.19 लाख वितरित किये गये।

बुन्देलखण्ड संभाग में 15 अनुवर्ती कक्षायें खोलने का प्रावधान किया गया। शिक्षा पुनर्गठन योजना 1948 के अन्तर्गत तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां वितरित की गयी। शिक्षकों तथा उपकरणों पर रु0 50 हजार खर्च किये गये। बालिकाओं की शिक्षा बहुत कम थी। उनकी संख्या वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया।

उच्च शिक्षा स्तर :

इस योजना में उच्च शिक्षा पर 43 लाख रु0 व्यय किये गये। जो कुल शिक्षा का 3 प्रतिशत था। इस योजना काल में उच्च शिक्षा का संगठन किया गया। कुल नयी संस्थायें खोलने का भी प्राविधान रखा गया। शिक्षा में लोकतांत्रिक भावना की प्रबलता हेतु गरीब और पिछड़ी जाति के छात्रों की सहायतार्थ छात्रवृत्तियां तथा रियायतें देने का प्राविधान किया गया। 1956 तक गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनायी गयी। लेकिन योजना के अन्त तक यह विश्वविद्यालय नहीं खुल सका। किन्तु प्रदेश में 24 नये कॉलेज और 4 अनुसंधान संस्थायें खोली गयी। विश्वविद्यालयों में फेलोशिप बढ़ा दी गयी।

विश्वविद्यालयों में तथा महाविद्यालयों में नये-नये विषयों को खोला गया। जिनमें सांख्यिकी और शिक्षा प्रमुख थे।

इस योजना में बुन्देलखण्ड संभाग पर विशेष ध्यान दिया गया। जालौन जनपद के मुख्यालय उरई में उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय खोला गया। निर्धन तथा पिछड़े हुये छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी गयी। बुन्देलखण्ड संभाग के दोनों महाविद्यालयों का सम्बद्धन आगरा विश्वविद्यालय से था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

यह योजना 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1961 तक चली थी। इसका कुल परिव्यय रु0 233.93 करोड़ था। जिसमें से सामान्य शिक्षा पर रु0 14.31 व्यय किये गये। योजना परिव्यय में से 6.1 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर व्यय किया गया था। प्राथमिक शिक्षा पर रु0 9.41 करोड़ व्यय किये गये। शिक्षा के कुल परिव्यय का 59 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें समाज सेवाओं का योजना परिव्यय बहुत थोड़ा भाग प्राप्त हुआ था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 40,083 हो गयी थी और लड़कों का नामांकन 32.25 लाख तथा लड़कियों का लगभग 8.7 लाख हो गया था। 6-11 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का प्रतिशतता 44.72 हो गयी थी। 11-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की प्रतिशतता 23.64 से बढ़कर 1960-61 में 27.21 हो गयी थी। इस योजनाकाल में 10,000 प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों को सुधारने की व्यवस्था की गयी तथा 400 नवीन भवनों का निर्माण कराया गया। 20 स्कूलों में संगीत की शिक्षा और 1700 विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया।[1]

बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए "फूड ग्रेन्स इनक्वायरी कमेटी 1957" में बुन्देलखण्ड संभाग के विकास के लिए 40,000 रु0 सिंचाई के लिए 10,000 रु0 उद्योगों के

---

1. सेकेंड फाइव इयर प्लान, प्रोग्रेस रिव्यू; ऑफ द उत्तर प्रदेश 1956-61, लखनऊ; गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लांनिग डिपार्टमेंट 1962, पृ0सं0 : 20-21

लिए और 10,000 रु0 सड़कों के विकास के लिए दिया गया। लेकिन शिक्षा की पिछड़ी हुयी दशा को सुधारने के लिए इस योजना में भी संभाग को वरीयता नहीं दी गयी।[1]

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर :

द्वितीय योजना का कुल परिव्यय रु0 233.33 करोड़ था। जिसमें सामान्य शिक्षा पर रु0 14.31 करोड़ व्यय किये गये। कुल योजना का 6.1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किये गये और शिक्षा का 21 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। प्रथम योजना की तुलना में दूसरी योजना में समाज सेवाओं को बहुत थोड़ा सा भाग प्राप्त हुआ किन्तु उसमें से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का लगभग 1/5 भाग प्राप्त हुआ।

इस योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि, सिंचाई, विद्युत, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को दी गयी। तदुपरान्त उद्योग, यातायात को और अंतिम स्थान पर समाज सेवाओं को रखा गया। समाज सेवाओं में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को दी गयी। इसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, अन्त में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा प्रोद्योगिकी को स्थान दिया गया। इस योजना अवधि में 256 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा 633 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम लागू करने का लक्ष्य था। शिक्षा के इस स्तर पर रु0 1.25 लाख अतिरिक्त नामांकन बढ़ाना तथा 300 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान सूची पर रखने का था।

योजना में जो लक्ष्य रखे गये थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 1955 में 1,474 थी वह पाँच वर्ष बाद 1960-61 में 1,739 हो गयी। इस समय बालकों का नामांकन 3.4 लाख से बढ़कर 4.5 लाख हो गया था। 14 से 18 आयु वर्ग के बालकों का 15.48 प्रतिशत विद्यालयों में पढ़ने लगा किन्तु बालिकाओं का प्रतिशत 2.1 ही था। जो बालकों की अपेक्षा बहुत कम थी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई के लिए नलकूपों की व्यवस्था चालू की गयी। 3 बालिका विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत करके हाईस्कूल बनाया गया। 2 माध्यमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्तियां की गयी। बहुउद्देशीय कार्यक्रम को कोई सफलता नहीं मिली। विज्ञान अध्ययन में सुधार के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। 3

---

1. सेकेंड फाइव इयर प्लान, प्रोग्रेस रिव्यू; ऑफ द उत्तर प्रदेश 1956-61, लखनऊ; गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लांनिग डिपार्टमेंट 1962, पृ0सं0 : 105-107

माध्यमिक विद्यालयों में क्रीडागन की व्यवस्था की गयी। गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों में जो असंगतियां थी उन्हें दूर किया गया।

उच्च शिक्षा स्तर :

द्वितीय योजना का कुल परिव्यय 233.33 था। उच्च शिक्षा के लिए रु0 1.75 करोड़ दिये गये, जो शिक्षा धनराशि का 12.2 प्रतिशत था। प्रथम योजना की अपेक्षा इस योजना पर अधिक अनुपात में धनराशि का आवंटन किया गया। इस योजना में गोरखपुर और वाराणसी में दो नये विश्वविद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया। इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गयी। महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और छात्रावासों के लिए अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होने के बाद से आयोग ने इस स्तर की शिक्षा के सुधार के लिए प्रशंसनीय कदम उठाये। प्राध्यापकों का वेतन तथा शोध एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए आयोग ने छात्रवृत्तियां एवं अन्य प्रकार की सुविधायें देने की व्यवस्था की। इस योजना में शिक्षा को बहुमुखी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नैनीताल, कानपुर और रामपुर के कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को अधिक सम्पन्न बनाने का प्रयास किया गया था।

1957-58 के सत्र में गोरखपुर और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों के व्यय के लिए क्रमशः रु0 48.88 लाख तथा 39.96 लाख दिये। आगरा विश्वविद्यालय के कॉलेजों को 8.57 लाख और उससे सम्बद्ध कॉलेजों को 11.35 लाख रु0 का अनुदान किया गया। नैनीताल कॉलेज में 54 लाख रु0 व्यय करके फिजिकल केमेस्ट्री की एम0एस0सी0 कक्षायें खोली गयी। प्रदेश में 128 कॉलेजों को जो पहली योजना की अपेक्षा दो गुने थे। छात्रों के नामांकन में 23,655 की वृद्धि हुयी जिसमें 5,102 बालिकायें थी। इस योजनाओं में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुयी। 3,277 नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

इस योजना में बुन्देलखण्ड पर विशेष जोर दिया गया। झाँसी में 1 कॉलेज में विज्ञान की कक्षायें खोली गयी। बुन्देलखण्ड संभाग में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 1 कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गयी। जो आज भी अपने प्रकार की शिक्षा का मात्र अकेला महाविद्यालय है। अतर्रा में एक नया महाविद्यालय खोला गया जो ग्रामीण जनता की

आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज एवं भवन बनाने के लिए मुक्त हस्त से अनुदान दिये। छात्र-छात्राओं की संख्या में पहले की अपेक्षा अब वृद्धि हुयी थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 तक चली। इस योजना में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। इस योजना का कुल परिव्यय रु0 502.25 करोड़ था। जिसमें शिक्षा पर 44.71 करोड़ व्यय किया गया। इस शिक्षा व्यय में से रु0 29.49 करोड़ प्राथमिक शिक्षा के लिए नियत किये गये जो सम्पूर्ण व्यय का 66 प्रतिशत था। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के द्रुत विकास के लिए इस योजनाकाल में 1 से 5 तक कक्षाओं में विद्यार्थियों का नामांकन 91.59 लाख हो गया और स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 84.88 हो गया। इस योजनाकाल में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर देने का लक्ष्य रखा गया। 18,370 प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया। जिनमें से 16,500 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 2,320 जूनियर बेसिक स्कूल शहरी क्षेत्र में खोलने की बात कही गयी। इस स्तर पर सामान्य विज्ञान, कृषि दस्तकारी के शिक्षण की व्यवस्था की गयी। 26 नये नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षण के लिए खोले गये, जिनमें 8 महिलाओं के लिए थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य 6-11 वय की आयु के समस्त बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान करना था। इस आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करने में इस योजना में कई कठिनाइयां समझी गयी। जिसमें प्रमुख थीं- छात्राओं की संख्या में वृद्धि करना। जनता के कतिपय वर्गों एवं कतिपय क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी अत्यधिक पिछड़ापन था। तीसरे कुछ माता-पिता अपने बच्चों को शालाओं से उस समय निकाल लेते हैं जब वे घरेलू काम करने लायक हो जाते थे। इस प्रकार स्थायी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। छात्राओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षिकाओं को विशेष सुविधायें, विशेष भत्ते, रहन-सहन उपस्थित पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियां भी दी गयी।

बुन्देलखण्ड संभाग में 1,205 प्राथमिक पाठशालाओं के खोलने की व्यवस्था की गयी। 2,612 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। लड़कियों के लिए 34 विद्यालय खोले गये, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए 109 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये।[1]

उच्चतर माध्यमिक स्तर :

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रु0 7.41 करोड़ व्यय किये गये। कुल योजना का 9.0 प्रतिशत व्यय इस शिक्षा स्तर पर किया गया और शिक्षा का 17 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय योजना में समाज सेवाओं को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर द्वितीय योजना की अपेक्षा आनुपातिक व्यय कम कर दिया था।

तृतीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गयी। उसके बाद उद्योग, विद्युत शक्ति के उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों की स्थापना को महत्व दिया गया। प्राविधिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया। समाज सेवाओं में सामान्य शिक्षा और उसमें प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दी गयी। तृतीय योजना का लक्ष्य वर्तमान माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं को सुसंगठित एवं सुदृढ़ करना था। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2.28 लाख अतिरिक्त विद्यार्थी भर्ती होने का अनुमान था जो कि 14 से 18 वय वर्ग के थे। गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बसे खरीदने के लिए अनुदान देने, छात्रावासों का निर्माण करने तथा कुछ बालिका जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करना था। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनुदान देने तथा काफी संख्या में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान सूची पर लाने का प्राविधान था।

इस योजना अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल छात्र-छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य 7.45 लाख रखा गया था जिसमें 0.84 लाख लड़कियां थी। योजना के अन्त में कुल छात्रों का नामांकन 7.89 लाख हो गया था। जिसमें 1.11 लाख व छात्रायें थी। योजना अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 46376 होने का अनुमान था। प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत 82 निर्धारित किया गया था। जो योजना अवधि में पूरा हो गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 1960-61

---

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम थर्ड, लखनऊ नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन 1964, पृ0सं0 : 216

में 1,739 थी वह 1965-66 में बढ़कर 2,287 हो गयी। 1100 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया तथा 250 खेल के मैदानों और 1,000 पुस्तकालयों को सहायता दी गयी।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग में इस योजना काल में शिक्षा को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इस क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की वृद्धि की अपेक्षा उनके पुनर्गठन पर जोर दिया गया। 40 गैर सरकारी हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। 10 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषयों के विकास एवं विज्ञान के अध्ययन के सुधार एवं उसके अध्ययन के प्रसार पर बहुत बल दिया गया। रु0 60 हजार की धनराशि छात्राओं को विशिष्ट छात्रवृत्ति देने के लिए सुरक्षित की गयी। झाँसी और उरई के 1-1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टर तक उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष नीति अमल में लायी गयी। प्रसार केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गयी।

उच्च शिक्षा स्तर :

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा चाहे माध्यमिक स्तर की हो, चाहे वह विश्वविद्यालय स्तर की हो राज्यों का विषय है- किन्तु इस शिक्षा स्तर पर निर्धारण करना तथा उसमें समन्वय करना संघ सरकार का उत्तरदायित्व है। इस योजना में कुल परिव्यय रु0 5601.63 करोड़ था जिसमें से 44.71 करोड़ रु0 सामान्य शिक्षा पर व्यय किये गये थे जो कुल परिव्यय का 8 प्रतिशत था। उच्च शिक्षा को 4.94 करोड़ रु0 ही आवंटित किये गये, जो कुल शिक्षा व्यय का 11 प्रतिशत था। शिक्षा की प्राथमिकतायें पूर्ववत् ही रही इस योजनाकाल में मेरठ, कानपुर, नैनीताल में तीन नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया। गोरखपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्राविधान किया गया। पिथौरागढ़ में एक नया डिग्री कॉलेज खोलने तथा संस्कृत महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में काशी विद्यापीठ और गुरुकुल कांगड़ी केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय सामान्य संस्थायें घोषित कर दी गयी। प्रदेश में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के अध्ययन स्तर को उठाने और विस्तार करने के लिए अनुदान दिये गये।

---

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन नवम्बर, 1961, पृ0सं0 : 15, 57, 60, 61

कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। इस योजना में छात्रों का नामांकन 34,248 से अधिक हुआ। जिनमें 11,307 लड़कियां थी। इस योजना में 55 अधिक कॉलेज खोले गये तथा 3,909 नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। विज्ञान के योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का प्राविधान किया गया।

बुन्देलखण्ड संभाग में उच्च शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया। विज्ञान की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। प्राध्यापकों का वेतन तथा शोध एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए आयोग ने छात्रवृत्तियां एवं अन्य प्रकार की अनेक सुविधायें दीं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सभी महाविद्यालयों को कानपुर विशविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया। महिलाओं की शिक्षा के लिए अभी तक उनके लिए कोई कॉलेज नहीं था। सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय 1962 में झाँसी में खोला गया। जिसको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया। दूसरा कॉलेज बाँदा जनपद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहरलाल नेहरू के नाम से सन् 1964 में खोला गया।

वार्षिक योजना 1966-1969

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तीन वर्ष तक प्रारम्भ नहीं हो सकी। इस काल में तीन वार्षिक योजनायें चलायी गयी। इनकी अवधि 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के वित्तीय वर्ष तक थी। 1966-67 की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय रु0 148.83 करोड़ था। 1967-68 का परिव्यय रु0 155.04 करोड़ रु0 था और सन् 1968-69 का परिव्यय रु0 177.78 करोड़ था। तीनों वार्षिक योजनाओं का कुल परिव्यय रु0 581.65 करोड़ था। जिसमें से शिक्षकों पर रु0 12.31 करोड़ व्यय किया गया। शिक्षा परिव्यय में से प्राथमिक शिक्षा पर रु0 7.32 करोड़ व्यय किया गया जो इस वार्षिक योजनाओं के शिक्षा पर व्यय का 60 प्रतिशत था। पाकिस्तानी युद्ध 1965 और अनावर्षण के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी। सामाजिक सेवाओं को ध्यान में रखने के कारण कम आवंटन किया गया। सन् 1969 में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 99.35 लाख हो गयी थी। पूर्व माध्यमिक स्तर पर इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत 2.43 लाख नामांकन में वृद्धि हुयी। प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार हुआ। विज्ञान शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रयास किये गये एवं नयी कक्षायें चलायी गयी।

इन वार्षिक योजनाओं में बुन्देलखण्ड की प्राथमिक शिक्षा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुये क्योंकि किसी प्रकार का अलग से कोई आवंटन नहीं था।

उच्चतर माध्यमिक स्तर :

वर्ष 1966-67 वर्ष 1967-68 और वर्ष 1968-69 के कालखण्ड में तीन वार्षिक योजनायें चलायी गयी। पाकिस्तानी युद्ध और अनावर्षण के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी। तीनों वार्षिक योजनाओं पर कुल परिव्यय रु0 81.65 करोड़ किया गया। इन वर्षों में सामान्य शिक्षा पर क्रमशः रु0 0.56 करोड़, 0.75 करोड़ और 0.96 करोड़ व्यय किये गये थे। योजना में कुल परिव्यय का क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 2.9 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर व्यय किया गया था। शिक्षा के इस आवंटन का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 22.56, 16.6 और 16.0 प्रतिशत वार्षिक योजनाओं में व्यय हुआ। वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा का अनुपातिक आवंटन सबसे अधिक प्रथम वार्षिक योजना में हुआ।

इस वार्षिक योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में 1.68 लाख की वृद्धि हुयी। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान कक्षायें खोलने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पूरा किया गया। इन तीनों वार्षिक योजनाओं में अनेक परियोजनायें चलायी गयी। जिनमें कुछ इस प्रकार हैं :-

1. जूनियर हाईस्कूलों को उन्नत करना तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करना। इसके लिए 6.03 लाख रु0 निर्धारित किये गये।
2. सेकेण्ड्री अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन अनुदान देने की परियोजना चालू की गयी।
3. बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसे खरीदने का प्राविधान किया गया।
4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का उन्नयन करने के लिए रु0 0.38 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

5. गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अधिकाधिक संख्या में अनुदान सूची पर लेने की योजना थी।[1]

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का एक भाग है और उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख प्रान्त है। जो समस्यायें देश में होंगी उनका प्रभाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर भी होगा। पाकिस्तानी युद्ध और अनावृष्टि का प्रभाव बुन्देलखण्ड पर भी रहा। सिंचाई के साधनों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। शीघ्र उत्पादन प्राप्त हो इसके लिए बिजली, सहकारिता और यातायात के साधनों को विकसित किया गया। धनाभाव के कारण सामाजिक सेवाओं पर अधिक आवंटन नहीं किया जा सका। तीसरी योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास चल रहा था। वर्ष 1967-68 में संभाग के 10 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया। वर्ष 1968-69 में 84 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का कार्य किया गया। संभाग में विज्ञान की कक्षायें खोलने का प्रयास किया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

उच्च शिक्षा :

तीसरी और चौथे पंचवर्षीय योजना के बीच जैसा कि ऊपर बताया गया तीन वर्षों का अन्तराल रहा। इन वर्षों 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में तीन वार्षिक योजनायें चलायी गयी। इन तीनों योजनाओं का कुल परिव्यय रु0 440.09 करोड़ था जिसमें से रु0 12.31 करोड़ सामान्य शिक्षा पर व्यय हुये। कुल योजना परिव्यय का 2.6 प्रतिशत शिक्षा को मिला। उसमें से रु0 2.30 करोड़ उच्च शिक्षा पर व्यय किये गये। जो कुल शिक्षा व्यय का 18 प्रतिशत था। इन योजनाओं में भी वरीयता प्रारम्भिक शिक्षा की ही रही।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नये-नये विषय खोले गये। अध्ययन स्तरों में ऊँचा करने के प्राविधान किये गये। इन वर्षों में उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुयी उनका विवरण अग्रांकित है :-

1. सन् 1966 से 1969 के बीच 23 महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया।
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बायोकेमेस्ट्री की कक्षायें खोली गयी।

---

1. ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1968-69, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लानिंग विभाग, अक्टूबर 1967-68, पृ0सं0-33, 34, 108, 112

3. इस अवधि में 34 अतिरिक्त महाविद्यालय खोले गये और नामांकन में 73,560 की वृद्धि हुयी जिसमें 19,228 लड़कियां थीं।

4. इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सहकारी पुस्तकालय खोले गये जिनमें गरीब छात्रों को पुस्तकें पूरे वर्ष के लिए उधार दी गयी।

5. शिक्षकों के पी0-एच0डी0 कर लेने पर उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धियां 1966-67 के सत्र से देना प्रारम्भ किया गया।

बुन्देलखण्ड संभाग में उच्च शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए इन तीन वर्षों में विशेष रूप से प्रयास किये गये। झाँसी जनपद के ललितपुर मुख्यालय में एक महाविद्यालय खोला गया, जो पूर्णतया सामान्य शिक्षा के लिए सहशिक्षा महाविद्यालय था। इस क्षेत्र का यह प्रथम महाविद्यालय था इसी प्रकार जालौन जनपद के मुख्यालय उरई में विद्यालय खोला गया। बुन्देलखण्ड संभाग में छात्राओं की शिक्षा पर अभी ध्यान नहीं दिया गया। सह-शिक्षा का प्रचलन जोर पकड़ता जा रहा था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-1974

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974 तक चली। इस योजना अवधि में सर्वोच्च वरीयता खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने, पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में समाजसेवा की विषमताओं को कम करने तथा जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी।

इस योजना पर कुल परिव्यय रु0 1350.00 करोड़ था, जिसमें से सामान्य शिक्षा पर 57.01 करोड़ व्ययं किया। योजना परिव्यय में से 4.2 प्रतिशत व्यय सामान्य शिक्षा पर हुआ। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा का सर्वतोमुखी विकास था। इस योजना में 2,374 नये जूनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा 44,868 अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी। योजना के अन्त तक नामांकन का लक्ष्य 110.68 रखा गया। इसं योजना में 500 नये विद्यालय भवनों का निर्माण एवं 800 भवनों के सुधार की व्यवस्था की गयी। इस स्तर पर 2431 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा 4,622 अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी।

अध्ययन क्षेत्र में 170 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी। स्कूलों में शिक्षकों के अभाव को दूर करने के लिए 1,954 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गये। छात्राओं की 23 क्रमागत कक्षाओं को खोलने की व्यवस्था की गयी। सामान्य विज्ञान की शिक्षा के लिए 110 विद्यालयों में यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग में उत्तर प्रदेश की नीतियों का ही पालन किया गया। लेकिन राज्य के सभी संभागों में प्रगति एक सी नहीं रही। इस अवस्था में बहुत से छात्र अध्ययन छोड़ देते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना बनायी गयी। इस योजना में 250 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्राविधान किया गया। 150 विद्यालयों के भवनों को सुधारा गया। 200 सीनियर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। छात्रों में विज्ञान शिक्षण को विस्तृत करने की योजना हाथ में ली गयी। शिक्षिकाओं की नियुक्तियों पर अधिक जोर दिया गया।

उच्चतर माध्यमिक स्तर :

चतुर्थ योजना का कुल परिव्यय रु0 13.50 करोड़ था। जिसमें से सामान्य शिक्षा पर रु0 57.01 करोड़ व्यय किये गये। कुल योजना का 7.4 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ और शिक्षा का 17.0 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। चतुर्थ योजना में शिक्षा का आनुपातिक आवंटन तृतीय पंचवर्षीय योजना से कम था। किन्तु माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत तीसरी योजना के बराबर था।

चतुर्थ योजना में सर्वोच्च वरीयता खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, पिछड़े तथा अन्य समाज सेवाओं में विषमताओं को कम करना और जनसंख्या की तेज वृद्धि को यथासंभव कम करना था। समाज सेवाओं में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 6.2 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसमें बालिकाओं का नामांकन 2 लाख बढ़ने का लक्ष्य था। विज्ञान शिक्षा में और अधिक अच्छी उन्नति करने तथा नये-नये विद्यालयों में विज्ञान विषय खोलने का प्राविधान किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

---

1. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, 1969, पृ0सं0-347

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनायें चालू की गयी :-

1. शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षकों, छात्रों एवं शैक्षिक प्रशासन विभाग को अत्याधिक प्रोत्साहन देने की योजना स्वीकार की गयी।
2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक खोलने की योजना स्वीकार की गयी।
3. अच्छे तथा योग्य शिक्षकों को दक्षता पुरस्कार देने का प्राविधान किया गया।
4. निदेशालय में एक विज्ञान कक्ष की स्थापना का प्राविधान किया गया।
5. पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन के नये तरीकों से अध्यापकों को अवगत कराने की योजना प्रारम्भ की गयी।
6. शैक्षिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्राविधान किया गया।

बुन्देलखण्ड सम्भाग में भी प्राथमिकता उन्हीं क्षेत्रों को दी गई जिन्हें उत्तर प्रदेश शासन ने दी सम्भाग में 50 माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 20 माध्यमिक विद्यालयों को पुरस्कार तथा साज-सज्जा एवं पुस्तकालय के लिये अनावर्ती अनुदान दिया गया। 07 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता एवं 06 ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये।

उच्च शिक्षा स्तर :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974 तक की थी। इस योजना का कुल परिव्यय रु0 1162.59 करोड़ था, जिसमें से रु0 57.01 करोड़ सामान्य शिक्षा को दिये गये थे। जो कुल व्यय का 5 प्रतिशत था। उच्च शिक्षा को रु0 6.38 करोड़ आवंटित किये गये थे, जो कुल शिक्षा व्यय का 11.09 प्रतिशत था। चौथी योजना में विश्वविद्यालयों में विज्ञानेत्तर और वाणिज्य विषयों में भर्ती कम करने का प्रयत्न किया जायेगा और कृषि, विज्ञान, चिकित्सा तथा तकनीकि विभागों को बढ़ाया जायेगा। अधिक योग्य अध्यापक तैयार करने, अच्छी पुस्तकें लिखवाने और स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधायें और विशेष रूप से वैज्ञानिक विषयों में से सुविधायें बढ़ाने के कार्यक्रम थे। इस योजना की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं :-

1. 1973-74 में पहाड़ी क्षेत्र में कुमायूँ और गढ़वाल स्थानों पर दो विश्वविद्यालय खोले गये, जिसके मुख्यालय क्रमशः नैनीताल और श्रीनगर में रखे गये।
2. काशी विद्यापीठ वाराणसी को 15 जनवरी, 1974 से एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया।
3. इस अवधि में 87 कॉलेज खोले गये, जिनमें से 12 राजकीय थे। 52 महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया और अल्मोड़ा तथा काशीपुर में कॉलेज शासकीय प्रबन्ध में ले लिये गये।
4. उच्च शिक्षा में 1,22,864 छात्र बढ़े, जिनमें 22,271 बालिकायें थी। शिक्षकों की संख्या भी 3,810 बढ़ गयी।
5. विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को लिखने और अनुवाद करने के लिए 1969-70 में हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्थापित की गयी।
6. उच्च शिक्षा के लिए 1973 में इलाहाबाद में एक निदेशालय स्थापित किया गया।

बुन्देलखण्ड संभाग में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश की नीतियों के अनुसार ही किया गया। उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवधि में बुन्देलखण्ड संभाग में 4 नये महाविद्यालय खोले गये, जो सभी सहशिक्षा के थे। महिला शिक्षा का अभी तक केवल एक ही महाविद्यालय था। 6 महाविद्यालय को अनुदान सूची पर लिया गया। ये सभी महाविद्यालय प्राइवेट प्रबन्धकारिणी समितियों से संचालित थे। इन महाविद्यालयों को मैचिंग ग्रान्ट देकर उनको उन्नतशील बनाया गया। चौथी योजनानुसार नयी संस्थाओं को खोलने के बजाय वर्तमान संस्थाओं को प्रभावकारी एवं सशक्त बनाया जाये।

पंचम पंचवर्षीय योजना 1974-1979

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

यह योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च, 1979 तक चली। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता बेरोजगारी का अन्त करने, छोटे कृषकों तथा शिल्पकारों की उत्पादन के साधनों का विकास करने, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा जन्म दर की कम करने एवं मूल्यों को स्थिर रखनें के कार्यक्रमों को दी गयी। समाज सेवाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को दी गयी। उसके बाद माध्यामिक फिर उच्च शिक्षा को स्थान दिया गया।

इस योजना का कुल परिव्यय 3,085.0 करोड़ था जिसमें से सामान्य शिक्षा पर 94.04 करोड़ व्यय किया गया। कुल योजना का 3.04 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया और शिक्षा परिव्यय का 53 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। पाँचवी योजना में शिक्षा पर आनुपातिक आवंटन चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रतिशत से कम था। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 7,321 नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी। इस पंचवर्षीय योजना में 133.12 लाख नामांकन का लक्ष्य रखा गया। पूरी योजना में 5000 नवीन शिक्षक नियुक्त रखने का प्रावधान रखा गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 975 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी थी।

इस योजनाकाल में बुन्देलखण्ड संभाग के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये उसके शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। जिसके अन्तर्गत संभाग में पांचवी योजना के अन्तर्गत 650 प्राथमिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी। इस योजनाकाल में 5 किलोमीटर अर्द्धव्यास के क्षेत्र में सीनियर बेसिक शिक्षा को सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अवधि में संभाग के अन्तर्गत 100 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रावधान था।[1]

उच्चतर माध्यमिक स्तर :

पांचवीं योजना का कुल परिव्यय रु0 3,085.00 करोड़ था, जिसमें से सामान्य शिक्षा पर रु0 94.04 करोड़ व्यय किये गये। कुल योजना का 3.1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ और शिक्षा का 28 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। पांचवी योजना में शिक्षा पर आनुपातिक आवंटन चौथी पंचवर्षीय योजना से कम था परन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत चौथी योजना की अपेक्षा अधिक था।

सर्वोच्च प्राथमिकता अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को दी गयी। उसके बाद माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्थान था। बालिकाओं की शिक्षा में निहित कठिनाईयों को दूर करने का संकल्प किया गया।

इस योजना काल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का लक्ष्य 3.78 लाख था। योजना के अन्त में आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत 21.1 होगा और बालिकाओं के लिए 9.0 होगा। नामांकन की वृद्धि के कारण कुछ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली

---

1. पांचवी पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दिसम्बर, 1974, पृ0सं0-400

प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था। कुछ जूनियर हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने का प्राविधान किया गया। परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन करने का प्राविधान किया गया। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का तथा बुक बैंक योजना को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनायें चालू की गयीं :-

1. विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम के उन्नयन एवं सुधार हेतु शोध इकाई स्थापित करने का प्राविधान किया गया।
2. विज्ञान एवं गणित शिक्षाओं को विषय सामग्री का नवीनतम ज्ञान कराने के लिऐ 15 हजार शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा गया।
3. गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण करना।
4. बढ़ते हुये नामांकन के लिये माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली योजना प्रारम्भ की गयी।

इस योजना काल में बुन्देलखण्ड संभाग में 25 माध्यमिक विद्यालय खोले गये जिसमें बाँदा जनपद में 10 माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर में 08, जालौन में 03 व झांसी में 04 माध्यमिक विद्यालय खोले गये। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालयों के निरीक्षण हेतु 3 सह-मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों का सृजन किया गया। नवसृजित ललितपुर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय इस वर्ष स्थापित कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा :

पांचवी पचंवर्षीय योजना में समस्त डिग्री संस्थाओं के लिये 321.600 लाख रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसे योजना आयोग द्वारा पुनरीक्षित कर 254. 500 लाख रु0 का बजट प्राविधान किया गया है। छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में 1,60,000 रु0 का प्राविधान था। उपलब्ध धनराशि के आधार पर नियमानुसार विभिन्न स्तरों पर छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

अशासकीय डिग्री कालेजों को विकास अनुदान हेतु वर्ष 1976-77 में मैदानी क्षेत्र के कॉलेजों को रु0 7,00,000 क्या पर्वतीय क्षेत्र के कॉलेजों को 25,000 रु0 का विकास अनुदान स्वीकृत किया गया। बालकों के अशासकीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कॉलेजों को बालिकाओं की विशेष सुविधा हेतु वर्ष 1976-77 में 50,000 रु0 का अनुदान

स्वीकार किया गया। गणित समिति एवं गणित संस्थाओं को अनुदान देने हेतु वर्ष 1975-76 में 10,000 रु0 का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालय तथा डिग्री कॉलेजों के प्रतिभाशाली एवं परिश्रमी भी छात्रों को प्रोत्साहन देने, उनकी शिक्षा में व्यवधान को दूर करने के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। बजट में 34,43,500 रु0 का प्राविधान स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये है।

इस योजना काल में बुन्देलखण्ड संभाग में उच्च शिक्षा में विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 में निम्नलिखित 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्राविधान किया गया है इनमें से प्रथम तीन विश्वविद्यालयों में विशेष कार्याधिकारी कार्यरत है। जिसमें बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी प्रथम संख्या में है। एक राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर में कला संकाय में खोला गया। हमीरपुर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गयी। बुन्देलखण्ड संभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति, पुस्तक क्रय अनुदान तथा परीक्षा शुल्क मुक्ति करने हेतु अनुदान भी स्वीकृत किया गया। 28 राजकीय डिग्री कॉलेजों में से निम्नांकित चार राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिसमें 2 महाविद्यालय बुन्देलखण्ड में खोले गये, राजकीय महाविद्यालय चरखारी, हमीरपुर, राजकीय महिला महाविद्यालय, बाँदा।

छठीं पंचवर्षीय योजना 1979-1984

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर :

यह योजना 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1984 तक चली। छठीं योजना का कुल परिव्यय रु0 3670.00 करोड़ था, जिसमें सामान्य शिक्षा पर रु0 163.27 करोड़ व्यय किया गया। शिक्षा पर परिव्यय का 36 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 1½ कि0मी0 व पहाड़ी क्षेत्र में 1 कि0मी0 की दूरी पर स्कूल खोले जाये और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों 300 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खोले जाये तथा सीनियर प्राथमिक विद्यालय 3 कि0मी0 के अन्तराल में खोले जाये और ऐसी जगह में विद्यालय खोले जाये जहाँ की जनसंख्या 800 है। इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों के नगर क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु रुपया 942000 का प्राविधान निर्धारित है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 2887 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 1030 विद्यालयों को लगभग 19.59 लाख रु0 स्वीकृत

किया गया है। निर्बल वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैदानी क्षेत्र में 43620 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 23400 बच्चों को निःशुल्क पोशाक देने हेतु 16.76 लाख रु0 स्वीकृत किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3745 प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाये, बालक-बालिकाओं को हर सामग्री प्रदान की जाये इसके लिए 10 प्रतिशत परिसर विद्यालयों में निचली मेजे व कुर्सियों का लक्ष्य छठी योजना में रखा गया है। इसके अलावा मिड-डे-मील और पौष्टिक भोजन प्रदान करने का भी लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक चिकित्सा के सामान से लेकर वजन तौलने वाली मशीन तक हर एक छोटी-बड़ी मशीन को लाना भी इसी में लक्षित है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रु0 15 लाख प्रदान किये जायेंगे।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग के अन्तर्गत शिक्षा को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इस क्षेत्र में 365 प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गयी। संभाग में सबसे अधिक विद्यालय झाँसी जनपद में खोले गये और सबसे कम हमीरपुर जनपद में। झाँसी में 189, जालौन में 55, ललितपुर में 42, हमीरपुर में 38 व बाँदा जनपद में 41 विद्यालयों की वृद्धि हुयी। झाँसी जालौन व हमीरपुर में 166 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। लेकिन बाँदा व ललितपुर जनपद में अध्यापकों की संख्या पहले से कम हो गयी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर :

छठीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु0 3670.00 करोड़ था, जिसमें से सामान्य शिक्षा पर रु0 163.27 करोड़ व्यय किये गये। शिक्षा का 45 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। छठीं पंचवर्षीय योजना में 4933 सीनियर माध्यमिक स्कूल हैं, जिसमें की 25.7 लाख लड़के और 6.84 लाख लड़कियां हैं, कक्षा 9 व 12 में पढ़ने वाले छात्र 15.35 लाख हैं जबकि छात्रायें 3.02 लाख है जो कि क्रमशः पूरी जनसंख्या के 30 एवं 7 प्रतिशत हैं। छठीं योजना के बाद 25.50 लाख हो जायेगे जिससे कि 19.90 लाख लड़के व 5.6 लाख लड़कियां हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हेतु सरकार हर विद्यालय

---

1. छठी पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, 1979, पृ0सं0-465

को रु0 15 हजार प्रदान करेगी। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य ने रु0 433 लाख का अनुदान देने की बात कही है।

छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, बैंक स्थापित करने हेतु रु0 12.60 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के अभाववश बालकों के ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं में भी अध्ययनरत होने के कारण ऐसी बालिकाओं की सुविधा की दृष्टि से प्रदेश के ऐसे 13 मैदानी एवं 5 पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अलग से प्रक्षालन कक्ष एवं कॉमन रूम के निर्माणार्थ इस वर्ष अनावर्तक अनुदान की स्वीकृति के लक्ष्य निर्धारित है। 210 गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विभाग की अनुदान सूची पर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश के 3 सहायता प्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अपने विद्यालयों में शैक्षिक स्तर को ऊँचा बनाये रखने तथा उनका और विकास करने हेतु रु0 3.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग में 61 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के खोलने की व्यवस्था की गयी। सबसे ज्यादा जालौन जनपद में 32 माध्यमिक विद्यालय खोले गये। झाँसी में 23, ललितपुर में 02, हमीरपुर में 05 व बाँदा जनपद में 09 प्राथमिक विद्यालय और खोले गये। बालिकाओं के विद्यालयों में कमी आयी। यह कमी झाँसी व हमीरपुर जनपद के विद्यालयों में वृद्धि हुयी। जालौन में ज्यों की त्यों स्थिति रही लेकिन ललितपुर व बाँदा जनपद में माध्यमिक विद्यालयों में कमी आयी। 453 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी, लेकिन हमीरपुर में पहले की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या में कमी हुयी।

उच्च शिक्षा स्तर :

छठीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु0 3670.00 करोड़ था, जिसमें रु0 163.27 करोड़ सामान्य शिक्षा को दिये गये थे। जिसमें उच्च शिक्षा को रु0 29.03 करोड़ आवंटित किये गये थे, जो कुल शिक्षा व्यय का 18 प्रतिशत था। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय समान मानी गयी संस्थाओं सहित कुल 21 विश्वविद्यालय एवं 401 महाविद्यालय संचालित हैं। इन

---

1. छठी पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, 1969, पृ0सं0-470

महाविद्यालयों में से 48 राजकीय एवं 353 अशासकीय हैं। कुल महिला महाविद्यालयों की संख्या 84 है। अशासकीय महाविद्यालयों के गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जा रहे अनुदान का उपभोग करने को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अनुदान की राशि बढ़ाकर इस वर्ष रु0 13 लाख कर दी गयी है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। वर्ष 1983-84 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 1327 नवीन छात्रवृत्तियों तथा विगत वर्षों की स्वीकृत छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण तथा शिक्षा संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों, इंडियन स्कूल ऑफ इन्टर नेशनल स्टडीज के शोध छात्रों को छात्रवृत्ति/छात्र वेतन निमित्त रु0 63,79,00.00 धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान है। पर्वतीय जिलों के सामान्य से प्राविधिक शिक्षा को ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृत करने हेतु रु0 3,00,0000.00 का प्राविधान है। साथ ही यहाँ पर अध्ययनरत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को नर्सरी की धनराशि में बढ़ोत्तरी हेतु रु0 35,000.00 का प्राविधान है। शासन के प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत कार्टोग्राफर तथा डिमान्स्ट्रेटर्स को 700-1600 वेतनमान स्वीकृत कर दिया है।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग के अन्तर्गत छठी योजना काल में एक जनपद में राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं- राजकीय महाविद्यालय महोबा, हमीरपुर। महाविद्यालयों की गुणात्मक वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बुन्देलखण्ड की छात्राओं को उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय बाँदा का उच्चीकरण करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड में 4 और महाविद्यालय खोले गये। जिसमें जालौन जनपद में 01, ललितपुर में 01, हमीरपुर में 01 व बाँदा जनपद में 01 महाविद्यालय लेकिन झाँसी में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गय। इन पाँच वर्षों में बुन्देलखण्ड संभाग में 116 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी।

---

1. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, 1969, पृ0सं0-404

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1984-1989

सातवीं योजना इसलिए बनायी गयी थी कि हमारा देश अगली शताब्दी के चैलेन्ज को पार कर सके। इसी कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के जिन मुख्य क्षेत्रों का ध्यान दिया गया, वह है:-

1. कम से कम सबको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
2. 15 से 35 वर्ष की आयु वाले लोगों को पढ़ाना।
3. शिक्षा के हर एक मोड़ में व्यवसायिकता को डालना।
4. हर एक स्थिति में शिक्षा को एक अच्छी पकड़ में लाना ताकि विज्ञान और देश के विकास में मदद मिल सके।
5. देश को एक जिले के रूप में देखना और जिले से ही शुरूआत करना।
6. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाना।

इन सबको करने के लिये मुख्य बाते यह होनी चाहिये कि केन्द्र हटकर हर एक स्तर में योजना बनाये, हर एक शिक्षण संस्था को एक सूत्र में पिरोना, अनौपचारिक शिक्षा को एक नयी गति प्रदान करना, नये-नये तरीके अपनाना ताकि पढ़ने का स्तर बढ़ाया जा सके। पढ़ाई में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को सस्ते में उपलब्ध कराना, सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुये लोगों को पढ़ाना एवं ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो कि हर एक जाति, वर्ण एवं धर्म में लोगों के लिये एक ही जैसी लगे।

प्राथमिक शिक्षा स्तर :

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1989 तक चली। इस योजना का कुल परिव्यय रु0 4255.00 करोड़ था, जिसमें शिक्षा पर रु0 482.00 करोड़ व्यय किया गया। इस शिक्षा व्यय में से 56 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लगभग 25 मिलियन बच्चों को अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जायेगा और न केवल साहित्यक ज्ञान दिया जायेगा। बल्कि उनको व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जायेगा। इसके लिये शिक्षकों को अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और उनके प्रशिक्षण के लिये कैम्प लगाये जिससे उनको प्रशिक्षित किया जा सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्ष में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 219 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 276.50 लाख रु0 का अनुदान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्वीकृत किया गया। मैदानी जनपदों में नगर

क्षेत्रों में भी 3 नये जूनियर बेसिक स्कूलों को खोलने के लिये 4.44 लाख रु0 का अनुदान सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्वीकृत किया गया। इस परियोजना के तहत 24 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में 426 मिश्रित नवीन जू0वे0 स्कूलों को खोलने के लिये 5,92,70,924 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है। तथा 4 जू0वे0 विद्यालय नगर क्षेत्र में खोलने हेतु 11.38 लाख रु0 की स्वीकृति शासन से प्राप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या अभिवृद्धि करने तथा उनमें स्थिरता लाने के उद्देश्य से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तके वितरित करने हेतु मैदानी क्षेत्र के 5,03,992 छात्रों को रु0 15.12 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्र के 13,328 छात्रों के लिए रु0 40,000 की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दी जा चुकी है।[1]

इस योजनाकाल में बुन्देलखण्ड संभाग में 399 नये जूनियर बेसिक विद्यालय खोले गये जिसमें जालौन जनपद में 34, हमीरपुर जनपद में 214, बाँदा जनपद में 26, ललितपुर जनपद में 12 व झाँसी जनपद में 113 विद्यालय खोले गये। जूनियर बेसिक विद्यालयों में 1368 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। जिसमें झाँसी जनपद में 621, ललितपुर में 356, बाँदा में 179, जालौन में 124 और सबसे कम हमीरपुर जनपद में 88 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर :

सातवीं पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय रु0 4255.00 करोड़ था, जिसमें से 21 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों के अभाववश विवशतया बालिकाओं को भी बालकों के ही विद्यालयों में अध्ययन करना पड़ता है। किन्तु इन विद्यालयों में बालिकाओं के लिए प्रबन्धतंत्र की ओर से विशेष सुविधा की व्यवस्था संभव न हो पाने के कारण ऐसे विद्यालयों में बालिकाओं हेतु अलग से प्रक्षालन कक्ष एवं कॉमन रूम आदि के निर्माणार्थ पर्वतीय क्षेत्र में 5 विद्यालयों को इस अनावर्तक अनुदान से अनुदानित करने का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित बालिका विद्यालयों के विकास एवं उन्नयन की नयी परियोजना के अन्तर्गत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मैदानी जिलों के उन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं की

---

1. सांतवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 250

माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ नहीं है वहाँ पर सीनियर बेसिक विद्यालय खोले जाये। वर्ष 1985-86 में प्रदेश के 5 विद्यालयों को उक्त अनुदान प्रदान करने हेतु रु0 70.00 लाख की राशि का प्राविधान है। वर्ष 1988-89 में मैदानी क्षेत्र के 53 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष के निर्माणार्थ तथा 104 विद्यालयों की साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण अनुदान स्वीकृत करने हेतु रु0 19.65 लाख का प्राविधान स्वीकृत है। इसी प्रकार वर्ष 1988-89 में पर्वतीय क्षेत्र के 3 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष व 4 विद्यालयों को साज-सज्जा हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु रु0 96,000.00 का प्राविधान है। जो 1989-90 में मैदानी क्षेत्र के 59 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष व 157 विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण के निर्माणार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए रु0 24.92 लाख का प्राविधान किया गया है।[1]

इस योजनाकाल में बुन्देलखण्ड संभाग में 01 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला गया और वह भी झाँसी जनपद में बालक विद्यालय खोला गया। इन पाँच वर्षों में विद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुयी। इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या में भी कमी आयी। पुरुष अध्यापकों की संख्या 1986 में 4576 थी जो 1990 में घटकर 3500 हो गयी। लेकिन महिला अध्यापिकाओं की संख्या 861 से बढ़कर 872 हो गयी। झाँसी जनपद में सबसे अधिक महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी तथा ललितपुर जनपद में सबसे कम।

उच्च शिक्षा स्तर :

सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1989 तक की थी। इस योजना का कुल परिव्यय रु0 4255.00 करोड़ था, जिसमें से उच्च शिक्षा को रु0 78.18 करोड़ आवंटित किये गये थे जो कुल शिक्षा व्यय का 16 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालकों/बालिकाओं को आरक्षण दिया जायेगा ताकि वह आगे बढ़ सके। इस योजना काल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पहुँचाने के लिए कई व्यावसायिक कॉलेज भी खोले गये हैं। उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 1990-91 में माघ मेले के अवसर पर प्रयाग में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

---

1. सांतवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 251-252

राज्य सरकार द्वारा छात्र कल्याण हेतु दस करोड़ रुपये से छात्र कल्याण निधि कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष से विविध शैक्षिक स्तर के आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को एक मुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोला गया है और अब तक उसके 17 सम्पर्क केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जहाँ प्रदेश के ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं।

स्नातकोत्तर स्तर से शोध कार्य करने वाले छात्रों को रु0 75.00 एवं 100.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा रु0 110 से 125 प्रतिमाह छात्रावासी छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु रु0 2.13 लाख का प्राविधान है। प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को 300 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने हेतु रु0 60,000.00 का प्राविधान है तथा मुफ्त शिक्षा हेतु रु0 88,000.00 का बजट प्राविधान है। पर्वतीय जिलों के सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा को ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृति करने हेतु वर्ष 1990 में 4 लाख रु0 का प्राविधान है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु आयोजनागत बजट शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय रु0 9.70 लाख का वर्ष 1990 हेतु प्राविधान किया गया है।

बुन्देलखण्ड संभाग में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत असेवित एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों में सीमित साधनों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय, कर्वी, बाँदा में स्थापना की गयी है। इन पाँच वर्षों में संभाग के किसी भी जनपद में कोई महाविद्यालय नहीं खोला गया महाविद्यालयों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही। 10 नये प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी। जिमसें जालौन में 01, बाँदा में 06 व ललितपुर में 03 प्रवक्ताओं की संख्या में कमी आयी व झाँसी जनपद में कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी। केवल हमीरपुर जनपद में 10 नये प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी।[1]

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य इस प्रकार से बताये गये हैं :-

1. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, ऐसे जगहों पर जहाँ पर अभी तक नहीं खोले गये।

---

1. सांतवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 253

2. जहाँ पर कार्य नहीं हुआ है वहाँ का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना।

3. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाना।

4. लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हर एक ऐसे बालक को जहाँ अभी तक कार्य नहीं हुआ है लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय खुलवाना।

5. विज्ञान की पढ़ाई का विकास।

6. व्यावसायिक शिक्षा के लिए 10+2 से ही बच्चों को आगे बढ़ाने की शिक्षा देना।

7. सेकेण्डरी (माध्यमिक) शिक्षा में बदलाव लाना ताकि उसे एक अच्छा निर्माण परक बनाया जा सके।

8. प्रौढ़ लोगों में व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षा का संचार करना।

9. शैक्षिक और अशैक्षिक स्टॉफ की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना।

10. पाठ्यक्रम को अच्छा करना और हर एक स्तर के लिए अलग किताबे विकसित करना।

11. ऐसी सुविधायें प्रदान करना जिसके द्वारा हिन्दी के परे विषय का ज्ञान हो सके ताकि लोगों को आपस में जुड़ने में दिक्कत न हो।

12. लोगों को भी शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी करने में प्रेरणा दें।

प्राथमिक शिक्षा स्तर :

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997 तक चली। इस योजना पर कुल परिव्यय रु0 8500.37 करोड़ था, जिसमें से सामान्य शिक्षा पररु0 1377.51 करोड़ व्यय किया गया। योजना परिव्यय में से रु0 838.55 करोड़ प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित किये गये जो कुल शिक्षा व्यय का 61 प्रतिशत था। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्ष 1993-94 में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 151 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 16,52,20 हजार रुपया का प्राविधान किया गया है। जो 1994-95 में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2501 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 21,54,09 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है। 1993-94 में 8 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 216 मिश्रित नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति योजनान्तर्गत 1274 अध्यापकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और उनके वेतनादि हेतु रु0 93,37,000.00 स्वीकृत हैं। इस योजना के दौरान रु0 5874.30 लाख दिये जायेगे जिनके द्वारा 6527 भवनों की मरम्मत होगी और 2100 उच्चतर प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें और इसके लिए रु0 3785 लाख प्रदान किये जायेगें। अनौपचारिक शिक्षा हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रु0 5559.54 लाख देने की घोषणा हुयी है।[1]

बुन्देलखण्ड संभाग में आठवीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश की नीतियों के अनुसार ही किया गया। इस योजनाकाल में 503 प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इतने प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के बाद भी छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुयी। इस कमी को दूर करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोषाहार योजना को प्रारम्भ किया। जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले सके। 4040 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। शिक्षिकाओं की नियुक्तियों पर अधिक जोर दिया गया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर :

आठवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु0 8500.37 करोड़ था। योजना परिव्यय में से 19 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को रु0 267.95 करोड़ आवंटित किये गये थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रु0 341.56 लाख का प्राविधान रखा गया जिसके माध्यम से 90 और ऐसे स्थानों को ध्यान में रखा गया जहाँ पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। बालिकाओं के लिए माध्यमिक विद्यालयों को खोलने में ज्यादा जोर दिया गया। विज्ञान से जुड़ी हुयी शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए 62 प्रयोगशालाओं को बनाने की घोषणा की गयी और इसके लिए रु0 123.40 लाख का प्राविधान किया गया है। विज्ञान व गणित के शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने के लिए रु0 32.50 लाख की राशि की घोषणा की गयी। 500 लेक्चरर और 5,000 जूनियर शिक्षकों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गयी है। जिसके अन्तर्गत रु0 552 लाख दिये जायेगें।

---

1. आठवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 131-132

इस योजना में 500 और सेकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी इसके लिए रु0 388.35 लाख की घोषणा की गयी है। हालांकि निजी क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूलों ने काफी भूमिका निभायी है। उसके बाद भी काफी कम निजी संस्थाओं को ही सरकार की तरफ से मदद मिल पायी है। राज्य सरकार ने 200 ऐसे स्कूलों को मदद देने का वादा किया जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं इसके लिए राज्य सरकार ने रु0 1484 लाख देने का वादा किया है। शिक्षा में लाइब्रेरी की एक अहम् भूमिका होती है। इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार ने रु0 90.90 लाख देने की घोषणा की है। जिसमें राज्य की सारी पुस्तकालयों का ध्यान दिया जायेगा।[1]

इस योजनाकाल में बुन्देलखण्ड संभाग में 630 माध्यमिक विद्यालय खोले गये जिसमें बाँदा में व चित्रकूट जनपद में 124 माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर व महोबा में 141, जालौन में 216, ललितपुर जनपद में 45 व झाँसी जनपद में 104 माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 2052 माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। जिसमें सबसे अधिक झाँसी जनपद में 617 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी तथा सबसे अधिक महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति इसी जनपद में की गयी और सबसे कम ललितपुर जनपद में नियुक्त किये गये।

उच्च शिक्षा स्तर :

आठवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु0 8500.37 करोड़ था जिसमें से रु0 1377.51 करोड़ सामान्य शिक्षा को दिये गये थे जिससे उच्च शिक्षा को रु0 227. 30 करोड़ आवंटित किये गये थे, जो कुल शिक्षा व्यय का 17 प्रतिशत था। उच्च शिक्षा एक देश के विकास के लिए बहुत अहम् होती है। यह देश को न केवल एक लगातार आगे चलाने की शक्ति होती है बल्कि उसका आर्थिक लाभ भी करवाती है। आजादी के समय से उत्तर प्रदेश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे और 16 डिग्री कॉलेज। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 25 विश्वविद्यालय, 4 डीम्ड विश्वविद्यालय, 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय व 427 डिग्री कॉलेज हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित कार्य करने की घोषणा की गयी है :-

1. जो डिग्री कॉलेज अभी मौजूद है, उनको ज्यादा शक्ति प्रदान की जाये। जैसे-

    - नये कॉलेज खोले जाये।

---

1. आठवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 134-135

- 3 साल का डिग्री कोर्स का प्रावधान किया जाये।
- महिला शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये।
- एन.सी.सी. और एन.एस.एस. जैसे नवयुवक वर्ग की योजनाओं का ध्यान दिया जाये।

इन सब कार्यों को करने के लिए जो योजना बनायी गयी है, वे इस प्रकार है :-

1. कई ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, जहाँ न तो भवन है न खुद की जमीन है जिसमें कॉलेज बनाया जा सके इस कारण राज्य सरकार ने पैसा देने का वादा किया है।
2. किसी भी क्षेत्र में कोई भी पक्षपात न करना सबको समान निगाह से देखना।

उच्च शिक्षा के लिए कुछ ऐसी योजनायें बनायी गयी है जो इस प्रकार है :-

1. डी0बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विकास की घोषणा, राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि इस विश्वविद्यालय के जरिये एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाया जाये जहाँ विज्ञान व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाये और इसके लिए रु0 21-61 करोड़ दिये जा चुके हैं लेकिन इसकी लागत 170 करोड़ ऑकी गयी इस कमी के कारण कार्य पूर्ण हो पाया। अब इस विश्वविद्यालय के दोबारा मूल्य आंकलन रु0 195. 05 करोड़ आंका गया है। 50 प्रतिशत इन रु0 को केन्द्र सरकार देगी क्योंकि राज्य सरकार की सीमा के बाहर है। रु0 100 करोड़ आठवीं पंचवर्षीय योजना में देने की बात हुयी है।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय का दूसरा कैम्पस बनाना, छात्रों की बढ़ती हुयी संख्या को देखते हुये सरकार ने लखनऊ के दूसरे कैम्पस का निर्माण किये जाने की घोषणा की गयी है। इस योजनाकाल में 625 लाख रु0 देने की घोषणा की गयी।
3. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को सहायता प्रदान करना, हिन्दी को एक नया आयाम प्रदान करने के लिए और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई योजनायें बनायी गयी हैं। जिसके तहत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही यशपाल सभागार बनाने की योजना है जो कि वातानुकूलित होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को रु0 5.25 करोड़ देने की घोषणा हुयी है।

4. जिन कॉलेजों को सहायता नहीं मिल पायी है, उनको सहायता देना। कई ऐसे कॉलेज अभी भी मौजूद हैं जो कि भूमि, भवन एवं संरक्षण के अभाव में खड़े हुये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रु0 176.84 लाख देने की घोषणा की गयी है।
5. विश्वविद्यालय के अन्दर चिकित्सालय बनाने की योजना, कुछ बड़े विश्वविद्यालय के अन्दर चिकित्सालय बनाने के लिए योजना में रु0 100 लाख देने की घोषणा की गयी है।[1]

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड संभाग के अन्तर्गत झाँसी जनपद में 4 महाविद्यालय व 1 विश्वविद्यालय खोले गये, जिसमें जालौन में 01, ललितपुर में 01, महोबा जनपद में 02 व चित्रकूट जनपद में 02 महाविद्यालय खोले गये। बाँदा व हमीरपुर जनपद में कोई नये महाविद्यालय नहीं खोले गये। साथ ही छात्राओं को उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय का उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण आदि आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये यथा संभव स्वीकृतियां दी गयी है। शैक्षिक सत्रों को नियमित करने की दृष्टि से सभी विश्वविद्यालय की परिनियमावली शैक्षिक कैलेण्डर की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार 31 अगस्त तक प्रवेश, 30 अप्रैल तक परीक्षायें व 15 जून तक परीक्षाफल घोषित किया जाना है।

पंचवर्षीय योजनाओं का समुचित अध्ययन :

अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के आवंटन, लक्ष्य और उपलब्धियों का सारिणीकरण करके आठ पंचवर्षीय योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेगें। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए किये गये आवंटन और परिव्यय को अंग्राकित सारिणी में प्रदर्शित किया गया है -

सारिणी क्रमांक 9.1 में आठ पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किये गये आवंटन और सम्पूर्ण परिव्यय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।

---

1. आठवी पंचवर्षीय योजना नियोजन विभाग, लखनऊ (उ0प्र0), पृ0सं0 : 136-137

सारिणी क्रमांक 9.1

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु0 में)

मदें	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	वार्षिक योजना 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पंचम योजना 1974-79	छठीं योजना 1979-84	सातवीं योजना 1984-89	आठवीं योजना 1989-94
प्रारम्भिक शिक्षा	12.71	8.41	29.49	7.32	37.91	51.28	59.01	271.86	838.55
प्रतिशत	70%	59%	66%	60%	67%	55%	36%	56%	61%
माध्यमिक शिक्षा	1.25	2.97	7.41	2.40	9.90	25.76	74.05	100.29	267.95
प्रतिशत	7%	21%	17%	20%	17%	28%	45%	21%	19%
विश्वविद्यालय शिक्षा	0.43	1.75	4.94	2.30	6.38	12.72	29.03	78.18	227.30
प्रतिशत	3%	12%	11%	18%	11%	14%	18%	16%	17%
अन्य कार्यक्रम	3.68	1.18	2.87	0.29	2.82	2.61	1.18	31.92	43.71
प्रतिशत	20%	8%	6%	2%	5%	3%	1%	7%	3%
शिक्षा व्यय का योग	18.07	14.31	44.71	12.31	57.01	92.37	163.27	482.25	1377.51
योग	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
योजना का परिव्यय	153.37	233.35	502.25	1231.00	1350.00	3085.00	3670.00	4255.00	8500.37

स्रोत - ड्राफ्ट्स फाइव इयर प्लान, 1994-2000 एण्ड एनुअल प्लान, 1989-90 तृतीय उत्तर प्रदेश प्लानिंग विभाग, जनवरी 2000

इस सारिणी क्रमांक 9.1 से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक परिव्यय में से बहुत कम भाग शिक्षा पर आवंटित किया गया है लेकिन छठी, सातवीं व आठवीं योजना में बहुत अधिक भाग शिक्षा पर आवंटित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना परिव्यय का 11.7 प्रतिशत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना परिव्यय का 6.1 प्रतिशत, तृतीय पंचवर्षीय योजना परिव्यय का 8.9 प्रतिशत, वार्षिक योजनाओं के परिव्यय का 2.5 प्रतिशत, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिव्यय का 4.2 प्रतिशत, पंचम पंचवर्षीय योजना का 3.04 प्रतिशत शिक्षा पर आवंटित किया गया। इसी प्रकार अन्य पंचवर्षीय योजनाओं में भी सामान्य शिक्षा पर आवंटित किया गया।

संवैधानिक निर्देश के कारण विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में धनराशि आवंटन में प्राथमिकता प्रारम्भिक शिक्षा को दी गयी। अतः इस स्तर पर अन्य योजनाओं की अपेक्षा आवंटन अधिक रहा। प्रथम योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर परिव्यय 70 प्रतिशत रहा किन्तु द्वितीय में घटकर 59 हो गया। तृतीय योजना में परिव्यय बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया। इसका कारण था कि सार्वजनिक शिक्षा की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष से 15 वर्ष कर दी गयी थी। परन्तु फिर भी लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकी। चतुर्थ योजना में परिव्यय पुनः बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया लेकिन फिर भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 55 प्रतिशत रहा जो छठी पंचवर्षीय योजना में घटकर 36 रह गया। किन्तु सातवी व आठवीं पंचवर्षीय योजना में पुनः बढ़कर 56 से 61 प्रतिशत हो गया।

संवैधानिक निर्देश के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दी गयी लेकिन माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बराबर महत्व मिलता रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा पर मात्र 7 प्रतिशत ही आवंटित किया गया। लेकिन जब लक्ष्य दूर दिखायी दिया जो माध्यमिक शिक्षा पर दूसरी योजना में 21 प्रतिशत किया गया किन्तु तृतीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर आवंटन बढ़ने से माध्यमिक शिक्षा का 17 प्रतिशत ही रह गया। जो चतुर्थ योजना का भी था। वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा का आवंटन बढ़ाकर कुल 1/5 कर दिया गया। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 28 कर दिया गया। छठी योजना में आवंटन बढ़ाकर 45 कर दिया गया लेकिन सातवीं योजना में आवंटन घटकर 21 व आठवीं योजना में आवंटन और घटकर 19 प्रतिशत ही रह गया।

इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा की तुलना में प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को ही वरीयता दी गयी। इसका घटना-बढ़ना तो प्रारम्भिक शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रथम योजना में आवंटन 7 प्रतिशत ही था वहीं आठवीं योजना में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया। इससे पता चलता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में आवंटन को बराबर महत्व मिलता रहा।

सारिणी को देखने से पता चलता है कि प्रथम योजना में विश्वविद्यालयी शिक्षा को कुल शिक्षा का 3 प्रतिशत आवंटित किया गया। दूसरी योजना में 4 गुना वृद्धि हो गयी। वार्षिक योजनाओं में 6 गुना वृद्धि हो गयी। चौथी योजना में घट गया और पाँचवी योजना में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। छठी योजना में कुल शिक्षा का 18 प्रतिशत आवंटित किया गया। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयी शिक्षा को कुल शिक्षा का 16 प्रतिशत ही आवंटित किया गया तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में कुल शिक्षा का 17 प्रतिशत आवंटित किया। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा को प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा की तुलना में कम आवंटन किया गया।

मूल्यांकन :

योजनाओं के मूल्यांकन में प्रायः संख्यात्मक पक्ष पर ही जोर दिया जाता है और उसके गुणात्मक पक्ष की उपेक्षा रहती है कितने विद्यालय खुले? कितने छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया? और कितना धन व्यय हुआ? कितनी जानकारी प्राप्त करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं जबकि यह जानना अधिक उचित होगा कि व्यय के अनुरूप वृद्धि हुयी या नहीं? छात्र-छात्राओं की रुचियों, व्यवहार, कौशल, चरित्र तथा नागरिकता के गुणों में परिवर्तन हुआ या नहीं?

शिक्षा में एक नयी संकल्पना संस्थागत आयोजन की भी आयी है किन्तु इन संस्थागत आयोजन के सम्बन्ध में इन पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य या परिव्यय निश्चित नहीं किया जाता रहा है।[12] विद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कार्यक्रमों से अभीष्टतम लाभ उठाने में तो किसी अधिक व्यय की अपेक्षा तो नहीं होती, फिर भी ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं किया जाता रहा है। संस्थागत योजना में विद्यालय की उन्नति और शिक्षा में गुणात्मकता बढ़ सकती है। अतः इन पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित करना लाभप्रद होगा जिससे कि संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के

विकास संभव हो सके। शिक्षा आयोग 1964-66 में अनुशंसा की गयी है कि ''शैक्षिक विकास का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, अध्यापकों, छात्रों और स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मिलित न किया जाये और कार्यक्रम में क्रियान्वयन में यथाशक्ति योगदान देने के लिए उन्हें आवश्यक प्रेरणा न मिले।''

अध्याय-दशम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

- शोध का संक्षिप्त विवरण
- निष्कर्ष
- सुझाव

संदर्भ ग्रन्थ सूची

निष्कर्ष एवं सुझाव

चित्रकूटधाम मण्डल की पृष्ठभूमि :

चित्रकूटधाम मण्डल, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भू-भाग में स्थित है। जनपद बाँदा मण्डल का मुख्यालय है, जो 24 डिग्री 53^0 और 25 डिग्री 55^0 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 87^0 तथा 81 डिग्री 34^0 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। मण्डल के उत्तर में यमुना नदी बहती है। जो मण्डल को कानपुर, फतेहपुर व इलाहाबाद से अलग करती है। दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना व रीवां जिला स्थित है। पूर्व में जनपद इलाहाबाद तथा पश्चिम में जनपद झांसी की सीमायें है।

मण्डल का क्षेत्रफल 14756 वर्ग किमी0 है। जिसमें बाँदा जनपद का क्षेत्रफल 4113 वर्ग किमी0 एवं चित्रकूट 3511 वर्ग किमी0, महोबा जनपद 3038 वर्ग किमी0 एवं हमीरपुर 4094 वर्ग किमी0 है। जनपद बाँदा की पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 57 किमी0 और उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 60 किमी0 है। जनपद मुख्यालय सड़क मार्ग से कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कानपुर, लखनऊ एवं सतना के लिये रेल सेवा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाँदा से 219 किमी0 दूरी पर है।

मण्डल की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जमीन ऊबड़-खाबड़ एवं पथरीली होने की वजह से प्रति एकड़ औसत उपज भी सामान्य है। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है जो कि अनिश्चित है। मण्डल जहाँ कृषि क्षेत्र में पिछड़ा है। वही औद्योगिक प्रगति में भी अन्य मण्डलों से पीछे है। मण्डल में यातायात के भी प्रचुर साधन उपलब्ध न होने के कारण विकास की गति बहुत धीमी है। इस मण्डल की प्राकृतिक संरचना और जलवायु के कारण ग्रामों से विद्यालय तक आने-जाने में बच्चों को कठिनाई होती है। इस क्षेत्र में बालिकाओं की सह-शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता। घरेलू आय बढ़ाने के लिये बालश्रम की आवश्यकता होने के कारण विद्यालय में उपस्थिति बहुत कम रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राज्य के पहाड़ी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र की शिक्षा विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में 85 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत कम है। मण्डल में कुछ बस्तियाँ बहुत छोटी है, जो जंगलों के बीच स्थित है, जिनमें विद्यालय स्थापित करने में कठिनाई होती है।

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था और 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राविधान किया गया है "कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।" और बस तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाये गये, यह बात दूसरी है कि उस लक्ष्य को हम 10 वर्षों के अन्दर तो क्या आज 56 वर्ष बाद भी प्राप्त नहीं कर सके है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बाधायें रहीं है- सामाजिक पिछड़ापन, धनाभाव, बढ़ती हुयी जनसंख्या और ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी। शिक्षा के अन्य स्तरों पर भी शिक्षा के विकास में शिथिलता परिलक्षित होती है। शोधकत्री ने किसी छोटें क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करना उचित समझा। परिणामतः चित्रकूटधाम मण्डल में शिक्षा के विकास के प्रति जो प्रयत्न किये जा रहे है उनकी प्रगति और समस्याओं का गहन अध्ययन करके ही यह जाना जा सकता है कि किन कारणों से शिक्षा अपने लक्ष्य को अभी तक नहीं प्राप्त कर सकीं। यह शोध- प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबन्धित है। इसमें माध्यमिक एवं उच्च स्तर की व्यावसायिक, तकनीकि, विशिष्ट, महिला, समाज एवं अध्यापक शिक्षा का इस शोध से कोई संबंध नहीं है। अतएव शोध के लिये अग्रांकित समस्या का चयन किया गया-

"चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के संदर्भ में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन।"

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्त्रोतों से करके उनकी व्याख्या की गयी है। तत्पश्चात् निष्कर्ष प्राप्त किये गये है।

निष्कर्ष :

सम्पूर्ण राज्य की तरह बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में भी शिक्षा की प्रगति के लिये प्रयास किये गये। इस शोध से अग्रांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं :-

प्राथमिक शिक्षा (बालिका) ·

1. विद्यालय :

बुन्देलखण्ड/चित्रकूटधाम मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में चार गुनी बढ़ी। झांसी जनपद में 02 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। ललितपुर जिले में लगभग डेढ़ गुने से अधिक, जालौन में तीन गुने से अधिक, बाँदा में 02 गुने से अधिक और हमीरपुर में 1 गुने से अधिक की वृद्धि हुयी तथा महोबा व चित्रकूट में 2000-01 से 2004-05 (चार वर्ष) की अवधि में 1 गुना से अधिक की वृद्धि हुयी है। विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर झांसी में **1.98** प्रतिशत, ललितपुर में **2.28**, जालौन में **2.51**, बाँदा में **1.87**, हमीरपुर जनपद में **1.23**, महोबा में **7.53** व चित्रकूट में **6.06** प्रतिशत है। तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि 54 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि जालौन जनपद में हुयी है। सम्पूर्ण प्रदेश से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जालौन जनपद की स्थिति अन्य जनपदों की अपेक्षा बहुत अच्छी है क्योंकि सम्पूर्ण प्रांत की औसत वार्षिक वृद्धि दर व जालौन की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग समान है।

2. नामांकन :

(क) इस मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन 155 गुना बढ़ा है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **9.80** प्रतिशत है। झांसी जनपद के विद्यालयों के नामांकन में 96 गुने की वृद्धि हुई है, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **8.83** प्रतिशत है। जालौन जनपद में 111 गुना व इसकी वार्षिक वृद्धि दर **9.13** प्रतिशत है। बाँदा जनपद में 116 गुने से अधिक वृद्धि हुयी है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर **9.12** प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में नामांकन 87 गुना बढ़ा और इसकी औसत वृद्धि दर **8.64** प्रतिशत है। महोबा जनपद में 4 वर्षों में नामांकन दो गुना व इसकी वार्षिक वृद्धि दर **21.58** व चित्रकूट जनपद में औसत वार्षिक वृद्धि दर **37.38** प्रतिशत है। बाँदा में सर्वाधिक नामांकन रहा और सबसे कम हमीरपुर जनपद में रहा। सम्पूर्ण प्रदेश से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि प्रदेश में बालिका नामांकन में 36 गुना की वृद्धि हुई है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर **6.89** प्रतिशत है जो कि मण्डल की औसत वार्षिक वृद्धि दर **9.80** से बहुत कम है।

(ख) मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में **46.67** प्रतिशत बालिकायें हैं। शेष **58.33** प्रतिशत के बालक नामांकित है।

3. शिक्षिका :

(क) मण्डल में 54 वर्षों की अवधि में शिक्षिकाओं की संख्या में छः गुना की वृद्धि हुयी है। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.18** प्रतिशत है। इनकी संख्या में वृद्धि सन् 2000-01, 2001-02 व 2002-03 में सर्वाधिक हुयी है। झांसी जनपद में **5.21**, ललितपुर में **4.98**, जालौन में **5.59**, बाँदा में **5.29**, हमीरपुर में **4.52**, महोबा में **25.52** व चित्रकूट में **29.04** प्रतिशत है। मण्डल में 54 वर्षों की अवधि में बाँदा जनपद में शिक्षिकाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है। सम्पूर्ण प्रदेश से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि प्रदेश की तुलना में मण्डल में की शिक्षिकाओं का प्रतिशत अधिक है। बाँदा जनपद में वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक **5.92** रहा जो मण्डल के मानक से कम है।

(ख) मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं में **96.94** प्रतिशत प्रशिक्षित व **4.07** प्रतिशत अप्रशिक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र में **98.92** प्रतिशत प्रशिक्षित व **1.08** प्रतिशत अप्रशिक्षित तथा नगरीय क्षेत्र में **94.62** प्रशिक्षित व **5.38** प्रतिशत अप्रशिक्षित है।

4. शिक्षिका-बालिका अनुपात :

मण्डल के विभिन्न जनपदों में शिक्षिका बालिका अनुपात बहुत बदलता रहा है। इसके बदलाव की सीमायें 11 से लेकर 167 तक रही है। जिस वर्ष छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई लेकिन उस अनुपात में शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई है। उस वर्ष शिक्षिका-बालिका अनुपात उस वर्ष अधिक हो गया।

5. व्यय :

(क) 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा पर संभाग में प्रत्यक्ष व्यय रू0 **2.57** लाख था जो 54 वर्षों में बढ़कर **29.90** करोड़ हो गया है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर **18.93** प्रतिशत है। इन 54 वर्षों में झांसी जनपद में **23.70** प्रतिशत, बाँदा जनपद में **18.06** प्रतिशत, जालौन जनपद में **18.64** प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में **17.54** प्रतिशत, ललितपुर जनपद **19.71** प्रतिशत औसत वृद्धि हुई। इन सभी जनपदों में हमीरपुर जनपद में सबसे कम व्यय हुआ है।

(ख) प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रति विद्यालय व्यय में निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह सन् 1950-51 में रू0 **116.25**, सन् 1960-61 रू0 **1487.50**, सन्

1970-71 में रू0 **3457.50**, 1980-81 में रू0 **7725.00**, 1990-91 में रू0 **41120.00**, 2000-01 में रू0 **83645.71**, 2001-02 में रू0 **131468.57**, 2002-03 में रू0 **195728.57**, 2003-04 में रू0 **252728.57** तथा अध्ययन अवधि के अन्तिम वर्ष 2004-05 में बढ़कर रू0 **326428.57** हो गया है।

(ग) मण्डल की प्राथमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय सन् 1950-51 में लगभग रू0 **2.00** था जो सन् 2004-05 में बढ़कर रू0 **2204.37** हो गया है। वर्ष 1960-61 में रू0 **19.63**, 1970-71 में रू0 **29.76**, 1980-81 में रू0 **75.66**, 1990-91 में रू0 **240.36**, 2000-01 में रू0 **676.33**, 2001-02 में रू0 **1045.09**, 2002-03 में **1341.32**, 2003-04 में रू0 **1777.76** तथा वर्ष 2004-05 में बढ़कर **2204.37** हो गया है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा (बालिका)

1. विद्यालय :

मण्डल में सन् 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 21 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। झांसी व बाँदा में 10 व 13 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। जालौन में 14 गुने, ललितपुर में 01 गुने, हमीरपुर में 33 गुने, महोबा में 02 गुने व चित्रकूट में 01 गुने की वृद्धि हुयी है। इन जनपदों में औसत वार्षिक वृद्धि दर झांसी में **3.36** प्रतिशत, ललितपुर में **1.41** प्रतिशत, जालौन में **5.07** प्रतिशत, बाँदा में **4.97** प्रतिशत, हमीरपुर में **6.68**, महोबा में **18.92** व चित्रकूट में **11.21** प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर **4.85** प्रतिशत है जबकि मण्डल के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर **5.86** है। इस क्षेत्र की पिछड़ी हुई दशा के कारण कुछ अधिक प्रयास किये गये।

2. नामांकन :

(क) मण्डल के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 40 गुने की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **7.09** प्रतिशत है। इस अवधि में झांसी जनपद में नामांकन 26 गुना, बाँदा जनपद में 36 गुना, जालौन में 31 गुना, हमीरपुर में 24 गुना वृद्धि हुयी है। इन जनपदों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **6.28** प्रतिशत, **6.87** प्रतिशत, **6.60** प्रतिशत, **6.11** प्रतिशत वृद्धि हुई है। मण्डल में अन्य जनपदों की अपेक्षा

हमीरपुर जनपद में वृद्धि की अपेक्षा कमी आयी है। सन् 2000 से 2004 तक के वर्षों में महोबा जनपद में महोबा में 4 गुना और चित्रकूट में 03 गुना की वृद्धि हुई, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **44.03** और **39.13** प्रतिशत है। मण्डल में नामांकन की प्रतिशतता की तुलना में प्रदेश में नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.28** प्रतिशत है जो कि कम है।

(ख) सन् 2004-05 में मण्डल में कुल नामांकन में **41.18** प्रतिशत बालिकायें तथा शेष प्रतिशत के **58.82** प्रतिशत बालक नामांकित है बालिकाओं के नामांकन का सर्वाधिक प्रतिशत बाँदा जनपद फिर हमीरपुर और फिर चित्रकूट में है। सबसे कम बालिकाये महोबा जनपद में नामांकित है।

3. शिक्षिका :

(क) मण्डल के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में सन् 1950 से 2004-05 की अवधि में 13 गुने की वृद्धि हुयी है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **4.93** प्रतिशत है। 2004-05 में सबसे अधिक शिक्षिकायें बाँदा जनपद में है और सबसे कम ललितपुर जनपद में। झांसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपद में पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षिकाओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **3.81** प्रतिशत; **6.67** प्रतिशत; **3.83** प्रतिशत, **4.66** प्रतिशत; **3.97** प्रतिशत; **53.41** प्रतिशत व **10.34** प्रतिशत है। 54 वर्षों में मण्डलीय मानक से ललितपुर जनपद की औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक है व सभी अन्य जनपदों में कम। इससे प्रतीत होता है कि ललितपुर में शिक्षिकाओं की संख्या अधिक है।

(ख) मण्डल के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं में **98.50** प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षिकायें ग्रामीण क्षेत्र में तथा **1.50** प्रतिशत अप्रशिक्षित है। नगरीय क्षेत्र में **92.40** प्रतिशत व **7.60** प्रतिशत अप्रशिक्षित शिक्षिकायें है।

4. शिक्षिका-बालिका अनुपात :

मण्डल के विभिन्न जनपदों में विभिन्न वर्षों में शिक्षिका-बालिका अनुपात में बहुत असमानतायें रहीं हैं। इसकी सीमायें 10 से लेकर 165 तक रही। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस वर्ष छात्राओं का नामांकन बढ़ा और तदनुसार शिक्षिकाओं की नियुक्तियाँ नहीं हुयी थीं उस वर्ष यह अनुपात बढ़ गया, लेकिन जिस वर्ष शिक्षिकाओं की नियुक्तियाँ अधिक नहीं हुयी और नामांकन में सामान्य वृद्धि हुयी, उस वर्ष यह अनुपात कम हो गया है। इन 54

वर्षों की अवधि में झांसी जनपद में अन्य जनपदों की अपेक्षा 2003-04 में शिक्षिका-बालिका अनुपात 165 है। इस अनुपात से पता चलता है कि छात्राओं के नामांकन के अनुपात में शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई है।

5. व्यय :

(क) सन् 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में मण्डल के अन्दर पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर व्यय लगभग 16163 गुना बढ़ा है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **19.66** प्रतिशत है। इस अवधि में झांसी जनपद में 6034 गुना, ललितपुर में 47, जालौन में 18729 गुना, बाँदा में 10476 गुना व हमीरपुर जनपद में 28285 गुना वृद्धि हुयी है। महोबा व चित्रकूट जनपद में इन चार वर्षों में 18 गुना व 13 गुना वृद्धि हुयी है। इन सभी जनपदों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **17.49** प्रतिशत, **17.48** प्रतिशत, **19.98** प्रतिशत, **18.70** प्रतिशत, **20.90** प्रतिशत, **107.34** प्रतिशत व **92.50** प्रतिशत है।

(ख) पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर प्रति विद्यालय व्यय 1950-51 में रू0 **397.50** था जो 2004-05 में बढ़कर **3071402.85** हो गया है। सन् 1960-61 में रू0 **5180.00**, 1970-71 में **6992.50**, 1980-81 में **9762.00**, 1990-91 में **99600.00**, 2000-01 में **101800.00**, 2001-02 में **151628.57**, 2002-03 में **205000.00**, 2003-04 में **261428.57** तथा 2004-05 बढ़कर रू0 **307142.85** हो गया है।

(ग) मण्डल की पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय सन् 1950-51 में रू0 **1.77**, 1960-61 में रू0 **18.13**, 1970-71 में रू0 **51.82**, 1980-81 में रू0 **139.29**, 1990-91 में रू0 **438.00**, 2000-01 में रू0 **614.51**, 2001-02 में **869.01**, 2002-03 में **671.03**, 2003-04 में **659.29** था जो 2004-05 में बढ़कर **765.52** हो गया है। प्रत्येक दस वर्षों में प्रति बालिका व्यय का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता रहा है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बालिका)

1. विद्यालय :

(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सबसे अधिक वृद्धि 27 गुने जनपद बाँदा में तथा सबसे कम ललितपुर जनपद में 08 गुने की वृद्धि हुयी है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **6.29** एवं **9.33** प्रतिशत है। झांसी जनपद में 12 गुने की वृद्धि

हुयी, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **4.76** प्रतिशत है। जालौन जनपद में विद्यालयों की प्रगति 18 गुने की वृद्धि हुयी है, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **5.49** प्रतिशत है। हमीरपुर जनपद में विद्यालयों की वृद्धि 13 गुने बढ़ी है। इस जनपद की वार्षिक वृद्धि दर **4.86** प्रतिशत है। चित्रकूट व महोबा दोनों जनपदों की प्रगति 3 गुने हुई और इन दोनों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **37.25** व **34.27** प्रतिशत है। सम्पूर्ण मण्डल में यह वृद्धि 23 गुने रही है, इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.05** प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर **4.85** से अधिक है।

(ख) इस मण्डल में सन् 2004-05 में कुल 247 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जिनमें से **65.99** प्रतिशत विद्यालय बालकों के तथा **34.00** प्रतिशत विद्यालय बालिकाओं के है।

2. नामांकन :

(क) मण्डल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन लगभग 25 गुने से भी अधिक बढ़ा है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.14** प्रतिशत है। झांसी जनपद में नामांकन लगभग 16 गुने, बाँदा जनपद में 27 गुने, ललितपुर में 08 गुने, जालौन में 18 गुने, हमीरपुर में लगभग 17 गुना, महोबा में 1 गुना व चित्रकूट में 2 गुने की वृद्धि हुई है। नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि बाँदा जनपद में तथा सबसे कम ललितपुर जनपद में हुई। महोबा व चित्रकूट में से महोबा में कम वृद्धि हुई है। राज्य में नामांकन की वृद्धि प्रतिशत **5.29** है जो कि मण्डल की तुलना में कम है।

(ख) सन् 2004-05 में मण्डल में कुल नामांकन में **29.81** प्रतिशत बालिकायें तथा **70.19** प्रतिशत बालक नामांकित थे।

3. शिक्षिका :

मण्डल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की संख्या में 54 वर्षों में 17 गुने से अधिक की वृद्धि हुई। इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत **3.36** है। अध्ययनीय अवधि में सबसे अधिक शिक्षिकायें झांसी जनपद में जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **3.57** प्रतिशत है। सबसे कम वृद्धि ललितपुर जनपद में जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **0.33** प्रतिशत है।

4. शिक्षिका-बालिका अनुपात :

मण्डल में विभिन्न जनपदों में शिक्षिका-बालिका अनुपात बराबर बदलता रहा है। इसके बदलाव की सीमायें 11 से 305 रहा। चित्रकूट जनपद में 2002-03 में 303; 2003-04 में 305 रहा है। झांसी, बाँदा व ललितपुर जनपद में शिक्षिका-बालिका अनुपात अन्य जनपदों से बेहतर ही है। जिस वर्ष छात्राओं का नामांकन बढ़ा और शिक्षिकायें उस अनुपात में नियुक्त नहीं हुई, उस वर्ष अनुपात में वृद्धि हुई है।

5. व्यय :

(क) वर्ष 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर लगभग 323 गुने व्यय बढ़ गया है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **11.29** प्रतिशत है। इस अवधि में झांसी जनपद में 242 गुने व्यय बढ़ गया है, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **10.70** प्रतिशत है। बाँदा जनपद में 522 गुने की वृद्धि हुई जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **12.29** प्रतिशत है। जालौन जनपद में 146 व हमीरपुर जनपद में 166 गुने की वृद्धि हुयी जिनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः **9.67** व **9.94** प्रतिशत है। ललितपुर जनपद 1975 में प्रभावित हुआ इससे पूर्व यह जनपद झांसी जनपद में शामिल था। इस जनपद में 12 गुने की वृद्धि हुई और औसत वार्षिक वृद्धि दर **11.16** प्रतिशत है। महोबा व चित्रकूट जनपद 1998 से प्रभावित हुआ। इसके पूर्व यह जनपद हमीरपुर व बाँदा जनपद में शामिल थे। इन जनपदों में चार गुना की वृद्धि हुयी जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **46.54** व **43.71** प्रतिशत है। मण्डल में कुल शैक्षिक व्यय का सर्वाधिक जालौन जनपद में व्यय हो रहा है।

(ख) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रति विद्यालय व्यय काफी बढ़ा है। 1950-51 से मण्डल में **22657.71** रू0 व्यय प्रति छात्र था जो बढ़कर 2004-05 में **300210.28** रू0 हो गया है। झांसी में प्रति विद्यालय व्यय रू0 **15681.50** था जो 2004-05 में बढ़कर **307800.00** रू0 हो गया है। ललितपुर में प्रति छात्र व्यय **210215.00** से बढ़कर **313160.00**, जालौन जनपद में 1950-51 में **31606.00** रू0 प्रति विद्यालय व्यय हो रहा था जो 2004-05 में बढ़कर **256428.00** रू0 हो गया। बाँदा में **18298.30** रू0 से बढ़कर 2004-05 में **353871.50** रू0 हो गया। हमीरपुर में

25045.00 रू0 से बढ़कर 321700.00 रू0 हो गया। वर्ष 2004-05 में महोबा व चित्रकूट जनपद में क्रमशः 283267.50 व 265246.70 रू0 है।

(ग) वर्ष 1950-51 में मण्डल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति बालिका व्यय हमीरपुर जनपद में सर्वाधिक 82.11 रू0 था तथा सबसे कम प्रति बालिका व्यय झांसी जनपद में 28.96 रू. था। बाँदा जनपद में प्रति बालिका व्यय रु0 38.12 था जो सम्भागीय मानक 56.20 रू0 से कम तथा हमीरपुर जनपद में प्रति बालिका व्यय रु0 82.11 है जो सम्भागीय मानक से अधिक था। वर्ष 2004-05 में मण्डल के जनपदों में सबसे अधिक वृद्धि बाँदा जनपद में 2873.53 रू0 प्रति बालिका व्यय हो रहा है। ललितपुर जनपद में प्रति बालिका व्यय वृद्धि 1525.42 रू0 है। जालौन में 578.69, महोबा में 1387.05 व चित्रकूट जनपद में 1986.28 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रत्येक दस वर्षों में प्रति बालिका व्यय का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता रहा है। 54 वर्षों में मण्डलीय मानक से झांसी जनपद का प्रति बालिका व्यय का प्रतिशत अधिक रहा है, अन्य जनपदों की अपेक्षा।

विश्वविद्यालयी शिक्षा

1. उच्च शिक्षा की नीति एवं प्रगति :

(क) आधुनिक उच्च शिक्षा का प्रारम्भ ब्रिटिश काल में वुड के घोषणा पत्र 1854 के पश्चात् हुआ। 1950-51 में उत्तर प्रदेश में 6 विश्विद्यालयी थे तथा 40 डिग्री कालेज थे। जिसमें नामांकन क्रमशः 20,776 तथा 29,798 था।

(ख) शिक्षा की नीति निर्धारित करते हुये संविधान में उच्च शिक्षा में एकरूपता लाने तथा मानकों को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र ने अपने हाथ में रखा। अलीगढ़ और बनारस के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर और सब शिक्षा राज्यों के अधिकार में कर दी गयी। 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, जिसने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश शासन ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिक्षा का माध्यम धीरे-धीरे हिन्दी हो गया। कोठारी आयोग की सिफारिशें भी देश में लागू नहीं हो सकीं। 1968 का संसद द्वारा पारित शिक्षा नीति प्रस्ताव भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें कुछ अंशों तक लागू की जा सकी।

2. उच्च शिक्षा का प्रशासन :

(क) स्वतंत्रयोत्तर काल में उच्च शिक्षा की काफी प्रगति हुयी। किन्तु उसके प्रशासन को उसके अनुरूप बढ़ाने उसके आधुनिकीकरण करने का संतोषजनक प्रयास नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा के लिये 1972 में एक निदेशालय इलाहाबाद में खोला गया किन्तु इस निदेशालय का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इसका विश्वविद्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस कार्यालय के शिक्षकों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) निदेशालय पर राजनीतिक दवाब होने के कारण यह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाता है। शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक गड़बड़ियों और छात्रों की अनुशासनहीनता पर भी उसका कोई प्रभावशाली अंकुश नहीं है।

(ग) राज्य का प्रत्येक विश्वविद्यालय सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर स्थापित किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। शेष सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रण में है। ये विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर जिनके विजिटर भारत के राष्ट्रपति है। विश्वविद्यालयों का प्रमुख अधिकारी कुलपति होता है।

3. महाविद्यालय :

स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय खोले गये। सन् 1950-51 में उत्तर प्रदेश में जहाँ 40 महाविद्यालय थे वहाँ 2004-05 में बढ़कर 1438 हो गये हैं जिसमें लगभग 35 गुने की वृद्धि हुयी है। महिला महाविद्यालयों में 45 गुने की वृद्धि हुई है। महिला महाविद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर **7.33** है। मण्डल में सन् 1950-51 में 02 महाविद्यालय थे जो 2004-05 में बढ़कर 45 हो गये जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.09** प्रतिशत है जबकि महिला महाविद्यालयों की संख्या 09 है। जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर **6.67** है। तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर व मण्डल की औसत वार्षिक वृद्धि लगभग समान है।

4. नामांकन :

स्वतंत्रता के 54 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल नामांकन में 47 गुने की वृद्धि हुयी जबकि छात्राओं के नामांकन में 203 गुने की वृद्धि हुयी है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि

दर 10.40 प्रतिशत है। जो कुल नामांकन के औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.40 से अधिक है। इससे पता चलता है कि छात्र की अपेक्षा छात्रायें उच्च शिक्षा की ओर प्रवृत्त हुयी हैं। मण्डल द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि कुल नामांकन में छात्राओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर 18.45 है। प्रदेश व मण्डल की तुलना से ज्ञात होता है कि मण्डल में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत प्रदेश की तुलना में अधिक है।

5. प्राध्यापिकाएं :

स्वतंत्रता के पश्चात् महाविद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 1950-51 से 2004-05 के 54 वर्षों में 12 गुना की बढ़ गई है। इनमें पुरूषों की संख्या में 11 गुने तथा महिलाओं की संख्या में 48 गुने की वृद्धि हुयी है। महिलाओं की संख्या पहले नगण्य थी अतः शासन का ध्यान इस ओर गया और उनकी संख्या में अधिक वृद्धि हुयी। इस अवधि में अध्यापकों की कुल औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.66 तथा महिला अध्यापिकाओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.42 है। जबकि मण्डल में अध्यापकों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.38 तथा महिला अध्यापिकाओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.85 है। प्रदेश की अपेक्षा मण्डल में महिला शिक्षिकाओं की स्थिति बेहतर है।

6. व्यय :

वर्ष 2004-05 में महाविद्यालयी शिक्षा पर 70 करोड़ रू0 खर्च हुये है। वर्ष 1950-51 से 2004-05 तक के 54 वर्षों में व्यय में 110 गुने की वृद्धि हुयी। उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों पर व्यय सम्पूर्ण भारत के व्यय से अधिक तीव्रता से बढ़ा। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.11 प्रतिशत है।

7. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय :

उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सम्भाग एक ऐसा क्षेत्र है। जिसे पहाड़ी क्षेत्र की तरह अविकसित क्षेत्र घोषित किया गया है। 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना झांसी में की गयी थी। इसके अन्तर्गत झांसी मण्डल के पांच जिले आते है। इसके पूर्व यहाँ के महाविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। लेकिन वर्तमान में झांसी मण्डल में तीन व चित्रकूटधाम मण्डल में चार जिले आते है। चित्रकूटधाम मण्डल में जितने महाविद्यालय है वह सब बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। वर्तमान विश्वविद्यालय में संस्थानों की संख्या 40 हो गयी है। छात्रों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़कर 14,400 व

शिक्षकों की संख्या बढ़कर 52 हो गयी है। विश्वविद्यालय ने 2004-05 में 6वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला में हिस्सा लिया था जो कि न्यू दिल्ली, बम्बई, बंगलौर व कोलकत्ता में बनाया गया था। वर्तमान में उनके विभागों को यू0जी0सी0 द्वारा अनुदान मिला। वीमेन्स स्टडीज एडल्ट कन्टीनोइंग एजूकेशन, एक्सटेन्सन एण्ड फील्ड आऊटरीच एवं एस0सी0/एस0टी0 शेल। वर्ष 2001 से 2004 तक की अवधि में 168 शोधार्थी पी0-एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर चुके है।

वर्ष 1976 में विश्वविद्यालय में परीक्षा कराना शुरू कर दिया था। परीक्षायें समय पर होती है। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ0 वाहिद यू0मलिक नियुक्त हुये थे। उस समय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ0 एस0 चेन्ना रेड्डी थे। उस समय कुलसचिव का कार्यभार भी प्रकाश शरण अवस्थी ने संभाला था। लेकिन वर्तमान में प्रो0 रमेश चन्द्र कुलपति के पद पर, कुलाधिपति पद पर महामहिम श्री टी0वी0 राजेश्वर व कुलपति के पद पर श्री ओ0पी0 कण्डारी है।

वर्ष 1976 में विश्वविद्यालय ने परीक्षा संचालन का कार्य शुरू कर दिया था। वर्ष 1976 में छात्र/छात्राओं की सम्मिलित संख्या 11,190 थी जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर संख्या 64378 हो गयी है। सबसे अधिक वृद्धि बी0एड0; उसके पश्चात् एम0ए0; बी0एस0सी0 व एल0एल0बी0 में हुयी।

8. विश्वविद्यालय का आय-व्यय :

(क) विश्वविद्यालय की आय में निरन्तर वृद्धि होती रही है। सन् 2000-01 में 65.7 प्रतिशत की आय में वृद्धि हुयी जबकि व्यय में **74.9** प्रतिशत की वृद्धि हुयी है लेकिन 2004-05 में आय में **44.0** प्रतिशत की वृद्धि हुयी तथा व्यय में **31.3** प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

(ख) सम्भाग में उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय **14.3** प्रतिशत तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के वेतन पर हो रहा है। **12.8** प्रतिशत परीक्षाओं के संचालन पर, **12.6** प्रतिशत अन्य उपकरणों की मरम्मत पर, **9.5** प्रतिशत शिक्षक वर्ग के वेतन भत्ते पर व **4.0** प्रतिशत अधिकारी वर्ग के वेतन भत्ते पर व्यय किया जा रहा है। सबसे कम प्राविधिक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर जिसका प्रतिशत **0.07** है। **0.4** प्रतिशत पुस्तकालय पर व्यय किया जा रहा है। यह शैक्षणिक व्यय है। इसे और अधिक होना चाहिये।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की आय व्यय से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों में आर्थिक संकट नहीं है।

पंचवर्षीय योजनायें :

प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 153.37 करोड़ था। जिसमें से 70 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, 7.0 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा तथा 3.0 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किये गये। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई, विद्युत तथा प्राथमिक शिक्षा को दी गयी। दूसरी वरीयता माध्यमिक शिक्षा तथा अंत में विश्वविद्यालयी शिक्षा को स्थान दिया गया। इस योजना में उत्तर प्रदेश शासन की शैक्षिक नीतियाँ व्यवहार में नहीं लायी जा सकी क्योंकि बुन्देलखण्ड में अशिक्षा और दरिद्रता अधिक थी। उच्च शिक्षा में विकास के लिये एक महाविद्यालय उरई में खोला गया जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 233.33 करोड़ रू0 था। जिसमें से प्राथमिक शिक्षा पर 59 प्रतिशत; माध्यमिक शिक्षा पर 21 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा पर 12.2 प्रतिशत खर्च किये गये। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई, उद्योग, विद्युत, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास एवं यातायात के साधनों को दी गयी। इस योजना में प्रारम्भिक स्तर में विज्ञान अध्ययन में सुधार के लिये विशेष प्रयत्न किये गये। उच्च शिक्षा हेतु एक महाविद्यालय अतर्रा में खोला गया जो ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज एवं भवन बनाने के लिये मुक्त हस्त से अनुदान दिये। कृषि शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये विज्ञान कॉलेज झांसी में खोला गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 502.25 करोड़ था जिसमें से प्राथमिक शिक्षा को 66 प्रतिशत; माध्यमिक स्तर को 17 प्रतिशत तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिये 11 प्रतिशत खर्च किये गये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था- छात्राओं की संख्या में वृद्धि करना। छात्राओं की शिक्षा बढ़ाने के लिये शिक्षिकाओं को विशेष सुविधायें, विशेष भत्ते, रहन-सहन; उपस्थित पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियाँ भी देने का प्रावधान किया गया। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तथा बालक-बालिकाओं में विज्ञान शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने, उच्च शिक्षा में महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी जिसके लिये सर्वप्रथम

महिला महाविद्यालय 1962 में झांसी में खोला गया। जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। दूसरा महाविद्यालय 1964 में बाँदा जनपद में पं0 जवाहर लाल नेहरू खोला गया।

तीन वार्षिक योजनाओं में कुल परिव्यय **480.95** करोड़ रू0 था। जिसमें से प्राथमिक शिक्षा को 60 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पर 20 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा पर 18 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया गया। पाकिस्तानी आक्रमण और अनावर्षण के कारण अर्थव्यवस्था खराब हो गयी थी। अतः सामाजिक सेवाओं का आवंटन कम किये गये। सिंचाई, बिजली, सहकारिता तथा यातायात के साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया। माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार किया गया। सह-शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इन वार्षिक योजनाओं में बुन्देलखण्ड की प्राथमिक शिक्षा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुये क्योंकि किसी प्रकार का अलग से कोई आवंटन नहीं था। पाकिस्तानी युद्ध और अनावृष्टि का प्रभाव बुन्देलखण्ड पर भी रहा है। धनाभाव के कारण सामाजिक सेवाओं पर अधिक आवंटन नहीं किया जा सका। उच्च शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये एक महाविद्यालय ललितपुर में खोला गया जो पूर्णतया सामान्य शिक्षा के लिये सह-शिक्षा महाविद्यालय था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये विशेष अभियान चलाये गये। इस योजना पर कुल परिव्यय **1350.00** करोड़ रू0 था। जिसमें से प्राथमिक शिक्षा पर 67 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पर 17 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा पर 11 प्रतिशत खर्च किया गया। इस योजना अवधि में सर्वोच्च वरीयता खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, रोजगार के लिये अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने, पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में समाज सेवा की विषमताओं को कम करने तथा जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिये मिड-डे-मील की योजना चलायी गयी। उपकरण, साज-सज्जा एवं पुस्तकालयों के लिये अनावर्ती अनुदान दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में 4 नये महाविद्यालय खोले गये। 6 महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लाया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय **3085.00** करोड़ रू0 था। पांचवीं योजना में शिक्षा पर आनुपातिक आवंटन चौथी योजना से कम था। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर 53 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 28 प्रतिशत तथा उच्च स्तर पर 14 प्रतिशत खर्च किया गया था। इस योजना काल में मण्डल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष

प्रयत्न किये गये। मण्डल में 650 प्राथमिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी जिसमें 5 किलोमीटर अर्द्धव्यास के क्षेत्र में सीनियर बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अवधि में मण्डल के 100 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रावधान था। बालिकाओं की शिक्षा में निहित कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लिया गया कुछ जूनियर हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने का प्राविधान किया गया। परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन करने का प्राविधान किया गया तथा पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण तथा बुक-बैंक योजना को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत कृषि, शिक्षा, सिंचाई तथा यातायात पर विशेष बल दिया गया। द्विपाली व्यवस्था को लागू किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संगठनात्मक कार्यों पर विशेष बल दिया गया था।

छठीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय **3670.00** करोड़ रू0 था। जिसमें सामान्य शिक्षा पर **163.27** करोड़ रू0 व्यय किया गया। शिक्षा पर परिव्यय का 36 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। माध्यमिक स्तर पर 45 प्रतिशत तथा उच्च स्तर पर 18 प्रतिशत खर्च किया गया था। इस योजना काल में मण्डल में प्राथमिक विद्यालय की संख्या में वृद्धि हुई इसके लिये मैदानी क्षेत्र के डेढ़ किलोमीटर व एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये और यह विद्यालय 300 आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जाने का निर्णय लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके। माध्यमिक विद्यालयों को अपने विद्यालयों में शैक्षिक स्तर को ऊँचा बनाये रखने तथा विकास करने के लिये राज्य सरकार अधिक ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा व हमीरपुर जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय खोला गया। छात्राओं को उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्‌देश्य से राजकीय महाविद्यालय बाँदा का उच्चीकरण करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय **4255.00** करोड़ रू0 था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर आनुपातिक आवंटन छठी पंचवर्षीय योजना से कम था। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर 56 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 21 प्रतिशत तथा उच्च स्तर पर 16 प्रतिशत खर्च किया गया। इस योजना में छात्रों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित करना व शिक्षकों को अच्छे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण कैम्प लगाये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या अभिवृद्धि करने तथा उनमें स्थिरता लाने के उद्‌देश्य से संबंधित योजना

के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकें वितरित करने; यूनीफार्म; मिड-डे-मील योजना पर सरकार अनुदान दे रही है। जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ नहीं है। वहाँ विद्यालय खोले गये। इस योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड संभाग में असेवित एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों में सीमित साधनों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय कर्वी, बाँदा में स्थापना की गयी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 8500.37 करोड़ रू0 था। जिसमें से सामान्य शिक्षा पर 1377.51 करोड़ रू0 व्यय किया। योजना परिव्यय का 61 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर, 19 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर व 17 प्रतिशत उच्च स्तर पर खर्च किया गया। इस योजनाकाल में प्राथमिक विद्यालय में संख्या में वृद्धि होने के बाद भी छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने कई योजनायें चलायी। लेकिन संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण माता-पिता की अशिक्षा, कम आय के स्त्रोत व गरीबी है। माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा में ज्यादा जोर दिया गया। विज्ञान से जुड़ी हुई शिक्षा को गति प्रदान करने के लिये प्रयोगशालाओं की नियुक्ति पर जोर दिया गया। इस योजनाकाल में शिक्षिकाओं की नियुक्ति सबसे अधिक हुई। छात्राओं को उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय को अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण आदि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये यथा सम्भव स्वीकृतियाँ दी गयी है।

सुझाव :

प्रस्तुत शोध में चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन किया गया है। गत नौ अध्यायों के निष्कर्षों के आधार पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा (सामान्य) तक की न्यूनताओं को सुधारने और उसके समुचित विकास के लिये शोधकत्री द्वारा निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे हैं -

प्रारम्भिक शिक्षा :

1. चित्रकूटधाम मण्डल की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में स्त्री-शिक्षा के विकास को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के पहाड़ी

क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र को भी अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दें ताकि सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट हो।

2. अनुच्छेद 45 के लक्ष्य को पूरा करने के लिये अवधि में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसे समाप्त कर एक सुगठित योजना बनाकर अवधि के अंत तक इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाये। समय को अब न बढ़ाकर विकास के साधनों को बढ़ाना चाहिये।

3. किसी भी राष्ट्र का भविष्य नवयुवकों पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में बालक की ही तरह बालिकाओं की रूचियों उनके कल्याण और सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाये लेकिन मण्डल में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की ओर अभी भी पूर्णरूपेण ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि प्रस्तुत शोध में प्राथमिक शिक्षा में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के प्रतिशत से स्पष्ट है। अतः इस ओर जनमत को प्रेरित करने की आवश्यकता है।

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के कारण हम अपना सारा ध्यान प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने की ओर लगा रहे है। इस प्रकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की अवहेलना हो रही है। इस विसंगति को सरकार प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करें क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक के विकास की नींव है।

5. सांख्यिकी आंकड़ों से पता लगता है कि चित्रकूटधाम मण्डल में स्त्री-शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हुआ है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि चित्रकूटधाम मण्डल के कुछ विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न है। यदि सरकार इन विद्यालयों की ओर ध्यान दे तो शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत उच्च हो सकता है।

6. प्रभावशाली प्रशिक्षण केन्द्रों के अभाव के कारण भी प्राथमिक शिक्षा की उन्नति नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है।

7. जिन अभिभावकों का जीवन स्तर निम्न है उनके बच्चों के लिये पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले जाये ताकि अधिकांश गरीब बच्चे भी शिक्षा का लाभ उठा सके। इसके लिये सरकार को कोठारी कमीशन की सिफारिशों की ओर ध्यान देना होगा तभी हम इस स्तर की शिक्षा को प्रचारित कर सकते है।

8. प्रस्तुत शोध में मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की प्रगति का स्तर ऊँचा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

9. जनपदवार यदि शिक्षा के स्तर का विश्लेषण किया जाये तो सभी जनपदों में शिक्षा का स्तर समान नहीं है। इसके कारणों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि उनका विकास किया जाये।

10. प्रादेशिक मानक के अनुसार मण्डल में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के प्रयास किये गये है परन्तु अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है। जहाँ बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के लिये 1.5 किलोमीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिये 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः शासन को इस क्षेत्र विशेष के लिये दूरी कम करके 1 किलोमीटर तथा 2 किलोमीटर कर दी जाये ताकि बालक-बालिकायें सुगमता से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

11. राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के रूप में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उसमें कम से कम 8 से 12 ग्राम प्रोटीन एवं 300 कैलोरी ऊर्जा हो ताकि बालक-बालिकाओं को उचित प्रोटीन व कैलोरी प्राप्त हो सके।

12. मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन व प्रभावी नियंत्रण हेतु जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कमेटियों को सौंपा गया है लेकिन इस योजना को सफलीभूत करने के लिये विशेष समिति का गठन किया जाये जो इनके कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सके।

13. शिक्षा मित्र योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति के लिये जो शिक्षा मित्र रखे जा रहे हैं। समय-समय पर उनकी योग्यता, दक्षता एवं क्षमता का मूल्यांकन सरकार द्वारा किया जाना चाहिये ताकि विद्यालय की स्थिति में सुधार हो सके।

14. ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का नामांकन अधिक है। इस अन्तर को समाप्त करने हेतु बालिकाओं की शिक्षा के

प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये और बालिकाओं को इस ओर प्रोत्साहित किया जाये।

15. बालिकाओं का नामांकन का प्रतिशत बढ़ाने के लिये सरकार को व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये इसके लिये कन्या विद्यालय खोलने वालों को सरलतम शर्तों के साथ अनुदान मुहाइयाँ कराना चाहिये।

16. चित्रकूटधाम मण्डल के जिन जनपदों में आवागमन के साधनों का अभाव है या दूर-दराज स्थानों पर विद्यालय है वहाँ शिक्षिकाओं व बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाये।

17. प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संख्या में और वृद्धि की जाये, जो शिक्षिकायें अप्रशिक्षित व सेवारत है उन्हें सेवाकालीन या पत्राचार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

18. चित्रकूटधाम मण्डल के जिन जनपदों में शिक्षिका-बालिका अनुपात अधिक है उन जनपदों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये ताकि इसे कम किया जा सके।

19. जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में बालिकायें बीच में ही विद्यालय छोड़ देती है क्योंकि उन्हें घर के कामों में अभिभावकों की सहायता करनी पड़ती है इस समस्या के समाधान हेतु विद्यालय की समय-सारणी इस प्रकार निर्मित की जाये जिससे वह घर व विद्यालय दोनों का लाभ उठा सके।

20. विद्यालय के वातावरण को आकर्षित बनाया जाये तभी हम अपव्यय और अवरोधन को रोक सकते है।

21. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा की आधारशिला है। यदि शासन संविधान के 45वें अनुच्छेद की शत-प्रतिशत सफलता चाहता है तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर समुचित ध्यान दें।

22. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाता। अतः जनसंख्या नियंत्रण के लिये परिवार नियोजन को सशक्त बनाया जाये।

23. ग्रामीण विद्यालयों में नियुक्त शिक्षिकाओं को जब तक अपरिहार्य न हो शहरों में अटैच न किया जाये। इन नियमों का सख्ती से अनुपात सुनिश्चित किया जाये।

24. जिन विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम है। उनमें नामांकन बढ़ाने के लिये शिक्षिकाओं को प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की जाये।

माध्यमिक शिक्षा :

1. चित्रकूटधाम मण्डल के सभी जनपदों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की प्रगति के स्तर में विभिन्नता है इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाये, वह उन कारणों को जानने का प्रयास करे।
2. मण्डल के जिन जनपदों में बालिकाओं के लिये अलग माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है उनके शिक्षण हेतु अलग विद्यालय खोले जाये और इन विद्यालयों में आधुनिक वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था हो।
3. मण्डल के जिन क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं की संख्या अधिक है वहाँ नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाये इस कार्य हेतु सरकार को चाहिये कि वह जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलें।
4. शोधकत्री ने अपने शोध में पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों एवं पेयजल का अभाव है इस अव्यवस्था को दूर किया जाये और इस दिशा में अविलम्ब कार्य हों।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु शैक्षिक समय-सारिणी इस प्रकार निर्मित की जाये जिससे बालिकाये शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ उठा सके ताकि बीच में विद्यालय छोड़कर जाने जैसी समस्या का समाधान हो सके।
6. मण्डल के जिन जनपदों में शिक्षिका-बालिका अनुपात असंतुलित है। उसे समाप्त करने के लिये जहाँ पर शिक्षिकायें नहीं है वहाँ शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये और जहाँ बालिकायें नहीं है वहाँ बालिकाओं को विद्यालय आने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
7. मण्डल के जिन क्षेत्रों में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन क्षेत्रों में निर्धन एवं योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाये जिससे वह शिक्षा का लाभ उठा सके।
8. चित्रकूटधाम मण्डल के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निजी अभिकरणों द्वारा संचालित है। इन विद्यालयों को संसाधनों के अभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हें दूर करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

9. आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाये, विशेषकर उन क्षेत्रों की बालिकाओं के लिये जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

10. बालिकाओं के लिये अलग से बालिका विद्यालय खोले जायें और जिन क्षेत्रों में ऐसा करना सम्भव न हो उन क्षेत्रों में सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

11. निरीक्षण एवं परामर्श के अभाव में जिन विद्यालयों का शैक्षिक स्तर निम्न है उन विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिये विशेष समिति गठित की जाये जो समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर परामर्श दे सके।

12. माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार को ब्लैक बोर्ड योजना को प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू की जाये।

13. शासनतंत्र को चुस्त-दुरूस्त किया जाये जब तक शासनतंत्र में पारदर्शिता नहीं आती, शिक्षा की कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकती।

14. माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने-पढ़ाने का माहौल बनाया जाये इसके लिये खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करते रहना चाहिये तभी हम अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने में सक्षम होगें।

15. मण्डल के जिन क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या कम है और छात्राओं की संख्या अधिक वहाँ विद्यालय दो पारियों में चलायें जाये।

16. जिन माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भवन, प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, वाचनालय व शिक्षण सामग्री का अभाव है। इसका प्रबन्ध यथाशीघ्र किया जाना चाहिये।

17. जिन विद्यालयों में जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनैतिक दबाव और भाई-भतीजावाद के आधार पर शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती है। सरकारी तंत्र को चाहिये कि वह योग्य शिक्षिकाओं की ही नियुक्ति करे।

18. माध्यमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने के लिये सरकार को शिक्षा के लिये अधिक बजट, 5 किमी0 की दूरी में विद्यालय उपलब्ध, प्रशासन तंत्र का चुस्त-दुरूस्त होना, ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य किया जाये।

19. शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मन्द बुद्धि छात्राओं के साथ विशेष सहानुभूति स्थापित किये जाये और संबंधित उपकरणों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे सामान्य बालिकाओं की तरह जीवन-यापन कर सकें।

20. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन की व्यवस्था की जाये।

21. बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाये। इन विद्यालयों में तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा दी जाये और यह शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से दी जाये ताकि शिक्षित बेराजगारी को कम किया जा सके।

22. मण्डल के जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की संख्या कम है। उन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ रखे जाये और इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाये।

23. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाये। साथ ही उनके लिये पौष्टिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की जाये।

उच्च शिक्षा :

1. उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज उच्च शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। इसको उन्नत करने के लिये केन्द्रीय सरकार को दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अनुदान के सम्बन्ध में कई सीमायें है। इनका निराकरण किया जाना चाहिये ताकि विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो सके।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भौतिक साधनों की अपेक्षा अध्यापन और अनुसंधान पर अधिक व्यय करना चाहिये ताकि इस क्षेत्र का विकास किया जा सके।

4. राज्य सरकार शुल्क का 75 से 80 प्रतिशत तक राज्य कोष में जमा करके शिक्षकों को वेतन देती है। जिससे महाविद्यालयों में नैमित्तिक कार्यों के लिये धन नहीं बचता।

इससे संस्थाओं का विकास रूक जाता है। इस व्यय के लिये संस्थाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाये।

5. उच्च शिक्षा निदेशालय जिसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इसके बावजूद वह स्वयं के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि गिरते हुये स्तरों से बेखबर रहता है। इसका विकेन्द्रीकरण करना चाहिये और निरीक्षण के लिये स्पष्ट नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिये।

6. विश्वविद्यालय शिक्षकों में राजनीति और दलबन्दी पनपी है जिसका कुप्रभाव अध्यापन पर पड़ रहा है। इसका यथाशीघ्र निराकरण करना चाहिये।

7. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिये केवल 9 महाविद्यालय है। इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

8. मण्डल की अधिकांश जनता रूढ़िवादी व अशिक्षित है जिससे वह सह-शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देती परिणामतः महिलाओं का एक बड़ा भाग उच्च शिक्षा से वंचित रहता है। इसे दूर किया जाये।

9. मण्डल के जिन जनपदों में संगीत, कला व व्यवसाय से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उन क्षेत्रों में इस शिक्षा की व्यवस्था की जाये साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिये अलग से व्यवस्था की जानी चाहिये।

10. शोध कार्य के लिये एक उच्च स्तर की लाइब्रेरी होनी चाहिये जहाँ सन्दर्भ ग्रन्थों तथा उससे संबंधित साहित्य का अलग विभाग होना चाहिये।

11. चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा जनपद में कम से कम एक शोध संस्थान की स्थापना अवश्य की जानी चाहिये।

12. मण्डल के सभी महाविद्यालयों में कृषि, विज्ञान, तकनीकी व वाणिज्य शिक्षा का अभाव है। इसको दूर किया जाये और महाविद्यालयों में इन विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

13. उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रबन्ध समितियों को नियमानुसार गठित किया जाये और उस समिति में एक-एक सरकार और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि हो। यदि ये समितियाँ ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती उन प्रबन्ध समितियों को निरस्त कर अन्य समुचित

व्यवस्था की जाये तथा महाविद्यालय के दैनिक कार्य में उनको हस्तक्षेप करने से रोका जाये।

14. मण्डल के अधिकांश जनपदों के महाविद्यालय व्यापारिक दृष्टिकोण से चलाये जा रहे है। इन पर नियंत्रण रखना परमावश्यक है।

15. महाविद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिये अक्षय निधि जमा करने की शर्त का कठोरता से पालन न किया जाये क्योंकि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है।

16. सरकार को चाहिये कि महाविद्यालय खुलने के पश्चात् एक वर्ष या 2 वर्ष बाद अनुदान सूची पर उसे अवश्य ले लें ताकि उसे प्रारम्भिक वित्तीय कठिनाइयों से बचाया जा सके।

17. उच्च शिक्षा पर व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिसका अधिकाधिक भार राज्य सरकार पर है किन्तु सरकार की भी अपनी सीमायें है। अतएव महाविद्यालयों को संचालित करने के लिये अन्य स्त्रोतों की खोज करनी चाहिये।

18. महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय को चाहिये कि वह इण्टरमीडिएट की ही तरह छात्राओं का शुल्क माफ कर दें, जिससे ज्यांदा से ज्यादा छात्रायें लाभान्वित हो सके।

19. मण्डल के स्थानीय निकायों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोई विशेष योगदान नहीं है। अन्य स्त्रोतों से आये हुये दान को आयकर से मुक्त रखना चाहिये ताकि महाविद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जा सके।

20. मण्डल के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में सम्मिलित कर पढ़ाया जाये और जनमत को इसकी उपयोगिता से अवगत कराया जाये।

21. विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर होने के कारण राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षिक स्वतंत्रता सीमित हुई है। इससे बचाने के लिये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का पुर्नरीक्षण करना चाहिये।

22. महाविद्यालयों में 'रोजगार सूचना केन्द्रों' तथा 'परामर्श केन्द्रों' की स्थापना सुनिश्चित की जाये।

पंचवर्षीय योजनायें :

1. यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है परन्तु उनके क्रियान्वयन में विशेष सावधानी नहीं बरती गयी। अतएव पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उनको प्राप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
2. पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करते समय ज्ञात हुआ है कि संख्यात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया और गुणात्मक पक्ष की अवहेलना हुई। अतएव योजनाओं में शैक्षिक विकास का मूल्यांकन करते समय दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
3. उत्तर प्रदेश की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे परिव्यय का बहुत थोड़ा भाग शिक्षा के लिये आवंटित किया गया है और उस पर सबसे अधिक भाग प्रारम्भिक शिक्षा को मिला। सभी स्तरों को बराबर भाग मिलना चाहिये ऐसा प्रयास किया जाये।

भावी शोध सम्बन्धी सुझाव :

प्रस्तुत शोध में चित्रकूटधाम मण्डल की भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं आर्थिक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का विकास 1950-51 से 2004-05 तक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से कुछ ऐसे विषयों का संकेत प्राप्त होता है। जिन पर विस्तृत शोध किए जा सकते हैं।

अग्रिम शोध के लिए कुछ विषय इस प्रकार हो संकते है-

1. उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री-शिक्षा के विकास का अध्ययन।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बुन्देलखण्ड में स्त्री-शिक्षा का विकास एवं उसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव।
3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्रियों की उच्च शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से विकास का अध्ययन।
4. सेवारत व असेवारत महिलाओं के समायोजन के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।
5. चित्रकूटधाम मण्डल में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्राओं का गृहकार्य के प्रति अभिरुचि का अध्ययन।
6. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन।
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन।
8. शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की सामाजिक परिवतर्न के प्रति उनकी अभिवृत्तियों के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।
9. माध्यमिक स्तर की शिक्षिकाओं तथा उच्च स्तर की शिक्षा का शिक्षिकाओं का जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
10. ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में स्त्री-शिक्षा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन।

11. हिन्दू एवं मुस्लिम स्त्रियों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन।

12. विवाहित एवं अविवाहित शिक्षित महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश में समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।

13. उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्री-शिक्षा के विकास के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।

14. बाँदा जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं का विज्ञान एवं कलावर्ग के प्रति अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन।

15. शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं में पर्यावरण जागरुकता के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।

16. उत्तर प्रदेश में मध्यम एवं निम्न वर्ग की महिलाओं में व्यवसाय के प्रति आत्मसम्बोध का तुलनात्मक अध्ययन।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अदावल, सुबोध तथा उनियाल, माधवेन्द्र : भारतीय शिक्षा की समस्यायें तथा प्रवृत्तियाँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974।

अग्रवाल, जे0सी0 : प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन फ्री इण्डिया, न्यू दिल्ली, आर्य बुक डिपो।

नायक, जे0पी0 एवं सैयूयद नुरूल्ला : भारतीय शिक्षा का इतिहास, बम्बई द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 1976।

पाठक, पी0डी0 और जे0एस0डी0, त्यागी : भारतीय शिक्षा के आयोग, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1973।

भगवान, दयाल : डेवलपमेंट ऑफ मार्डन इण्डियन एजूकेशन, बम्बई ओरियण्ट लांगमैन्स।

भारत सरकार : भारत का संविधान, नई दिल्ली, विधि, न्याय और कम्पनी के कार्य मंत्रालय, 1982।

भारत सरकार : शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1968।

मिश्रा, आत्मानन्द : शिक्षा कोष, कानपुर ग्रन्थम्, 1976।

मिश्रा, आत्मानन्द : शिक्षा का वित्त प्रबन्धन, कानपुर ग्रन्थम्, 1976।

मिश्रा, आत्मानन्द : शिक्षा की समस्याएं, भोपाल, मध्य प्रदेश, ग्रन्थ अकादमी, 1978।

मुखर्जी, एस0एन0 : एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया, बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1962।

मुखर्जी, एस0एन0 : एजूकेशन इन इण्डिया टुडे एण्ड टुमारो, बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो।

माथुर, बी0एस0 : शिक्षा की समस्याएं, इण्डियन पब्लिकेशन, अम्बाला छावनी।

मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया : रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन।

मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया : एजूकेशन इन यूनिवर्सिटीज इन इण्डिया।

लाल, रमन बिहारी : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी

समस्याएं, रस्तोगी पब्लिकेशन, तृतीय संस्करण, 2004-05।

वर्मा, डा0 महेन्द्र : बुन्देलखण्ड का इतिहास, सुशील प्रकाशन मेरठ।

सैयूयदन, के0जी0 : शिक्षा की पुनर्रचना, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1960।

सैयूयदन, के0जी0 और अन्य : कम्पलसरी एजूकेशन इन इण्डिया, दिलही यूनीवर्सल पब्लिकेशन, 1966।

सिंघल, महेश चन्द्र : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, जयपुर, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1971।

सिंह, आर0एल0 : इण्डिया-ए रीज़नल ज्योग्राफी, बनारस, एन0जी0 एस0आई0, 1971।

हुसैन, जाकिर : शिक्षा, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1961।

त्रिपाठी, मोतीलाल : बुन्देलखण्ड दर्शन, झांसी, शारदा साहित्य कुटीर, 1980।

शासकीय प्रतिवेदन

प्रथम पंचवर्षीय योजना संक्षिप्त प्रारूप : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1953

द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भिक रूपरेखा : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1957

तृतीय पंचवर्षीय योजना संक्षिप्त प्रारूप : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1961

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारम्भिक रूपरेखा : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1970

पांचवीं पंचवर्षीय योजना : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1974

छठी पंचवर्षीय योजना : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1979

सातवीं पंचवर्षीय योजना : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1984

आठवीं पंचवर्षीय योजना : लखनऊ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 1989

शिक्षा की प्रगति, 1950-51 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1951

शिक्षा की प्रगति, 1955-56 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1956

शिक्षा की प्रगति, 1960-61 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1961

शिक्षा की प्रगति, 1965-66 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1966

शिक्षा की प्रगति, 1970-71 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1971

शिक्षा की प्रगति, 1975-76 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1976

शिक्षा की प्रगति, 1980-81 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1981

शिक्षा की प्रगति, 1985-86 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1986

शिक्षा की प्रगति, 1990-91 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1991

शिक्षा की प्रगति, 1995-96 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 1996

शिक्षा की प्रगति, 2000-01 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 2001

शिक्षा की प्रगति, 2001-02 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 2002

शिक्षा की प्रगति, 2002-03 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

शासन, 2003

शिक्षा की प्रगति, 2003-04 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 2004

शिक्षा की प्रगति, 2004-05 : इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, 2005

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद झांसी, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद ललितपुर, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद जालौन, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बाँदा, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद हमीरपुर, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद महोबा, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद चित्रकूट, 2004-05 : लखनऊ, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग; उत्तर प्रदेश, 2004-05

सांख्यिकीय पत्रिका, झांसी मण्डल, वर्ष 2004-05, उ0प्र0 सरकार : उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झांसी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद चित्रकूटधाम मण्डल, वर्ष 2004-05, उ0प्र0 सरकार : उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, चित्रकूटधाम मण्डल, उत्तर प्रदेश

District Census Hand-book, Jhansi, 1951 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1952

District Census Hand-book, Banda, 1951 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1952

District Census Hand-book, Jalaun, 1951 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1952

District Census Hand-book, Hamirpur, 1951 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1952

District Census Hand-book, Jhansi, 1961 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1962

District Census Hand-book, Banda, 1961 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1962

District Census Hand-book, Jalaun, 1961 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1962

District Census Hand-book, Hamirpur, 1961 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1962

District Census Hand-book, Jhansi, 1971 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1972

District Census Hand-book, Banda, 1971 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1972

District Census Hand-book, Jalaun, 1971 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1972

District Census Hand-book, Hamirpur, 1971 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1972

District Census Hand-book, Jhansi, 1981 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1982

District Census Hand-book, Banda, 1981 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1982

District Census Hand-book, Jalaun, 1981 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1982

District Census Hand-book, Hamirpur, 1981 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1982

District Census Hand-book, Jhansi, 1991 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1992

District Census Hand-book, Banda, 1991 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1992

District Census Hand-book, Jalaun, 1991 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1992

District Census Hand-book, Hamirpur, 1991 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 1992

District Census Hand-book, Jhansi, 2001 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002

District Census Hand-book, Banda, 2001 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002

District Census Hand-book, Jalaun, 2001 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002

District Census Hand-book, Hamirpur, 2001 : Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002

District Census Hand-book, Mahoba, 2001	:	Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002
District Census Hand-book, Chitrakoot, 2001	:	Lucknow, Government of Uttar Pradesh, 2002
Government of India, First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth & Eight five year Plans	:	New Delhi, Planning Commission, 1952, 1956, 1961, 1969, 1974, 1979, 1984 & 1989
Draft Five year plan & Annual plan	:	Lucknow, Planning Department, Uttar Pradesh Government
Education in India, 1950-51	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1954
Education in India, 1955-56	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1958
Education in India, 1960-61	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1966
Education in India, 1965-66	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1973
Education in India, 1970-71	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1976
Education in India, 1975-76	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1978
Education in India, 1980-81	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1983
Education in India, 1985-86	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1988
Education in India, 1990-91	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1993
Education in India, 1995-96	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1998
Education in India, 2000-01	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 2003
First Five year plan progress review of Uttar Pradesh, 1951-56	:	Lucknow, Planning Department, Government of Uttar Pradesh, 1957
Hunter, W.W. report of the Indian education commission, 1882	:	Calcutta, Government Printing, 1982
Report of the education commission, 1964-66	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1966
Second Five year Plan	:	Lucknow, Planning Department,

Progressive review, 1956-61		Government of Uttar Pradesh, 1962
Aimes and Objectives of University in India	:	Ministry of Education, Government of India, New Delhi
Progress of Pre-Primary and elementary education in India, 1959	:	New Delhi, Ministry of Education, Government of India
Report of the University education commission vol. I, 1949	:	New Delhi, Ministry of education, Government of India
Report of secondary education commission	:	Government of India, New Delhi, 1953
Third All India Educational survey	:	New Delhi, N.C.E.R.T., 1979, P. No.-100
Fourth suvery of education	:	Government of India, New Delhi, N.C.E.R.T.
Fifth suvery of educational research	:	Government of India, New Delhi, N.C.E.R.T.